पुरानी पेंशन योजना से संबंधित शासनादेशों का संकलन

(5)

संख्या सा-3—2085/दस/307/76

प्रेषक,

श्री बलविन्दर टण्डन,
आयुक्त एवं वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं अनुभाग कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक लखनऊ : 13 दिसम्बर, 1977

विषय:—अधिवर्षता पेन्शन और मृत्यु-तथा-सेवा निवृत्ति ग्रानुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

सरकारी कर्मचारियों को पेन्शन की स्वीकृति देने सम्बन्धी कार्य विधियों का ठरर्ड करने एवं उनमें गति लाने का प्रश्न एक अरसे के विचाराधीन रहा है अतएव इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में निम्नलिखित संशोधन तथा अन्य संगत आदेश दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 से अर्थात् उक्त दिनांक सेवत अधिकारी जो प्रेषम कार्य दिवस (Non-working day) हो, या उसके उपरान्त किसी दिनांक में अधिवर्षता आयु प्राप्त करके सेवानिवृत्त होने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रभावी होंगे ।

2—कार्य के लिये समय-सारणी—यदि सामले में अधिवर्षता सेवानिवृत्ति की अदायगी किस महीने में देय हो उसी महीने की पहली तारीख से शुरू होनी चाहिये । इस प्रयोजन के लिये विभागाध्यक्षों, कार्यालयाध्यक्षों तथा पेन्शन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारियों को, (महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्मिलित करते हुए) पेन्शन और आनुतोषिक (ग्रेच्युटी) के प्रस्तावों तथा अदायगी से सम्बन्धित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिये निम्नलिखित 24 मासिक समय-सूची का पालन करना होगा :—

(1) 16 मास की अवधि में पेन्शन सम्बन्धी कागजों को तैयारी के लिये अर्हकारी सेवा की गणना, सेवा अभिलेखों की जांच तथा उन्हें पूरे कराना आदि ;

(2) अगले 8 मास की अवधि में से:—

(क) प्रथम 6 माह की अवधि में पेन्शन सम्बन्धी कागजों की तैयारी का कार्यारम्भ करना ;

(ख) अगले एक माह की अवधि के अन्त तक पेन्शन भुगतानादेश तथा आनुतोषिक भुगतानादेश जारी करना ;

(ग) सेवा के अन्तिम माह की पहली तारीख को पेन्शन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेशों का सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी को दे दिया जाना ।

शासन का आशय यह है कि प्रारम्भिक और प्रारम्भिक कार्य काफी समय पहले से ही शुरू किया जाना चाहिये तथा कार्य के विभिन्न स्तरों और प्रक्रियाओं के लिये पर्याप्त समय रखे हुए इन्हें अनुचित कर से विलम्बित नहीं होने देना चाहिये । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये प्रत्येक स्तर के सम्बन्ध में विभागीय कार्यों का निर्धारित की गई है ताकि जब विलम्ब दिनांक आ जाये तो कार्य अन्तिम-कार्य रूप से अपने स्तर पर पहुंच जाये ।

(क) पेन्शन सम्बन्धी कागजों को तैयार करने के लिये कार्यालयाध्यक्ष अथवा अन्य जिम्मेदार प्राधिकारी सरकारी कर्मचारी के सेवा-निवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पहले ही पेन्शन के मामले पर कार्यवाही शुरू करेंगे । इस स्तर पर मुख्य कार्य अर्हकारी सेवा का हिसाब लगाने के लिये अपेक्षित सूचना एकत्रण करने का होगा । चूंकि पेन्शन के मामलों में अधिकतर विलम्ब सेवा-पुस्तिका निकाई में चक्कानों तथा त्रुटियों के कारण होता है इसलिये इस स्तर पर इसको दूर करने के लिये पूरा प्रयत्न किया जाना आवश्यक होगा लेकिन इसके साथ-साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखा जायेगा कि सम्पूर्ण सेवा पुस्तिका अथवा रिकार्ड की पूर्ण जांच अथवा विरीक्षण करने का औचित्य नहीं है परन्तु केवल उसी उद्देश्य सम्मुख हो उसी सीमा तक जांच करनी है—उदाहरणतः पेन्शन सम्बन्धी कागजों को तैयार करना । यह प्रक्रिया समय पहले हुए तथा किसी भी स्थिति में सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति की तारीख से कम से कम आठ महीने पहले पूरी हो जानी चाहिये ।

(ख) सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले पेंशन के कागजों को तैयार करने सम्बन्धी वास्तविक कार्य को हाथ में लेना चाहिये---उदाहरणतः अर्हकारी सेवा की संगणना तथा औसत परिलब्धियों का हिसाब लगाना। सेवा रिकार्ड में कोई कमी अथवा अपूर्णता अथवा चूक अगर कोई विद्यमान रह जाती है तो उसकी इस स्तर पर उपेक्षा कर दी जायेगी तथा सेवा रिकार्ड में उस समय तक ऊपर उप-पैरा (क) के अनुसार पूर्ण की गई प्रविष्टियों के आधार पर अर्हकारी सेवा का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) औसत परिलब्धियां पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त (12 महीने की नहीं जैसा कि अब से पहले होता था) की गई परिलब्धियों के सन्दर्भ में निर्धारित की जायेंगी। यद्यपि औसत की गणना करने सम्बन्धी अवधि को कम कर दिया गया है, परन्तु सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 487 के अन्य उपबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

इस कार्य में केवल औसत परिलब्धियों के लिये गणितात्मक (Arithmetical) संगणना ही अन्तर्ग्रस्त नहीं है बल्कि परिलब्धियों की सत्यता की जांच भी करनी होगी। परिलब्धियों की सत्यता स्वभावतः इस बात पर निर्भर करेगी कि इस दस माह की अवधि के आरम्भ होने वाली पहली तारीख को प्राप्त परिलब्धियां भी सही हों, परन्तु पहले की परिलब्धियों की सत्यता की जांच, चाहे पेंशन के कागज तैयार करने वाले कार्यालय में हो अथवा बाद में, पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिए लिपिकीय कार्यालय में हो, बहुधा छान-बीन हेतु काफी पीछे जाने का अवसर नहीं होना चाहिये, कम से कम उतनी जांच की जानी चाहिये जो अनिवार्य रूप से आवश्यक है। किसी भी स्थिति में उक्त जांच सेवा निवृत्ति की तारीख से पूर्व के 24 महीने की अवधि से अधिक अवधि के संबंध में करने की आवश्यकता साधारणतया नहीं होनी चाहिये।

(घ) अर्हकारी सेवा का निर्धारण और औसत परिलब्धियां तथा स्वीकार्य पेंशन और आनुतोषिक से सम्बन्धित प्रविष्टियां हर हालत में दो महीने के अन्दर पूरी हो जानी चाहियें तथा पेंशन सम्बन्धी कागज महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय को सेवानिवृत्ति की तारीख से कम से कम छः महीने पहले ही भेज देने चाहियें। वह कार्यालय कागजों की उपर्युक्त पैराग्राफ (ख) और (ग) में उल्लिखित जांचों तक ही सीमित रहते हुए आवश्यक जांच करने के पश्चात सेवा-निवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले पेंशन अदायगी आदेश (मासिक तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी के आदेश सहित) जारी करेगा।

(ङ) उन मामलों में जिनमें किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति अधिवर्षता सेवा-निवृत्ति की सामान्य तारीख से पहले हो, चाहे वह सिविल नियमावली खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 56 (सी) अथवा (डी) के उपबन्धों के अनुसरण में हो, अथवा सरकारी सेवक की उपक्रम/निगम आदि में स्थायी रूप से सेवा लिये जाने के आधार पर सेवा-निवृत्ति हो जाने के फलस्वरूप हो, ऐसे मामलों में भी पेंशन के मामलों का निराकरण शीघ्रता से किया जायगा और इस संबंध में अलग से अनुदेश जारी किये जायेंगे।

3---असाधारण छुट्टी और निलम्बन---सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 408, 419 (बी) तथा 487 के नीचे दिये नियमों के अनुसार पेंशन की गणना के प्रयोजन के लिये केवल सक्रिय अवकाश की अवधि ही अर्हकारी सेवा में सम्मिलित की जाती है तथा किसी भी दशा में असाधारण अवकाश की अवधि (जो बिना वेतन की होती है) को पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में नहीं गिना जाता है। शासन ने अब यह निर्णय लिया है कि असाधारण अवकाश की अवधि को भी पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा में सम्मिलित किया जायगा यदि असाधारण अवकाश निम्नलिखित कारणों के आधार पर स्वीकृत किया गया हो :---

(1) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर ;

(2) सामरिक प्रकृति होने के कारण ड्यूटी पर चले अथवा पुनः आने में उसकी असमर्थता ; अथवा

(3) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण।

अन्य आधारों पर लिया गया असाधारण अवकाश अर्हकारी सेवा नहीं माना जायगा और इसीलिये सेवा रिकार्ड में इस आशय की एक विशिष्ट प्रविष्टि की जानी आवश्यक होगी। सेवा अर्हकारी है अथवा नहीं इसके सम्बन्ध में प्रविष्टियां भी घटना के साथ-साथ ही की जानी चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो आरम्भिक कार्यवाही अर्थात् सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष पूर्व से सेवा-निवृत्ति के आठ महीने पहले तक की लिये स्वीकार्य अवधि के दौरान, अर्थात् सेवानिवृत्ति की दिनांक से 16 माह पूर्व की अवधि में, इस चूक को सुधार लेना संभव होना चाहिए। परन्तु इस अवधि के बाद में [अर्थात् जैसा कि उक्त पैराग्राफ 2 (ख) में निर्धारित किया हुआ है।] पेंशन के कागजों की वास्तविक तैयारी का काम शुरू किये जाने पर पहले की घटनाओं अथवा पहले के रिकार्ड के सम्बन्ध में कोई भी और आगे पूछ-ताछ अथवा जांच नहीं की जानी चाहिये। जो अवधि/अवधियां अर्हकारी न हों उनके सम्बन्ध में सेवा रिकार्ड में विशिष्ट प्रविष्टियां की नोट किया जाना चाहिये तथा ऐसी अवधि/अवधियों को सेवा में से निकाल दिया जायगा। इस प्रकार की विशिष्ट प्रविष्टियों के अन्तर्गत न आने वाली असाधारण अवकाश की सभी अवधियों को अर्हकारी सेवा माना जायगा।

(च) द्वितीय नियमावली खण्ड 2, भाग 2-4 के मूल नियम 54 तथा मूल नियम 54-बी में यह प्रावधान उपलब्ध है कि किसी भी निलम्बित सरकारी सेवक को सेवा में पुनः स्थापित करते समय सक्षम अधिकारी द्वारा यह विशिष्ट आदेश दिया जायगा कि निलम्बन अवधि का विनियमन किस प्रकार होगा अर्थात् क्या ऐसी अवधि किसी प्रयोजन के लिये ड्यूटी मानी जायेगी या नहीं। सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन काल के बारे में कोई आदेश न दिये जाने के कारण उपरोक्त नियम के अनुसार ऐसी अवधि को सभी अर्हकारी

सेवा में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें निलम्बन को पूर्णतः अनुचित माना गया हो, अन्य सभी मामलों में सक्षम प्राधिकारी को उपयुक्त समय पर ही इस बात का स्पष्ट आदेश देना अभिप्रेत है कि क्या तथा किस हद तक निलम्बन की अवधि को अहकारी सेवा माना जावेगा। अहंकारी सेवा का हिसाब लगाते समय सेवा-पुस्तिका रिकार्ड में इस आशय की विशिष्ट टिप्पणियों का ध्यान रखा जावेगा। किसी विशिष्ट प्रविष्टि के न होने पर निलम्बन की अवधि को अहंकारी सेवा के रूप में गणना की जावेगी।

4—सेवा में व्यवधान—सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 422 के अनुसार सेवा को दो अवधियों के मध्य उत्पन्न हुए व्यवधान/व्यवधानों को बाद मद्दन नहीं किया जाता हुई अवधान/व्यवधानों से पूर्व की सेवा अहंकारी सेवा में सम्मिलित नहीं होती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि सेवा रिकार्ड में कोई विशिष्ट संकेत न होने पर राज्य सरकार के अन्तर्गत की गई सेवा को दो अवधियों के बीच हुए व्यवधान/व्यवधानों को स्वतः ही अवधि माना जावेगा और पेंशन के लिये व्यवधान/व्यवधानों से पूर्व की सेवा अहंकारी सेवा मानी जायेगी सिवाय इसके कि जहां अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान/सेवा से त्याग-पत्र देने, बरखास्त कर दिये जाने अथवा सेवा से निकाल दिये जाने अथवा किसी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ हो। किसी भी हालत में पेंशन के लिये व्यवधान/व्यवधानों की अवधि अहंकारी सेवा के रूप में आगणित नहीं की जावेगी।

5—प्रतिनियुक्ति काल सेवा—(क) वाह्य सेवा की शर्तों के अनुसार अन्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कतिपय अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में पेंशन अंशदानों अंशदान के भुगतान की जिम्मेदारी प्रायः स्वयं सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी पर होती है जिससे वह अपनी पेंशनीय सेवा की निरन्तरता कायम रख सके। ऐसे मामलों में यह पता लगाना आवश्यक होता कि वाह्य सेवा की अवधि को अहंकारी सेवा के रूप में गणना करने से पहले जमुलियां कर ली गई है अथवा नहीं। परन्तु कभी-कभी सरकारी कर्मचारी को प्रशासनिक/सेवा कार्यालयों द्वारा गलत तरह से अथवा अपूर्ण रूप से रखे गये रिकार्ड के कारण काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में यद्यपि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से, उचित-संगत रूप से यह तो पूछा जा सकता है कि वह यह बताये कि क्या वास्तव में उसने अंशदान का भुगतान किया है परन्तु प्रशासनिक प्राधिकारी को भी जो साक्ष्य वह इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करे उसके प्रति इस प्रकार के दिये गये साक्ष्य का मूल्यांकन करने तथा स्वीकार करने में औचित्य और समझदारी की भावना (spirit of reasonableness and accommodation) दिखानी चाहिये तथा उसे सेवा तथा सेवा सम्बन्धी अभिलेखों के संदर्भ में, जिनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की नहीं होती है, कड़ाई के साथ औपचारिक प्रमाण पर आग्रह नहीं करना चाहिये।

(ख) परन्तु जहां पेंशन सम्बन्धी अंशदान का भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रतिनियुक्ति पर लेने वाले संगठन/संस्था/बैंक/कंपनी की हो तथा जिसमें या तो कुछ अंशदानों की वसूली न की गई हो या इस प्रकार के अंशदानों की की गई वसूलियों का रिकार्ड अपूर्ण हो, वहां जब कि संबद्ध प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्यवाही के लिये उपरोक्त संगठन से अंशदानों की वसूली से सम्बन्धित कार्यवाही तो करते रहना चाहिये परन्तु इस का पेंशन के मामलों की प्रक्रिया और निस्तारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।

6—पेंशन की प्रशासनिक स्वीकृति तथा अनुमोदित सेवा की अवधारणा—(क) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी का सेवा से निवृत्त होने वाले सरकारी सेवक की अनुमोदित सेवा की अवधारणा के मामले में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक होता है, यद्यपि अधिकांश मामलों में यह केवल एक औपचारिकता मात्र ही होती है, परन्तु इससे पेंशन के मामलों के निस्तारण में काफी देरी हो जाती है। इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन के लिये प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। अतएव पेंशन का निर्धारण नियमों के अनुसार सिर्फ एक संगणना का ही मामला होगा : और पेंशन के मामलों पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 470 (बी) के उपबन्धों में निहित आशय को त्याग देने का अभिप्राय कदापि नहीं है जिसमें अस्थायी अस्वीकार्य/अनुचित सेवा अवधि आगणन के आधार पर किन्हीं विशेष मामलों में विहित औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात् पेंशन/अनुतोषिकों की पूर्ण स्वीकार्य धनराशि से कम धनराशि स्वीकृत की जा सकती है। इस उपबन्ध का सहारा केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही लिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि पेंशन सम्बन्धी समस्त मामलों को विचारार्थ-स्वयं अथवा निर्धारित प्राधिकारी के पास भेजा जाय अथवा प्रशासनिक स्वीकृति की प्रक्रिया में डाला जाय। इसके बजाय जब सम्भव अब पेंशन के कागजों को तैयार करने का काम शुरू किया जाय, अर्थात् सेवा-निवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले, पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी से (इस दशा में जब पेंशन स्वीकृत करने वाला सक्षम अधिकारी नियुक्ति अधिकारी से भिन्न है) इस आशय की अलग से पूछताछ करनी चाहिये कि क्या पूर्ण पेंशन मंजूर करने के बजाय कम पेंशन देने का आशय है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का विचार है। (इस प्रयोजन के लिये इस प्राधिकारी को पेंशन के कागज भेजने की आवश्यकता नहीं है)। इस पूछ-ताछ के उत्तर के अभाव में पेंशन के कागज तैयार करने वाले प्राधिकारी को यह मान लेना चाहिये कि पूर्ण पेंशन/आनुतोषिक की धनराशि से कम धनराशि को स्वीकृति देने की कोई मंशा नहीं है और तदनुसार पेंशन के कागजों पर इस प्रकार से कार्यवाही करनी चाहिये ताकि उनको पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को निर्धारित समय की अवधि तक भेजा जा सके। यदि, इसके विपरीत, नियुक्ति प्राधिकारी इस बात का निर्णय करता है कि पूर्ण स्वीकार्य पेंशन आनुतोषिक से कम धनराशि की स्वीकृति देने का मामला है तो निर्धारित संवैधानिक कार्यविधि को अपनाया जाना चाहिये और पेंशन अदायगी आदेश जारी करने के लिये महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पेंशन सम्बन्धी कागजों का

रिकार्ड की छानबीन केवल उक्त घोषित अवधि तक के लिये ही जायेगी अर्थात् सेवा-निवृत्ति की तारीख के दो वर्ष पहले की अवधि तक ही। इसलिये यह विभागाध्यक्ष अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद जैसी भी स्थिति हो, के लिये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिये कि वह पेंशन अदायगी/अनुतोषिक अदायगी आदेश अर्थात् अन्तिम पेंशन/अन्तिम आनुतोषिक आदेश के जारी करने की निर्धारित अवधि से पहले सभी देय रकमों का पता लगायें अथवा निर्धारण करें, विशेषकर जिनका सम्बन्ध सरकार निर्माण अथवा वाहन अग्रिमों जैसे दीर्घावधि अग्रिमों, फैक्स और गत्तों की अधिक वसूली की गई अनियमितियों तथा इसी प्रकार की अन्य देय रकमों से होता है। पेंशन सम्बन्धी कागजों में कुछ दबाव देय रकमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये जिनकी वसूली शुरू क्या सेवा-निवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी (चाहे अन्तिम हो अथवा अनन्तिम हो) का प्राधिकार-पत्र जारी करने से पहले आनुतोषिक से की जायेगी, और यदि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पेंशन के कागज भेजने के बाद आनुतोषिक से की जाने वाली कुछ अन्य वसूलियां भी ज्ञात हो जांय तो इस तथ्य की सूचना तत्काल महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को दे दी जायेगी। इस मामले में, जहां कोई भी वसूलियां देय नहीं हैं, परन्तु सरकार को अन्यथा देय रकमों के कारण विधिपूरित न करने अथवा उक्त पैरा-ग्राफ 7 (क) के अनुसार आनुतोषिक की अदायगी अन्तिम रूप से किये जाने के कारण या अंतिम वेतन-पत्र के प्राप्त न होने के कारण (उक्त पैराग्राफ 8 देखिये) आनुतोषिक का 10 प्रतिशत अथवा 1,000/-, जो भी कम हो, रोक लिया गया है तो सेवा निवृत्ति के 12 महीने समाप्त हो जाने के बाद रोकी गई रकम स्वतः ही देय हो जायेगी। विभागाध्यक्ष अथवा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, जैसी भी स्थिति हो, अन्तिम अनुतोषिक या अन्तिम आनुतोषिक अदायगी आदेश की स्वीकृति के आदेशों में ही रोकी गई आनुतोषिक की धनराशि का उल्लेख करेंगे तथा इस बात का ढोर आदेश उल्लेख करेंगे कि सेवा-निवृत्ति की तारीख से 12 महीने की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात्, रोकी गई धनराशि बिना किसी आगामी आदेश की प्रतीक्षा किये सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को दे दी जायेगी, बशर्ते कि उक्त अवधि के अन्दर ही रोकी गई धनराशि में से किसी विशिष्ट धनराशि की वसूली के लिये अनुदेश जारी न किये गये हों।

10—रिकार्ड रखने वाले अधिकारियों का उत्तरदायित्व—उपर्युक्त निर्णय लेने में सरकार ने इस आधार पर कार्यवाही की है कि यद्यपि प्रयत्न करने के बावजूद भी रिकार्ड और कार्य-विधि में अपूर्णता रह सकती है परन्तु सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी के लिये यह अन्याय होगा यदि उसे सेवा रिकार्ड के आधुनिक रख-रखाव के लिये जिम्मेदार अधिकारियों की गलतियों के कारण कष्ट उठाना पड़े। नई कार्य विधि के अन्तर्गत यदि रिकार्ड अपूर्ण हैं या उनमें किसी प्रकार की कमी है तो परिकल्पना सरकारी कर्मचारी के पक्ष में कर ली जायेगी। इससे सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा सेवा और सेवा संबंधी सभी रिकार्ड को उचित प्रकार से नियमित तौर पर और समय पर पूरा किये जाने की सुनिश्चित व्यवस्था करने का महत्व बढ़ जाता है ताकि इस प्रकार की कल्पना किये जाने के अवसर कम से कम हों। तदनुसार यह निर्णय लिया गया है कि यदि भविष्य में पेंशन के मामलों पर कार्यवाही करते समय तथा उनको निपटाते समय सेवा के रिकार्डों में अपूर्णता अथवा अधूरापन पाया जाये तो उन भागों में देरी नहीं की जायेगी परन्तु रिकार्डों के रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को, उसमें किसी प्रकार की कमियों, अधूरी अवस्था की गई चूकों के लिये जिम्मेदार ठहराया जायेगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। अतः समस्त विभागाध्यक्षों आदि से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि इन अनुदेशों का पूर्णतः पालन किया जाये।

11—उक्त आदेशों द्वारा पेंशन सम्बन्धी नियम संशोधित किये गये सम्बन्धित नियम तथा अधिकारिक संशोधन यथा समय जारी किये जायेंगे।

भवदीय,
जन बिहारी दण्डन,
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या सा—3-2083(1)/83-907-76, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—
1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव शंकर लाल भटनागर,
अनु सचिव।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 211 सा० बिल—19-2-86-(3694)-1986-5,000 (हिन्दी)।

संख्या– 3–1679 / दस–80–909–79

प्रेषक,

श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980

विषय :– सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण / सतर्कता जाँच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशन संबंधी वर्तमान नियमों में अभी तक इस आशय का कोई विशिष्ट प्राविधान नहीं है कि सेवानिवृत्ति के दिनांक को, अथवा सेवानिवृत्ति होने के उपरान्त यदि कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय, न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासानाधिकरण / सतर्कता जाँच जारी हो, अथवा जारी किया जाना अपेक्षित हो, तो क्या उसे पेंशन तथा अन्य नैवृत्तिक लाभ देय होंगे या नहीं। उक्त स्थिति में सामान्यतः अपनाये गये दृष्टिकोण और प्रयुक्त प्रक्रिया के अनुसार जब तक उस कार्यवाही अथवा जाँच का परिणाम प्राप्त न हो जाय, तब तक संबंधित सेवक को कोई पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जाता है। उक्त कार्यवाहियों और जाँच के पूरी होने और फिर आवश्यक औपचारिकतायें पूरी कर अन्तिम निर्णय लेने में अधिक समय भी लग सकता है और उस दशा में संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी वर्षों तक सेवा नैवृत्तिक लाभों से वंचित रहता है, जिससे उसे काफी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त कई मामलों में कार्यवाही या जाँच के परिणामस्वरूप कर्मचारी निर्दोष पाया जा सकता है। इस प्रसंग में आपका ध्यान शासनादेश संख्या–सा–3–2085 / दस–907 / 76, दिनांक 13–12–1977 की ओर भी आकर्षित करना है, जिसमें ऐसे मामलों में, जिनमें पेंशन ग्रेच्युटी की स्वीकृति और कागजात तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित समय में पूरी न हो सके, अनन्तिम पेंशन व आनुतोषिक दिये जाने के आदेश प्रसारित किये गये थे, इन आदेशों का लाभ भी उपर्युक्त कार्यवाही अथवा जाँच के मामलों में नहीं मिल पाता है।

2– इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त तथा इस बात को देखते हुए कि राज्य में प्रयुक्त नियमों और आदेशों के अन्तर्गत सामान्यतः सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के अन्तिम रूप से निर्धारित न हो सकने पर अन्तिम पेंशन / ग्रेच्युटी स्वीकार किये जाने की व्यवस्था है, श्री राज्यपाल

महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों को, जिनके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के समय विभागीय न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सतर्कता जाँच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, अनन्तिम पेंशन का भुगतान अधिकृत कर दिया जाय, किन्तु ग्रेच्युटी का भुगतान किसी भी दशा में उक्त कार्यवाही या जाँच पूरी होने और अन्तिम निर्णय होने के पूर्व न किया जाय। ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियाँ की जाएगी, जिनका उल्लेख विभागीय प्रशासनिक/कार्यवाही इत्यादि के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो, ऐसे मामलों में अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति निम्न व्यवस्था के अधीन देय होगी–

1– अनन्तिम पेंशन उस धनराशि के बराबर होगी, जो उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक और यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति की तिथि को निलम्बित हो, तो उसके निलम्बन के ठीक पहले की तिथि तक की अर्हकारी सेवाकाल के अनुसार अनुमन्य होती हो।

2– यह पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से उस दिनांक तक मिलेगी, जब कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही जाँच पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम आदेश पारित करा दिये जाय, तथा

3– इस अनन्तिम पेंशन का, कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त अन्ततः कर्मचारी को स्वीकृत होने वाली पेंशन में समायोजन कर लिया जायेगा, किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृति होने वाली पेंशन की राशि अनन्तिम पेंशन से कम हो अथवा पेंशन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या आस्थगित की जाय, तो कर्मचारी से कोई वसूली नही की जायगी।

3– उपर्युक्त व्यवस्था तुरन्त प्रभावी मानी जायेगी तथा पेंशन संबधी नियम तदनुसार संशोधित समझें जायेगें ओर औपचारिक संशोधन बाद में यथा समय किये जायेगें।

4– कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय
बालकृष्ण चतुर्वेदी,
विशेष सचिव।

संख्या 3–1679/दस–80–909–79, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
सचिवालय के समस्त अनुभाग।
विधान परिषद् सचिवालय।
विधान सभा सचिवालय।

आज्ञा से,
राधा रमन सिकरौरिया
अनु सचिव।

संख्या सा-3-1156/दस-2001

प्रेषक,

श्री अज कुमार दर,
अपर,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक, लखनऊ 6 अगस्त, 1981।

विषय—नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन पारिवारिक पेंशन की पात्रता—निकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त संतानों को पारिवारिक पेंशन का विस्तरण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या सी-2-963/दस-81-7-61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 द्वारा लागू की गई और उसके बाद यथा संशोधित नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में, एक समय में, निर्धारित क्रम में एक ही व्यक्ति को दी जा सकती है। यह निम्नलिखित क्रम में अनुक्रम होती है अर्थात् पहले विधवा/विधुर को, उसके बाद जीवित उत्तरजीवी अवयस्क पुत्र को और तत्पश्चात् जीवित उत्तरजीवी अविवाहित अवयस्क पुत्री को/विधुर की दशा में पेंशन मृत्यु या पुनर्विवाह, जो भी पहले हो, की तिथि तक दी जाती है, अवयस्क पुत्र की दशा में जब तक कि उसकी आयु 18 वर्ष की न हो जाय तथा अविवाहित पुत्री की दशा में 21 वर्ष की आयु या विवाह, जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होती है।

2—यदा कदा यह देखने में आया है कि मृत सरकारी कर्मचारियों के परिवारों में ऐसे भी पुत्र अथवा पुत्री होते हैं जो शारीरिक रूप से अपंग अथवा विकलांग या मानसिक रूप से अशक्त अथवा विक्षिप्त होते हैं जिसके कारण वे 18 या 21 वर्ष, जो लागू हो, की आयु के बाद भी अपना जीविकोपार्जन करने के लिये असमर्थ होते हैं। ऐसे संतानों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने उक्त पारिवारिक पेंशन योजना में आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश प्रदान किये हैं कि यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में उसका कोई पुत्र अथवा पुत्री शारीरिक रूप से अपंग अथवा विकलांग हो या मानसिक रूप से अशक्त अथवा विक्षिप्त हो, जिसके कारण वह अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ हो, तो उस पुत्र / पुत्री को उसके वयस्क हो जाने, अर्थात् पुत्र की दशा में 18 वर्ष और पुत्री की दशा में 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी, शासनादेश सी-2-750/दस-81-7-61, दिनांक 28 अगस्त, 1965 में निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर आजीवन पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन देय होगी :—

(1) पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन के लिये संतान की केवल वह शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता विचार में ली जायेगी जो सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति अथवा सेवाकाल में उसकी मृत्यु से पहले प्रकट हुई हो।

(2) इन आदेशों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन तभी देय होगी जब उसके लिये नियमावली/विधुर न हो और उसकी आजीविका अन्यों की अनुपूरक हो।

(3) यदि मृत सरकारी सेवक के परिवार में एक से अधिक पेंशन है तथा उनमें से एक शारीरिक रूप से विक्षिप्त / अशक्त अथवा मानसिक / विकलांग पुत्र / पुत्री है तो ऐसी दशा में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने योजना के अन्तर्गत शासकीय आदेश, दिनांक 24 अगस्त, 1966 में निर्धारित क्रम में अवयस्क अन्यों को पुत्र तक देय होगी जब तक अधिक अवयस्क संतान, पुत्र होने की दशा में 18 वर्ष तथा पुत्री होने की दशा में 21 वर्ष की आयु में प्राप्त कर लें। उसके उपरान्त उक्त पारिवारिक पेंशन मानसिक रूप से विक्षिप्त/अशक्त या शारीरिक रूप से विकलांग अथवा अपंग पुत्र अथवा पुत्री को पुनः देय (reissuable) हो जायेगी। यह पेंशन आजीवन दी जायेगी।

(4) यदि मृत सरकारी सेवक के एक से अधिक ऐसे मानसिक रूप से अशक्त / विक्षिप्त अथवा विकलांग / अपंग पुत्र / पुत्री हैं तो पारिवारिक पेंशन की देयता निम्न क्रम में होगी:—

(क) पहले पुत्र को, और यदि एक से अधिक ऐसे पुत्र हैं तो आयु में ज्येष्ठ पुत्र को और उसके न रहने पर कनिष्ठ को मिलेगी।

(ख) ऐसा पुत्र न हो तब पुत्री को, और यदि मृत सरकारी सेवक के ऐसी एक से अधिक पुत्रियां हैं, तो आयु में ज्येष्ठ पुत्री को आजीवन मिलेगी तथा उसके जीवन काल के बाद कनिष्ठ पुत्री को देय होगी।

(5) मानसिक रूप से अक्षम/विक्षिप्त अथवा विकलांग / अपंग पुत्र अथवा पुत्री को पारिवारिक पेंशन उक्त प्रकार संरक्षक के माध्यम से दी जायेगी जैसे कि वह पुत्र / पुत्री अवयस्क हों ।

(6) पारिवारिक पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी मृत सरकारी सेवक के ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को आजीवन पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने से पूर्व इसकी सन्तुष्टि करेगा कि जिसे पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जा रही है उसकी मानसिक अक्षमता / विक्षिप्तता अथवा शारीरिक रूप से विकलांगता / अपंगता ऐसी है जिसके कारण वह अपना जीविकोपार्जन करने में असमर्थ है । इसकी पुष्टि में वह कार से कम मुख्य चिकित्साधिकारी या उसके समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा जिसमें, जहाँ तक संभव हो, अन्धे की वास्तविक मानसिक अथवा शारीरिक स्थिति का उल्लेख किया गया हो ।

(7) मानसिक रूप से विक्षिप्त / विकलांग अथवा अपंग पुत्र / पुत्री की ओर से पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले संरक्षक को प्रत्येक तीन वर्ष पर कम से कम मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा उसके समकक्ष चिकित्सा अधिकारी से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि जिसके लिये पारिवारिक पेंशन प्राप्त की जा रही है, वह निरन्तर मानसिक रूप से अक्षमता / विक्षिप्तता अथवा शारीरिक विकलांगता / अपंगता से ग्रसित है ।

(8) ऐसे पुत्र अथवा पुत्री को प्राप्त होने वाली पारिवारिक पेंशन का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा यदि वह जीविकोपार्जन प्रारम्भ कर देता / देती है । पुत्री की दशा में उसका विवाह हो जाने पर भी पारिवारिक पेंशन उसके विवाह की तिथि से बन्द कर दी जायगी ।

(9) उपर्युक्त प्रकार की पेंशन प्राप्त करने वाले संरक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे अपने जोनाधिकारी अथवा बैंक, जैसी भी स्थिति हो, को यह प्रमाण-पत्र दें कि ऐसे पुत्र अथवा पुत्री ने अभी जीविकोपार्जन करना आरम्भ नहीं किया है तथा पुत्री की दशा में यह प्रमाण-पत्र भी देना होगा कि उसका विवाह अभी नहीं हुआ है ।

3---यह आदेश इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।

आज्ञा से,

(रंजन कुमार दत्त)
अपर सचिव ।

संख्या सा-3---1155(1)/दस-2-81 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित---

1---महालेखाकार, प्रथम तथा तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2---महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3---सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, लखनऊ ।
4---सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(श्रीमती रमेश सिकन्दीरेखा)
उप सचिव ।

संख्या सा–3–1608 / दस–909–79

प्रेषक,

श्री जे0एल0 बजाज,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 24 अक्टूबर, 1981

विषय–सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरूद्ध वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण / सतर्कता जाँच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार के पेंशन नियमों में उदारीकरण करते हुए शासनादेश संख्या–सा–3–1679 / दस–80–909–79, दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे राज्य कर्मचारियों, जिनके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के समय कोई विभागीय / न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण / सतर्कता जाँच चल रही हो, अथवा किया जाना अपेक्षित हो, को कतिपय शर्तों और उपबन्धों के अधीन अनन्तिम पेंशन का भुगतान अधिकृत किये जाने परन्तु डी0सी0आर0 ग्रेच्युटी की धनराशि का किसी भी दशा में भुगतान न किये जाने की व्यवस्था की गई थी। उक्त शासनादेश की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव अर्थात् दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 से लागू की गई थी, अतएव दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ही उक्त शासनादेश का लाभ अनुमन्य था।

2– विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष आदेश प्रदान किये है कि निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों / कर्मचारियों को भी उक्त शासनादेश में दी गई सुविधायें दी जा सकेंगी –

(1) सामान्य रूप से ऐसे मामलों में ही अनन्तिम पेंशन स्वीकृति की जायेगी, जिनमें पूरी अथवा आंशिक ग्रेच्युटी की स्वीकृति नहीं दी गई है और भुगतान नहीं किया गया है।

(2) परन्तु ऐसे मामलों में भी शासनादेश दिनांक 28 अक्टूबर, 1980 का लाभ दिया जा सकेगा, जिनमें ग्रेच्युटी का आंशिक या पूरा भुगतान पहले ही किया जा चुका है और उक्त शासनादेश के अनुसार अनन्तिम पेंशन का भुगतान किये जाने से पूर्व ग्रेच्युटी की धनराशि एकमुश्त वापस कर देने के लिए संबंधित सेवानिवृत्त

प्रेषक,

जी०एल० बजाज,

'हरिकृपा'

प्रबन्धक

सेवा में,

4— कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

हैसियत से प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/अनुशासनिक कार्यवाही अथवा जाँच आदि लम्बित न रहे।

इसके लिये प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/अनुशासनिक अधिकारी/प्रबन्धतन्त्र के पदाधिकारियों से 5 मई तक हर हालत में परिशिष्ट की अधिकारियों/प्राधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वह अपने-अपने प्रभार में संबंधित प्रबन्धक/प्रधानाचार्य/अनुशासनिक कार्यवाही आदि लम्बित न रहे। जाय और विभागीय कार्यवाही में जो संस्तुतियाँ की गयी हैं उनका पालन किया जाय। इस संबंध में प्रगति रिपोर्ट 5 मई तक हर हालत में प्राधिकारी को भेज दी जाय। यह भी निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के समस्त जाँच वाले लम्बित मामलों में जो संस्तुतियों के अनुपालन में विलम्ब न हो, यह भी निर्णय लिया गया है हो जाने से जाँच आदि में अनावश्यक विलम्ब न हो, यह भी निर्णय लिया गया है

3— इस सम्भावना को बचाने के उद्देश्य से कि अन्तरिम पेंशन का निर्णय अन्तिम पेंशन स्वीकार नहीं की जायेगी।

अधिकारी/कर्मचारी सहमत है। यदि वह उसे वापस करने को तैयार न हो, तो

संख्या-जी-3--1555/दस--909/79

प्रेषक,

श्री जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख-
कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

दिनांक : लखनऊ : 30 सितम्बर, 1982 ।

विषय : सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही हो, को अनन्तिम पेंशन का भुगतान ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सेवानिवृत्त होने वाले ऐसे सरकारी सेवकों, जिनके विरुद्ध सेवा निवृत्ति के समय वैभागिक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा सतर्कता / प्रशासनाधिकरण जांच चल रही हो अथवा किया जाना अपेक्षित हो, को नियमानुसार देय ग्रेचुइटी की सम्पूर्ण धनराशि रोक कर कतिपय शर्तों के अधीन अनन्तिम पेंशन का भुगतान किये जाने की व्यवस्था शासनादेश सं0 सा-3-1679/दस-80-909-79, दिनांक 28-10-1980 तथा सं0 सा0 3-1608/दस-909-79, दिनांक 24-10-1981 में की गई थी ।

2--उपरोक्त मामले पर पुनर्विचार करने पर यह पाया गया है कि सतर्कता जांच एक "फैक्ट फाइन्डिंग इन्क्वायरी" होती है, विभागीय कार्यवाही नहीं । यदि इस जांच के फलस्वरूप सरकारी सेवकों के विरुद्ध ऐसे तथ्य सम्मुख आते हैं जिसके लिये वैभागिक / न्यायिक कार्यवाही की आवश्यकता हो तो ऐसी कार्यवाही आरम्भ की जाती है । यदि सरकारी सेवक के सेवाकाल में उक्त कार्यवाही आरम्भ नहीं की जा सकी है तो सेवानिवृत्ति के बाद सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351-ए के अन्तर्गत ऐसी कार्यवाही केवल ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में ही आरम्भ की जा सकती है जो कार्यवाही आरम्भ करने की तिथि से पूर्व की 4 वर्ष की अवधि के अन्दर घटित हुई हों । उक्त नियम में प्राविधान है कि वैभागिक / न्यायिक कार्यवाही के फलस्वरूप दोषी पाये गये सरकारी सेवक की पूरी अथवा आंशिक पेंशन स्थाई रूप से या निर्धारित अवधि तक रोकी या अपहरित की जा सकती है या यदि स्वीकृत हो गई हो तो वापस ली जा सकती है अथवा शासन को हुई आर्थिक हानि की उससे वसूली की जा सकती है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सतर्कता जांच या अन्य किसी फैक्ट फाइन्डिंग जांच के मामलों में पेंशन स्वीकृत कर देने के बाद भी दोषी सेवकों की पेंशन रोकने, कम करने, समाप्त करने तथा हानि की वसूली कराने का शासन का अधिकार सी0 एस0 आर0 के अनुच्छेद 351-ए में वर्णित प्रतिबन्धों के अधीन बना रहता है किन्तु सतर्कता जांच के दौरान अंतिम पेंशन / ग्रेचुइटी का भुगतान रोकने से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

3--वर्णित परिस्थितियों में उपरोक्त शासनादेश दिनांक 28-10-1980 तथा दिनांक 24-10-1981 का, आंशिक संशोधन करते हुये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उनमें निहित आदेश सतर्कता जांच के मामलों में लागू न किये जायेंगे और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेंशन / ग्रेचुइटी का भुगतान इस आधार पर न रोका जाय कि उनके विरुद्ध सतर्कता जांच चल रही है । विभागीय/न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण जांच के मामलों में अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करने तथा ग्रेचुइटी की सम्पूर्ण धनराशि रोके रखने की व्यवस्था पूर्व की भाँति बनी रहेगी ।

4--उपर्युक्त व्यवस्था से सम्बन्धित नियम, संशोधित माने जायेंगे और औपचारिक संशोधन यथासमय अलग से किये जायेंगे ।

5--कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार की जाय ।

भवदीय,
जगमोहन लाल बजाज,
वित्त सचिव ।

संख्या जी-3-1555 (1) / दस-909/79

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1--महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
3--विधान सभा / विधान परिषद् सचिवालय ।

आज्ञा से,
वसन्त लाल शाह,
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0यू0ओ0--ए0 पी0 39 सा0 (भाग)--13-10-82--(2266)--1982--10,000 (सेट0) ।

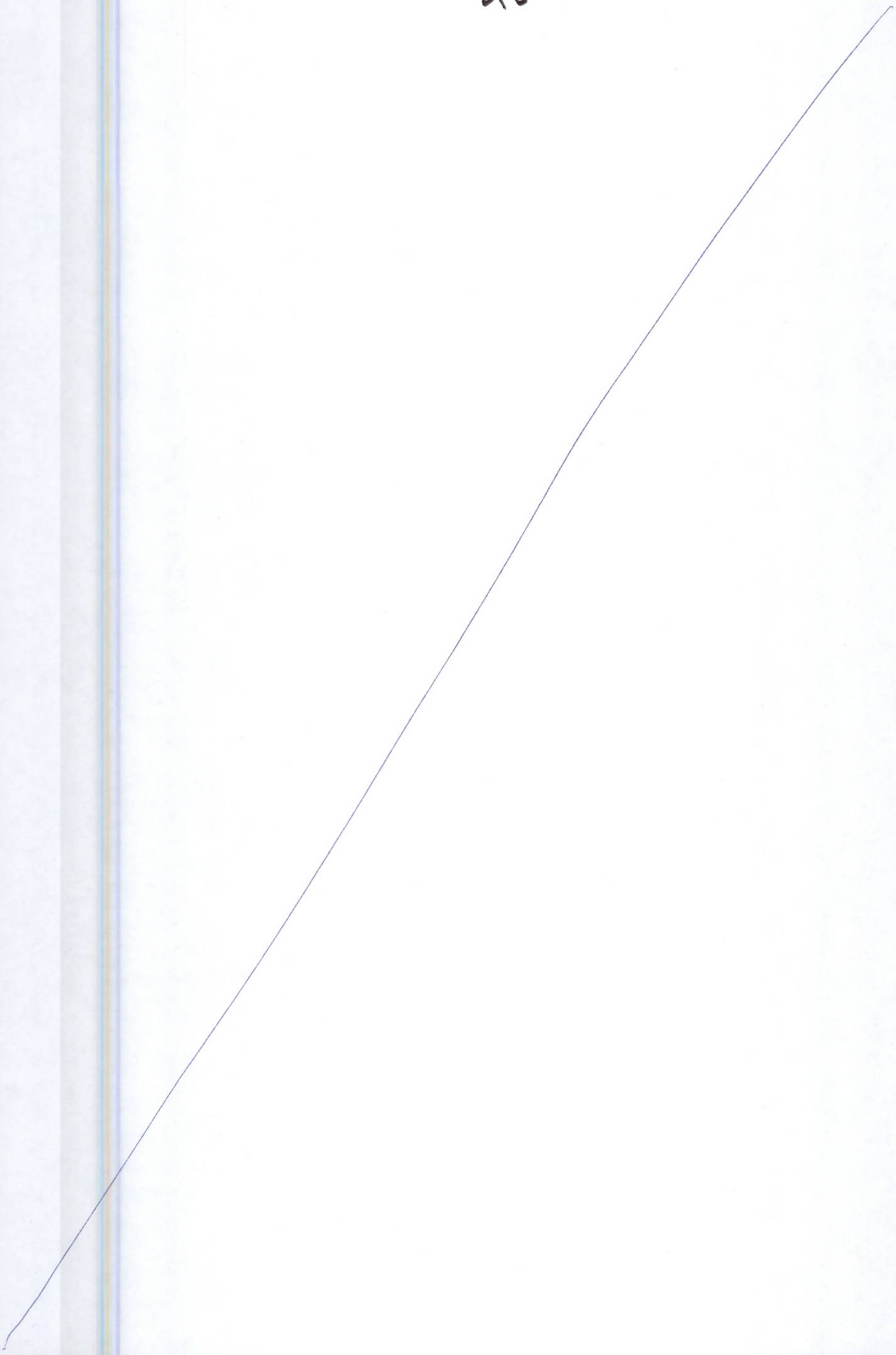

संख्या सा-3-533/दस-983/79

प्रेषक,

जे0 एस0 बजाज,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 16 मई, 1983 ।

विषय—दो पेंशन—सेवित पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन—प्राप्तकर्ताओं को राहत का भुगतान ।

महोदय,

शासन में यह प्रश्न विचाराधीन रहा है कि यदि कोई सेवानिवृत्त सरकारी सेवक दो पेंशनें प्राप्त कर रहा है, अर्थात् एक अपनी सेवा के आधार पर सेवा पेंशन तथा दूसरी अपने पति/पत्नी, जो सरकारी सेवक रहा/रही हो, की मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप पारिवारिक पेंशन, तो ऐसे मामलों में राहत किस प्रकार देय होगी, अर्थात् दोनों पेंशनों की धनराशियों के योग पर राहत आगणित की जावेगी अथवा अलग-अलग आगणित की जावेगी । मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर भलीभांति विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त प्रकार के मामलों में राहत की गणना दोनों पेंशनों, अर्थात् सेवा पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन की धनराशि के योग पर की जायगी । राहत की गणना हेतु यह देखा जावेगा कि श्रेणी के हिसाब से सेवा पेंशन पर अनुमन्य राहत की दर तथा पारिवारिक पेंशन पर अनुमन्य राहत की दर में से जो अधिक हो, उस दर से पेंशनों के योग पर राहत देय होगी जिससे पेंशनर को हानि न हो ।

[कृ0पृ0उ0

ए० एस० ओ० नं० ए०—५० एन० 12 आर० ओ० 1-9-83-(288)-1983-10,000 (हिन्दी)।

संख्या सी-3-1797/दस--84(1)/84

प्रेषक,

डा० जे० पी० सिंह,
वित्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 13 फरवरी, 1985

विषय :--पेंशन और मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति आनुतोषिक की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के उद्देश्य से कार्य विधि का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस--907-76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के पैरा 7 (ग) में यह प्राविधान किया गया था कि पैरा 7(क) तथा (ख) के अनुसार स्वीकृत की जाने वाली अनन्तिम पेंशन का भुगतान 12 माह तक की अवधि के लिये किया जा सकेगा और यदि 12 माह की अवधि में पेंशन एवं ग्रेच्युटी अन्तिम रूप से निर्धारित न किये जा सके हों, तो 12 माह की अवधि की समाप्ति पर, अनन्तिम रूप से स्वीकृत की गई पेंशन अन्तिम रूप से स्वीकृत की गई मान ली जायेगी और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी पेंशन तथा आनुतोषिक के अन्तिम भुगतानादेश तदनुसार अधिकृत किये जायेंगे। तदुपरान्त शासनादेश संख्या सा-3-1004/दस--907-78, दिनांक 11 जुलाई, 1978 के प्रस्तर-2 में यह प्राविधान कर दिया गया कि अनन्तिम पेंशन के भुगतान की अवधि 12 माह के बजाय 6 माह ही रहेगी तथा ग्रेच्युटी की धनराशि से 10 प्रतिशत अथवा 1,000 रु० जो भी कम हो, की कटौती को 6 माह की अवधि तक ही रोका जायेगा और यदि इस अवधि में कोई डेथ रिपोर्ट प्राप्त न हो तो रोकी गई धनराशि का 6 माह की समाप्ति पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को भुगतान कर दिया जायेगा।

2--इस प्रकार उपरोक्त प्राविधान के अनुसार जब कि ग्रेच्युटी के अनन्तिम तथा अन्तिम भुगतान में कोई कठिनाई नहीं है, यह अनुभव किया जा रहा है कि अनन्तिम पेंशन के भुगतान हेतु निर्धारित 6 माह की अवधि के समाप्त होने के बाद भी महालेखाकार के स्तर से अन्तिम पेंशन निर्धारित नहीं हो पा रही है और 6 माह की अवधि के बाद अनन्तिम पेंशन भी बन्द हो जाने के कारण सरकारी सेवक को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वर्णित परिस्थितियों में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश संख्या सा-3-1004/दस-907-76, दिनांक 11 जुलाई, 1978 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित 6 माह सम्बन्धी व्यवस्था को इस सीमा तक संशोधित कर दिया जाये कि विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, सेवा निवृत्ति के बाद 6 माह की अवधि समाप्त होने पर, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न किये जाने की दशा में, 6 माह की अवधि के लिये अतेतर अनन्तिम पेंशन और स्वीकृत कर दें। यदि उपर्युक्त 12 माह की अवधि में भी महालेखाकार से अन्तिम रूप से पेंशन निर्धारित न हो तो विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उक्त अवधि को बढ़ाने के लिये अपने प्रशासकीय विभाग को प्रस्ताव संदर्भित करें जो उसे पुनः 6 माह की अवधि के लिये बढ़ा सकते हैं। प्रशासकीय विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अनन्तिम पेंशन की अवधि के इस प्रकार बढ़ाये जाने के पूर्व इससे आश्वस्त हो जायें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को अन्तिम पेंशन निर्धारित किये जाने की प्रक्रिया में होने वाले विलम्ब में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष दोषी नहीं हैं और यदि दोषी हैं तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही भी करने का कष्ट करें। प्रत्येक दशा में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इस बात के लिये सतत प्रयत्नशील रहें कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की पेंशन अन्तिम रूप से शीघ्रातिशीघ्र निर्धारित हो जाये। सम्बन्धित नियमों में संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,

डा० जे० पी० सिंह,
वित्त सचिव।

2

संख्या सा-3-1797(1)/दस-921-84, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) महालेखाकार द्वितीय (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(3) विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय ।
(4) राज्यपाल सचिवालय ।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

वेद प्रकाश अग्रवाल,
संयुक्त सचिव ।

पी०एस०एम०पी०-ए० पी० 42 सा० भाषा--15-3-85(4001)-1985--10,000 (प्रो०) ।

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

सं0 सा-3-1152/दस-915-89
लखनऊ, दिनांक 1 जुलाई, 1989

कार्यालय ज्ञाप

विषय:-अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु पर पेंशनरी लाभों की अनुमन्यता ।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 368 की व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा पेंशन हेतु तब तक अर्ह नहीं मानी जाती है जब तक कि सरकारी सेवक किसी पद पर स्थायी न हो गया हो । सरकारी सेवकों के यथासमय स्थायीकरण किये जाने हेतु शासन के विद्यमान आदेशों के बावजूद कुछ मामलों में प्रक्रिया संबंधी अपेक्षायें पूरी न हो पाने के कारण संबंधित कर्मचारी स्थायी हुए बिना ही अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त हो जाते हैं जिससे उन्हें पेंशनीय लाभ अनुमन्य नहीं हो पाते हैं ।

2-उपरोक्तानुसार अस्थायी रहते हुए सेवा निवृत्त हो जाने के कारण सरकारी सेवकों को होने वाली कठिनाईयों को दूर किये जाने का प्रश्न काफी समय से शासन के विचाराधीन रहा है और सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि ऐसे सरकारी सेवकों को जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अधिवर्षता पर सेवा निवृत्त होने अथवा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने हेतु अशक्त घोषित कर दिये जाने पर अधिवर्षता/अशक्तता पेंशन सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी तथा पारिवारिक पेंशन उसी प्रकार एवं उन्हीं दरों पर देय होगी जैसी कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में मूल नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य होती है ।

3-यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहां अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गयी हो ।

4-यह आदेश 1-6-89 से लागू माने जायेंगे । उक्त दिनांक से पूर्व अस्थायी रहते हुए अधिवर्षता/अशक्तता पर अथवा स्वेच्छया सेवा निवृत्त हो चुके ऐसे कर्मचारियों के मामलों में जो उक्त दिनांक को जीवित हों, संगत व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मिल चुकी ग्रेच्युटी, चाहे कोई हो, का कोई पुनरीक्षण नहीं किया जायगा । किन्तु मामलों में, संगत नियमों के अन्तर्गत, कोई ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं थी उनमें इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत कोई ग्रेच्युटी अनुमन्य नहीं होगी । ऐसे सरकारी सेवकों की जो अस्थायी रहते हुए दिनांक 1-6-89 के पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके थे और जिन्हें उसके कारण कोई पेंशन अनुमन्य नहीं हुई थी, दिनांक 1-6-89 से सेवा निवृत्ति के पूर्व की अधिकतम दस मास की अर्जित परिलब्धियों (दिनांक 1-1-86 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मचारियों के मामलों में अर्जित परिलब्धियों का आशय उस वेतन से है जो इन्हें मूल नियम 9(21) के अन्तर्गत मिल रहा था तथा 1-1-86 अथवा उसके उपरान्त के मामलों में परिलब्धियों का आशय उस वेतन से है जो मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित हो) के 50 प्रतिशत की दर से उस दशा में पेंशन अनुमन्य होगी जब सेवा निवृत्ति के पूर्व उन्होंने 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो । यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम रही हो तो पेंशन उसी अनुपात में कम हो जायेगी । इस प्रकार अगणित ऐसे कर्मचारियों की पेंशनों को जो दिनांक 1-1-86 के पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके थे वित्त (विशेष) द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा-4-1120/दस-87-301-1087 दिनांक 28-7-87 के रेडी रेकनरर्स भाग-1 एवं भाग-2 जैसी स्थिति हो के अनुसार 608 मूल्य सूचकांक के बराबर पड़ने वाले राहत का लाभ देते हुए पुनरीक्षित कर लिया जायेगा और दिनांक 1-6-89 से पुनरीक्षित बकाया का भुगतान किया जायगा ।

5—इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत पेंशन का किसी ऐसे कर्मचारी को अधिकरण अनुमन्य नहीं होगा जो 31-5-1974 अथवा उसके पूर्व सेवा निवृत्त हुआ हो। यदि इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत किसी ऐसे कर्मचारी को पेंशन दी जाय जो 31-5-1974 के उपरान्त सेवा निवृत्त हुआ हो तो इसे 1-6-80 के उपरान्त अगली जन्म तिथि के समय उसकी आयु के समरूप हो पर मूल पेंशन की गणना पर अधिकरण अनुपन्य होगा और उसकी पेंशन से कम की गयी गणना उसकी वास्तविक सेवा निवृत्ति के दिनांक के 15 वर्ष के बाद रेस्टोर कर दी जायेगी।

6—दिनांक 1-6-1980 अथवा उसके बाद सेवा निवृत्त/मृत्यु के जिन मामलों में उपर्युक्त व्यवस्था का लाभ दिया जायगा, उनमें कार्मिक अनुभाग-1 के आदेश संख्या 19/8/1980 कार्मिक-1 दिनांक 29-4-80 के अन्तर्गत आनुतोषिक का लाभ देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

विजय कृष्ण लवसेना,

प्रमुख सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं

प्रमुख कार्यपालकाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

इसलिए कि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—मंत्रिमण्डल के समस्त माननीय।

2—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।

3—राज्यपाल सचिवालय।

4—मुख्य सेवा अधिकारी, विभाग।

5—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

7—निर्धारित सूची के अनुसार पेंशन संघों को।

8—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

वेद प्रकाश अग्रवाल,

संयुक्त सचिव।

पी.एस.यू./ए.पी. 6 सा. भाषा—21-7-89-(1345)-1989-10,000 (सेंग.)।

संख्या सा-3-1713/दस-87-933/89

प्रेषक,

श्री वी0के0 सक्सेना,
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक जुलाई 28, 1989

विषय : अधिवर्षिता पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन, मृत्यु/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की स्वीकृति की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्यप्रणाली का सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा-3-2005/दस-907-76 दिनांक 13-12-77 द्वारा पेन्शन के मामलों को अंतिम रूप देने में होने वाले अनेक प्रकार के विलम्बों में कमी लाने के उद्देश्य से विस्तृत आदेश निर्गत किये गये थे। तदुपरान्त अनेक अन्य आदेशों के द्वारा प्रक्रिया में और अधिक सरलीकरण लाने का प्रयास किया गया है किन्तु अब भी अनेक मामलों में कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के स्तर पर पेन्शन प्रस्तावों को प्रेषित करने में विभिन्न कारणों से काफी विलम्ब किया जाता है जिसकी वजह से अनेक पेन्शन के मामलों में सेवानिवृत्ति के दिनांक के तत्काल बाद सेवानिवृत्त व्यक्ति को पेन्शन तथा अन्य देय प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पूर्व निर्गत शासनादेशों के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया है कि पेन्शन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन का कार्य महालेखाकार के स्थान पर अब 14 विभागों के लिए विभागीय मुख्य लेखा अधिकारियों द्वारा तथा शेष विभागों के लिए निदेशक पेन्शन द्वारा किया जा रहा है। पेन्शन देयों की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के प्रश्न पर पुनः सम्यक रूप से विचार करने तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करने के उपरान्त यह अपेक्षा की जाती है कि अब समस्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की पेन्शन का भुगतान सेवानिवृत्ति के अगले माह के बाद पहली तारीख को तथा अन्य सभी देयों का भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद की पहली तारीख को कर दिया जाय। पेन्शन देयों के भुगतान हेतु आवश्यक पेन्शन प्रस्तावों की तैयारी में विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों के समक्ष जो कठिनाइयाँ समय-समय पर आती हैं उनकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। अतः उन समस्याओं के सम्बन्ध में सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि अब पेन्शन प्रस्तावों के बनाने में निम्न सरलीकृत प्रक्रिया अपनायी जाय :-

(2) पेन्शन प्रपत्र

इस राज्य में सम्प्रति लगभग 18 पेन्शन प्रपत्र प्रचलन में हैं। चूंकि सम्बन्धित सरकारी सेवक तथा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेन्शन तथा अन्य देयों की स्वीकृति हेतु की जाने वाली तैयारी में

अनेकानेक पेन्शन प्रपत्रों को तैयार करना पड़ता है अतः सम्बन्धित सरकारी सेवकों एवं कार्यालयाध्यक्षों की सुविधा हेतु अब एक नया "एकीकृत पेन्शन प्रपत्र" संलग्नक-1 बनाया गया है जिसे पूर्व निर्धारित प्रपत्रों के स्थान पर प्रयोग में लाया जायेगा। यह पेन्शन प्रपत्र हर जिले में कोषाधिकारी द्वारा कार्यालयाध्यक्षों को निर्गत किया जायेगा। यह प्रस्ताव किया जायेगा कि "एकीकृत पेन्शन प्रपत्र" की छपाई हेतु राजकीय मुद्रणालय से कहा जाये और वांछित प्रतियाँ प्रत्येक कोषागार पर शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करा दी जाँय लेकिन जब तक राजकीय मुद्रणालय के माध्यम से "एकीकृत पेन्शन प्रपत्र" की वांछित प्रतियाँ प्राप्त न हो जाँय तब तक समस्त कार्यालयाध्यक्षों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपने स्तर पर इनकी वांछित प्रतिलिपियाँ टंकित करा लें और इन्हें उपयोग में लायें। प्रत्येक मामले में "एकीकृत पेन्शन प्रपत्र" की दो प्रतियाँ तैयार की जायेंगी जिनमें से प्रथम प्रति स्वीकृति हेतु पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी के पास भेज दी जायेगी तथा द्वितीय प्रति कार्यालयाध्यक्ष के कार्यालय में रहेगी। ऐसे मामलों में जहाँ पेन्शनर प्रदेश के बाहर किसी अन्य प्रदेश में पेन्शन प्राप्त करना चाहते हों तो उन्हें "एकीकृत पेन्शन प्रपत्र" की दो अतिरिक्त प्रतियाँ और प्रस्तुत करनी होंगी जिन्हें स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को प्रेषित किया जायेगा। स्वीकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्राप्त ऐसे "एकीकृत पेन्शन प्रपत्र" की एक प्रति को महालेखाकार अपनी स्पेशल लीव अथारिटी के साथ सम्बन्धित महालेखाकार को प्रेषित कर देंगे तथा दूसरी प्रति अपने अभिलेखों में रखेंगे।

(3) पेन्शन प्रपत्र का अग्रसारण

(क) उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 13-12-1977 द्वारा राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय संशोधित किया गया था कि भविष्य में विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पेन्शन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इस आदेश के बावजूद अब भी अनेक अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्यरत सरकारी सेवकों के पेन्शन प्रपत्र विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों के माध्यम से प्रेषित करते हैं। पेन्शन प्रपत्रों के शीघ्र निस्तारण के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि पेन्शन प्रपत्रों के विभागाध्यक्ष/नियुक्ति प्राधिकारी के माध्यम से भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और पेन्शन प्रपत्रों को केवल कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी को भेज देना पर्याप्त होगा। कार्यालयाध्यक्ष के स्वयं के मामले में पेन्शन प्रपत्र उनके अगले उच्च अधिकारी के माध्यम से अग्रसारित किये जायेंगे और वे ही उनकी सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व पेन्शन प्रपत्रों की तैयारी के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे। जो अधिकारी अन्य विभागों में तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं उनके पेन्शन प्रपत्र उनके मूलक विभाग के माध्यम से प्रेषित किये जायेंगे।

(ख) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 912(ई) में यह प्रावधान है कि जब कोई सरकारी सेवक सेवानिवृत्त हो तो उसकी वास्तविक सेवानिवृत्ति के दिनांक के एक सप्ताह के भीतर सरकारी गजट में अधिसूचना जारी की जायेगी तथा उसकी एक प्रतिलिपि तत्काल महालेखाकार को दे दी जायेगी। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल को अपने अधीनस्थ ऐसे समस्त

अधिकारियों/कर्मचारियों की, जो अगले वित्तीय वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले हों, सूचियां बनवाकर एक कार्यालय आदेश जारी करेंगे जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित मुख्य लेखाधिकारी को अथवा पेन्शन निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

(५) सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना

(क) उपरिलिखित ज्ञापनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 में प्रावधानित है कि प्रत्येक मामले की तैयारी हेतु आवश्यक कार्यवाही कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया जाना अनिवार्य है। पुनश्च 16 मास की अवधि में सर्वप्रथम सेवापुस्तिका को पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने आदेश दिये हैं कि उपर्युक्त 16 मास की अवधि में प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष (कार्यालयाध्यक्ष के स्वयं के मामले में उसके अगले उच्च अधिकारी तथा प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत सरकारी सेवकों के मामले में उनके पैतृक विभाग) सेवापुस्तिका का परीक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवापुस्तिका में किसी प्रकार का कोई व्यवधान आदि तो नहीं है और सेवापुस्तिका में पूर्ण सेवा सत्यापित है अथवा नहीं। सेवापुस्तिका के सत्यापन से अभिप्राय सेवा पुस्तिका में दर्शायी गयी उस अवधि के सेवा के सत्यापन से है जो वास्तव में सरकारी सेवा के रूप में व्यतीत की गयी हो और उसका सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा वेतन बिल रजिस्टर आदि देखकर सत्यापन कर लिया गया हो। यदि कोई अवधि असत्यापित छूट गयी है तो सर्वप्रथम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस अवधि का सत्यापन वेतन बिल रजिस्टर आदि देखकर किया जायेगा और यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक उस अवधि में किसी और कार्यालय में कार्यरत रहा हो तो उस अवधि का सत्यापन उस कार्यालय से करवा लिया जायेगा। यदि सेवा अवधि का कोई अंश उपरोक्तानुसार सत्यापित किया जाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष उपर्युक्त उच्च अधिकारी अथवा पैतृक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित सरकारी सेवक से जो भी साक्ष्य उसके पास उपलब्ध हो प्राप्त करके एक शपथपत्र इस आशय का प्राप्त कर ले कि उसने सम्बन्धित अवधि में राजकीय सेवा की है और ऐसे शपथपत्र के आधार पर सेवा सत्यापित कर देगा। यदि यह कार्यवाही सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व पूरी न हो पाये तो यह मानते हुये कि इसमें सरकारी सेवक का कोई दोष नहीं है सम्बन्धित अवधि को पेंशन योग्य मानते हुये पेंशन प्रपत्रों को पूर्ण कर लिया जायेगा। उपर्युक्त तथ्यों अन्य निम्नलिखित विभिन्न मदों के लिये सरलीकृत प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त पेंशन प्रपत्रों को सेवानिवृत्ति के ठीक 6 माह पूर्व निश्चित रूप से स्वीकर्ता अधिकारी को प्रेषित कर दिया जायेगा।

(ख) यदि सम्बन्धित अवधि में सरकारी सेवक राजकीय सेवा पर न होकर किसी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत रहा है तो कार्यालयाध्यक्ष अथवा उसका पैतृक विभाग यह देखेगा कि सम्बन्धित उपक्रम से सरकारी कर्मधारी का प्रदत्तगत अवधि का पेन्शनरी अंशदान प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। इस हेतु वह अपने अभिलेख तथा सम्बन्धित उपक्रम से जानकारी करने के अतिरिक्त सम्बन्धित सरकारी सेवक से भी साक्ष्य मांगेगा। किन्तु इसके कारण पेंशन प्रपत्रों के बनाने तथा उनके स्वीकर्ता अधिकारी को भेजने में कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा और निर्धारित समयसारणी के अनुसार पेन्शन प्रपत्र स्वीकर्ता अधिकारी को भेज दिये जायेंगे। साथ ही कार्यालयाध्यक्ष, उच्च अधिकारी अथवा पैतृक

विभाग द्वारा इस हेतु भी प्रयास जारी रखे जायेंगे कि सम्बन्धित अधिकारी से पेंशनरी अभिदान यथाशीघ्र प्राप्त हो जाय। इस सम्बन्ध में यह भी निर्णय किया गया है कि ऐसे सरकारी सेवकों के सम्बन्ध में जिन्हें राज्य सरकार से केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकार में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया हो, ऐसा पेंशनरी अभिदान भेजने की अथवा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष प्रत्यागत अवधि को पेंशन हेतु मानते हुये उसका सेवा पुस्तिका में उल्लेख कर देगा और पेंशन प्रपत्र अनुसारित कर देगा।

(ग) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवापुस्तिका खो गयी हो तो कार्यालयाध्यक्ष के लिये पेंशन प्रपत्रों की तैयारी के लिये उपलब्ध प्रमाण 16 मार्च में यह सम्भव होना चाहिये कि वेतन बिल रजिस्टरों आदि के आधार पर सेवापुस्तिका पुनर्निर्मित कर ली किन्तु यदि पूर्ण सेवा अथवा कुछ भाग उपरोक्तानुसार पुनर्निर्मित अथवा अथवा पुनः सत्यापित कर पाना सम्भव न हो पाय तो सरकारी सेवक से इस आशय का शपथपत्र लेकर अर्हकारी सेवा का अनुमान कर लिया जायेगा कि सरकारी सेवक ने सम्बन्धित अवधि में किस पद पर सेवा की है।

(घ) यदि सेवापुस्तिका में उपरोक्त के अतिरिक्त कोई और त्रुटियाँ/कमियाँ आदि दृष्टिगोचर हों जिनका अर्हकारी सेवा पर सीधा प्रभाव पड़ता हो तो सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उस प्रकार की त्रुटियों/कमियों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। उदाहरणार्थ यदि कोई सरकारी सेवक निलम्बित रहा हो और सेवा पुस्तिका में यह उल्लेख न हो कि निलम्बन की अवधि को अर्हकारी सेवा नहीं माना जायेगा तो कार्यालयाध्यक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह उसके विषय में सेवा में पुनर्स्थापन के आदेश देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि सम्बन्धित अधि अर्हकारी द्वारा निलम्बन की अवधि को अर्हकारी सेवा मानने के आदेश दिये गये थे अथवा नहीं। यदि ऐसी अवधि को अर्हकारी सेवा न मानने के स्पष्ट आदेश न हों अथवा पुनर्स्थापन के आदेश उपलब्ध न हों तो ऐसी अवधि को अर्हकारी सेवा स्वतः मान लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त सेवापुस्तिका में किसी अन्य प्रकार की त्रुटियाँ अथवा कमियाँ दृष्टिगोचर हों जो उपरोक्त विधि के अनुसार सत्यापित न की जा सकें तो ऐसी अवधि के सम्बन्ध में सत्यापन की औपचारिकता को समाप्त मानते हुये ऐसी अवधि को छोड़कर शेष अवधि को अर्हकारी सेवा मान लिया जायेगा और तदनुसार सेवापुस्तिका पूर्ण कर ली जायेगी।

(ङ) सेवापुस्तिका में सम्बन्धित सरकारी सेवक की जन्मतिथि की प्रविष्टि के सम्बन्ध में अन्तिम बार कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 41/2/69-कार्मिक-2, दिनांक 7 जून, 1980 द्वारा यह आदेश जारी किये गये थे कि किसी सरकारी सेवक की जन्मतिथि सेवा में प्रवेश के समय हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होने के प्रमाणपत्र में उल्लिखित तिथि मानी जायेगी किन्तु यदि सरकारी सेवक ने ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण ही न की हो अथवा सेवा प्रारम्भ करने के बाद उत्तीर्ण की हो तो जन्मतिथि नहीं मानी जायेगी जो सेवा प्रारम्भ करने के दिनांक को सेवापुस्तिका में अभिलिखित की गयी हो और ऐसे दिनांक को शुद्ध करने के बारे में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं किया जायेगा।

शासनादेश संख्या 41/2/69/वित्त(3) दिनांक 20 अगस्त, 1971 में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी सरकारी सेवक की सही जन्मतिथि की जानकारी न होकर केवल वर्ष की जानकारी हो तो उसकी जन्मतिथि सम्बन्धित वर्ष की पहली जुलाई मानकर उसे 30 जून को सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा और यदि वर्ष के अतिरिक्त माह की भी जानकारी हो तो सम्बन्धित माह की 16 तारीख मानकर उस माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त कर दिया जायेगा।

इस शासनादेश के द्वारा उपरोक्त व्यवस्था में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है अतः जन्मतिथि के सम्बन्ध में सभी कार्यालयाध्यक्ष उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही कार्यवाही करेंगे।

(ब) सेवा में व्यवधान का प्रभाव:

1- निम्न परिस्थितियों को छोड़कर एक सरकारी सेवक की सेवा में व्यवधान के कारण उसकी पूर्व सेवा समाप्त हो जाती है:-

(1) ऐसी अनुपस्थिति जिसका अवकाश प्रतिभूत कर दिया गया हो,

(2) असाधारण अनुपस्थिति जो स्वीकृत अवकाश की विस्तारता में हुई हो, बशर्ते कि सम्बन्धित पद को स्थायी रूप से भर न दिया गया हो,

(3) निलम्बन, यदि ऐसे निलम्बन की समाप्ति पर सरकारी सेवक को उसी पद पर अथवा किसी अन्य पद पर पुनर्स्थापित कर दिया गया हो अथवा जिस सरकारी सेवक की मृत्यु हो गयी हो अथवा सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो अथवा सेवानिवृत्ति हेतु अनुमति प्रदान कर दी गयी हो,

(4) सरकारी सेवक की जानकारी में लाकर प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे अधिकरण में नियुक्त कर दिया गया हो जो सरकारी सेवा में न आता हो,

(5) एक पद से दूसरे पद पर हुए स्थानान्तरण के फलस्वरूप लिया गया कार्यभार ग्रहण काल।

2- उपरोक्त प्राधिकारों के अतिरिक्त नियुक्ति प्राधिकारी किसी अवधारण को ऐसी अनुपस्थिति की अवधियों को असाधारण अवकाश में पूर्वव्यापी तिथि से परिवर्तित कर सकते हैं और ऐसी दशा में असाधारण अवकाश से पूर्व की सेवा अवधि को अर्हकारी सेवा माना जा सकता है।

(ब) अवकाश का प्रभाव:

सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 400, 419वीं तथा 407 के अन्तर्गत अर्जित अवकाश की अवधि अर्हकारी सेवा मानी जाती है किन्तु यदि सेवाकाल में कुछ अवधि असाधारण अवकाश अथवा बिना वेतन की हो तो उसे अर्हकारी सेवा में सम्मिलित नहीं माना जायेगा जब तक असाधारण अवकाश निम्न कारणों के आधार पर स्वीकृत न किया गया हो:-

(1) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये चिकित्सा प्रमाणपत्र के आधार पर,

(2) नागरिक अशान्ति के कारण ड्यूटी पर आने अथवा पुनः आने में असमर्थता के कारण,

(3) उच्च तकनीकी और वैज्ञानिक अध्ययनों में अनुशीलन के कारण,

(4) अन्य आधारों पर लिया गया असाधारण अवकाश अर्हकारी सेवा नहीं माना जायेगा और उस अवधि के सम्बन्ध में सेवापुस्तिका में तदनुसार प्रविष्टि कर दी जायेगी।

(ज) व्यवधानों का मर्जण:

सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 422 के अनुसार यदि सेवा की दो अवधियों के मध्य उत्पन्न हुए व्यवधान/व्यवधानों का मर्जण नहीं किया गया है तो व्यवधान से पूर्व की सेवा अवधि अर्हकारी सेवा नहीं मानी जाती है। इस सम्बन्ध में उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 13-12-77 में यह निर्णय लिया गया है कि सेवा अभिलेख में कोई विशेष संकेत न होने पर राज्य सरकार के अन्तर्गत की गयी सेवा की दो अवधियों के बीच हुये व्यवधान/व्यवधानों को केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अन्यथा यह जानकारी हो कि व्यवधान सेवा से त्यागपत्र देने, बर्खास्त किये जाने, निकाल दिये जाने अथवा हड़ताल में भाग लेने के कारण हुआ है, स्वतः मर्जित मान लिया जायेगा।

(झ) सेवा का इतिहास:

सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवापुस्तिका को उपरोक्तानुसार सही एवं पूर्ण करने के उपरान्त पेंशन प्रपत्र के भाग-4 में सेवा का संक्षिप्त इतिहास इस उद्देश्य से अंकित किया जायेगा कि पेंशन स्वीकृतां प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्रों के निर्गमन के उपरान्त सेवापुस्तिका को सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को वापस कर दिया जायेगा और सेवा का इतिहास स्वीकृतां प्राधिकारी के अभिलेखों में रह जायेगा।

(5) अदेयता प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में कार्यवाही:

शासन की जानकारी में लाया गया है कि अनेक विभागों में पेन्शन प्रपत्र सेवानिवृत्ति के दिनांक के पहले इस कारण प्रेषित नहीं किये जाते कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के पूर्व अदेयता प्रमाणपत्र प्रदत्त किया जाना सम्भव नहीं होता। स्पष्ट है कि विभागीय अधिकारियों की यह उलझन पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 13-12-1977 की मंशा के विपरीत है और यदि 6 माह पूर्व अदेयता प्रमाणपत्र न दिये जा सकने के कारण पेंशन प्रपत्र भेजा जाना सम्भव न हो सके तो यह भी सम्भव नहीं हो सकेगा कि सम्बन्धित सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद पेंशन देयों का भुगतान हो जाय और अगले मास से मासिक पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जाय। इस प्रकरण के विभिन्न पहलुओं पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त तथा भारत सरकार में उपलब्ध व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय निदेश देते हैं कि :-

1-(क) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि वह प्रत्येक सरकारी सेवक के विरुद्ध देयों के सम्बन्ध में जानकारी करने की कार्यवाही सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पहले प्रारम्भ कर दे।

(ख) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा इस प्रकार के आंकलित देयों को जो सेवानिवृत्ति के दिनांक तक समायोजित/वसूल न हो सके हों, सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से समायोजित किया जायेगा।

(ग) "सरकारी देयों" से अभिप्राय निम्न देयों से होगा:-

(1) सरकारी आवास से सम्बन्धित देय जिसमें सरकारी भवन का किराया भी सम्मिलित है।

(2) सरकारी आवास के अतिरिक्त देय जैसे भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम अथवा अन्य कोई अग्रिम अथवा वेतन, भत्तों, अवकाश वेतन की मद में किया गया अधिक भुगतान।

(घ) चूंकि उपरोक्त तथा अन्य मदों के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवशेष देयों की पूर्ण जानकारी सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व होना सम्भव नहीं है अतः राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक के विरुद्ध अवशेष सरकारी देयों की सेवानिवृत्ति के दिनांक के आठ माह पूर्व की स्थिति आंकलित कर ली जायेगी और उसे सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यथावत "एकीकृत पेन्शन प्रपत्र" के भाग-5 (कार्यालयाध्यक्ष के उपयोग के लिए) में प्रदर्शित कर दिया जायेगा। तदुपरान्त कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवानिवृत्ति के दिनांक की स्थिति का पुनः आंकलन किया जायेगा और उससे सम्बन्धित सूचना निर्धारित प्रारूप संख्या-2 पर प्रत्येक दशा में सेवानिवृत्ति के दिनांक के अगले कार्य दिवस को पेन्शन स्वीकृर्ता अधिकारी को प्रेषित कर दी जायेगी। इस प्रारूप की एक प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि वह सेवानिवृत्ति/मृत्यु ग्रेच्युटी से अवशेष धनराशि का समायोजन कर लें किन्तु यदि इस बीच सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा अवशेष धनराशि का अन्यथा भुगतान किया जा चुका हो तो कोषाधिकारी उसका लक्ष्य एकत्रित करके उससे सन्तुष्ट होने पर शोध का भुगतान कर देगा और उसकी सूचना सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष (जितने पेन्शन प्रपत्र अनुसारित किये हैं) तथा पेन्शन स्वीकर्ता अधिकारी को भेज देगा। इस मद के अन्तर्गत भुगतान हेतु वही प्रपत्र उपयोग में लाये जायेंगे जो पेन्शन के भुगतान हेतु लाये जाते हैं।

(ङ) उक्त नयी प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते हैं कि स्वीकृर्ता अधिकारियों द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्राधिकार पत्र सेवानिवृत्ति के दिनांक के दो माह बाद तक अन्तिम माने जायेंगे। सभी कार्यालयाध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि वे इस अवधि के बीच प्रत्येक दशा में उपर्युक्त प्रारूप संख्या-2 स्वीकृर्ता अधिकारी को उपलब्ध करा दें किन्तु यदि दो माह की अवधि की समाप्ति तक भी सरकारी देयों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायेगी तो कोषाधिकारी द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी आदि को अन्तिम मान लिया जायेगा और उसके उपरान्त यदि कोई देय निकलेंगे तो उनकी जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष की होगी।

(घ) यह भी निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध देयों की जानकारी अन्तिम 5 वर्ष की सेवा की जानकारी के आधार पर की जायेगी। यदि अन्यथा इस बात की जानकारी हो कि 5 वर्ष से पहले की अवधि से सम्बन्धित सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई शासकीय देय है तो 5 वर्ष से पहले के अभिलेखों की भी जांच की जायेगी। पांच वर्ष की अवधि की जानकारी करने हेतु कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उन सभी कार्यालयों से जहाँ सम्बन्धित सरकारी सेवक ने कार्य किया हो अदेयता के सम्बन्ध में पूछताछ की जायेगी और सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व की तिथि को "अस्थिगत पेन्शन प्रपत्र" के भाग-5 में दर्शाया जायगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सम्बन्धित कार्यालयों से उत्तर नहीं आता है तो यह मान लिया जायगा कि सरकारी सेवक के विरुद्ध कोई देय नहीं है और यदि बाद में कोई देय ज्ञात होते हैं तो उसके लिये सम्बन्धित अधिकारियों को चौथी जवाबदेही जायगा और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायगी। सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह प्रमाण किया जायगा कि भाग-5 में दर्शाये गये सभी देयों की सेवानिवृत्ति के दिनांक तक वसूली पूर्ण हो जाय किन्तु यदि किसी मद में वसूली पूर्ण न हो पाय तो तत्पश्चात् शेष देयों की वसूली सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से की जायेगी किन्तु यदि फिर भी वसूली पूर्ण न हो पाय तो फार्म सेल्फ्स-1 पर इस आशय का एक बन्धकपत्र भरवा कर कि यदि सेवानिवृत्ति के दो वर्ष के अन्दर उनके विरुद्ध कोई देय निकलते हैं तो उनकी वसूली उससे कर ली जायेगी, सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के अवधारण करने की संस्तुति कर दी जायगी। सेवारत मृत्यु होने की दशा में उत्तराधिकारियों से फार्म सेल्फ्स-2 पर बन्धकपत्र भरवाया जायेगा। बन्धकपत्रों पर देय रहेगा डिप्टी शासन द्वारा अनुमन्य की जायेगी।

सामान्यतः सरकारी सेवकों के विरुद्ध भिन्न प्रकार के मामले लम्बित होते हैं। अतः शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के मामलों में निम्नवत् कार्यवाही की जाय:-

(क) यदि सरकारी सेवक द्वारा सरकारी भवन में आवास किया जा रहा हो:-

(1) कार्यालयाध्यक्ष, उच्च अधिकारी अथवा पैतृक विभाग, जैसी स्थिति हो, द्वारा सेवानिवृत्ति के दो वर्ष पूर्व लखनऊ में स्थित भवनों के सम्बन्ध में राज्य सम्पत्ति विभाग को तथा विभिन्न जिलों में स्थित भवनों के सम्बन्ध में सार्वजनिक निर्माण विभाग को सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति की तिथि से अवगत कराकर अदेयता प्रमाणपत्र की मांग की जायेगी। राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा जिलों के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सरकारी सेवक की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व उससे पहले की अवधि के सम्बन्ध में अदेयता प्रमाणपत्र निर्गत कर दिया जायेगा। यदि ऐसा प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने के उपरान्त किराये की मासिक दर में कोई परिवर्तन इन्क्रीमोवर हो अथवा किसी अन्य धनराशि की देयता के सम्बन्ध में सत्य प्रकाश में आये तो राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उस परिवर्तन/तथ्य से पेन्शन स्वीकृत्ता अधिकारी को सीधे अवगत कराया जायेगा। कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सेवानिवृत्ति के अन्तिम आठ माहों के वेतन से किराये की निर्धारित दर से वसूली हो जाय। यदि किसी सरकारी सेवक के वेतन से सेवानिवृत्ति के पूर्व इस प्रकार के किराये की वसूली सम्भव न हो सके तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा शेष धनराशि पेन्शन स्वीकृत्ता अधिकारी को सूचित कर दी जायेगी जिससे सरकारी

सेवक की सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से उसकी वसूली की जा सके।

(2) सरकारी भवनों में निवास करने वाले सरकारी सेवकों से यह आशा की जाती है कि वे सरकारी भवनों को सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद खाली कर दें किन्तु यदि राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग सरकारी सेवक से उसकी सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद भवन तत्काल खाली न करा पाये तो सेवानिवृत्ति के बाद के चार माह का किराया (एक माह का किराया सामान्य दर पर तथा शेष तीन माह का किराया मानक दर पर) पेन्शनर की देय ग्रेच्युटी से वसूल कर लिया जायेगा और उससे आगे के किराये की वसूली अथवा भवन खाली कराने की जिम्मेदारी राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सम्बन्धित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता की होगी ।

(3) सम्बन्धित सरकारी सेवक के सेवारत मृत्यु होने पर कार्यालय अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे उसके सम्बन्धित तूचना राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को मृत्यु के एक सप्ताह के भीतर भेज दें और उनसे एक माह के भीतर देयों की सूचना की जानकारी देने का अनुरोध करें । यदि ऐसी सूचना एक माह के भीतर प्राप्त न हो सके तो पारिवारिक पेन्शन प्रपत्रों के अग्रसारण में विलम्ब न किया जाय और उन्हें स्वीकृर्ता अधिकारी को पारिवारिक पेन्शन/मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत करने हेतु एक माह की समाप्ति के बाद तुरन्त भेज दिया जाय । इस बीच मृतक के परिवार को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या सा-3-1667/दस-931-87, दिनांक 9-6-1987 के अन्तर्गत अनुमन्य अनन्तिम पारिवारिक पेन्शन तथा इस शासनादेश के अन्तर्गत अनुमन्य अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी जाय ।

(ख) सरकारी भवन के अतिरिक्त अन्य देयों के सम्बन्ध में कार्यवाही:

(1) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 470 बी में यह प्राविधान है कि किसी सरकारी सेवक की पेन्शन स्वत: देय नहीं होती जब तक कि उसकी सेवा पूर्णत: सन्तोषजनक न पायी गयी हो। शासनादेश दिनांक 13-12-1977 में यह निर्णय लिया गया था कि इस प्राविधान का सहारा केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही लिया जायेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि पेन्शन सम्बन्धी समस्त मामलों को विभागाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के पास भेजा जाय। उक्त शासनादेश में यह प्राविधान कर दिया गया था कि सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले पेन्शन प्रपत्र अग्रसारण करने वाले अधिकारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी से इस तथ्य की पूछताछ की जायेगी कि क्या पूर्ण पेन्शन मंजूर करने के बजाय कम पेन्शन देने का विचार है अथवा कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने का विचार है। उक्त शासनादेश में यह भी निर्णय लिया गया था कि यदि नियुक्ति प्राधिकारी से ऐसी पूछताछ का उत्तर प्राप्त न हो तो यह मान लिया जायगा कि पूरी पेन्शन से कम धनराशि स्वीकृत करने की कोई मंशा नहीं है और पेन्शन प्रपत्रों को स्वीकृर्ता अधिकारी को भेज दिया जायेगा। उपरोक्त प्राविधान के परिपेक्ष्य में अब यह निर्णय लिया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह कार्यवाही सेवानिवृत्ति के आठ माह पहले की जायेगी और नियुक्ति प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे वांछित सूचना एक माह के भीतर उपलब्ध करा दें । यदि नियुक्ति प्राधिकारी से एक माह के भीतर ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है तो और आगे प्रतीक्षा किये बिना कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे पेन्शन प्रपत्र पूर्ण पेन्शन स्वीकृत करने हेतु अग्रसारित कर दें।

(2) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351-ए में यह प्राविधान है कि यदि कोई सरकारी सेवक किसी विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप जाने अनजाने राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने का अथवा किसी अन्य गम्भीर दुराचरण का दोषी पाया गया हो अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के परिणामस्वरूप दण्डित किया गया हो तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह उसकी पूरी अथवा आंशिक पेन्शन रोक सकते हैं । ऐसी विभागीय अथवा न्यायिक कार्यवाही तब तक प्रारम्भ हुई नहीं मानी जाती है जब तक सरकारी सेवक को आरोपपत्र न दे दिया गया हो। अतः यदि उपरोक्तानुसार कोई कार्यवाही सम्पन्न नहीं की गयी है तो इस नियम के अन्तर्गत किसी भी सरकारी सेवक की पेन्शन न तो रोकी जा सकती है और न ही कम की जा सकती है। ऐसी दशा में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी है अथवा पूर्ण नहीं की गयी है तो उसकी पेन्शन रोकने का कोई औचित्य नहीं है और उसके पेन्शन प्रपत्र स्वीकर्ता अधिकारी को भेजकर उसे पूर्ण पेन्शन स्वीकृत करवा दी जायेगी। केवल सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से ऐसे देयों की वसूली की जायेगी जिनकी स्थिति सेवानिवृत्ति के दिनांक तक स्पष्ट हो चुकी हो।

(3) ऐसे सरकारी सेवकों को, जिनके विरुद्ध, सेवानिवृत्ति के दिनांक को, विभागीय/न्यायिक अथवा प्रशासनाधिकरण की जाँच चल रही हो अथवा प्रशासनाधिकरण की जाँच किया जाना अपेक्षित हो शासनादेश संख्या सा-3-1679/दस-80-909-79 दिनांक 28-10-1980 के अनुसार अनन्तिम पेन्शन का भुगतान कर दिया जायेगा किन्तु ग्रेच्युटी की पूर्ण धनराशि तब तक रोकी जायेगी जब तक ऐसी जाँच का परिणाम प्राप्त न हो जाय। ग्रेच्युटी की धनराशि से वह कटौतियाँ की जायेंगी जिनका उल्लेख विभागीय/प्रशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप पारित आदेश में किया गया हो। इस प्राविधान के अन्तर्गत स्वीकृत अनन्तिम पेन्शन को अन्तिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेन्शन से समायोजित कर लिया जायेगा किन्तु यदि अन्तिम रूप से स्वीकृत होने वाली पेन्शन की राशि अनन्तिम पेन्शन से कम हो अथवा पेन्शन स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिये कम कर दी जाय या आस्थगित की जाय तो सरकारी सेवक से कोई वसूली नहीं की जायेगी। यह प्राविधान अन्य सामान्य मामलों में जहां अनन्तिम पेन्शन की धनराशि अन्तिम पेन्शन की धनराशि से आगणन की त्रुटि अथवा अन्यथा किसी अन्य कारण से अधिक पायी जाय, लागू नहीं होगा। इस प्रकार के मामलों में अधिक भुगतान की गयी धनराशि अन्तिम पेन्शन की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी। इस हेतु यदि पेन्शनर अपनी पेन्शन से एक मुश्त अथवा मासिक कटौती करवाने पर आपत्ति करे तो वाँछित रिकवरी राहत की धनराशि से करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

(4) सतर्कता जाँच "फैक्ट फाइंडिंग इनक्वायरी" होती है अतः सेवानिवृत्ति के दिनांक को उसके लम्बित रहने पर पेन्शन तथा ग्रेच्युटी नहीं रोकी जायेगी।

(5) मृत्यु होने की दशा में चूंकि सम्बन्धित सरकारी सेवक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता है और चूंकि एकतरफा कार्यवाही विधिक दृष्टि से न्यायोचित नहीं कही जा सकती अतः मृत्यु के दिनांक को ऐसी विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त हुई समझी जायेगी ।

(6) लोकनिर्माण विभाग/सिंचाई विभाग में प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रत्येक राजपत्रित सरकारी सेवक के बारे में पेन्शन स्वीकृत होने के पूर्व जाँच लम्बित न होने का प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की प्रथा प्रचलित है जिसके कारण अनावश्यक विलम्ब होता है । इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि प्रत्येक मामले में ऐसा प्रमाणपत्र निर्गत किया जाना आवश्यक न रखा जाय । वरन उसके स्थान पर इन विभागों के सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर से अथवा विभागाध्यक्ष के स्तर से व्यक्तिगत रूप से सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व यह जानकारी कर लें कि सम्बन्धित सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के विरुद्ध कोई जाँच लम्बित है अथवा नहीं । प्रशासकीय विभाग प्रत्येक त्रैमास के अन्त में एक बार विभागाध्यक्ष को ऐसे मामलों की सूचियाँ उपलब्ध करा देंगे जिनमें जाँच लम्बित है और संक्षेप में जाँच का सार अंकित कर देंगे ।

(7) शासन की जानकारी में ऐसे भी दृष्टांत आये दिन आया करते हैं कि महालेखाकार द्वारा किये जाने वाले सम्प्रेक्षण अथवा आन्तरिक वित्तीय सम्प्रेक्षण के आधार पर पेन्शन रोक दी जाती है जो अनुचित है । इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्थिति में पेन्शन प्रपत्रों को अग्रसारित करके पूर्ण पेन्शन स्वीकृत की जाय तथा पेचीदा मामलों में अथवा उन मामलों में जिनमें सरकारी सेवक पर सरकार को हानि पहुँचाने की सीधी जिम्मेदारी आरोपित हो सकती है, अगर सम्बन्धित विभाग आवश्यक समझता है तो न्याय विभाग की राय ले सकता है और उस समय तक सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी रोक सकता है लेकिन संभावित वसूली के आधार पर भुगतान न रोका जाय । यदि सम्प्रेक्षण के दौरान यह पाया जाय कि सरकारी सेवक द्वारा सरकार को गंभीर रूप से हानि (अन्य सामान्य प्रकार की अनियमितताओं के आधार पर कोई कटौती करना उचित नहीं है) पहुँचाई गयी है तो केवल हानि की विशिष्ट धनराशि को रोक कर सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की शेष धनराशि अवमुक्त कर दी जाय । ऐसी विशिष्ट हानियों के सम्बन्ध में भी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्ति के पूर्व आरोप पत्र दिया जाय और सभी आरोपों पर आवश्यक जाँच सेवानिवृत्ति के दो माह के भीतर पूर्ण कर ली जाय यदि ऐसी जाँच के परिणामस्वरूप सरकारी सेवक दोषी पाया जाय तो हानि की धनराशि के बराबर ग्रेच्युटी की धनराशि व्यपगत कर दी जाय और यदि दोषी न पाया जाय तो उसे अवमुक्त कर दिया जाय । इस प्राविधान से सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 351ए के परन्तुक का प्रभाव समाप्त नहीं समझा जायगा। अत्यधिक गंभीर मामलों मे जैसे सरकारी धन का अपहरण आदि जिनमें पेन्शन से कमी किया जाना संभव हो सकता है उपरोक्त अनुच्छेद 351ए के परन्तुक के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी किन्तु ऐसी कार्यवाही किसी ऐसी घटना के सम्बन्ध में प्रारम्भ नहीं की जा सकती जो जाँच प्रारम्भ करने के चार वर्ष पूर्व से पहले घटित हुई हो ।

(8) अक्सर कतिपय सरकारी सेवकों के पास सरकारी स्टोर्स का चार्ज होता है और सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व आडिट न हो पाने के कारण अथवा अन्यथा उनकी लेनदारी/देनदारी की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती । इस सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सरकारी सेवकों से यथासंभव एक डेढ़ वर्ष पूर्व स्टोर्स का चार्ज वापस ले लिया जाय और उनके विरुद्ध लेनदारी/देनदारी

की स्थिति सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर ली जाय। फिर भी यदि किसी मामले में सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व पूर्ण स्थिति सुनिश्चित किया जाना संभव न हो तो ऐसे मामलों में पेन्शन प्रपत्रों को भेजने में कोई विलम्ब न किया जाय । केवल सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के अवमुक्त करने के सम्बन्ध में पेन्शन स्वीकृर्ता अधिकारी द्वारा यह उल्लेख कर दिया जाय कि सम्बन्धित सरकारी सेवक के चार्ज में स्टोर्स होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी है और स्वीकृर्ता अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी कार्यालयाध्यक्ष से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त ही अवमुक्त की जाय । चूँकि सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान होने की स्थिति में ब्याज देना पड़ता है अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस सम्बन्ध में अपनी आख्या सेवानिवृत्ति के हद से हद दो माह के भीतर भेज देना अनिवार्य है । यदि दो माह के भीतर ऐसी आख्या प्राप्त नहीं होगी तो स्वीकृर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति से एक बन्धक पत्र प्राप्त करके सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी अवमुक्त कर दे और ऐसी दशा में यद्यपि बाद में निकाले गये देयों की रिकवरी पेन्शन अथवा अन्य देयों से नियमानुगत कर ली जायेगी किन्तु यदि किसी कारणवश किसी धनराशि की रिकवरी न हो सके तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेवार होंगे ।

(9) सभी कार्यालयाध्यक्षों का यह दायित्व होगा कि वे अपने अभिलेखों से अथवा कोषागार के अभिलेखों से अथवा महालेखाकार के अभिलेखों से सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवक द्वारा लिये गये विभिन्न अग्रिमों जैसे भवन संबंधी अग्रिमों, मोटरकार, स्कूटर आदि से सम्बन्धित अग्रिमों आदि की वसूली की स्थिति की सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व पूर्ण जानकारी कर लें और यदि सेवानिवृत्ति के आठ माह में कोई मासिक कटौती जिसमें ब्याज सम्बन्धी कटौती भी शामिल है, की जानी अवशेष हो तो उसका उल्लेख पेन्शन प्रपत्रों के अग्रसारित करते समय कर दें । पेन्शन स्वीकृर्ता अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी को अवमुक्त करते समय कोषाधिकारी को यह आदेश दे दिया जायेगा कि वे प्रश्नगत धनराशि को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से समायोजित कर लें किन्तु यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक यह साक्ष्य उपलब्ध कराये कि उसने प्रश्नगत धनराशि को मासिक किस्तों में अथवा अन्यथा पहले ही जमा कर दिया है तो वह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दे । यदि किसी मामले में पूर्ण अदेयता प्रमाणपत्र पेन्शन स्वीकृर्ता अधिकारी को प्राप्त न हो तो ऐसी दशा में ग्रेच्युटी रोके जाने का प्राविधान उपलब्ध है परन्तु यदि ग्रेच्युटी रोके जाने से पेन्शनर को विषम आर्थिक कठिनाई हो रही हो तो पेन्शनर से क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र (इनडीमिनीटी बॉंड) प्राप्त करके ग्रेच्युटी अवमुक्त कर दी जाय। यदि क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त पेन्शनर के विरुद्ध कोई देय प्रकाश में आते हैं तो उनकी वसूली नियमानुसार की जायेगी।

(10) जहाँ तक सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाने की दशा में मृतक सरकारी सेवक के परिवार के पेन्शन देयों के अवमुक्त करने का प्रश्न है इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में पेन्शन स्वीकृर्ता अधिकारी द्वारा पूरी पारिवारिक पेन्शन तत्काल अवमुक्त कर दी जायेगी और केवल ऐसी वसूलियाँ को छोड़कर, जैसे भवन, मोटरकार, मोटरसाइकिल आदि अग्रिमों से संबंधित वसूलियाँ जिनकी रिकवरी मृत्यु ग्रेच्युटी से करना अनिवार्य है (शेष वसूलियाँ केवल उसी दशा में की जायेंगी जब मृत्यु से पूर्व संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध या तो वैभागिक कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी हो और

(ग) यदि परिवार में अवयस्क सदस्य हैं तो उनका हिस्सा संबन्धित विधवा को तथा यदि विधवा की मृत्यु हो चुकी हो अथवा उसने दूसरी शादी कर ली हो तो ऐसी अनन्तिम ग्रेच्युटी वयस्क पुत्र अथवा पुत्री को उनके हिस्से के अनुसार और अवयस्क बच्चों को उनके हिस्से के अनुसार उनके विधिक संरक्षक को दे दी जायेगी।

(घ) यदि एक सरकारी सेवक की, सेवा में रहते हुए अथवा सेवा निवृत्ति के उपरान्त, बिना ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किये मृत्यु हो जाय और उसके परिवार में कोई सदस्य न हो और उसने कोई नामिनेशन भी न किया हो तो मृत्यु ग्रेच्युटी अथवा सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी राज्य सरकार को व्यपगत हो जायेगी।

(2) यदि मृतक सरकारी सेवक के विरुद्ध सामान्य रिकवरी जैसे भवन निर्माण अग्रिम, मोटर कार अग्रिम अथवा स्कूटर अग्रिम अथवा मकान किराये की वसूली आदि देय हों तो उनकी रिकवरी मृत्यु ग्रेच्युटी की धनराशि से कर ली जायेगी लेकिन अन्य देयों की वसूली तब तक नहीं की जायेगी जब तक यह सुनिश्चित न हो जाय कि उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकारी सेवक को "शोकाज नोटिस" देकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जा चुका है। पुनः यदि भवन निर्माण अग्रिम, मोटर कार, स्कूटर आदि अग्रिम की किस्तें अथवा उन पर ब्याज की वसूली किया जाना शेष हो तो शासनादेश संख्या बी-2-317/दस-184-64 दिनांक 17-12-1969 के अनुसार मृत्यु के दिनांक से बकाया अग्रिम पर ब्याज की वसूली मृत्यु ग्रेच्युटी अथवा अवकाश नकदीकरण की धनराशि से नहीं की जायेगी। यदि मृत्यु के समय सरकारी सेवक सरकारी आवास में रह रहा हो तो परिवार को अनुमन्य की जाने वाली ग्रेच्युटी से चार महीने के किराये (एक माह का सामान्य दर पर तथा तीन माह का मानक दर पर) के बराबर कटौती कर ली जायेगी किन्तु उसके बाद के किराये की वसूली हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग अथवा सम्बन्धित जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(3) यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली अनन्तिम पारिवारिक पेन्शन की धनराशि में मृत्यु के दिनांक को लागू दरों पर कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही महंगाई राहत भी अनुमन्य कर दी जायेगी। उसके उपरान्त राहत की दरों में वृद्धि हो तो वे भी अनन्तिम पारिवारिक पेन्शन के साथ अनुमन्य कर दी जायेंगी।

(4) सामान्यतया मृतक के परिवार का संबंधित सदस्य अनन्तिम पारिवारिक पेन्शन का भुगतान व्यक्तिगत रूप से उस कार्यालय से प्राप्त करेगा जहाँ पर सम्बन्धित सरकारी सेवक मृत्यु से पूर्व कार्यरत था किन्तु यदि परिवार का सम्बन्धित सदस्य मृतक की नियुक्ति के स्थान से किसी अन्य स्थान पर पारिवारिक पेन्शन प्राप्त करना चाहता है तो वह सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को उसी बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर से भेजने हेतु अनुरोध कर सकता है। किन्तु ऐसी दशा में मनीआर्डर अथवा बैंक ड्राफ्ट पर होने वाला व्यय पारिवारिक पेन्शन से समायोजित कर लिया जायेगा।

(8) अनन्तिम पारिवारिक पेन्शन तथा अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी :

(1)(क) वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा-3-1667/दस-931-87 दिनांक 9-6-87 के अन्तर्गत सरकारी सेवक के कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सामान्यतया आगणित पारिवारिक पेन्शन की धनराशि के 90 प्रतिशत के बराबर धनराशि का भुगतान मृत्यु के अगले माह की पहली तारीख को करने का प्राविधान किया गया है । यह भी प्राविधान किया गया है कि अनन्तिम पारिवारिक पेन्शन का भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उसी प्रक्रिया के अनुसार प्रारम्भ कर दिया जायेगा जिस प्रकार अनन्तिम पेन्शन का भुगतान किया जाता है । शेष 10 प्रतिशत पारिवारिक पेन्शन की स्वीकृति हेतु पारिवारिक पेन्शन प्रपत्र स्वीकृर्ता अधिकारी को भेज दिये जायेंगे जिनके आधार पर अंतिम पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत कर दी जायेगी । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के नियमों में सरकारी सेवक की मृत्यु होने की दशा में अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी अनुमन्य किये जाने का प्राविधान भी उपलब्ध है अतः यह निर्णय लिया गया है कि उक्त प्राविधान की भाँति इस राज्य में भी किसी सरकारी सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को सामान्यतया आगणित मृत्यु ग्रेच्युटी में से सम्बन्धित मृतक सरकारी सेवक के एक माह के वेतन के बराबर धनराशि अथवा रू0 3000/- जो भी कम हो, रोककर शेष धनराशि का भुगतान अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी के रूप में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा ही कर दिया जाय ।

(ख) कार्यालयाध्यक्षों की सुविधा हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकारी सेवक द्वारा ग्रेच्युटी हेतु नामीनेशन कर दिया गया हो तो ऐसी अनन्तिम मृत्यु ग्रेच्युटी नामीनेशन के अनुसार ही परिवार के सदस्यों में वितरित की जायेगी किन्तु यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक ने नामीनेशन नहीं किया है तो मृत्यु ग्रेच्युटी का भुगतान निम्नवत् किया जायेगा :-

1- यदि परिवार के निम्न सदस्यों में से एक अथवा अधिक सदस्य जीवित है तो उनमें सम्बन्धित धनराशि को बराबर बराबर वितरित कर दिया जायेगा :

(अ) पत्नी (पुरूष कर्मचारी के मामले में),
(ब) पति (महिला कर्मचारी के मामले में),
(स) पुत्र (सौतेली संतानों तथा गोद ली हुई संतानों को सम्मिलित करते हुए।
(द) अविवाहित पुत्रियां (सम्मिलित करते हुए।

2- यदि उपरिलिखित उपखण्ड के अन्तर्गत उल्लिखित परिवार का कोई सदस्य जीवित न हो और यदि निम्न सदस्य जीवित हों तो मृत्यु ग्रेच्युटी उनमें बराबर बराबर बाँट दी जायेगी :

(1) विधवा पुत्रियां,
(2) 18 वर्ष से कम आयु वाले भाई तथा अविवाहित एवं विधवा बहनें (सौतेले भाई व बहनों को सम्मिलित करते हुए),
(3) पिता,
(4) माता,
(5) विवाहित पुत्रियां (सौतेली पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए) तथा
(6) पूर्व मृतक पुत्र की संतानें।

(9) सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 905(3) के प्राविधान के अनुसार अनन्तिम पेन्शन स्वीकृत करने हेतु वही अधिकारी प्राधिकृत है जिसका कार्यक्षेत्र एक जिले अथवा एक जिले से अधिक में फैला हुआ है। इस प्राविधान के कारण अनेक कार्यालयाध्यक्ष अनन्तिम पेन्शन स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत नहीं हैं और उन्हें अधीनस्थ कर्मचारियों की अनन्तिम पेन्शन स्वीकृत करने हेतु पेन्शन प्रपत्र स्वीकृर्ता अधिकारी को भेजने आवश्यक होते हैं। चूंकि इस प्रक्रिया में विलम्ब निहित है और दूसरे ऐसा कोई समुचित कारण नहीं है कि अनन्तिम पेन्शन केवल ऐसे अधिकारी द्वारा ही प्राधिकृत की जाये जिसका कार्यक्षेत्र एक जिले अथवा एक जिले से अधिक तक फैला हुआ है अतः यह निर्णय लिया गया है कि इस प्राविधान को समाप्त करते हुए अब अनन्तिम पेन्शन स्वीकृत करने हेतु सभी कार्यालयाध्यक्ष अधिकृत होंगे।

(10) उपरोक्त सरलीकृत प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनेक अनुच्छेदों में संशोधन अपेक्षित हैं। यद्यपि सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के संबंधित अनुच्छेदों में औपचारिक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जा रही है तथापि सुविधा की दृष्टि से राज्यपाल महोदय उपरोक्त सरलीकृत प्रक्रिया को इन आदेशों के निर्गत होने की तिथि से लागू होने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा सम्बन्धित नियम उक्त तिथि से उपरोक्तानुसार संशोधित समझे जायेंगे।

यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

संलग्नक : प्रपत्र-1 एवं 2

विजय कृष्ण तक्सेना
प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।

संख्या सा-3-1713(1)/दस-89 तद्दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-2 (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- निदेशक, पेन्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- उप भूमि व्यवस्था आयुक्त, (लेखा), राजस्व परिषद, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
5- मुख्य लेखा अधिकारी एवं उपसचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।
6- मुख्य लेखाधिकारी एवं उपसचिव, विधान सभा सचिवालय, लखनऊ।
7- मुख्य लेखाधिकारी एवं उपसचिव, विधान परिषद सचिवालय, लखनऊ।
8- मुख्य लेखाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, वन विभाग, बिक्रीकर विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
10- मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
11- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
14- निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को समाचार पत्रों में प्रचारार्थ।

आज्ञा से,

वी0पी0 अग्रवाल
संयुक्त सचिव।

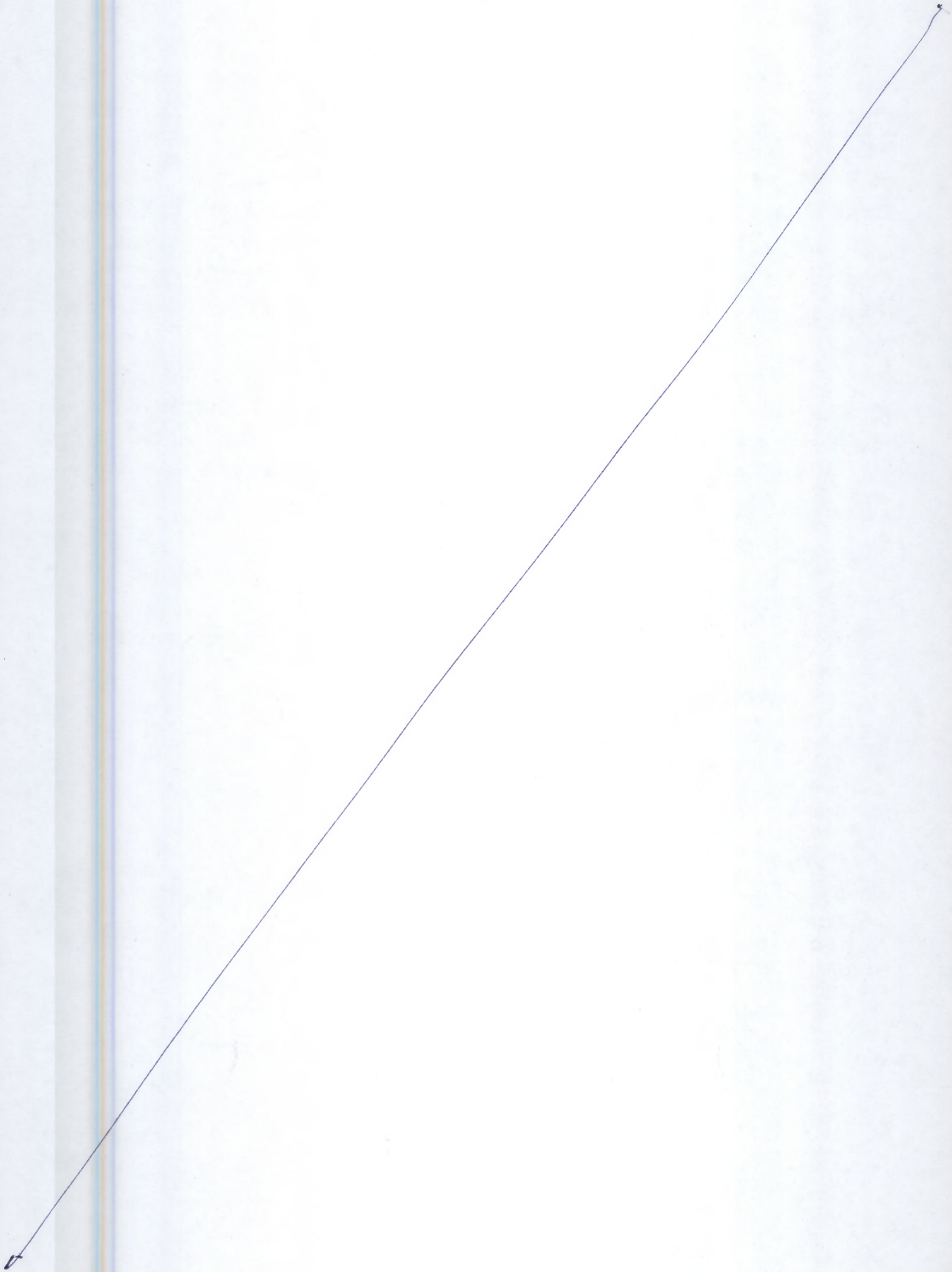

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या सा-3-2049(1)/दस-915-89
लखनऊ, 20 अगस्त, 1989

कार्यालय ज्ञाप

विषय : अस्थायी सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता।

उपर्युक्त विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1152/दस-915-89, दिनांक 1 जुलाई, 1989 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप में यह व्यवस्था की गई है कि ऐसे सरकारी सेवकों को जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो, अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त होने अथवा सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा आगे सेवा करने हेतु पूर्णतया अक्षम घोषित कर दिये जाने पर अनिवार्यता/अक्षमता पेंशन सेवानिवृत्ति उपदान तथा पारिवारिक पेंशन इसी प्रकार एवं उन्हीं दरों पर देय होगी जैसी कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होती है। इस संदर्भ में अतंतर यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1152/दस-915-89, दिनांक 1 जुलाई, 1989 के अन्तर्गत जिन मामलों में दिनांक 1 जून, 1989 से पेंशन दी जाय अथवा उक्त दिनांक को यदि वे लंबित होते तो देय होती, उनमें ऐसे सरकारी सेवक की मृत्यु पर उन्हीं दशाओं में पारिवारिक पेंशन भी सामान्य नियमों के अन्तर्गत देय होगी।

गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या सा-3-2049(1)/दस-915-89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
3—राज्यपाल सचिवालय।
4—मुख्य लेखाधिकारी।
5—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7—निर्धारित सूची के अनुसार पेंशन संघों को।
8—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव।

पी. एस. यू. पी.—ए. पी. 18 सा. भाषा 20-9-89—(2179)—1989—10,000 (मैग.)।

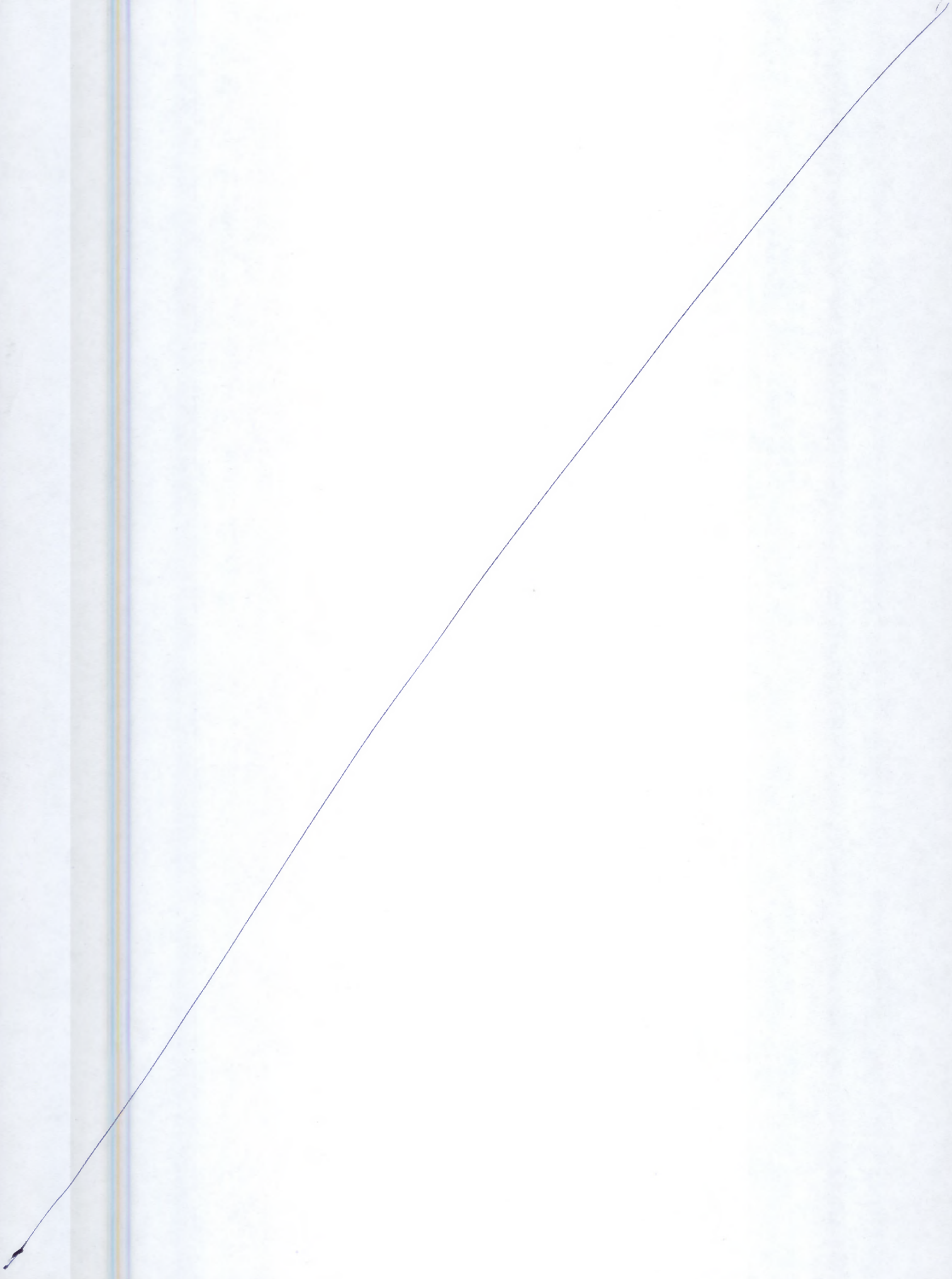

संख्या सा-3-1137/दस-908-90

प्रेषक,

श्री भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यपालकाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग—3

लखनऊ : दिनांक 25 जून, 1991,

विषय —नई पारिवारिक पेन्शन योजना, 1965 के अधीन सेवानिवृत्ति के बाद किये गये विवाह को पारिवारिक पेन्शन हेतु मान्यता।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पारिवारिक पेन्शन योजना, 1965 से सम्बन्धित शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रस्तर 3 (ख) के नीचे दी गई टिप्पणी-2 की व्यवस्था के अनुसार सेवा-निवृत्ति के बाद किया गया विवाह इस योजना के प्रयोजनों के लिए मान्य नहीं समझा जायेगा। शासन के सम्मुख कतिपय ऐसे मामले आ चुके हैं जिनमें तत्-कालीन सेवकों ने सेवानिवृत्ति के उपरान्त विवाह किये हैं और वे इस प्रकार के पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, को पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य कराये जाने पर बल दे रहे हैं। इसी तरह के एक मामले में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णयोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा सशस्त्र बिलाफोपरान्त कुटुम्ब पेन्शन योजना, 1964 की सुविधा का लाभ सेवानिवृत्ति के बाद के सम्पर्क के लिये भी पेन्शन भोगी की मृत्यु के ठीक बाद ही तारीख से स्वीकृत किया गया है।

2—अतः सम्बन्धित निर्णयोपरान्त राज्यपाल महोदय ने यही यह आदेश दिये हैं कि यदि इस राज्य के किसी सरकारी सेवक ने अपनी सेवानिवृत्ति के उपरान्त विवाह किया है तो पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, को भी पारिवारिक पेन्शन योजना, 1965 के अधीन अनुमन्य लाभ तथा पारिवारिक पेन्शन अनुमन्य होगी। इस सुविधा का लाभ पेन्शन भोगी की मृत्यु के ठीक बाद की तारीख से देय होगा।

3—उपरोक्त सुविधा शासनादेश संख्या जी-2-769/दस-917-61, दिनांक 24 अगस्त, 1966 के प्रभावी होने की तिथि अर्थात् दिनांक 1-4-1965 से अनु-मन्य मानी जायेगी तथा शासनादेश इस तीना तक सम्भावित प्रभावी रहेगा।

4—उपरोक्त प्रकार के मामलों के निस्तारण के लिये में शेष प्रक्रिया एवं औपचारिक पत्रावलियां आदेश जो पारिवारिक पेन्शन के सामान्य मामलों में व्यवहृत किये जा रहे हैं।

भवदीय
भोला नाथ तिवारी
प्रमुख सचिव

द्वारा प्रति सत्यापित

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बन्धोर उप प्रभाग हल्द्वानी

संख्या-सा-3-297 / दस-913-92

प्रेषक;

श्री जी० एस० वासुदेव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।

लखनऊ, दिनांक 26 मई, 1993

विषय :--पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिला स्तर पर पेंशन स्वीकृत किए जाने की सुविधा दिया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद के स्तर से पेंशन प्राधिकार-पत्र तथा पेंशन सम्बन्धी अन्य देयों जैसे ग्रेच्युटी, पेंशन के रोकिकरण आदि का प्राधिकार-पत्र निर्गत करने में आ रही कठिनाइयों के परिपेक्ष्य में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त प्राधिकार-पत्रों को निर्गत करने की कार्यवाही का विकेन्द्रीकरण किया जाए। उक्त निर्णय के फलस्वरूप वर्तमान में जो यह कार्य महालेखाकार कार्यालय के बजाय राज्य सरकार के 15 विभागों के मुख्य लेखाधिकारियों द्वारा किया जाता है। उक्त 15 विभागों के अतिरिक्त शेष बचे हुए विभागों / कार्यालयों के कर्मचारियों / अधिकारियों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण पेंशन निदेशालय, उ० प्र० द्वारा किया जाता है।

2--पेंशन सम्बन्धी कार्य के निस्तारण के अधिकार के विकेन्द्रीकरण की नीति के अधीन राज्यपाल महोदय ने यह आदेश प्रदान किए हैं कि राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (उत्तर प्रदेश सचिवालय विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद् सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय को छोड़कर) के सेवा नैवृत्तिक लाभों एवं उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किए जाने का कार्य पेंशन निदेशक / मुख्य लेखाधिकारियों से लेकर कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधानित कर दिया जाय। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभों का निस्तारण करने के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा :--

(1) सम्बन्धित कर्मचारी को पेंशन का प्रथम आहरण उसी कोषागार से करेंगे जहां पर उनका कार्यालय स्थित है।

(2) इस प्रणाली के अन्तर्गत सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा पेंशन सम्बन्धित सभी मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जैसे पेंशन स्वीकृति, ग्रेच्युटी की स्वीकृति, पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति तथा पेंशन के राशिकरण की स्वीकृति आदि।

(3) बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि भविष्य निर्वाह के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि तथा सेवा निवृत्ति के समय अवशेष उपार्जित अवकाश के नकदीकरण से सम्बन्धित मामले इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे। उनके सम्बन्ध में विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत जो प्रक्रिया निर्धारित है वही यथावत् लागू समझी जाएगी।

(4) कार्यालयाध्यक्ष केवल जिले में ही आहरित की जाने वाली पेंशन स्वीकृत करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) सेवा निवृत्ति के समय तैनाती के जनपद के अतिरिक्त के जनपद में पेंशन आहरण व्यवस्था या तो सेवा निवृत्ति के जनपद से प्रथम आहरण के बाद स्थानान्तरण द्वारा अथवा पूर्ववत् पेंशन निदेशक / मुख्य लेखाधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पर ही किया जाएगा।

(6) कार्यालयाध्यक्षों द्वारा जारी किए जाने वाले भुगतानादेशों की प्रति सम्बन्धित मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक पेंशन, जैसी स्थिति हो को भी पृष्ठांकित की जाएगी जो इस मामलों की जांच करके प्रत्येक जिलों में अनापत्ति जारी कर देंगे और तब तक अर्थात् तीन माह की अवधि तक कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उपरोक्तानुसार जारी भुगतानादेश अनन्तिम माने जायेंगे और कोई त्रुटि पाए जाने पर उनमें सुधार करके पुनरीक्षित भुगतानादेश जारी कर दिया जाएगा। यदि मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक, पेंशन को प्रकरण भेजने की तिथि से तीन माह की अवधि में यथास्थिति मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक पेंशन से कोई आपत्ति अथवा अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत भुगतानादेश स्वतः अन्तिम माना जाएगा। मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक पेंशन का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के पेंशन सम्बन्धी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षक प्रदान करें।

(7) विकेन्द्रीकरण की उपरोक्त प्रक्रिया के अधीन आपके विभाग में सेवा निवृत्त होने वाले अथवा मृत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मामले तुरन्त रूप से निस्तारित किये जाएं।

(8) इस प्रणाली के अन्तर्गत पेंशन प्रस्तावों को तैयार करने का कार्य उस प्रक्रिया तथा समय-सारिणी के अनुसार किया जाएगा जैसी वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या सा-3-1713/दस-89-933-89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 में निर्धारित है। केवल अन्तर इतना ही होगा कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सांक्षित पेंशन प्रस्ताव अब यदि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपनी पेंशन लेने का विकल्प उसी जनपद के कोषागार से लेने को देता है, तो कार्यालयाध्यक्ष को भेजे जायेंगे तथा यदि किसी अन्य जनपद से लेने का विकल्प देता है तो पूर्व की भांति विभागाध्यक्ष से संबद्ध मुख्य लेखाधिकारी को अथवा निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0 प्र0 को, जैसी भी स्थिति हो, को भेजे जायेंगे। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित पेंशनर को उसकी सेवा निवृत्ति के बाद के माह की पहली तारीख को प्राप्त हो जाए तथा पेंशन का भुगतान सेवा निवृत्ति के दिनांक के एक माह के बाद की पहली तारीख को हो जाए।

(9) इस प्रणाली को नियमित रूप से चलाने हेतु पेंशन तथा अन्य प्राधिकार-पत्रों की प्रतियां निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ से प्राप्त की जाएगी। अतएव सम्बन्धित विभाग अपनी आवश्यकतानुसार अपना मांग-पत्र निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0 प्र0, लखनऊ को समय से पूर्व भेजने का कष्ट करें।

(10) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्रति वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को ऐसे व्यक्तियों की एक छमाही सूची प्राप्त करेंगे जो अगले 24 माह तक सेवा निवृत्त होने वाले हों। उपरोक्त सूचना के रख-रखाव के लिए संलग्न प्रपत्र (फार्म-1) पर एक रजिस्टर में अंकित कर लें। यह रजिस्टर मास्टर रजिस्टर के रूप में उपयोग में लाया जाएगा तथा पेंशन प्रस्तावों की प्राप्ति तथा निर्गमन सम्बन्धी सूचना इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। जो पेंशन प्रस्ताव प्राप्त होंगे उन्हें उपरोक्त रजिस्टर के अतिरिक्त एक अन्य रजिस्टर (फार्म-2) में दर्ज किया जाएगा। यह रजिस्टर पेंशन चेक रजिस्टर कहलाएगा और स्वीकृति सम्बन्धी पूर्ण सूचना का मूल रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर को कभी विनष्ट (वीड आउट) नहीं किया जाएगा और इसी रजिस्टर को भविष्य में सन्दर्भ हेतु तथा समय-समय पर होने वाले पेंशनरों के पुनरीक्षण हेतु उपयोग में लाया जाएगा। पेंशन प्राधिकार-पत्रों पर भी इस रजिस्टर के नम्बर का सन्दर्भ होगा और यही सन्दर्भ सम्बन्धित पेंशनर के सम्बन्ध में भविष्य में उपयोग में लाया जाएगा। विभिन्न कार्यालयाध्यक्ष पेंशन प्राधिकार-पत्रों पर नम्बर देने से पूर्व अपने विभाग का संक्षिप्त नाम जैसे सिंचाई विभाग "सिंचाई" राजस्व विभाग "राजस्व" अंकित करेंगे।

(11) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत किए जाने पर कोषाधिकारी स्तर पर उन्हें एक रजिस्टर जो वित्त हस्तपुस्तिका भाग-पांच-खण्ड-दो के फार्म ए0 51 (प्रारूप संलग्न) में निर्धारित है में रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा। कोषाधिकारी इसी रजिस्टर के क्रमांक को पेंशन प्राधिकार-पत्र (दोनों प्रतियों) पर दर्ज करेंगे और कोषाधिकारी के कार्यालय में डिस्चार्जफ्राक्ट को ढूंढने में उसका उपयोग करेंगे।

3--पेंशन प्रपत्र प्राप्त होने पर कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में निम्न कार्यवाही अपेक्षित होगी :--

(1) वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी पेंशन प्रपत्र हर प्रकार से पूर्ण है।

(2) सेवा पुस्तिका में सेवा सम्बन्धी सभी प्रविष्टियां पूर्ण हैं, तथा वे उचित स्तर से प्रमाणित की गई है। यदि सेवा पुस्तिका में कुछ अपूर्ति / अशुद्धियां परिलक्षित न हो तो सम्बन्धित सरकारी सेवक से, शासनादेश संख्या सा-3-1998 / दस-932-80, दिनांक 16 जनवरी, 1981 के प्रस्तर-3 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार एक शपथ-पत्र प्राप्त कर उस भाग को पेंशन के प्रयोजन हेतु अंतिम मान लेंगे।

(3) यदि अभिलेख पूर्ण है तो वे निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित सरकारी सेवक को सेवा निवृत्ति की तिथि से ठीक 10 माह पूर्व का औसत वेतन अंकित करेंगे और सेवा पुस्तिका की सहायता से उसकी अर्हकारी सेवा अंकित करेंगे। इन आंकड़ों के आधार पर पेंशन विनियमन इन शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर पेंशन का आगणन करके पेंशन प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे।

(4) इसी प्रकार के पेंशन नियमों में एवं शासनादेशों में उल्लिखित प्रक्रिया और दरों पर मृत्यु एवं सेवा नैवृत्तिक ग्रेच्युटी तथा पेंशन राशिकरण की धनराशि का आगणन करेंगे और निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे।

(5) पेंशन तथा अन्य प्राधिकार-पत्रों को निर्गत करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि उक्त पत्रों पर निर्धारित सभी सूचना सही-सही भर दी गई है जिस से सम्बन्धित कोषाधिकारी को उसका भुगतान करने में कठिनाई न हो।

(6) यदि किसी कारणवश सेवा निवृत्ति के दिनांक के एक माह पूर्व किसी व्यक्ति को पेंशन अथवा एवं सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में प्राधिकार-पत्र निर्गत किया जाना सम्भव न हो पाए तो कार्यालयाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे शासनादेश संख्या सा-3-2085 / दस-907-

पत्रांक-सं-क- 744 /पेंशन-2/95

प्रेषक,

श्री विजय प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्तविभाग(पेंशन) अनुभाग- 3, लखनऊ: दिनांक: 29 मई, 1995

विषय:- पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक पत्र व्यवहार को हतोत्साहित करने हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि राज्य सरकार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों / अधिकारियों के सेवानिवृत्ति लाभों एवं पारिवारिक पेंशन के प्रकरणों को निस्तारित करने की दिशा में निरन्तर एवं सतत् प्रयास कर रही है, फिर भी अधीनस्थ कार्यालयों में पेंशन प्रकरणों में नियमों की व्यवस्था के विपरीत संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारी / उनके परिवार से अनावश्यक पिछासा करते रहते हैं जिससे पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब हो जाता है। उदाहरणार्थ यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन कालीन अर्जित पेंशन / सेवानिवृत्ति / भविष्य निधि व सामूहिक बीमे की धनराशि आदेश के भुगतान के संदर्भ में परिवार से उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की माँग की जाती है जिससे कि मृतक कर्मचारी के परिवार के सम्मुख अनेकों समस्यायें उत्पन्न हो जाती है। पेंशन संबंधी नियमों में कर्मचारी द्वारा नामांकन की व्यवस्था है और उसी के आधार पर उसे देय धनराशि का भुगतान किया जाता है। पेंशन नियमों में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र माँगे जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त

— 2 /

करने की यह न्यायिक प्रक्रिया है और उसकी व्यावहारिकता का अन्त बिन्दु है। अतएव आप कृपया यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि किन प्रकरणों में आपेक्षित उपलब्ध है और अन्य कोई कमी रही है उसे तथा अनुपस्थ-प्रकरणों का यथाशीघ्र प्रेषण करा दिया जाए।

2— मा0उच्चतम न्यायालय उत्तर प्रदेश की कोलाय ऐसे प्रकरण भी निर्देशित किए गए हैं जिनमें निर्णय के बावजूद सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए, फिर भी संक्षिप्त (प्रभावोत्पादक) आदेश शासन के अनावश्यक रूप व्यवहार किया गया जिसके फलस्वरूप की अवमानना करनी पड़ी। अतःअनुरोध है कि आप कृपया अपने विभाग में आपेक्षित प्रकार की परिहार्य अभिदेश की कार्यवाही को प्रवृत्ति को समाप्त करने का कष्ट करें तथा यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण लम्बित है तो उसे प्राथमिकता से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

संख्या-सा-3- 744 (1)/दस-3/25

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1— निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
2— राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3— सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, सचिवालय।
4— महालेखाकार प्रथम / द्वितीय / लेखा एवं हकदारी /उ0प्र0, इलाहाबाद।
5— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

संख्या-सा-3-जी०आई०-13/दस-901/94

प्रेषक,

श्री विनोद कुमार मित्तल,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 13 सितम्बर, 1995

विषय :—मृत्यु उपादान तथा सेवानिवृत्ति उपादान के प्रयोजन के लिए महंगाई भत्ते को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाना तथा उपादान की धनराशि की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

महोदय,

विल (सामान्य)
अनुभाग-3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सा-3-जी० आई०-32/दस-901/94, दिनांक 21-2-1994 में की गई व्यवस्था के अधीन दिनांक 16-9-1993 को अथवा इस तारीख के बाद जो सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते जैसा कि दिनांक 1 मार्च, 1988 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 729.91 के औसत से जोड़ा गया था, के एक भाग को अर्थात् मूल वेतन के 20 प्रतिशत को महंगाई वेतन के रूप में गिना जाएगा।

2—उक्त आदेशों के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 1 अप्रैल, 1995 को अथवा इस तिथि के उपरान्त सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के प्रयोजनार्थ परिलब्धियों की गणना करने के लिए नीचे दिए अनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1201.66 से जुड़े महंगाई भत्ते को, महंगाई वेतन के रूप में गिने जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान की है :—

वेतन श्रेणियाँ	उपादान गणना के लिए वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ना
1— मूल वेतन प्रत्येक माह 3500 रुपये तक।	वेतन का 97%
2— मूल वेतन प्रत्येक माह 3500 रुपये से अधिक, परन्तु प्रत्येक माह 6,000 रुपये से कम	वेतन का 73% परन्तु कम से कम 3,395 रुपये।
3— मूल वेतन प्रत्येक माह 6,000 रुपये से अधिक।	वेतन का 63% परन्तु कम से कम 4,380 रुपये।

3— उपर्युक्त दरों में, शासनादेश संख्या-सा-3-जी०आई०-32/दस-901/94, दिनांक 21 फरवरी, 1994 के अनुसार 16 सितम्बर, 1993 से सेवानिवृत्ति उपादान/मृत्यु उपादान के प्रयोजनार्थ पहले से ही मूल वेतन का 20% के बराबर महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन के रूप में सम्मिलित है।

4—राज्यपाल महोदय ने यह भी निर्णय लिया है कि सेवानिवृत्त उपादान/मृत्यु उपादान की अधिकतम राशि एक लाख रुपये की सीमा को 1 अप्रैल, 1995 से बढ़ाकर 2.50 (दो लाख पचास हजार मात्र) कर दी जाए।

2

3—ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिनकी 1 अप्रैल, 1965 की अवस्था उनके लिए सेवानिवृत्ति-आयु से कम है, वह सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान की देय राशि कार्यपालक अधिकारी द्वारा इस आदेश के आधार पर स्वीकृत से पूर्व परिकलित की जाए, यदि ऐसे बचाया है तो उसका भुगतान किया जाए।

4—उत्तर प्रदेश डिवेलपमेन्ट कॉर्पोरेशन अधिनियम, 1961 के संबंधित नियम में औपचारिक संशोधन अलग से जारी किया जाएगा।

5—उपरोक्त प्रस्ताव-1 में अन्तर्निहित मकसद केवल सेवानिवृत्ति उपादान और मृत्यु उपदान के संशोधन से लिए कर्मचारियों को गणना के लिए ही लिया जाएगा। किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

भवदीय,

विनोद कुमार मित्तल,

प्रमुख सचिव।

संख्या-स-3-जी०आई०-13(1)/दस-2001/04, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—संबंधित पत्रावली के समस्त अनुभाग।

2—विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय।

3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।

4—समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

5—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।

6—निदेशक, पेंशन निदेशालय, हजरतगंज भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—बिल (आय-व्यय) अनुभाग-1/2

8—बिल (अंश-नियंत्रण) अनुभाग-5

9—इत्ला चेक अनुभाग।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

के०एल०पी०—ए०सी० 74 क० बिल—16-9-05—(313)—11,000—(कार्यालय आदेश)

(14)

संख्या- 2669(1)/15-8-95/3002/90

प्रेषक,

श्री मनजीत सिंह,
सचिव, माध्यमिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
उ0प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।

लखनऊ: दिनांक: 05 जनवरी, 1996

शिक्षा 1(1) अनुभाग

विषय:- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षेतर कर्मचारियों को पेंशन स्वीकृत किये जाने हेतु उसी विद्यालय के असहायता प्राप्त की अवधि को अहकारी सेवा में जोड़ा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- पेंशन(2)/शिविर/28008/90-91, दिनांक 07 अक्टूबर, 1990 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों की सेवा पेंशन के प्रयोजन हेतु उस तिथि से आगणित की जाती है जिस तिथि से सम्बन्धित संस्था को अनुदान प्रारम्भ किया गया हो। अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मचारी यह बराबर मांग रही है कि संस्थाओं में असहायता प्राप्त अवधि में की गई सेवा को भी पेंशन के लिए जोड़ा जाय। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान करते हैं कि सेवानिवृत्त शिक्षकों और शिक्षेतर कर्मचारियों को उसी विद्यालय की प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को उसी विद्यालय की असहायता प्राप्त की अवधि में की गई सेवा को पेंशन की अहकारी सेवा में जोड़े जाने की के.पी.ओ.एफ. के प्रबन्धकीय अंशदान की राशि को प्रबन्धक/कार्यालय द्वारा या जमा राजकोष में और शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मचारियों द्वारा किये अंशदान की राशि सहित सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी के भविष्य निर्वाह निधि खाते में जमा कर दी गई हो। ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षेतर कर्मचारियों का शीघ्र निस्तारण हो सके। आशिंक को अनुदान प्रेषण नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई/जा उनके मामलों में भी यह सुविधा उपरोक्त शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

2- अभी भी यदि कोई ऐसे शिक्षक/कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्होंने तारीख से निधि को अपनाया है तथा लाभप्रदी योजना के अधीन प्रबन्धकीय अंशदान को राजकोष में जमा नहीं किया है तो ऐसे शिक्षकों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी प्रबन्धकीय अंशदान की

—2/-

ब्याज सहित विलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 1996 तक राजकोष में जमा कराना जाना सुनिश्चित किया जाये । इस सम्बन्ध में विद्यालय के प्रधानाचार्य को सुनिश्चित होना कि वे शिक्षक/शिक्षेत्तर कर्मचारी से सम्बन्धित प्रबन्धकीय अंशदान की देय धनराशि का ब्याज सहित आगणन कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत लेखाधिकारी से सत्यापित कराकर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करें । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जिस तिथि तक शिक्षक/शिक्षेत्तर कर्मचारी लाभप्रदी योजना में सम्मिलित थे, उस तिथि तक प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि ब्याज सहित राजकोष में जमा की जायेगी । लाभप्रदी योजना की समाप्ति के पश्चात वे इसे मूल वेतन के दस प्रतिशत के बराबर होगी । राजकोष में प्रबन्धकीय अंशदान की धनराशि ब्याज सहित जमा होने का उक्त लेखाधिकारी द्वारा प्रमाण प्राप्त किये जाने के उपरान्त इस आशय की प्रविष्टि सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षेत्तर कर्मचारी की सेवापुस्तिका में भी कर दी जायेगी ।

3- उपरोक्तानुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन के प्रयोजन हेतु विद्यालय की अवधि प्राप्त अवधि में सेवा की गणना उस तिथि से की जायेगी जिस तिथि से शिक्षक/शिक्षेत्तर कर्मचारी की तत्समय लागू नियमों के अन्तर्गत विधिवत स्थाई नियमित नियुक्ति हुई थी ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-11/3473/वि-95, दिनांक 02-01-1996 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संख्या- 2669/15-9-95/3008/09, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

818- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
121- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन प्रतियों में)
131- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
141- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण खण्ड, उ0प्र0, वित्त विभाग, लखनऊ ।
151- समस्त मण्डलीय लेखा परीक्षा निदेशक, उ0प्र0
161- समस्त मण्डलीय उप वेतन नियंत्रक -121, उ0प्र0 ।
171- समस्त जिला विद्यालय उपनिरीक्षक, उ0प्र0 ।
181- समस्त जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, उ0प्र0 ।
191- समस्त मुख्य नगर अधिकारी, नगर पालिका, उ0प्र0 ।
2001- समस्त अधिशा, नगर महापालिका, उ0प्र0 ।
8191- बेसिक शिक्षा शाखा के समस्त अनुभाग ।
1621- नगर विकास अनुभाग-4/5
2151- परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,
(अनीस अहमद)
सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार ।

संख्या-सा-3-640/ दस-913/96

प्रेषक,

पी0के0मिश्र,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य) अनुभाग- 3, लखनऊः दिनांकः 6 मई, 1996

विषयः- पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को विकेन्द्रित कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के विषय में की गई व्यवस्था का सरलीकरण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सा-3-397/दस-913/92 दिनांक 26-5-1993 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय को छोड़कर) के सेवानिवृत्तक लाभों एवं उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत किये जाने का कार्य पेंशन निदेशक / मुख्य लेखाधिकारियों से लेकर कार्यालयाध्यक्षों को प्रतिनिधायित कर दिया जाय।

2- उपरोक्त शासनादेश दिनांक 26-5-1993 के प्रस्तर-2(1) 2(5) एवं प्रस्तर 2(6) की व्यवस्थाएं निम्न प्रकार है:-

2-(1) संबंधित कर्मचारी की पेंशन का प्रथम आहरण उसी कोषागार से करेंगे जहाँ पर उनका कार्यालय स्थित है।

2-(5) सेवानिवृत्ति के समय तैनाती के जनपद के अतिरिक्त के जनपद से पेंशन आहरण व्यवस्था या तो सेवानिवृत्ति के जनपद से प्रथम आहरण के बाद स्थानान्तरण द्वारा अथवा पूर्ववत पेंशन निदेशक / मुख्यलेखाधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति पर ही किया जायगा।

2-(6) कार्यालयाध्यक्ष द्वारा जारी किए जाने वाले भुगतानादेशों की

-----2/

प्रति संबंधित मुख्य लेखाधिकारी/ निदेशक पेंशन, जै
स्थिति हो को भी पृष्ठांकित की जायेगी, जो इन
मामलों की जांच करके प्रत्येक तिमाही में अनापत्ति जारी
कर देंगे और तब तक अर्थात तीन माह की अवधि तक
कार्यालयाध्यक्षों द्वारा उपरोक्तानुसार जारी भुगतानादेश
अनन्तिम माने जायेंगे और कोई त्रुटि पाये जाने पर उनमें
सुधार करके पुनरीक्षित भुगतानादेश जारी कर दिया जायेगा।
यदि मुख्य लेखाधिकारी / निदेशक, पेंशन को प्रकरण भेजने
की तिथि से तीन माह की अवधि में यथास्थिति मुख्य
लेखाधिकारी/ निदेशक पेंशन से कोई आपत्ति अथवा अनापत्ति
प्राप्त नहीं होती है, तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्गत
भुगतानादेश स्वत: अन्तिम माना जायेगा। मुख्य लेखाधिकारी/
निदेशक पेंशन का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के
पेंशन संबंधी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित
पर्यवेक्षण प्रदान करें।

3- शासनादेश की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही करने के फलस्वरूप पेंशनरों को काल्पय कठिनाईयां हो रही है एवं अनावश्यक विलम्ब भी हो रहा है। अतएव उक्त समस्या पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने शासनादेश संख्या-सा-3-297/दस-913/92, दिनांक 26-5-1993 में उसके प्रस्तर- 2(1), 2(6), 2(6) के स्थान पर निम्न-लिखित व्यवस्था स्थापित किये जाने के आदेश दिये है:-

(1) प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण को निस्तारित करते हुए उनका पेंशन भुगतानादेश राज्य सरकार के अन्तर्गत ही उस जनपद के कोषागार से भुगतान हेतु निर्गत करेंगे जहाँ से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन आहरित करने का विकल्प देता है। कार्यालयाध्यक्ष पेंशन भुगतानादेश अपने जिले के कोषाधिकारी को भेजेंगे जो उसे प्रतिहस्ताक्षरित करके तथा "नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रमाण-पत्र" देते हुए पेंशनरद्वारा चुने गये जनपद के कोषागार को भुगतान हेतु अग्रसारित कर देंगे।

(2) शासनादेश संख्या-सा-3-297/दस-913/92, दिनांक 26-5-1993 के प्रस्तर-2(6) की व्यवस्था को समाप्त करते हुए यह व्यवस्था

-----3/

की जाती है कि अब निर्गत भुगतानादेशों की प्रतियां निदेशक, पेंशन निदेशालय उ0प्र0/ संबंधित विभागों के मुख्य लेखाधिकारियों / वित्त नियंत्रकों को जांच हेतु नहीं प्रेषित किया जायेंगे और उनसे पेंशन निर्धारण की पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) निदेशक पेंशन / मुख्य लेखाधिकारियों / वित्त नियंत्रकों का यह दायित्व होगा कि कार्यालयाध्यक्षों के पेंशन संबंधी कार्य का नियमित निरीक्षण करें तथा वांछित पर्यवेक्षण प्रदान करें।

4- सभी कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष कृपया उपरोक्त परिवर्तन/संशोधन के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5- यह आदेश तत्काल प्रभावी समझे जायेंगे।

भवदीय,

(पी0के0 मिश्र)
सचिव, वित्त।

संख्या-सा-3- 640 (1)/दस-96-913/96तद्दिनांक

प्रेषित:- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1- शासन के समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव।
2- महालेखाकार (लेखा) प्रथम एवं द्वितीय, महालेखाकार (आडिट), तृतीय एवं चतुर्थ, इलाहाबाद।
3- निदेशक, पेंशन उ0प्र0इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0जवाहर भवन, लखनऊ।
5- प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्त।
6- प्रदेश के समस्त जिलाधिकारी।
7- प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद।
9- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10- निदेशक, सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ को आवश्यक प्रचार हेतु।

आज्ञा से,

(विशेष प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

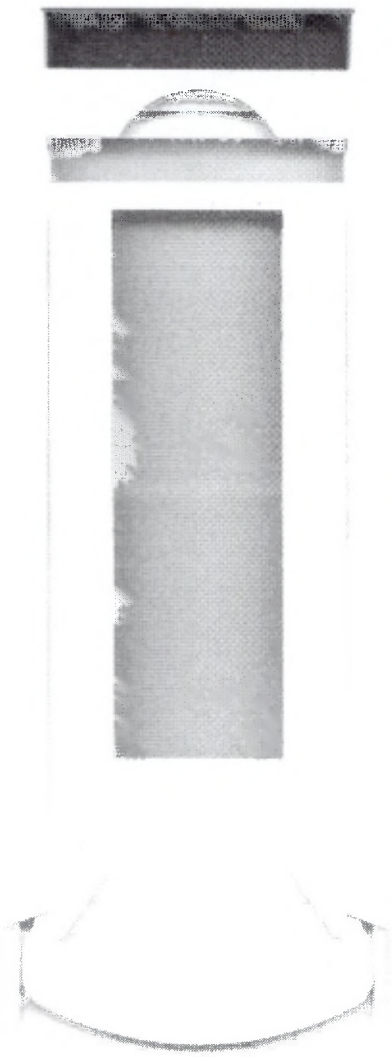

संख्या-सा-3-वी0-13/दस-1997

प्रेषक,

विष्ण प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी)-II
उ0प्र0, इलाहाबाद।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ: दिनांक: 8 अगस्त, 1997

विषय:- लापता सरकारी सेवकों के परिवार को सेवानिवृत्तिक लाभों तथा अन्य अपेक्षों का भुगतान विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशा0पत्र सं0-पेंशन/विविध/पारिवारिक पेंशन-123, दिनांक 12-3-1997 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लापता सरकारी सेवकों के परिवार को सेवानिवृत्तिक लाभों के भुगतान के संबंध में शासनादेश सं0-सा-3-वी0आई0-88/दस-909/97, दिनांक 28-3-1997 में जारी की गयी व्यवस्था के संबंध में की गई जिज्ञासा के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मामले का निस्तारण निम्न प्रकार किया जाना अपेक्षित होगा :-

जिज्ञासा	समाधान
1- उक्त शासनादेश के अनुसार गुमशुदा कर्मचारियों के गुम होने के एक वर्ष बाद से पारिवारिक पेंशन का लाभ दिये जाने का प्राविधान है। कृपया यह स्पष्ट करें कि एक वर्ष की अवधि की गणना किस तिथि से की जायगी?	1- कर्मचारी के लापता होने की तिथि से एक वर्ष की गणना की जायगी।

-------2/

2- क्या शासनादेश दिनांक 28-3-87 का लाभ गुमशुदा पेंशनरों के मामलों में ग्राह्य होगा?

2- यह आदेश गुमशुदा कर्मचारियों के मामले में ही लागू होने के साथ गुमशुदा पेंशनरों के मामलों में भी लागू होगा। दोनों ही प्रकार के मामलों में लाभार्थी से एक अन्डरटेकिंग ले ली जाएगी कि यदि कर्मचारी/पेंशनर प्रकट होता है तो भुगतान की गई समस्त धनराशि उसके वेतन एवं भत्तों अथवा पेंशन से समायोजन द्वारा वसूल कर ली जाएगी।

3॥ कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या उक्त आदेशों के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन देय होने की तिथि से ही बढ़ी हुई दर से देय होगी या सर्व प्रथम सामान्य दर से भुगतान की जायेगी तथा गुमशुदा हुए सात वर्ष बीत जाय तभी बढ़ी हुई दर से प्राधिकृत की जायेगी?

3॥ शासनादेश दिनांक 28-3-87 के पैरा-4 की व्यवस्था के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जो गुम होने की तिथि से ही बढ़ी हुई दर पर पेंशन स्वीकृत की जाएगी। यही प्रक्रिया पेंशनरों के मामलों में यथास्थिति अपनाई जाएगी। सात वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं की जाएगी।

3॥ उपर्युक्त स्पष्टीकरण के साथ यह भी स्पष्ट करें कि सात वर्ष बीत जाने पर सामान्य तौर पर मृत्यु मानकर बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन के अन्तर का भुगतान प्राधिकृत कर दिया जायेगा या मृत्यु के लिए न्यायालय का आदेश अपेक्षित होगा?

3॥ प्रश्न-3॥ में स्पष्ट की गई स्थिति के उपरान्त इस बिन्दु को स्पष्ट करने का औचित्य नहीं है।

4॥ शासनादेश दिनांक 28-3-87 जारी होने की तिथि से प्रभावी माना जायेगा। अतः यह स्पष्ट करें कि 28-3-87 के पूर्व के मामलों का निस्तारण किस प्रकार किया

4॥ शासनादेश दिनांक 28-3-87 से प्रभावी किया गया है अतएव इस तिथि के पूर्व के मामलों में उक्त सुविधा का लाभ दिनांक 28-3-87 से ही देय होगा।

-------3/

जावेगा। यह समझा जाता है कि यदि 20-3-87 के पूर्व ही गुमशुदा होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि बीत गयी हो तथा परिवार में पुलिस में एफ0आई0 आर0 दायर कर दिया हो तथा एफ0आई0आर0 की तिथि भी 20-3-87 से एक वर्ष पूर्व की हो तथा पुलिस से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी हो कि कर्मचारी की तलाश नहीं हो पायी तो ऐसे मामलों में पारिवारिक पेंशन दिनांक 20-3-87 से स्वीकृत कर दी जायेगी।

4।।।। यदि 20-3-87 के पूर्व ही गुमशुदा हुए सात वर्ष बीत गये हो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारी/पेंशनर को मृत्यु मानकर पारिवारिक पेंशन का निस्तारण किया जायेगा?

4।।।। यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत उसे मृत घोषित किया जा चुका है तो उसे पेंशन की सुविधा अनुमन्य होगी।

4।।।।4।।।। के मामलों में यह समझा जाता है कि पारिवारिक पेंशन का भुगतान दिनांक 20-3-87 से अथवा यदि 20-3-87 के पूर्व ही सात वर्ष बीतने की तिथि से ही अनुमन्य होगा। इसकी पुष्टि करें।

4।।।।4।।।।यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत किसी कर्मचारी को दिनांक20-3-87 से पूर्व ही मृत्यु घोषित किया जा चुका है तो पारिवारिक पेंशन का भुगतान मृत्यु घोषित किये जाने की तिथि से ही नियमानुसार अनुमन्य होगा।

=======4/

5- ये प्रावधान केवल सामान्य परिस्थितियों में लापता हुए कर्मचारियों के मामलों में ही लागू होंगे यदि कर्मचारी कोई धोखाधड़ी गबन इत्यादि करके लापता हुआ हो तो ऐसे मामलों में भी यह लाभ अनुमन्य होगा जब कर्मचारी न्यायालय से दोषमुक्त हो जाय या अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने पर उसे दोषमुक्त माना गया हो?

5- उक्त शासनादेश सामान्य परिस्थितियों में ही लागू होगा?

6- ऐसे प्रकरणों में पारिवारिक पेंशन के भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति विभागाध्यक्ष द्वारा अथवा यदि नियुक्ति अधिकारी शासन हो तो शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा दी जावेगी या वही प्रक्रिया अपनायी जावेगी जैसा सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रकरणों में?

6- इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था शासनादेश दिनांक 28-3-87 के पैरा-4 में की गयी है।

7- कृपया मृत्यु ग्रेच्युटी के बारे में भी स्पष्टीकरण आदेश जारी करें। यहसमझा जाता है यदि कर्मचारी दिनांक 1-1-86 के बाद लापता हो जाय तथा नियमानुसार जब आवश्यक औपचारिकतायें पूरी होने पर पारिवारिक पेंशन देय हो जाय तो पहले सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देय होगी तथा जब सात वर्ष बीत जाने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत मृत्यु का एक्सपेस प्रिजम्पशन हो जाय तभी नियमानुसार मृत्यु ग्रेच्युटी एवं सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के अन्तर की धनराशि देय होगी?

7- इस संबंध में अनुरोध है कि शासनादेश दिनांक 28-3-87 की सुविधा शासनादेश जारी होने के दिनांक से प्रभावी है अतएव दिनांक 1-1-86 के बाद लापता मामलों में उक्त सुविधा अनुमन्य न होगी। ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में आवश्यक व्यवस्था शासनादेश के पैरा-1(2)में स्पष्ट की गयी है। कृपया उसके अनुसार ही कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होगा।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (वेतन) अनुभाग—3

संख्या—वा-3-1721/दस—97/97
दिनांक 23 दिसम्बर, 1997

आदेशिका-रूप

विषय :—केवल संशोधित उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों को लेकर किए जाने के पश्चात्वर्ती दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिशोधन/पुनरीक्षण।

उपरोक्त विषय पर अनुरोध किया जाता है कि राज्यपाल परिषद् ने केवल संशोधित उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार करते हुए दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/मृत सभी सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों एवं पेंशनों के अभिशोधन/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किए हैं।

2—यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन नियम 1961, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट्स रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 तथा शासनादेश संख्या-वा-3-369/दस-92/85, दिनांक 3-8-1986 के अन्तर्गत संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अंशदायी पेंशन तथा अंशदायी पेंशन नियमावली (पेंशन प्राप्तकर्ता सरकारी कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन फंड में प्रेषणकर्ता) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू नहीं होंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ लोक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, निर्वाचन के मुख्य आयुक्त तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं आदि के पेंशनों पर लागू नहीं होंगे।

3—इन आदेशों में अन्तर्गत—

(क) "वर्तमान पेंशनर" अथवा "पारिवारिक पेंशनर" वह व्यक्ति होगा जो दिनांक 31-12-1995 को राज्य सरकार के सिविल में अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन अर्जित कर रहा है या पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है अथवा है।

(ख) "वर्तमान पेंशन" वह व्यक्ति कुल पेंशन (संशोधित भाग, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए) जो 31-12-1995 को देय थी, है है। पेंशन में वे सभी श्रेणी की पेंशन सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख कॉलम 2 से 5 में किया गया है।

(ग) "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" वह व्यक्ति उस कुल पारिवारिक पेंशन से है जो सभी पारिवारिक पेंशन योजना 1965 के अधीन शासनादेश संख्या-वा-3-657/दस-90/78, दिनांक 10-8-1978 अथवा शासनादेश संख्या-वा-3-1563/दस-92/81, दिनांक 3-11-1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनांक 31-12-95 को अथवा शासनादेश संख्या-वा-3-969/दस-92/85, दिनांक 3-8-1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनों को 31-12-95 को अनुमन्य थी।

(घ) "वर्तमान महंगाई राहत" का आशय पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को 1510 पूल्स सूचकांक के बराबर मिल रही राहत से है।

4—(1) ऐसे पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन जो दिनांक 1-1-1996 से पूर्व से पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, का संशोधन दिनांक 1-1-1996 से निम्नलिखित धनराशियों को सम्मिलित करते हुए किया जायेगा :—

(i) वर्तमान पेंशन/पारिवारिक पेंशन,

(ii) वर्तमान महंगाई राहत जैसा कि महंगाई के 1510 पूल्स सूचकांक अर्थात् 140%, 111% एवं 96% देय की स्थिति हो, के बराबर संशोधित,

(iii) अन्तरिम राहत प्रदान किया,

(iv) अन्तरिम राहत द्वितीय किश्त,

(v) अर्जित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि का 40% अंशीकरित जोड़कर।

उपरोक्तानुसार गणनित/संकलित धनराशि 1-1-1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी। इस प्रकार पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अधिकतम धनराशि की सीमा 5000/- एवं न्यूनतम 1250/- प्रतिमाह से बढ़कर क्रमशः राज्य सरकार के अधिकतम वेतन रु 9000 एवं उसका 50% हो गई है। चूंकि उपरोक्तानुसार अर्जित संशोधित पेंशन में पेंशन का प्रतिशत भाग सम्मिलित होगा, अतः पेंशन का पारित निर्धारित भुगतान उसमें समय पेंशन के सम्बन्धित प्रतिशत भाग को पेंशन की धनराशि से कम किया जायेगा।

4—(2) ऐसे वर्तमान पेंशनर जो 31-3-1985 और 31-12-1985 के बीच सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें वैयक्तिक पेंशन स्वीकृत की गयी हो, के मामलों में वैयक्तिक पेंशन पृथक से अनुमन्य होती रहेगी और ऐसी वैयक्तिक पेंशन को उपरोक्त तुसार पेंशन का भाग माने जाने हेतु समेकित नहीं किया जायेगा ।

4—(3) चूंकि उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) में किए गए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संगोकन में महंगाई के 1510 औसत मूल्य सूचकांक के बराबर महंगाई राहत को सम्मिलित कर लिया गया है जबकि 1-1-1996 से जारी उक्त 1510 औसत मूल्य सूचकांक के आगे महंगाई के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नई नीति के अधीन (अलग से आदेश निर्गत किए जा रहे हैं) महंगाई राहत अनुमन्य होगी । महंगाई राहत की जो किश्तें शासनादेश संख्या सा-3-1206/दस-301/96, दिनांक 22-10-1996 एवं शासनादेश संख्या सा-3-111/दस-301/97, दिनांक 1-5-1997 से क्रमशः दिनांक 1-7-1996 से एवं 1-1-1997 से स्वीकृत की जा चुकी है, को समायोजित कर लिया जायगा ।

4—(4) शासनादेश संख्या सा-3-जी०आई०-21/दस-301/94, दिनांक 22-10-1996 के अधीन स्वीकृत अन्तरिम सहायता की तीसरी किश्त की धनराशि उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) के अनुसार समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं उस पर अनुमन्य महंगाई राहत की धनराशि से समायोजित कर ली जायेगी ।

5—(1) जिन मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संगोकन उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) की व्यवस्था के अनुसार किए जाने के उपरान्त भी समेकित धनराशि रुपया 1275/- से कम आती है उनमें इस प्रकार वृद्धि कर दी जाए कि न्यूनतम धनराशि रुपया 1275/- की सीमा तक हो जाए । इस प्रकार आगणित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि दिनांक 1-1-1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन मानी जायेगी । जिन पेंशनरों को एक से अधिक पेंशनें मिल रही हैं, उनकी सभी पेंशनों का योग लेते हुए न्यूनतम पेंशन रुपया 1275/- निर्धारित की जाएगी ।

5—(2) जिन प्रकरणों में असाधारण पेंशन नियमावली के अधीन अशक्तता पेंशन विशिष्ट अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त मिल रही है उनमें दोनों पेंशनों के योग की न्यूनतम सीमा रुपया 1275/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी । जिन प्रकरणों में केवल शत-प्रतिशत अक्षमता के आधार पर पेंशन स्वीकृत की गई है, उनमें पेंशन की न्यूनतम धनराशि रुपया 1275/- प्रतिमाह ही रहेगी, परन्तु शत-प्रतिशत अक्षमता न होने पर उसकी पेंशन उसी अनुपात में कम कर दी जायगी ।

सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनर—

6—सेवायोजित/पुनर्योजित पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों पर वर्तमान में महंगाई राहत अनुमन्य नहीं है । उनके मामलों में अतिरिक्त राहत की गणना हेतु वास्तविक महंगाई राहत की उस धनराशि को आधार माना जायगा जो उन्हें उस दशा में अनुमन्य होती यदि वे सेवानिवृत्ति के उपरान्त सेवायोजित/पुनर्योजित नहीं हुए होते और उसी के अनुसार उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) के अन्तर्गत उनकी पेंशन का समेकन किया जाएगा । दिनांक 1-1-1996 से उनका वेतन उपरोक्त तुसार आगणित/समेकित पेंशन के परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्धारित किया जाएगा । दिनांक 1-1-1996 के उपरान्त होने वाली वृद्धि से सम्बन्धित महंगाई राहत भी उन्हें सेवायोजन/पुनर्योजन की अवधि में अनुमन्य नहीं होगी ।

7—राज्य सरकार के ऐसे सेवकों के मामलों को, जिन्हें राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवकों द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में स्थायी संविलियन के किया गया हो, निम्न प्रकार विनियमित किया जाएगा :—

(क) पेंशन—

इन स्थायी संविलियन के मामलों में जिनमें सम्बन्धित सरकारी सेवक राज्य सरकार से अपनी पेंशन पृथक से आहरित कर रहा हो उसकी पेंशन इन आदेशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दी जायगी । इन मामलों में जिनमें सम्बन्धित सरकारी सेवक के पेंशनरी लाभों का भुगतान एक-मुश्त में, सम्बन्धित सरकारी सेवक/संस्था को, कर दिया गया हो, इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जायगा ।

(ख) पारिवारिक पेंशन—

सार्वजनिक उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में संविलीन हुए जिन सरकारी सेवकों के संविलियन की शर्तों में पारिवारिक पेंशन अनुमन्य की गयी है उनकी पारिवारिक पेंशन को उपरोक्त इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित कर दी जायेगी ।

8—पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने वाले पेंशनरों के मामलों में इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु सम्बन्धित पेंशन भुगतान अधिकारियों अर्थात् कोषाधिकारियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को जो पेंशन का भुगतान करते हैं एतद्द्वारा अधिकृत किया जाता है। इस श्रेणी के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशनों/पारिवारिक पेंशनों के पुनरीक्षण हेतु कोई पत्र/आदेश पहले/बाद अथवा अन्य पेंशन स्वीकृति अधिकारी द्वारा भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु कोषाधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सुविधा के लिये एक ही पेंशनर संस्करण (डी०पी०-एक-एक) विकसित किया जा रहा है जिसमें प्रत्येक पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की वर्तमान पेंशन तथा समेकित पेंशन जो 1-1-1996 से देय है दर्शित कर दी गयी है। यदि कोई पेंशनर एक से अधिक पेंशनें प्राप्त कर रहा है तो उसका पुनरीक्षण उपरोक्त प्रस्तर-4 (1) एवं प्रस्तर-5 में निर्धारित सीमा के अधीन किया जावेगा। पेंशन भुगतान अधिकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा प्रत्येक पेंशन भुगतान प्राधिकार एक (पी०पी०ओ०) के दोनों अर्धभागों

(छत्तीस) पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि अंकित कर दी जायेगी। उपरोक्तानुसार अर्जित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सूचना पेंशन भुगतान अधिकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा महालेखाकार/वित्त नियंत्रक/मुख्य लेखाधिकारी/निदेशक वित्त, निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ को भी जैसी स्थिति हो, प्रारूप-II (संलग्नक-दो) पर दो अलग लिफाफे में दर्शाई सूचना पेंशन वेरीफाइड इंस्ट्रक्टर में अंकित कर दें। पेंशन भुगतान अधिकारी/महालेखाकार/पेंशन अभिदाता पर नियंत्रण अधिकारी को भेजी गयी उपरोक्त सूचना की प्राप्ति भी स्वीकार की जाए।

9.1—उपर्युक्त प्रकार-4 (1) में निहित प्रक्रिया के आधार पर समेकित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनांक 1-1-1996 से 'मूल पेंशन' मानी जायेगी और इस पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर इसके उपरान्त यथोचित वृद्धियां यथा अनुरूप होंगी। उच्चाई रहन की पात्रता हेतु पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की निम्नलिखित श्रेणी होगी :—

(i) पेंशनर जो दिनांक 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त हुये हैं,

(ii) ऐसे पारिवारिक पेंशनर जो दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 की अवधि में पारिवारिक पेंशन के हकदार हुये तथा जिन्हें मृत कर्मचारी द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 30% की दर से पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई।

10—इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि के सम्बन्ध में उपरान्त अनुरूप धनराशि में अवशेष का भुगतान दिनांक 1-10-1997 से शुरू किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से 30-9-1997 की अवधि के अवशेष का भुगतान दो समान किश्तों में होगा। प्रथम किश्त का भुगतान दिनांक 31-5-1998 तक किया जायेगा तथा द्वितीय किश्त का भुगतान 31-7-1998 तक किया जायेगा। किन्तु जिन प्रकरणों में दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु उपरान्त प्रकार से अनुमन्य अवशेष धनराशि की प्राप्ति के पूर्व हो गई है, उनमें, स्वर्गीय कर्मचारी के प्रथम उत्तराधिकारी को समस्त अवशेष का भुगतान एक मुश्त अदा किया जायेगा।

आज्ञा से,

आलोक रंजन,

सचिव, वित्त।

संख्या सा—3-1721(1)/ग्रा—308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1)	समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उ० प्र०।	प्रत्येक को एक प्रति	
(2)	समस्त कोषाधिकारी, उ० प्र०,	रथानीय पेंशनरों को सूचनार्थ देने हेतु इसकी एक या दो प्रतिलिपियां (कार्यालय सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायें) (प्रत्येक को 50 प्रतियां)।	
(3)	समस्त जिला अधिकारी, उ० प्र०,	(कार्यालय सूचना पटल पर प्रदर्शित करने हेतु) (5 प्रतियां)।	
(4)	निदेशक पेंशन, उ० प्र० इंदिरा भवन, लखनऊ।	5	प्रतियां
(5)	मुख्य सेवाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनी एवं बैंक सेल, विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, बम्बई—400023।	60	"
(6)	सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ को प्रचारार्थ।	5	"
(7)	मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।	5	"
(8)	मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उ० प्र०, इलाहाबाद।	5	"
(9)	वित्त नियंत्रक, उच्चीन निदेशालय, उ० प्र०, कानपुर।	5	"
(10)	उप भूमि व्यवस्था आयुक्त (सेवा), राजस्व परिषद, उ० प्र०, लखनऊ।	5	प्रतियां

(11) समस्त, इसकी ओर अनुपालन, सचिवालय, लखनऊ। 5 प्रतियां

(12) मुख्य लेखाधिकारी सिंचाई विभाग, आकस्मिक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा, खाद एवं रसद् विभाग, प्राथ विकास विभाग, राहुगालन निदेशालय, कृषि विपणन तथा वन विभाग, लखनऊ। 5 प्रतियां

नगरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, चारित्रिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विभाग, गन्ना तथा चीनी विभाग, राजस्व अधिकारी, आयुक्त सहकारी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, कानपुर, जरीपत्य लेखा परीक्षा दोहे लखनऊ, प्रादेशिक अभियन्ता लेखा, कानपुर उ० प्र० लखनऊ, निबंधक सहकारी समितियां उ० प्र०, महानिरीक्षक रजिस्ट्रेशन उ० प्र०, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान नैनीताल, कानूनी विभाग इलाहाबाद, आय विभाग कानपुर, लोक सेवा आयोग उ० प्र० इलाहाबाद, परिवहन विभाग उ० प्र० लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य उ० प्र० लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग उ० प्र०, सिविल सिविल विभाग, औद्र शिक्षा निदेशालय, मेडिकल स्टोर्स डिपो, पशुचिकित्सा कालेज इलाहाबाद, मेडिकल कालेज कानपुर, मेडिकल कालेज मेरठ, मेडिकल कालेज झांसी, मेडिकल कालेज गोरखपुर। 6 प्रतियां

प्रत्येक को

आज्ञा से,

शिवानन्द त्रिपुरि,

संयुक्त सचिव।

संख्या सा०—3-1721 (ii)/ दस—303/95, तद्दिनांक

अग्रेषित निम्नलिखित की सूचनार्थ प्रेषित:—

(1) अध्यक्ष, फेडरेशन आफ यू० पी० बैंक्स एम्प्लाईज एसोसियेशन, लखनऊ।

(2) श्री डी०पी० मेहरोत्रा, अध्यक्ष आल इंडिया आर्गनाइजेशन आफ बैंक्स, 113/20, स्वरूप नगर, कानपुर—2।

(3) श्री एस०पी० पचौरी, अध्यक्ष, यू०पी० प्रादेशिक सिविल बैंक्स एम्प्लाईज, 345, राजेन्द्र नगर, पंचवटी मार्ग, लखनऊ—226001।

(4) श्री एस०डी० श्रीवास्तव, 1/301 आजाद, सहकारी आवास सोसाइटी, पलासेन्ट बैंक्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन, लखनऊ—226004।

(5) श्री अदी नारायण मुरथ, डी—60, पाण्डुरंग कालोनी, ए०के० मार्ग, मुम्बई—400019।

आज्ञा से,

शिवानन्द त्रिपुरि,

संयुक्त सचिव।

संख्या सा०—3-1721 (iii) /दस—303/95, तद्दिनांक

अग्रेषित निम्नलिखित व्यक्तियों को 50 अतिरिक्त प्रतियां सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) मैनेजिंग डायरेक्टर, स्टेट बैंक आफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं० 12, बम्बई—400021।

(2) जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय, 14 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता—1।

(3) जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, केन्द्रीय कार्यालय ब्लाक, एक्सचेंज प्लेस, पोस्ट बाक्स नं० 5056—3, यूनियन बैंक आफ कनाडा टैक बिल्डिंग, बम्बई—1।

(4) जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, चन्दरमुखी मार्ग, नरीमन पाइन्ट, बम्बई—400020।

(5) जनरल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली।

(6) जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, यूनियन बैंक बिल्डिंग, 239, वैल्के विलेपेकन, भारिन्ग्स स्ट्रीट, बम्बई—400002।

(7) जनरल मैनेजर, बैंक आफ इंडिया, प्रधान कार्यालय, एक्सप्रेस टावर्स, हरिमन स्ट्रीट, पोस्ट बाक्स नं० 234 बम्बई—400021।

(8) रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, प्रधान कार्यालय, 151 मारवट रोड, मद्रास—21।

(9) जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कामर्शियल बैंक, प्रधान कार्यालय, 10 इलीयट रोड, कलकत्ता—1।

(10) जनरल मैनेजर, केनरा बैंक, प्रधान कार्यालय, 112 जयचम राजेन्द्र रोड, पोस्ट बाक्स नं० 6648, बंगलौर—2।

(11) जनरल मैनेजर, सिन्डीकेट बैंक, प्रधान कार्यालय, पोस्ट बाक्स नं० 1, मनीपाल (एस०के०), कर्नाटक स्टेट।

(12) जनरल मैनेजर, देना बैंक, प्रधान कार्यालय देवकरण भवनो बिल्डिंग्स, प्लाट नम्बर 41 फोर्ट, बम्बई—400001।

(13) जनरल मैनेजर, इंडियन बैंक, प्रधान कार्यालय, इंडियन बैंक बिल्डिंग्स, पोस्ट बाक्स नं० 1384, 17, मार्थ—वी रोड, मद्रास—1।

(14) जनरल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय 1177, बुधवार पीठ, पोस्ट बाक्स नं० 514, पूना—2।

(15) मैनेजर, स्टेट बैंक आफ पटियाला 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली—110001।

(16) मैनेजर, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर, प्रधान कार्यालय, तिलक मार्ग, जयपुर-302005 (500 प्रतियां)।

(17) चीफ मैनेजर (वित्त एवं लेखा) स्टेट बैंक आफ ट्रावनकोर, मुख्य कार्यालय पी०बा० 34, तिरुवनन्त-695001। 10 प्रतियां

आज्ञा से,
शिवानन्द गिरि,
संयुक्त सचिव।

संख्या डी०—3-1721 (iv)/ दस—308/97

अतिरिक्त निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) भारतीय स्टेट बैंक सहायक विभाग, प्रधान कार्यालय, हजरतगंज कोर्ट, लखनऊ। 3000 प्रतियां

(2) असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, एल० आई० सी० इन्वेस्टमेन्ट बिल्डिंग, 45 हजरतगंज, लखनऊ। 1350 "

(3) असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, लखनऊ। 500 "

(4) जनरल मैनेजर सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ। 400 "

(5) जोनल मैनेजर बैंक आफ इंडिया, 1 चर्च किशोर रोड, लखनऊ। 50 "

(6) रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक 10 अशोक मार्ग, लखनऊ (70 प्रतियां)
फूलबाग क्रासिंग पास रोड, कानपुर (70), 35, आयल मिल्स कालोनी सिविल लाइन, गोरखपुर (45), विश्वनाथ, रामलाखन रोड, आगरा (40), 18 मू रोड, इलाहाबाद (75), मेरठ 'ए' एवं बैंक 'बी' हापुर कचहरी रोड—(60-70 प्रतियां)। कुल 450

(7) रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया, एच 1/117/240, मोहल्ला, बरेली, (60), कृष्णा सिनेमा, मुख्य बाजार, पानीपुर टी०डी० कालेज के सामने जौनपुर (60), रथयात्रा क्रासिंग वाराणसी, (60), गोकुल भवन, मंडी बाजार, गाजियाबाद 1940 यू०पी०आर०एस०टी० के सामने मेरठ (60)। कुल 240 प्रतियां

(8) रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया 4—बी, हजरतगंज स्टेट, हजरतगंज, लखनऊ। 100 प्रतियां

(9) रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्सा बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, 2 राजेन्द्र प्लेस पूसा रोड, पटेल नगर, नई दिल्ली। 30 "

(10) असिस्टेन्ट अकाउन्ट मैनेजर, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, विधान सभा मार्ग, लखनऊ। 110 प्रतियां

(11) डिवीजनल मैनेजर, कैनरा बैंक, 91, चेम्बर्स लेन, एम०जी० रोड, आगरा-2। 50 "

(12) डिवीजनल मैनेजर, सिंडीकेट बैंक, 6, मानसिंह रोड मार्ग, रणजीत भवन, नई दिल्ली। 125 "

(13) डिवीजनल मैनेजर, देना बैंक, ओवरसीज बाजार नेहरू प्लेस,नई दिल्ली। 25 "

(14) जोनल मैनेजर, इंडियन बैंक, 1-ई, इंडेक्साक्ष प्रसार भवन के पास, दिल्ली-110055। 35 "

(15) असिस्टेन्ट डिवीजनल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, 6/41 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली। 50 "

(16) डिवीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहांगीराबाद पैलेस, अमीनाबाद मार्ग, अमीनाबाद लखनऊ-226001। 30 "

(17) डिवीजनल मैनेजर, कैनरा बैंक, प्रतिभा थियेटर के पास, लखनऊ। 50 "

आज्ञा से,
शिवानन्द गिरि,
संयुक्त सचिव।

No. G-3-1721 (सचिव)-308 /87

Copies forwarded for information and necessary action to :—

1. The A.G.-I, U.P., Allahabad. 10
2. The A.G. (Accounts) II, U.P. Allahabad. 150
3. The Accountant-General-I, Andhra Pradesh, Hyderabad-500476. 35
4. The Accountant-General Assam Shillong-793001. 25
5. The Accountant General, Meghalaya (MEGHALAYA), Arunachal Pradesh and Mizoram Shillong-793001. 15
6. The Accountant-General-I, Sihar P.O. Hindo-Ranchi-834002. 50
7. Bisconsun Bhawan, West Gandhi Maidan, Patna-800001. 15
8. The Accountant-General-I, Gujarat Ahmadabad-380001. 50
9. The Accountant-General, Haryana, S.C.O. nos. 1967-978 Sector 71c. Chandigarh-160047. 70
10. The Accountant-General, Himachal Pradesh and Chandigarh, Simla-171003. 80
11. The Accountant-General, Jammu and Kashmir, State Secretariat, Srinagar-19000. 50
12. The Accountant-General-II, Karnataka, Bangalore-56004. 20
13. The Accountant-General Kerala, Trivandrum-695001. 130
14. The Accountant-General-I, Madhya Pradesh, Jhansi Road, Gwalior-477002. 300
15. The Accountant-General-I, Maharastara 101, Maharshi Karve Road, Bombay-700020. 300
16. The Accountant-General-I, Maharashtra, West High Court Road, Nagpur-440001. 30
17. The Accountant-General, Manipur-Imphal-795001. 25
18. The Accountant-General, Nagaland Kohima-797707. 50
19. The Accountant-General, Orissa, Bhubaneshwar-751001. 120
20. The Accountant-General, Punjab, Sector-17, Chandigarh-160017. 100
21. The Accountant-General, Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur-302005. 250
22. The Accountant-General-I, Tamil Nadu, 51, Anasalai Teynampet, Madras-600018. 50
23. The Accountant-General, Tripura-Agartala-799001. 30
24. The Accountant-General West Bengal Treasury Building No. 2, Government Place, West Calcutta-700001. 5

25. The Accountant-General Sikkim Lower Secretariat Building No. 2, Gangtok-737101. 10

26. The Pay and Accounts Officer, Pondicherry. 10

27. The Director of Accounts Goa, Daman and Diu, Panaji, Goa-403001. 15

28. The Principal Account Officer, Delhi Administration, Vikas Bhawan, II Floor, New Delhi. 30

29. The Principal Account Officer, Office of the Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Room No. 134-141, Government of India, B-1, Extension Behind South Block, New Delhi. 10

शिवानन्द गिरि,
संयुक्त सचिव।

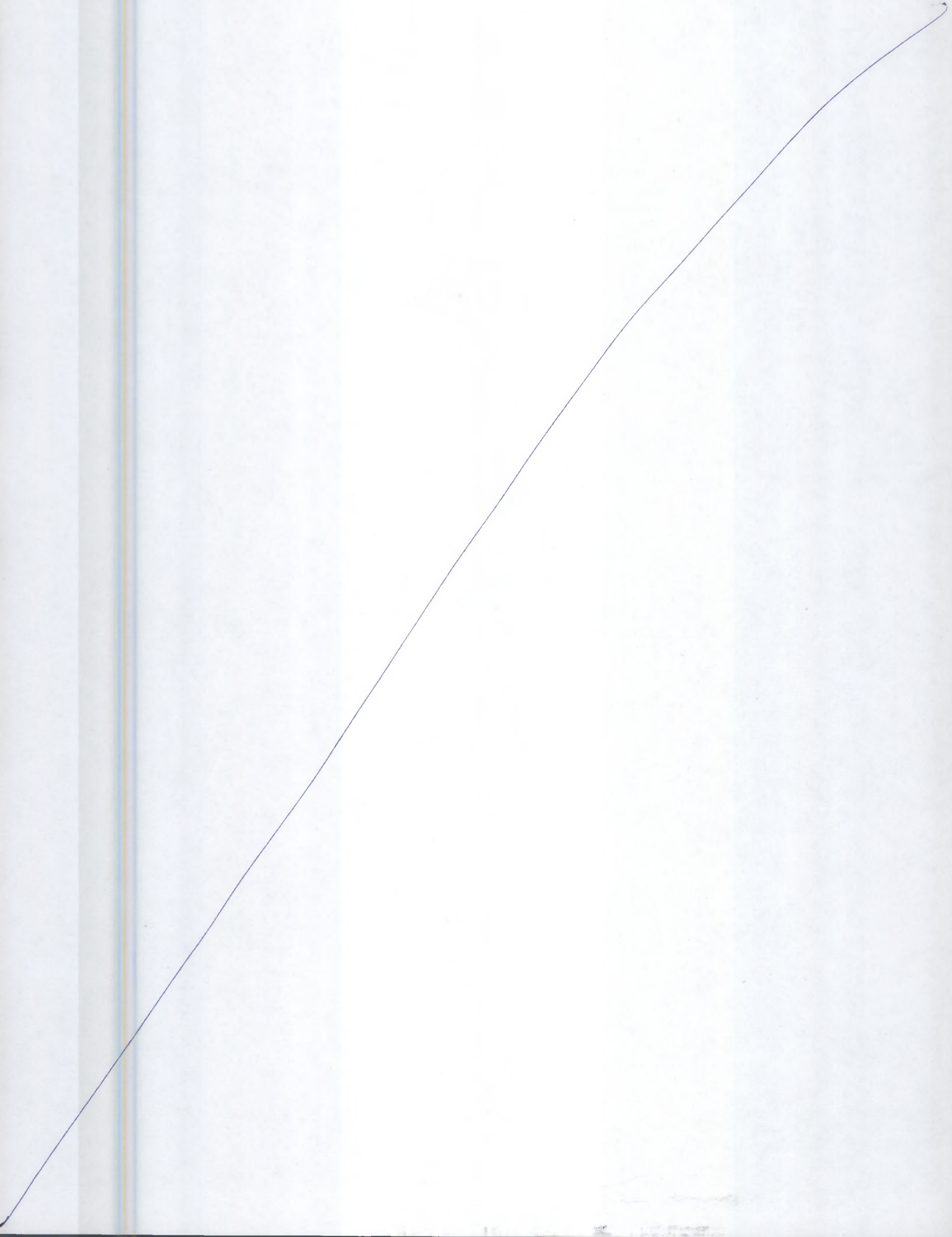

संख्या सा-3-103/दस-903/89

प्रेषक,

आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ, दिनांक 23 जुलाई, 1989 ।

विषय :- सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों के पेंशन प्रस्तावों के प्रेषण विषयक ।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा-3-2085/दस-907-76, दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 एवं शासनादेश संख्या-सा-3-559/दस-89-908-89, दिनांक 25 फरवरी, 1989 तथा शासनादेश संख्या सा-3-688/दस-89-908-89, दिनांक 13 मार्च, 1989 की ओर आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी० एस० आर० के अनुच्छेद 906 (1) में यद्यपि यह प्रविधान किया गया था कि प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी तथा पहली जुलाई को अपने अधीनस्थ कार्यरत ऐसे सभी राजपत्रित तथा अराजपत्रित सरकारी सेवकों की सूचियां तैयार कराकर जारी करा दें जो आगामी 24 माहों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं । तथापि शासन की जानकारी में यह बात लायी गयी है कि कुछ विभागाध्यक्ष महत्वपूर्ण प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही नहीं कर रहे हैं जिसके कारण यह जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है कि अगले दो-दो वर्षों में कितने सरकारी सेवक सेवानिवृत्त होने वाले हैं और ऐसे सरकारी सेवकों के पेंशन प्रपत्र संबंधित प्राधिकारियों ने प्रेषित कर दिया है अथवा नहीं । चूंकि इस संबंध में जारी शासनादेश संख्या सा-3-559/दस-89-908-89, दिनांक 25 फरवरी, 1989 में यह व्यवस्था की गयी थी कि सेवानिवृत्ति के तत्काल बाद भुगतान सुनिश्चित कराने हेतु शासन के समस्त सचिव तथा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ एवं वरिष्ठ अधिकारी को जो अधिष्ठान कार्य देखता हो, पेंशन प्रपत्रों की मानीटरिंग करने हेतु नोडल अधिकारी नामित करेंगे और उसकी सूचना वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 तथा पेंशन निदेशक को उपलब्ध करायेंगे । किन्तु शासन की जानकारी में यह बात लाई गयी है कि उक्त शासनादेशों की व्यवस्थाओं का अनुपालन कुछ विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है और निदेशक, पेंशन द्वारा इस संबंध में आयोजित बैठकों को नोडल अधिकारी एवं विभागाध्यक्षों द्वारा गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है । बैठकों में उनके द्वारा स्वयं भाग नहीं लिया जाता या तो वे अपना प्रतिनिधि भी नहीं भेजते हैं या तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज देते हैं जिससे मीटिंग का महत्व नष्ट हो जाता है । अतएव अनुरोध है कि पेंशन निदेशक द्वारा आयोजित बैठकों में संबंधित विभागों के नोडल अधिकारी स्वयं भाग लें, साथ ही सेवानिवृत्त लाभों के निस्तारण में प्रायोगिकता ली जाये तथा इस संबंध में निर्गत शासनादेशों का कृपया कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रभावी आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव ।

संख्या सा-3-103 (1)/दस-908-89

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-समस्त सचिव/प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन ।

2-महालेखाकार लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद ।

3-निदेशक, पेंशन निदेशालय इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

4-मुख्य लेखाधिकारी, उपभूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद, लखनऊ ।

5-मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ ।

6-मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव विधान सभा सचिवालय, लखनऊ ।

7-मुख्य लेखाधिकारी एवं उप सचिव विधान परिषद् सचिवालय, लखनऊ ।

8-मुख्य लेखाधिकारी पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद ।

9-मुख्य लेखाधिकारी शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

10-सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

11-निदेशक वित्तीय प्रबंध शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 107 सा0 चित्त-31-10-98 -(1496)-2,000 प्रतियां (आफसेट) ।

संख्या सा-3—984/दस-98-308/97

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 24 जुलाई, 1998।

विषय :—वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्गत कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 एवं सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997, कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा०-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997, एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1722/दस-309/97, दिनांक 23-12-97 निर्गत किये गये हैं। उक्त शासनादेशों में निहित कतिपय व्यवस्थाओं के संदर्भ में पेंशनर संघों एवं पेंशनरों के व्यक्तिगत संदर्भ एवं अनेकों विभागों द्वारा जिज्ञासा की गई है तथा स्थिति और स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है। अवशेष सभी प्राप्त संदर्भों पर सम्यक् रूप से विचारोपरान्त पुनः आवश्यक स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है :—

(1) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308/97, दिनांक 23-12-97 के संदर्भ में :—

इस कार्यालय-ज्ञाप के प्रथम 6(3) में यह व्यवस्था है कि दिनांक 1-1-96 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को परिवार में सम्मिलित माना जायेगा। यह भी व्यवस्था है कि यदि स्वर्गीय कर्मचारी के परिवार में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति नहीं है तो स्वर्गीय कर्मचारी के माता-पिता जो उस पर पूर्णरूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा। विभिन्न स्तरों से यह जिज्ञासा की गई है कि पूर्णतया आश्रित होने एवं जीविकोपार्जन से संबंधित मौलिक आय से क्या तात्पर्य है। यह भी जिज्ञासा की गई है कि विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को किस आयु तक पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी तथा कितनी प्रतिमाह आय तक के व्यक्तियों को उक्त लाभ अनुमन्य होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि माता-पिता तथा विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के बारे में 2550 रुपये प्रतिमाह से अधिक आय न हो, यह मानदण्ड होगा। माता-पिता दिवंगत कर्मचारी के पूरे वेतन के 30% की दर पर कुटुम्ब पेंशन प्राप्त कर सकेंगे, बशर्ते कि पेंशनतन राशि 1275 रुपये प्रतिमाह से कम न हो। जिनकी आय 2550 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं है, उन्हें इस आशय का वार्षिक प्रमाण-पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेंशन, उनके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा उससे पूर्व विवाह करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुदेय होगी।

पुत्र/पुत्रियों (विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों सहित) के सम्बन्ध में कुटुम्ब पेंशन इस शर्त के अध्यधीन होगी कि जब पात्र पुत्र/पुत्री अध्ययन, विवाह, अतिरोजगार इत्यादि में रोजगार पाने की अवधि 2550 रुपया प्रतिमाह अर्जित करने लगता है, तो पेंशन राशि कम/निरस्त हो जायेगी। यह भी आगे स्पष्ट किया जाता है कि पुत्रों/पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन उनके 25 वर्ष आयु प्राप्त करने या उनके विवाह/पुनर्विवाह इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुदेय होगी।

माता-पिता तथा विधवा/विधुर पुत्री को अनुज्ञेय कुटुम्ब पेंशन 1-1-1998 से प्रभावी होगी बशर्ते कि अन्य सभी शर्तें पूरी हों। इस आदेश के जारी/कार्यान्वयन होने से पहले 1-1-1998 के बाद जिन पुत्र/पुत्रियों को पहले से ही अर्जन शर्त के बिना कुटुम्ब पेंशन मंजूर कर दी गई उन मामलों को दुबारा न खोला जाए।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/पस-308/97, दिनांक 23-12-97 के प्रस्तर-9(2) के संदर्भ में यह जिज्ञासा की जा रही है कि औसत परिलब्धियों के 50% पर परिकलित पेंशन में महंगाई राहत की कौन सी धनराशि जोड़ी जायेगी। एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यालय-ज्ञाप के प्रस्तर-9(1) के अनुसरण में पेंशन की गणना के प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1436 तक के महंगाई भत्ते को परिलब्धियों के रूप में माना जायेगा तथा एक बार पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों के 50% पर कर ली जाती है (जिसमें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1436 तक महंगाई भत्ता सम्मिलित है) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1436 से 1510 तक महंगाई राहत अर्थात् महंगाई राहत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1436 से 1510 के बीच का अंतर, निर्धारित दर पर जोड़ा जायेगा। इस प्रकार प्राप्त धनराशि को पेंशन की धनराशि माना जायेगा।

(2) कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1721/पस-308/97, दिनांक-23-12-97 के संबंधित बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण :-

अतिरिक्त पेंशन की धनराशि जोड़कर पेंशन समेकन हेतु अनेकों पेंशनर्स/पेंशन लेने वालों द्वारा यह बात उठाई गई है कि कोषागार उनकी पेंशन की धनराशि का समेकन करते समय उनके पी० पी० ओ० पर अंकित एडीशनल पेंशन (अतिरिक्त पेंशन) की धनराशि को नहीं जोड़ रहे हैं जिसके फलस्वरूप उनकी पेंशन की धनराशि कम हो रही है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार ने उक्त दिशा में कोई निर्देश जारी नहीं किये हैं, अतएव कोषागार या अन्य ऐसी एजेन्सी जो पेंशन पुनरीक्षण हेतु प्राधिकृत है के द्वारा ऐसी कार्यवाही करना उचित नहीं है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा०-4-1120/पस-87-301/87, दिनांक 28-7-1987 के प्रस्तर-6.1 में इस प्रकार व्यवस्था है "वर्तमान पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन, पारिवारिक पेंशन, 1-1-1986 से निम्न धनराशियों को सम्मिलित करके समेकित की जायेगी :-

1—वर्तमान पेंशन/वर्तमान पारिवारिक पेंशन;

2—वर्तमान महंगाई राहत तथा

3—प्रस्तर-4 के अन्तर्गत आगणित अतिरिक्त राहत तथा प्रस्तर-5 के अन्तर्गत स्वीकृत अतिरिक्त पेंशन।

उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित धनराशि 1-1-1986 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन समझी जायेगी।" जिन पेंशनरों के पी० पी० ओ० महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद द्वारा वास्तविक आगणन के आधार पर पुनरीक्षित किये गये हैं, उनमें महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद ने एडिशनल पेंशन अलग लिख दिया है। जबकि वह मूल पेंशन का ही भाग है। ऐसी दशा में यह अनुरोध है कि जिन पी० पी० ओ० पर उपर्युक्तानुसार एडीशनल पेंशन अलग लिखकर धनराशि अंकित की गई है, उसे भी दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षण में सम्मिलित कर लिया जाए।

प्रस्तर-9.2

कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1721/पस-308/97, दिनांक 23-12-97 में प्रस्तर-9.1(3)(ii) को व्यवस्था के क्रम में प्रस्तर-9.2 निम्न प्रकार व्यवस्थित किया जाता है :-

दिनांक 1-1-1986 से 31-12-1995 की अवधि के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के अतिरिक्त अन्य अवधि के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन की पुनरीक्षण/समेकन इन आदेशों के अधीन दिनांक 1-1-1996 से अग्रिम व्यवस्था के आधार पर किया जाएगा, जिससे कि उन्हें तात्कालिक लाभ मिल सके। अतः अवधि के पेंशन अर्थात् दिनांक 1-1-86 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण/समेकन के बिन्दु पर अलग से विस्तृत आदेश जारी किये जायेंगे। जिस तिथि तक विस्तृत आदेश निर्गत नहीं होंगे, उस तिथि तक दिनांक 1-1-86 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन के पुनरीक्षण/समेकन इसी आदेशों के अधीन किया जाएगा।

2—अनुरोध है कि उपर्युक्त स्पष्टीकरण को कार्यालय-ज्ञाप की संबंधित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ा जाए एवं तदनुसार कार्यवाही की जाये।

भवदीय,

आलोक रंजन,

अविभ, बिहार।

संख्या सा-3-984(1)/दस-98-308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग — प्रत्येक को एक प्रति

2—सचिव, विधान सभा, परिषद्, विधान भवन, लखनऊ — प्रत्येक को 5 प्रतियां

3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ — 5 ,,

4—निदेशक पेंशन, उ०प्र०, इन्दिरा भवन, लखनऊ — 5 ,,

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई—400023 — 60 ,,

6—सूचना निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ को प्रचारार्थ — 5 ,,

7—उपसचिव, इला सेवा अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ — 5 ,,

8—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, स्वास्थ्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा जल निगम, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उ० प्र०, शिक्षा विभाग, उ०प्र०, इलाहाबाद उद्योग निदेशालय, कानपुर राजस्व परिषद् लखनऊ। — 5 ,,

वाणिज्य उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, चलचित्र प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, कला तथा शोध विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ, उ०प्र०, लखनऊ, विधायक सचिवीय प्राधिकरण, उ०प्र०, पशुचिकित्सक होम गार्डस, उ०प्र०, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ, महानिदेशक लेखा, उ०प्र०, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर—प्रत्येक को 5 प्रतियाँ

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
उपसचिव।

संख्या—सा-3-984—(1)/दस-98—308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विभाग, प्रधान कार्यालय, इलाहाबाद बैंक, लखनऊ — 3000 प्रतियां

2—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, एल० आर० सी०, इन्वेस्टमेन्ट बिल्डिंग, 45, हजरतगंज, लखनऊ — 1350 प्रतियां

3—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, लखनऊ — 300 प्रतियां

4—जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ — 400 प्रतियां

5—जोनल मैनेजर, बैंक आफ इंडिया, 1 नवल किशोर रोड, लखनऊ — 50 प्रतियां

6—रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ (75), फूलबाग क्लासिक माल रोड, कानपुर (70), 35 आवास विकास कालोनी, बरेलीरोड, शाहजहांपुर (50) विभवनगर, समसाबाद रोड, आगरा (45), 18, न्यू रोड देहरादून (75) मेरठ 'बी' इस्टर्न कचहरी रोड—(65—70) प्रतियां — कुल 450 प्रतियां

7—रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया, एच 1/117/340, पंडितनगर कानपुर (60), कृष्णा सिनेमहुआ बाग, गाजीपुर (60) टी० टी० कालेज के सामने जोधपुर (60), रमेशचन्द्र क्लाथिंग, वाराणसी (60), गोपाल भवन, मुर्दे बाजार, आजमगढ़ 1940, यू० पी० आर० एस० टी० के सामने मेरठ (60)

8—रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, 4—बी, हजरतगंज स्ट्रेट, हजरतगंज, लखनऊ

9—रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, रचना बिल्डिंग, 3rd फ्लार, 2 रामलाल प्लेस पूसा रोड, पटेल नगर, नई दिल्ली

10—असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, विधान सभा मार्ग, लखनऊ

11—डिवीजनल मैनेजर, केनरा बैंक, 71 पेज्स स्क्वर, यू० पी० रोड, आगरा-2

12—डिवीजनल मैनेजर, सिंडीकेट बैंक 6, पन्नालाल ग्रास मार्ग, सरोजनी भवन, नई दिल्ली

13—रीजनल मैनेजर, देना बैंक, ब्योडोर हाउस, मेडन लेन, नई दिल्ली

14—जोनल मैनेजर, इंडियन बैंक, 1-ई, झंडेवाला इस्टेट के पास दिल्ली-110055

15—असिस्टेन्ट डिवीजनल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, 644 डब्लू ई० ए० बालगन्धर्व ऐंड, करोलबाग, नई दिल्ली

16—रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ-226001

17—डिवीजनल मैनेजर, कैनरा बैंक, प्रतिभा बिल्डिंग के पास, लखनऊ

No. G-3-984—(III)/40-98—308/97

Copies forwarded for information and necessary action to :—

1. The A. G-I, U.P., Allahabad
2. The A. G. (Accounts) II, U.P., Allahabad
3. The Accountant-General-I, Andhra Pradesh, Hyderabad-500476
4. The Accountant-General, Assam Shillong-793001
5. The Accountant-General, Meghalaya (MEGHALAYA), Arunachal Pradesh and Mizoram Shillong-793001
6. The Accountant General-I, Bihar P.O. Hindo-Ranchi-834002
7. Bisoonnam Bhawan, West Gandhi Maidan, Patna-800001
8. The Accountant-General-I, Gujarat, Ahmedabad-380001
9. The Accountant-General, Haryana, S.C.O. nos. 1967-9/8 Sector 71C, Chandigarh-160017
10. The Accountant-General, Himanchal Pradesh and Chandigarh, Simla-171003
11. The Accountant-General, Jammu and Kashmir, State Secretariat, Srinagar-190001

12. The Accountant-General-II, Karnataka, Bangalore–560001	20 Copies
13. The Accountant-General-I, Kerala, Trivendrum-695001	130
14. The Accountant-General-I, Madhya Pradesh, Jhansi Road, Gwalior–777002	300
15. The Accountant-General-I, Maharashtra, 101, Mahanshi Karve Road, Bombay–700020	300
16. The Accountant-General-I, Maharashtra, West High Court Road, Nagpur–440001	30
17. The Accountant-General, Manipur-Imphal-795001	25
18. The Accountant-general, Nagaland-Kohima-797707	50
19. The Accountant-General, Orissa, Bhubaneshwar-751001.	120
20. The Accountant-General, Punjab, Sector-17, Chandigarh-160017	100
21. The Accountant-General, Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur-302005	250
22. The Accountant-General, Tamil Nadu, 61, Anasalai Teynampet, Madras-600018	50
23. The Accountant-General, Tripura/Agartala-799001	30
24. The Accountant-General, West Bengal Treasury, Building no. 2, Government Place, West Calcutta-700001	5
25. The Accountant-General, Sikkim Lower Secretariat Building no. 2, Gangtok-737101	10
26. The Pay and Accounts Officer, Pondicherry	10
27. The Director of Accounts Goa, Daman and Diu, Fazenda Panaji, Goa-403001	15
28. The Principal Account Officer, Delhi Administration, Vikas Bhawan, II Floor, New Delhi	15
29. The Principal Account Officer, Office of the Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Room no. 134—141, Government of India, B-1, Hutments Behind South Block, New Delhi	1

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

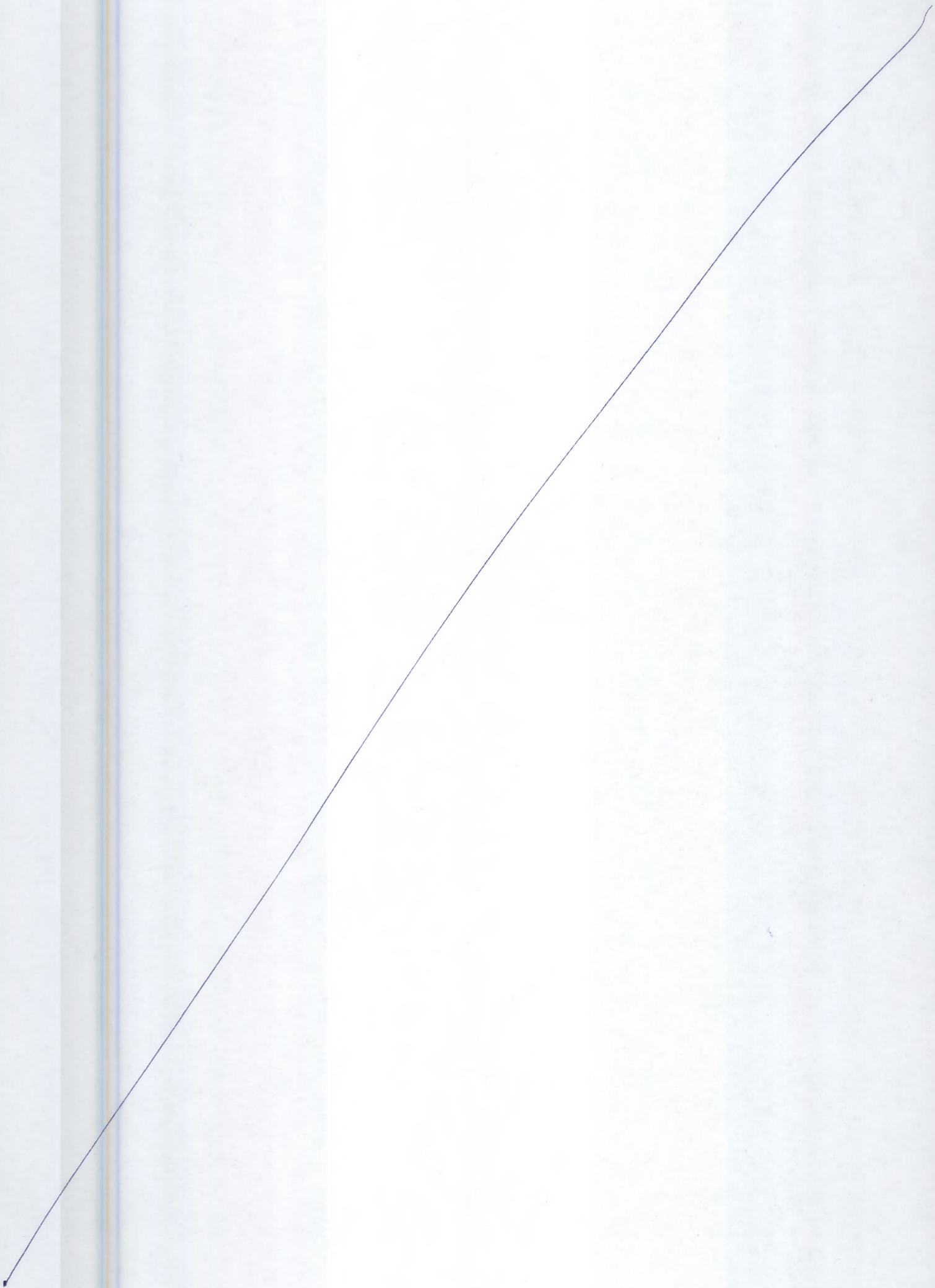

संख्या सा-3-926/दस-98-308-97 टी० सी०

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 1998

विषय :—वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 1997 को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप पेंशन/ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की पुनरीक्षित दरों पर भुगतान-स्पष्टीकरण।

महोदय,

नियम (प्रावधान) अनुभाग-3

उपरोक्त विषयक कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर 4, 5 एवं 7 में पेंशन, ग्रेच्युटी एवं पेंशन के राशिकरण के सन्दर्भ में पुनरीक्षण के आदेश निर्गत किए गए हैं। राज्य सरकार में प्रभावी सामान्य व्यवस्था के अधीन ग्रेच्युटी एवं राशिकरण की धनराशि का आहरण विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा करके सम्बंधित पेंशनर को भुगतान किया जाता है।

2—उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 की व्यवस्था दिनांक 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी की गई है। जो कर्मचारी दिनांक 1 जनवरी, 1996 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप तत्समय प्राप्त परिलब्धियों के आधार पर पेंशन आहरित कर रहा है तथा उसकी पेंशन के एक भाग का राशिकरण हो चुका है तथा उपादान की धनराशि भी प्राप्त कर चुका है। परन्तु कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 की व्यवस्था के अधीन उसकी पेंशन एवं ग्रेच्युटी का पुनरीक्षण किया गया है तथा पुनरीक्षित पेंशन के 40 प्रतिशत की धनराशि की सीमा तक राशिकरण भी अनुमन्य है। पेंशन के 40 प्रतिशत भाग के राशिकरण की प्रभावी होने की तिथि वही रहेगी जैसी कि पहली बार पेंशन राशिकरण के समय थी, यदि पेंशनर ने कोई अन्यथा विकल्प न दिया हो।

3—उपरोक्त वर्णित व्यवस्था के अधीन कार्यवाही करने के फलस्वरूप स्थिति यह हो रही है कि जो पेंशनर दिनांक 1 जनवरी, 1996 से अथवा उसके बाद अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि से पेंशन आहरित कर रहा है और कालान्तर में पूर्व से किए गए पेंशन के 1/3 भाग के राशिकरण के अतिरिक्त पुनरीक्षित पेंशन के 40 प्रतिशत की धनराशि की सीमा तक राशिकरण कराने का विकल्प देता है उन प्रकरणों में चूँकि पेंशन की धनराशि का पूरी दर पर भुगतान हो चुका है जबकि 40 प्रतिशत राशिकरण कराने के फलस्वरूप उसकी पेंशनर को पूर्व राशिकरण की तिथि से कम की जानी है पेंशन की धनराशि का भुगतान कोषाधिकारी स्तर से पेंशन की पूरी दर पर हो रहा है और पुनरीक्षित ग्रेच्युटी एवं पुनरीक्षित दर पर राशिकरण की धनराशि का आहरण एवं भुगतान विभागाध्यक्ष स्तर से किया जा रहा है। चूँकि कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर पेंशन भुगतान के संदर्भ में स्थिति की जानकारी नहीं होती है, इसलिये इसके समायोजन में कठिनाई हो रही है। इस समस्या पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है एवं पुनरीक्षित उपादान की धनराशि का भुगतान विभाग स्तर पर आहरित करने के बजाय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्वीकृति आदेश सम्बंधित कोषाधिकारी को प्रेषित करेंगे और यह भी निर्देशित करेंगे कि पेंशन राशिकरण व उपादान की धनराशि से पेंशन के रूप में भुगतान की गयी अधिक धनराशि को एक मुश्त समायोजित/वसूल कर लेंगे। जिन मामलों में ग्रेच्युटी तथा राशिकरण का भुगतान किया जा चुका है उन प्रकरणों में पेंशन की धनराशि से मासिक किस्तों में वसूली की जाय जिनकी मासिक किस्तें न्यूनतम 10 व अधिकतम 20 निर्धारित कर दी जायें।

4—उपरैक्त प्रस्तर-3 की व्यवस्था केवल कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के संदर्भ में ही लागू होगी।

भवदीय,

आलोक रंजन,
सचिव।

संख्या सी-3-926(1)/एस-08-308-97 टी० सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4—समस्त मण्डलायुक्त/मण्डल कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5—समस्त जिला/मण्डल/क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

6—निदेशक, राज्य वित्त संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—निदेशक, कोषागार प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8—निदेशक, राज्य वित्त संस्थान, उत्तर प्रदेश, 24/1, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।

9—निदेशक, प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

10—उप सचिव, वित्त (सेवा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

हिमांशु दीक्षित,

उपसचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामा-4) अनुभाग-3

संख्या-वि-3-607/दस-308/97

लखनऊ : दिनांक 5 मई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :-दिनांक 1-1-1996 के पूर्व की अवधि में सरकारी कर्मियों द्वारा आहरित पुराने वेतन का 40% संशोधित वेतन में जोड़कर लाभ देने हेतु।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-वि-3-1720/दस-308-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर-8 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-

"8-जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनकी सेवानिवृत्ति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :-

(क) जिस अवधि में पुराने वेतनमान में वेतन आहरित किया है उस अवधि का मूल वेतन तथा उस पर देय महंगाई भत्ता एवं अन्तरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किस्त जो 1-1-1996 को लागू थी, और

(ख) जिस अवधि में वेतन पुनरीक्षित हो गया है उसके पुनरीक्षित मूल वेतन की गणना।

उपरोक्त प्रस्तर-8 (क) की व्यवस्था में दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के सभी की अवधि में आहरित वेतन की गणना की 40% प्रतिशत के बराबर धनराशि जोड़कर अन्तिम 10 माह के औसत निकालने की व्यवस्था रही है।

2-उपरोक्त उल्लिखित व्यवस्था पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने उक्त व्यवस्था के स्थान पर निम्न व्यवस्था स्थापित करने के आदेश दिए हैं :-

3-(क) जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये हैं उनकी सेवानिवृत्ति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी।

(1) मूल वेतन (वेतनवृद्धियों सहित, यदि मध्यवर्ती अवधि के दौरान आहरित की गयी)

(2) महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 तक अर्थात् मूल वेतन के 148%, 111% और 96%, की दर से जैसा भी मामला हो।

(3) संगत अवधि के दौरान आहरित मूल वेतन पर अन्तरिम राहत की समुचित पहली और दूसरी किस्तें।

(4) पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन पर 40% निर्धारित लाभ देते हुए मूलवेतन में वैधानिक वृद्धि।

(ख) उस अवधि हेतु जिसमें वेतन संशोधित वेतनमान में आहरित किया गया :-

उन महीनों के मूल वेतन का पूर्णयोग जिसमें संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित किया गया।

अन्तिम 10 माह के औसत वेतन की गणना उपरोक्त 8(क) (1), (2), (3), (4), एवं 8(ख) की मदों को जोड़कर की जायेगी।

3-उपरिवर्णित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन संशोधन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा सम्पादित की जायेगी। 40% धनराशि को जोड़कर (जहां अनुमन्य हो) पेंशन पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही हेतु सम्बन्धी कर्मचारी द्वारा नये आवेदन-पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा उक्त व्यवस्था उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी, 1996 से 30 सितम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हों। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी संशोधित प्राधिकार पत्र संबंधित कोषाधिकारी को यथाशीघ्र भेजेंगे।

4-वित्त विभाग की सुविधा हेतु उदाहरण उपलब्ध है।

5-कार्यालय-ज्ञाप संख्या सं-3-1720/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 के प्रस्तर 8 (क) एवं (ख) की व्यवस्था उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये।

6--समस्त कोषाधिकारियों/बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उपरोक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

विजय कुमार शर्मा
सचिव, वित्त।

सेवा में,

1-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

उदाहरण

पूर्व संशोधित वेतनमान (1-1-1996 से पूर्व)	2200-4000 रु०
तदनुरूप संशोधित वेतनमान (1-1-1996 से)	8000-13500रु०
पूर्व संशोधित वेतनमान में वेतन-वृद्धि की तारीख	1 जून, 1995
पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन, मई 1995 तक	3400 रु०
जून से दिसम्बर, 1995 तक	3500 रु०
सेवानिवृत्ति की तारीख	31 जनवरी, 1996

(क) पूर्व संशोधित वेतनमान में आहरित परिलब्धियाँ :-

1 अप्रैल, 1995 से 30 अप्रैल, 1995	
मूल वेतन	3400 रु०
महंगाई भत्ता उ०मु०सू० 1510 (इस रूपले में 148% की दर से)	5032 रु०
अंतरिम राहत (I) और (II) (100 रु०+मूल का 10%)	440 रु०
निर्धारण संबंधी लाभ (मूल वेतन का 40%)	1360 रु०
कुल	10232 रु०
2 महीने (अप्रैल और मई, 1995) की कुल परिलब्धियाँ (10232 रु० x 2 =	20464 रु०
(ब) 1 जून, 1995 से 30 जून, 1995	
मूल वेतन	3500 रु०
महंगाई राहत उ०मु०सू० 1510 (इस रूपले में 148% की दर से)	5180 रु०
अंतरिम राहत (I) और (II) (रु० 100+मूल वेतन का 10%)	450 रु०
निर्धारण संबंधी लाभ (मूल वेतन का 40%)	1400 रु०
कुल	10530 रु०
7 महीने की कुल परिलब्धियाँ (अर्थात् जून से दिसम्बर, 1995) 10530x7 =	73710 रु०

(ङ) संशोधित वेतनमान में आहरित परिलब्धियाँ

1 जनवरी, 1996 से 31 जनवरी, 1996 तक (एक महीना)

मूल वेतन 10750 रु०

एक महीने की कुल परिलब्धियाँ 10750 रु०

(च) 10 महीने की कुल परिलब्धियाँ=
क (ङ) × क (ङ) 4 (ख) 104024 रु०

(छ) औसत परिलब्धियाँ=104024/10 10402 रु०

वार्षिक पूर्ण पेंशन (औसत परिलब्धियों का 50% अर्थात् ख का 50%) 10402 रु०
2 5246 रु०

टिप्पणी : (क) पूर्ण संशोधित वेतनमान के मूल वेतन में मूल वेतन का 40% निर्धारण लाभ जमा होगा।

(ख) वास्तविक आहरित महंगाई भत्ते के स्थान पर रु०पू०व० 1510 की दर से महंगाई राहत मूल वेतन के विशेष लाभ के तुल्यांगत होगी।

संख्या-सा-3-697(1)/दस-308/97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-सचिवालय के समस्त अनुभाग प्रत्येक को एक प्रति

2-सचिव, विधान सभा, परिषद्, विधान भवन, लखनऊ प्रत्येक को 5 प्रतियां

3-निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ 5 प्रतियां

4-निदेशक, पेंशन रु०प्र० इन्दिरा भवन, लखनऊ 5 प्रतियां

5-मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, बम्बई-400023 60 प्रतियां

6-सूचना निदेशक, उ०प्र० लखनऊ को प्रचारार्थ 5 प्रतियां

7-मुख्य लेखाधिकारी, पुलिस मुख्यालय, उ०प्र०, इलाहाबाद 5 प्रतियां

8-मुख्य लेखाधिकारी, शिक्षा विभाग, उ०प्र० इलाहाबाद 5 प्रतियां

9-वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ०प्र०, कानपुर 5 प्रतियां

10-अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त (लेखा) राजस्व परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ 5 प्रतियां

11-अपर सचिव, वित्त चेक अनुभाग, सचिवालय लखनऊ 5 प्रतियां

12-मुख्य लेखाधिकारी सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजलीघर विभाग, खाद एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा जल विभाग, लखनऊ 5 प्रतियां

वाणिज्य उद्योगन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, खनिज प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कानपुर, उ०प्र०, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियां,उ०प्र०, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उ०प्र०, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उ०प्र०, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उ०प्र०, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उ०प्र०, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर। —प्रत्येक को 5 प्रतियां

आज्ञा से,

शिव प्रसाद,

संयुक्त सचिव।

संख्या-सा-3-697(11)/दस--308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-भारतीय स्टेट बैंक, सामान्य विभाग, प्रधान कार्यालय कानपुर कोर्ट, लखनऊ।	3000 प्रतियां
2-असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, बैंक आफ बड़ौदा, एस०बी०आई०सी० इन्वेस्टमेन्ट बिल्डिंग, 45, हजरतगंज, लखनऊ।	1350 प्रतियां
3-असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, इलाहाबाद बैंक, हजरतगंज, लखनऊ।	500 प्रतियां
4-जनरल मैनेजर, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।	400 प्रतियां
5-जोनल मैनेजर, बैंक आफ इंडिया, 1, नवल किशोर रोड, लखनऊ।	50 प्रतियां
6-रीजनल मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ पंजाब फाइनेंस फाल रोड, कानपुर (70), 35, आवास विकास कालोनी, बेतियाहाता, गोरखपुर, (45) विश्वनगर, सम्साबाद रोड, आगरा (40), 18 न्यू रोड देहरादून (75) मेरठ 'ए' एवं मेरठ 'बी' इस्टर्न कचहरी रोड-- 60-70 प्रतियां।	कुल 450 प्रतियां
7-रीजनल मैनेजर, यूनियन बैंक आफ इंडिया, एच 1/117/240, पांडुनगर, कानपुर (60), कृष्णा विलास महुआ बाग, गाजीपुर, डी०डी० कालेज के सामने जौनपुर (60) रथयात्रा क्रासिंग, वाराणसी (60) गौधल भवन, पांडे बाजार, आजमगढ़ 1940, यू०पी०आर०एस०टी० के सामने मेरठ (60)।	कुल 240 प्रतियां
8-रीजनल मैनेजर, यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, 4--बी, इंदौलाल स्टेट, हजरतगंज, लखनऊ।	100 प्रतियां
9-रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, रचना बिल्डिंग 3rd फ्लोर, 2 एक्सटेंशन एरिया पूसा रोड पटेल नगर, नई दिल्ली।	30 प्रतियां
10-असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।	110 प्रतियां
11-डिवीजनल मैनेजर, कैनरा बैंक, 71 नेहरू नगर, एम० जी० रोड, आगरा-2।	50 प्रतियां
12-डिवीजनल मैनेजर, सिंडीकेट बैंक 6, भगवान दास मार्ग, सरोजिनी भवन, नई दिल्ली।	125 प्रतियां
13-रीजनल मैनेजर, देना बैंक, ज्योडोर हाउस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।	35 प्रतियां
14-जोनल मैनेजर, इंडियन बैंक, 1-ई, झंडेवाला प्रसारनाथ के पास दिल्ली-110 055	35 प्रतियां
15-असिस्टेन्ट डिवीजनल मैनेजर, बैंक आफ महाराष्ट्र, 6/44 डब्लू०ई०ए० आजाद रोड, करोलबाग, नई दिल्ली।	50 प्रतियां
16-रीजनल मैनेजर, इंडियन ओवरसीज बैंक, जहांगीराबाद मैंसन, अशोक मार्ग हजरतगंज, लखनऊ--226001।	50 प्रतियां
17-डिवीजनल मैनेजर, कैनरा बैंक, प्रतिभा थियेटर के पास, लखनऊ।	50 प्रतियां

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

No. C-3-697 (III)/88-302/97

Copies forwarded for information and necessary action to:—

1.	The A. G.-I, U.P. Allahabad.	10
2.	The A. G. (Accounts) II, U.P., Allahabad.	150
3.	The Accountant-General-I, Andhra Pradesh, Hyderabad-500476	35
4.	The Accountant-General, Assam Shillong-793001.	25
5.	The Accountant-General, Meghalaya (MEGHALAYA), Arunachal Pradesh and Mizoram Shillong-793001.	15
6.	The Accountant-General-I, Bihar P.O. Hindo-Ranchi-834002.	50
7.	Bisoosnaun Bhawan, West Gandhi Maidan, Patna-800001.	15
8.	The Accountant-General-I, Gujarat Ahmedabad-380001.	50
9.	The Accountant-General, Haryana, S.C.O. nos. 1967-9/8 Sector 21c, Chandigarh-160017.	70
10.	The Accountant-General, Himanchal Pradesh and Chandigarh, Simla-171003.	80
11.	The Accountant-General, Jammu and Kashmir, State Secretariat, Srinagar-19000.	50
12.	The Accountant-General-II, Karnataka, Bangalore-56001.	20
13.	The Accountant-General-I, Kerala, Trivendrum-695001	130
14.	The Accountant-General-I, Madhya Pradesh, Jhansi Road, Gwalior-777002.	300
15.	The Accountant-General-I, Maharashtra, 101, Maharshi Karve Road, Bombay-700020.	300
16.	The Accountant-General-I, Maharashtra, West High Court Road, Nagpur-440001.	30
17.	The Accountant-General, Manipur-Imphal-795001.	25
18.	The Accountant-General, Nagaland-Kohima-797707.	50
19.	The Accountant-General, Orissa, Bhubaneshwar-751001.	120
20.	The Accountant-General, Punjab, Sector-17, Chandigarh-160017.	150
21.	The Accountant-General, Rajasthan, Bhagwan Das Road, Jaipur-302005.	250
22.	The Accountant-General, Tamil Nadu, 61, Annasalai Teynampet, Madras-600018.	50
23.	The Accountant-General, Tripura-Agartala-799001.	30
24.	The Accountant-General, West Bengal Treasury Building No. 2, Government Place, West Calcutta-700001.	5
25.	The Accountant-General, Sikkim Lower Secretariat Building No. 2, Gangtok-737101.	10

26.	The Pay and Accounts Officer, Pondicherry.	10
27.	The Director of Accounts Goa, Damman and Diu, Fazenda Panaji, Goa—403001.	15
28	The Principal Account Officer, Delhi Administration, Vikas Bhawan, II Floor, New Delhi.	15
29.	The Principal Account Officer, Office of the Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Room No. 134--141, Government of India, B-I, Hutments Behind South Block, New Delhi.	1

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

संख्या सा-3-1929/दस-348-97

सेवा में,

कुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

तथा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2000

विषय : कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-1998 एवं शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300-99, दिनांक 13-4-200 एवं शासनादेश संख्या सा-3-697-दस-308/97, दिनांक 5-5-2000 के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

दिनांक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संदर्भ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-1998 निर्गत किया गया है। शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनरों की पेंशन की धनराशि दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति की तिथि को कर्मचारी ने 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। इसी प्रकार से दिनांक 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त दिवंगत कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन की धनराशि, अन्तिम आहरित वेतन के 30% से कम नहीं होगी। कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-697/दस-300/97, दिनांक 5-5-2000 में यह व्यवस्था दी गयी है कि जो कर्मचारी दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु दिनांक 30-9-1996 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और पुनरीक्षित वेतनमान को चुनने का विकल्प दिया है, परन्तु 10 माह का औसत वेतन प्राप्त नहीं कर सके हैं, उन्हें दिनांक 1-1-1996 के पूर्व अवधि में आहरित वेतन के 40% का हेडक दे दिया जाए।

2—उपरोक्त वर्णित कार्यालय-ज्ञापों एवं शासनादेशों के संदर्भ में शासन को विभिन्न स्रोतों से अनेक शिकायत/प्रतिवेदन संदर्भित हुए जिन पर सक्षम विचारोपरान्त उसे निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत करने के निदेश हुए हैं :—

1—कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-1998 के अधीन सामान्य-पत्र देने हेतु—

उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-8-1998 के अधीन दिनांक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रशासकीय, वित्त, इलाहाबाद को प्रेषित किया जाना था। अनेक स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार एकमुश्त धनराशि द्वारा बहुत से ऐसे मामलों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करके संशोधित पी०पी०ओ० निर्गत किये गये हैं और बहुत बड़ी संख्या में पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी भी नहीं हो सका है। जिन पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हो पाया है, उन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के साथ संलग्न अनुबन्ध-1 एवं 2 (जो भी लागू हो) पर अपना आवेदन-पत्र भरकर उसमें मांगी गयी अपेक्षानुसार प्रेषित करने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी को ऐसे आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त, संबंधित पेंशनर पूर्व में लागू नियम के अनुसार कार्यवाही आगे के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ऐसे प्रथम आवेदन-पत्र निर्गत होने के 60 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिये जायें। यदि कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के

[illegible] अनुबन्ध-3

अनुसार पेंशन पुनरीक्षित किये जाने के 06 माह के भीतर कार्यालयाध्यक्ष से शासनादेश दिनांक 24-8-1998 के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित प्राधिकार-पत्र आ जाता है तो कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश 13-4-2000 को न्यूनतम सीमा का संरक्षण किया जाना (पूर्ण सेवा पेंशन, वेतनमान के न्यूनतम के 50% तथा कम सेवा होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम एवं पारिवारिक पेंशन नये वेतनमान के न्यूनतम का 30%) सुनिश्चित करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही करेंगे।

2—शासनादेश संख्या सी-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के संदर्भ में—

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ विभागाध्यक्षों के यहां उक्त शासनादेश दिनांक 13-4-2000 का लाभ केवल 1-1-1986 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों को पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु ही किया जा रहा है और अन्य अवधि में सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि उक्त शासनादेश केवल दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 के मध्य सेवानिवृत्त/मृत सरकारी सेवकों पर लागू है। अतः के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर-1 की व्यवस्था दिनांक 1-1-1986 से 31-12-95 के मध्य सेवानिवृत्त/ दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु है तथा प्रक्रिया का विस्तृत विवरण शासनादेश के भाग-एक में दिया गया है। इसी शासनादेश के पृष्ठ-1 के प्रस्तर-2 में दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों चाहे वे कभी भी सेवानिवृत्त हुए हों, की पेंशन पुनरीक्षण की व्यवस्था निहित है। इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख शासनादेश के भाग-2 में दिया गया है। अतः जिन पेंशनभोगियों की पेंशन पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रस्तर-2 के अनुसार किया जाना है उनमें समयबद्ध गति से कार्यवाही की जाये।

2(I)—शासनादेश संख्या सी-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह आदेश प्रचारित है कि दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में कर्मचारी के पेंशन उसके पद के वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी बशर्ते कि कर्मचारी को अर्हकारी सेवा 33 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यह जिज्ञासा की गयी है कि उपरोक्त प्रावधान के संशोधन के फलस्वरूप क्या पेंशन के अंतर की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा जो पूर्व पेंशन तथा उसके राशिकृत भाग के अनुपात में ही अनुमन्य होगा। (उल्लेखनीय है कि राशिकरण विषयक 1-1-1996 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मूल पेंशन का अधिकतम 40% ही अनुमन्य है) और यह अनुपात अंतर की धनराशि के एक भाग के राशिकरण हेतु परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। राशिकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :—

क—कोषाधिकारी द्वारा पेंशन का पुनरीक्षण किया जायेगा।

ख—उपरोक्त (क) के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन और पूर्वतया स्वीकृत पेंशन की धनराशि के अंतर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण कराने के इच्छुक पेंशनर अपने पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र देंगे। पेंशन स्वीकर्ताधिकारी उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर परीक्षण करके पेंशन राशिकरण के भुगतान का प्राधिकार-पत्र निर्गत करेंगे।

ग—राशिकरण का मूल्य वही रहेगा जैसा कि मूल राशिकरण स्वीकृत करते समय उसकी आयु के आधार पर अनुमन्य था।

घ—शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अन्तर की धनराशि का राशिकरण कराने के लिये स्वास्थ्य परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

ङ—उपरोक्त प्रकार के राशिकरण के मामलों में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जायेगी तथा राशिकृत धनराशि के पुनर्स्थापन हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जाएगी। अर्थात् इस प्रकार के मामलों में राशिकरण के पुनर्स्थापन की दो तिथियां होंगी अर्थात् पहली तिथि मूल पेंशन के राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्तमान राशिकरण के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष होगी।

च—यदि किसी मामलों में पुनरीक्षण पेंशन के एक अंश का राशिकरण कराने का विकल्प देने से पूर्व पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है/हो जाती है तो उसके परिवार को राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

2(II)—शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के भाग-1 के प्रस्तर-9 एवं भाग-2 के प्रस्तर-1(III) में यह व्यवस्था है कि कोषाधिकारी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का संशोधन करके उसकी एक प्रति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से भेजेंगे कि वे किये गये संशोधन के सही/गलत होने की पुष्टि 6 माह की अवधि में कर दें। इस संदर्भ में पुनर्विचार किया गया और यह पाया गया कि क्योंकि दिनांक 1-8-1985 से अनै:-अनै: पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार महालेखाकार उत्तर प्रदेश से लेकर संबंधित विभागों को दिया जा चुका है, अतएव संशोधित प्राधिकार-पत्र की प्रति उसी अधिकारी को भेजेंगे जिनके द्वारा मूल भुगतानादेश निर्गत किये गये हैं, अर्थात् यदि मूल भुगतानादेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निर्गत किये हैं तो महालेखाकार उत्तर प्रदेश को अन्यथा अन्य उस अधिकारी को जिसने भुगतानादेश निर्गत किये हैं जो 6 माह के अन्दर पेंशन पुनरीक्षण के सही/गलत होने की पुष्टि संबंधित कोषाधिकारी को करेंगे।

2 (III)—शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के भाग-2 के प्रस्तर-1 में व्यवस्था है कि "दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों के मामलों में पूर्ण पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किये बिना, पेंशनभोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले सम्बन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1-1-1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 30% से कम नहीं होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भविष्य में किसी कर्मचारी के अन्तिम दस माह के औसत के आधार पर पूर्ण पेंशन उसके 1-1-1996 के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम आती है तो उसे मूल प्राधिकार-पत्र निर्गत करते समय ही इस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा, किन्तु अर्हकारी सेवा पूर्ण (33 वर्ष) न होने पर यह अनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जायेगी। यही प्रक्रिया पारिवारिक पेंशन हेतु अपनायी जायेगी।

3—शासनादेश संख्या-सा-3-697/दस-308/97, दिनांक 5-5-2000 के संदर्भ में—

दिनांक 1-1-1996 से जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये हैं उन्हें दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के माहों में आहरित वेतन पर 40% वेटेज का लाभ नहीं दिया गया था। जिसके फलस्वरूप 10 माह के औसत वेतन की धनराशि कम हो रही थी और पेंशन में हानि हो रही है। शासनादेश दिनांक 5-5-2000 से उक्त प्रकार के मामलों में औसत वेतन की गणना हेतु 40% का लाभ दे दिया गया है। अतएव ऐसा विश्वास किया जाता है कि कर्मचारी को पेंशन में हो रही हानि की पूर्ति हो जायेगी, परन्तु यह भी संभावना है कि कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें 40% वेटेज का लाभ देने के उपरान्त भी पुनरीक्षित पूर्ण पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% तक न पहुंचे। अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन पुनरीक्षित करते समय यदि ऐसी स्थिति आती है कि 40% वेटेज का लाभ देने के बावजूद भी पूर्ण पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम आती है तो उसे 50% तक कर दिया जाए। यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जाएगी। संबंधित प्राधिकारी पेंशन संशोधित करते समय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

संख्या सा–3–1029(1)/दस–398-97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2—सचिव, विधान सभा, विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—उप सचिव, इस्ला चेक अनुभाग।

8—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

9—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

संख्या: सा-3-1499/दस/2000

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सं0: वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2000

विषय: <u>असाधारण पेंशन नियमावली-1961 के अधीन स्वीकृत पेंशनों के संशोधन हेतु।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: पे0नि0/102/16188/3773/2000/1291 दिनांक 13.09.2000 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 31.12.1995 को जो असाधारण पेंशन सम्बन्धित पेंशनर को प्राप्त हो रही थी उसके दो अंश थे:-

1. अन्तिम आहरित वेतन में मूल वेतन का अंश।
2. उस पर देय महंगाई भत्ता/अन्तरिम सहायता।

असाधारण पेंशन के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में अन्तिम आहरित वेतन के मूल वतन के अंश को ही मूल पेंशन मानते हुए शासनादेश संख्या: सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23.12.1997 के अनुसार इसका पुनरीक्षण किया जायेगा। अर्थात् ऐसी मूल पेंशन पर 1510 मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत (148%, 111% अथवा 96% जैसी भी स्थिति हो) तथा अन्तरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किश्त एवं ऐसी मूल पेंशन का 40% अतिरिक्त धनराशि जोड़कर जो धनराशि आयेगी वह 01.01.1996 से मूल असाधारण पेंशन मानी जायेगी और भविष्य में इसी पर यथा अनुमन्य महंगाई राहत देय होगी। कृपया तदनुसार ही पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि आप कृपया अपने स्तर से समस्त कोषाधिकारियों को असाधारण पेंशन के पुनरीक्षण के मामले में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के निर्देश देने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)

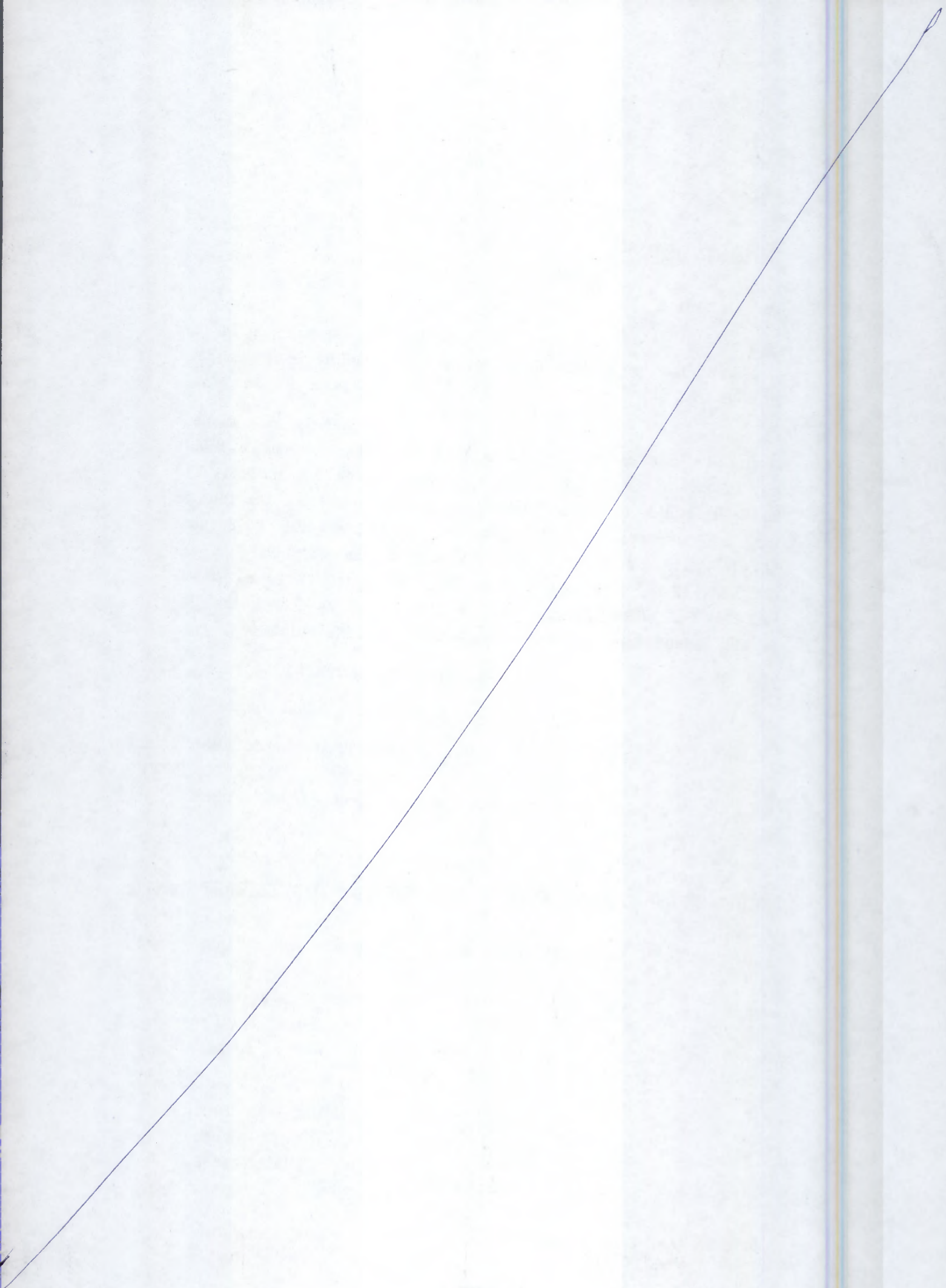

संख्या सा-3-1723/दस-2000-308 (8)/2000

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 10 अक्टूबर, 2000

विषय :—दिनांक 1-1-1996 के पूर्व अनन्तिम रूप से स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों में दिनांक 1-1-1996 से महंगाई राहत स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

शासन के सम्मुख कुछ ऐसे प्रकरण संदर्भित हुए हैं जिनमें दिनांक 1-1-1996 के पूर्व कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरुद्ध प्रशासकीय/विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लम्बित होने के कारण केवल अनन्तिम पेंशन ही स्वीकृत की गयी है। कार्यवाही लम्बित होने के कारण अन्तिम रूप से पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी है जिसके फलस्वरूप दिनांक 1-1-1996 से नई दरों पर महंगाई राहत की अनुमन्यता नहीं हो पा रही है, क्योंकि महंगाई राहत की गणना/अनुमन्यता दिनांक 1-1-1996 से नई दरों पर की गयी है।

2—उपर्युक्त संदर्भित विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे प्रकरणों में जब तक अन्तिम पेंशन दिए जाने का निर्णय नहीं हो जाता है तब तक मिल रही अनन्तिम पेंशन (पुरानी दर पर) की धनराशि पर अनुमन्य दिनांक 1-1-1996 की महंगाई राहत, तथा अन्तरिम सहायता की प्रथम तथा द्वितीय किश्त की धनराशि के योग पर दिनांक 1-1-1996 से अनुमन्य दर पर महंगाई राहत अनुमन्य कराई जाए। परन्तु किसी भी दशा में उपरोक्त प्रकार से कार्यवाही करने में पेंशन की धनराशि के 40% वेटेज का लाभ न दिया जाए। पेंशन की धनराशि के 40% वेटेज दिए जाने का लाभ अन्तिम पेंशन स्वीकृत किए जाने पर ही दिया जाएगा।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

संख्या सा-3-1723 (1)/दस-2000-308 (8)/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3—समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय।
7—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
8—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10—समस्त मंडलीय संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
11—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 89 सा० वित्त—28-10-2000—(2245)—12,000—(अफ्सेट/आफसेट)।

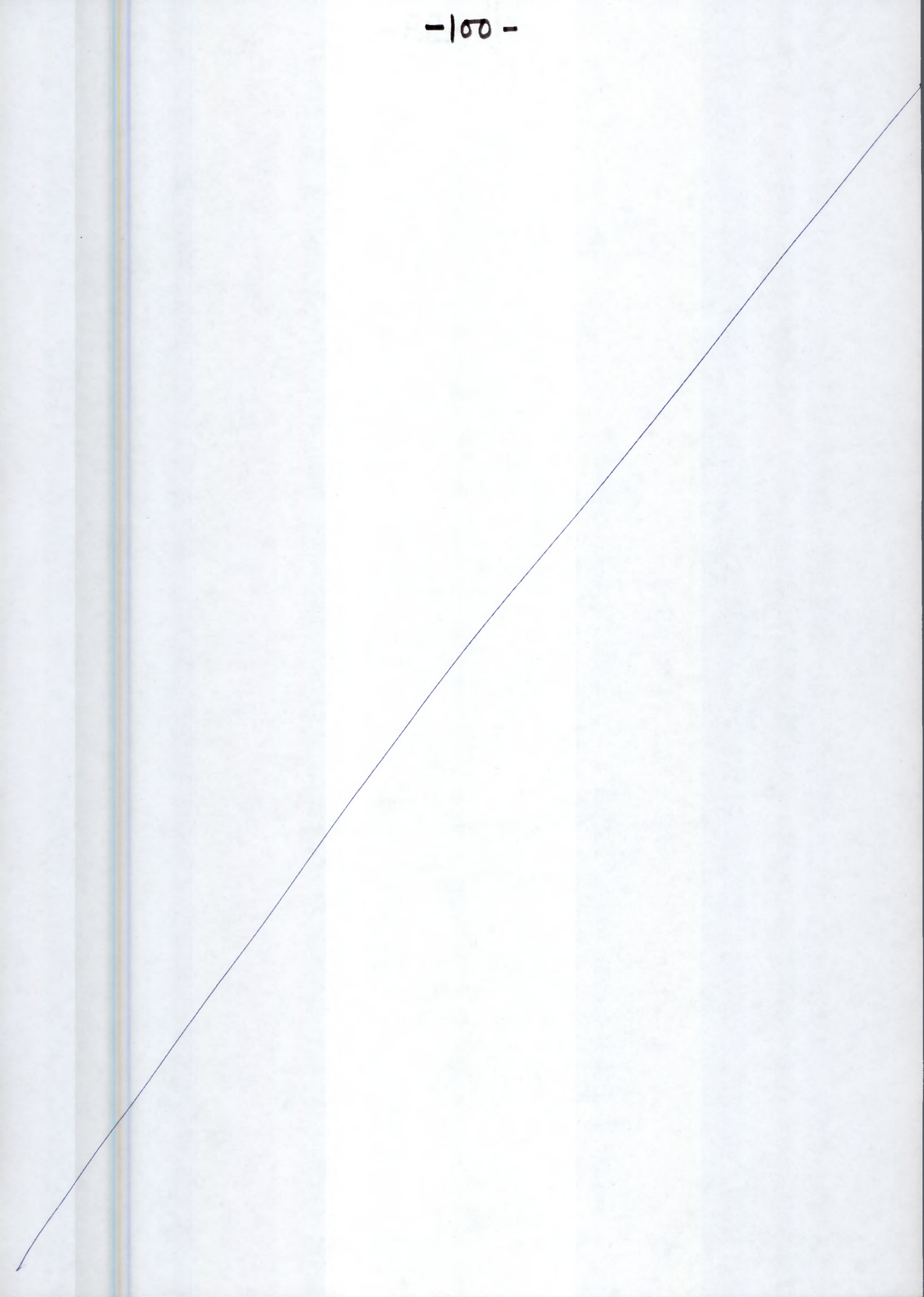

संख्या सा-3-1712/दस-2000-300/99

प्रेषक,

बी०के० अर्ना,
अधिक,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपसचिव कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

अनुभाग : दिनांक 05 जनवरी, 2001

विषय :— शासनादेश संख्या—सा—3—384/दस—2000—300/99, दिनांक—13—4—2000 के कार्यान्वयन हेतु स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (लेखाधि) अनुभाग-3

शासनादेश संख्या—सा—3—384/दस—300/99, दिनांक 13—4—2000 में निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गयी है :—

1—दिनांक 1—1—1986 से 31—12—1995 के बीच की अवधि में सेवा—निवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों जिनका अन्तिम आहरित वेतन 1500 रुपया से अधिक था के प्रकरण में कुटुम्ब पेंशन का दिनांक 1—1—1996 से संशोधन किया जाएगा।

2—दिनांक 1—1—1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति को दरकिनार कर ध्यान किये बिना पेंशन भोगी द्वारा अन्तिम आहरित वेतन के दिनांक 1—1—1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्व पेंशन के लिए आई लेखा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध, उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1—1—1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशनभोगी/मृतक कर्मचारी के द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के दिनांक 1—1—96 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी। उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13—4—2000 में निहित व्यवस्थाओं के संदर्भ में शासनादेश संख्या-सा—3—1029/दस—308/97, दिनांक—13—6—2000 में कतिपय स्पष्टीकरण भी निर्गत किये गये परन्तु उपरोक्त शासनादेशों में निर्गत स्पष्टीकरण के उपरान्त भी, विभिन्न विभागों/कोषाधिकारियों से पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संदर्भ में एवं पेंशन के अद्यतन किये जाने के संदर्भ में कतिपय जिज्ञासायें की गयी हैं। उक्त जिज्ञासाओं के निवारण हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निम्न प्रकार से स्थिति स्पष्ट करने का मुझे निदेश हुआ है :—

2—(1) शासनादेश संख्या-सा—3—384/दस—300/99, दिनांक 13—4—2000 के भाग—1 के अधीन पारिवारिक पेंशन के निर्धारण हेतु :—

उपरोक्त शासनादेश के भाग—1 एवं 2 में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशनर द्वारा आवेदन करने पर उसकी पारिवारिक पेंशन की धनराशि का भी पुनरीक्षण, उसके दिनांक 1—1—1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 30% की दर पर किया जाना अपेक्षित है। परन्तु शासन स्तर पर यह सूचना प्राप्त हो रही है कि संबंधित कोषागार एवं कार्यदायी बैंकों द्वारा ऐसे पेंशनरों में असंतोष व्याप्त है और वे इस बात के लिए चिन्तातुर हैं कि यदि उनके जीवनकाल में पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण होकर उनके पी०पी०ओ० में अंकित नहीं किया गया तो उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार द्वारा उक्त कार्यवाही कराना सम्भव ही नहीं होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोषाधिकारी शासनादेश में निहित व्यवस्था के अधीन पारिवारिक पेंशन की धनराशि का भी पुनरीक्षण करके संबंधित पेंशनर के पी०पी०ओ० में आवश्यक रूप से इस आशय की प्रविष्टि अंकित करने का कष्ट करें।

2--(II) सात वर्ष की निरन्तर सेवा करने के उपरान्त मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन के सामान्य दर से दोगुनी होने के संबंध में :-

राज्य सरकार में यह व्यवस्था है कि सेवारत मृत्यु हो जाने की दशा में यदि मृतक ने कम से कम सात वर्ष की अविरल अर्हकारी सेवा की है तो मृत्यु की तिथि से बाद की तिथि से प्रारम्भिक सात वर्ष या उस तिथि तक जब उसने जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होती, जो भी पहले संभाव्य हो, पारिवारिक पेंशन मूल वेतन की आधी अथवा उसका योजना के अधीन, सामान्य दर पर अनुमन्य पारिवारिक पेंशन की धनराशि का दुगुना, जो भी कम हो, के बराबर होगी।

सेवानिवृत्ति के उपरान्त मृत्यु हो जाने की दशा में देखी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन उस तिथि तक जिस तिथि तक मृत पेंशनर जीवित रहने की दशा में 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता अथवा सात वर्ष की अवधि, जो भी इन दोनों अवधियों में से पहले घटित हो, इस प्रतिबन्ध के अधीन देय होगी कि पारिवारिक पेंशन की धनराशि किसी भी दशा में सेवानिवृत्ति के उपरान्त सरकारी कर्मचारी को स्वीकृत की गयी सेवा पेंशन की धनराशि से अधिक नहीं होगी।

विभिन्न कोषागारों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि क्या राज्य सरकार की उक्त व्यवस्था अभी प्रभावी है तथा क्या शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अधीन पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप भी उक्त व्यवस्था के अधीन, जहाँ आच्छादित हो, कार्यवाही की जाएगी। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त [illegible] में उल्लिखित व्यवस्था अभी प्रभावी है और तदनुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

2--(III) शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 की व्यवस्था के अधीन कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही करना :-

उपरोक्त शासनादेश दिनांक 13-4-2000 में पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही हेतु कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने के उपरान्त आवेदन-पत्र को संबंधित कोषागारों को भेजने की व्यवस्था है। कुछ कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्षों द्वारा आवेदन-पत्र में दिये गये तथ्यों के आधार पर पेंशनर की पुनरीक्षित पेंशन की भी गणना करके कोषागारों को भेजने पर कोषागारों ने इस आशय की आपत्ति की है कि शासनादेश दिनांक 13-4-2000 की व्यवस्था के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही करने का अधिकार कोषागारों में निहित किया गया है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सही है कि पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही करने का अधिकार कोषागारों को दिया गया है, परन्तु यदि किन्हीं मामलों में कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष ने पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही करके कोषागारों को भेजा है तो ऐसे प्रकरणों को वापस भेजने की आवश्यकता नहीं है, अपितु कोषाधिकारी उसे पुनः चेक कर लें और यदि वह सही है तो उसके आधार पर अगला अग्रेषण होने पर उसे अपने स्तर से सही करते हुए भुगतान की कार्यवाही करने का कष्ट करें। कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्षों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यालय में प्राप्त आवेदन-पत्रों में दी गयी सूचनाओं तथ्यों को प्रमाणित करके कोषागारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजें।

2--(IV) साधारण वेतनमान/सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान एवं तीनों वेतनमानों के आधार पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही हेतु :-

कतिपय कार्यालयों एवं कोषागारों ने यह जिज्ञासा की है कि शासनादेश दिनांक 13-4-2000 की व्यवस्था के अधीन दिनांक 1-1-1996 से पेंशन पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के सेवानिवृत्ति की तिथि को आहरित साधारण वेतनमान को आधार माना जाए अथवा यदि उसे सेलेक्शन ग्रेड मिला है, तो उसे सेलेक्शन ग्रेड के वेतनमान में आहरित वेतन को आधार माना जाए। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 1-1-1996 से पेंशन पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के पद के साधारण वेतनमान के आधार पर दिनांक 1-1-1996 को अनुमन्य पुनरीक्षित वेतनमान को ही आधार माना जाए और उसी के आधार पर पारिवारिक पेंशन हेतु उसके न्यूनतम के 30% एवं भूत पेंशन हेतु उसके न्यूनतम के 50% का लाभ अनुमन्य करने की कार्यवाही की जाए। उपरोक्त प्रकार से ही जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक को वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति वेतनमान दे दिया गया है, उन प्रकरणों में भी क्योंकि उसका पदनाम नहीं बदलता है, अतएव उन प्रकरणों में भी दिनांक 1-1-1996 से पेंशन पुनरीक्षण हेतु कर्मचारी के मूल पद के साधारण वेतनमान के आधार पर ही उपरोक्तानुसार पेंशन पुनरीक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

2—(V) जहां कर्मचारी का पद समाप्त हो चुका है उनमें पेंशन पुनरीक्षण किया जाना :—

वांछित कुछ ऐसे भी प्रकरण हो सकते हैं जिनमें उनके सेवक दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त हुआ है और शासन की नीति के अधीन उसका पद भी समाप्त कर दिया गया है या दिनांक 1-1-1996 से पद अवशोषित हो गया है या दिनांक 1-1-1996 से पूर्व के पद से वरिष्ठ पद सृजित किया गया है और पुराना पद भी विद्यमान है। ऐसे प्रकरणों के संदर्भ में यह जिज्ञासा की जा रही है कि दिनांक 1-1-1996 से पेंशन पुनरीक्षण का क्या तरीका रहेगा।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट करना है कि—

1—जहां दिनांक 1-1-1996 के पूर्व के पद को दिनांक 1-1-1996 से उच्चीकृत कर दिया गया है, उन प्रकरणों में दिनांक 1-1-1996 से पूर्व के पद के उच्चीकृत वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर ही दिनांक 1-1-96 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

2—जहां दिनांक 1-1-1996 से पूर्व के पद से वरिष्ठ पद सृजित किया गया है और पुराना पदनाम विद्यमान है उन प्रकरणों में पुराने पदनाम का जो वेतनमान दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित हुआ है, उसी के आधार पर उसके न्यूनतम के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण का लाभ अनुज्ञेय होगा।

3—जहां दिनांक 1-1-1996 से पूर्व का पदनाम समाप्त कर दिया गया है तथा नए नाम से पद सृजित हो गया है, उन प्रकरणों में पुराने पद के वेतनमान के दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन का निर्धारण किया जाएगा। या फिर भी कोई शंका हो तो उसे शासन को संप्रेषित कर सकते हैं।

3—(VI) **राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यदि अन्य राज्यों में निवास कर रहे हैं तो पेंशन के भुगतान हेतु :—**

राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं और वहीं के कोषागारों से पेंशन आहरित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में पेंशन/कुटुम्ब पेंशन के पुनरीक्षण के आदेश-पत्र संबंधित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को भेजेंगे। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष इन आदेश पत्रों पर शासनादेश दिनांक 13-4-2000 में दी गई प्रक्रियानुसार कार्यवाही करते हुए पेंशन प्रदान निर्गमन प्राधिकारी (महालेखाकार/निदेशक पेंशन/वित्त नियंत्रक, जैसी भी स्थिति हो) को भेजेंगे। जो पेंशन पुनरीक्षित करते हुए पुनरीक्षित प्राधिकार-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजेंगे। महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ऐसे पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्रों को संबंधित राज्य के महालेखाकार को अपनी शेष अथॉरिटी सहित भुगतान **हेतु प्रेषित कर देंगे।**

4—(VII) **शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-2000/99, दिनांक 13-4-2000 भाग-1 के प्रस्तर-9 एवं भाग-2 के प्रस्तर-1 (III) के अधीन पुनरीक्षित भुगतानादेश के सत्यापन की कार्यवाही :—**

यद्यपि शासनादेश संख्या-सा-3-1029/दस-308/97, दिनांक 13-6-2000 के प्रस्तर-2(II) में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि कोषागारों द्वारा पुनरीक्षित भुगतानादेश की प्रति उसी प्राधिकारी को, उसके सही/गलत होने, के सत्यापन हेतु भेजी जाएगी जिसने मूल भुगतानादेश निर्गत किया है। फिर भी विभिन्न कोषागार अभी भी इस दिशा में आशंकित बनी हुई और निरन्तर संपर्क व्यक्त कर रहे हैं कि पुनरीक्षित प्राधिकार-पत्र सत्यापन हेतु किसे भेजा जाए। इस संदर्भ में मुझे पुनः स्पष्ट करना है कि संबंधित कोषाधिकारी संशोधित प्राधिकार-पत्र की प्रति उसी प्राधिकारी को भेजेंगे जिनके द्वारा मूल भुगतानादेश निर्गत किये गये हैं, अर्थात् यदि मूल भुगतानादेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निर्गत किये हैं तो महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को अन्यथा अन्य उस प्राधिकारी को जिसने भुगतानादेश निर्गत किये हैं भेजेंगे। जो 6 माह के अन्दर पेंशन पुनरीक्षण के सही/गलत होने की पुष्टि संबंधित कोषाधिकारी को करेंगे।

5—(VIII) शासन स्तर पर ऐसे भी प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं जहां यह उल्लेख किया जा रहा है कि शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार पेंशन का पुनरीक्षण करने पर संबंधित पेंशनर की पेंशन पूर्व से मिल रही पेंशन से कम आ रही है, अतएव उनका पुनरीक्षण किस प्रकार किया जाए। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि पुनरीक्षण के पूर्व से मिल रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन से कम आ रही है तो ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा और पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को प्राप्त हो रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन ऐसे पुनरीक्षण के फलस्वरूप कम नहीं की जाएगी।

अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
वी० के० शर्मा,
सचिव।

संख्या सा-3-1212(1)/दस-2000/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद।
6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।
7—उप सचिव, हरता चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।
8—निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

1/54

संख्या सा-3-911/दस-2001-933-89 टी०सी०

प्रेषक,

श्री बी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2001

विषय : पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा-3-1713/दस-87-933-89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा पेंशन प्रकरणों को अंतिम रूप देने में होने वाले अनेक प्रकार के विलम्बों में कमी लाने के उद्देश्य से विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं किन्तु अब भी अनेक मामलों में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर पेंशन प्रपत्रों को प्रेषित करने में विभिन्न कारणों से काफी विलम्ब किया जाता है जिसके कारण पेंशन के अनेक प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के दिनांक के तत्काल बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देय प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पेंशन के मामलों के सही तरीके से निस्तारित करने के संबंध में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि मुख्य रूप से सरकारी कार्यचारी के सेवाकाल के मध्य गलत वेतन निर्धारण, सेवा पुस्तिका का पूर्ण न होना तथा अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत न होने के कारण पेंशन प्रकरण निस्तारित करने में विलम्ब होता है। अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार और सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

1—पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी करने से पूर्व पेंशन प्राधिकारी अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की समीक्षा करेंगे और पूरी अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों का रहेगा। अदेयता प्रमाण-पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं स्थिति स्पष्ट करते हुए अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। यदि किसी कारणों वश सेवानिवृत्ति की तिथि तक अदेयता की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो संबंधित पेंशनर से निर्धारित बन्धक-प्रपत्र पर बन्धक-पत्र भरवाकर सेवानिवृत्तिक लाभ अवमुक्त कर दिया जाए तथा बन्धक-पत्र की निर्धारित अवधि के भीतर अदेयता की स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करा लिया जाए ताकि शासकीय क्षति न हो।

2—जिन मामलों में लम्बित विभागीय कार्यवाही के कारण अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो उन मामलों में स्वयं से कर्मचारी को अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

3—अतएव अनुरोध है कि आप कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को ही पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त हो सके।

भवदीय,
बी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त।

संख्या सा-3-911(1)/दस-2001-933-89 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5—समस्त संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6—समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।
7—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9—विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय।
10—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एम०यू०पी०-ए०सी०-45 सा० दिल्ली—23-7-2001—(619)—12,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

संख्या सा-3-1380/दस-2001-301(40)-2001

प्रेषक,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2001

विषय : सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त किये जाने पर सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुपलब्धता।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या सा-3-1152/दस-915-89, दिनांक 01 जुलाई, 1989 द्वारा अस्थायी रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी उसी प्रकार तथा उन्हीं दरों के अन्तर्गत अनुमन्य कराई गयी थी जैसा कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियों में संगत नियमों के अन्तर्गत होती है, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। इसी शासनादेश के प्रस्तर-3 में यह कहा गया था कि "यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहाँ अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुपलब्धता प्रदान की गयी हो"। उक्त के क्रम में शासन के संज्ञान में यह प्रश्न संदर्भित किया गया है कि जिन मामलों में मूल नियम 56 के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किये जाने की अपेक्षा की जाती हो अर्थात् जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है उनमें संबंधित सरकारी सेवकों को क्या सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जायेंगे। उपरोक्त के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2 के भाग-2 से 4 के मूल नियम 56 (ज) के अन्तर्गत "प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होने हैं या जिससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानिवृत्तिक पेंशन देय होगी और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे।" तद्नुसार यदि किसी सरकारी सेवक से मूल नियम 56 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् उसे लोकहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसे सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त।

संख्या सा-3-1380(1)/दस-2001-301(40)-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2— सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय ।

3— राज्यपाल सचिवालय।

4— समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

5— महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

6—निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

8—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

9— समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।

10—सचिवालय के समस्त अ ।

11—समस्त मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

12—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

13—निर्धारित सूची के अनुसार पेंशन संघों को ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या-सी-3-1852/दस-933/89 टी.सी.

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य (अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 5 दिसम्बर, 2001

विषयः- शासनादेश संख्या-सी-3-911/दस-2001-933/89 टी.सी., दिनांक 16.7.2001 के स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पे.नि./कैम्प-3-2001/697, दिनांक 4.9.2001 में संदर्भित जिज्ञासा बिन्दुओं के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 16.7.2001 के निर्गत होने के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों के 36 माह में आहरित वेतन की समीक्षा की जाती थी, परन्तु उसके साथ आवश्यकता पड़ने पर उसके पूर्व वर्षों में आहरित वेतन की भी समीक्षा की जा सकती थी। शासनादेश दिनांक 16.7.2001 में केवल यह संशोधन किया गया है कि पेंशन प्राधिकारी पत्र जारी करने से पूर्व पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की समीक्षा करेंगे और पूर्व अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी का रहेगा। उपरोक्त के साथ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि सरकारी सेवक के अन्तिम 10 माह के पूर्व किसी अवधि में गलत वेतन निर्धारण परिलक्षित होता है जिसके कारण राज्य सरकार को वित्तीय क्षति हुई है तो राज्य सरकार को वित्तीय क्षति से बचाने के उद्देश्य से, उस तथ्य की जानकारी उसके कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष से कराई जाए और कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराने के उपरान्त ही कुलांत नियमों के अन्तर्गत परिशोधोपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाए।

2- शासनादेश संख्या-सी-3-911/दस-2001-933/89 टी.सी. दिनांक 16.7.2001 में निहित व्यवस्था का यह आशय कदापि नहीं है कि पेंशन प्रकरण त्रुटिपूर्ण होने पर भी उसे मान्यता प्रदान कर दी जाए और उससे शासन को वित्तीय क्षति उठानी पड़े। पेंशन प्रकरणों को निस्तारित करते समय शासन के हितों का

...2/-

विशेष ध्यान अवश्य रखा जाए और यह सुनिश्चित किया जाये कि शासन की किसी भी स्थिति में वित्तीय क्षति न हो।

भवदीय,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

उत्तरांचल शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या- 806/का-2- 2002
देहरादूनः दिनांकः 15 जून, 2002

अधिसूचना

राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु लोकहित में 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष करने की राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश 1 जून, 2002 से लागू होगें।

3. वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड II भाग-II के IV के मूल नियम 56 यथा-आवश्यक संशोधन की कार्यवाही पृथक से वित्त विभाग द्वारा की जायेगी।

4. उपर्युक्त से संबंधित आवश्यक उपबंधों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा पृथक से जारी किये जायेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या-806(1)/2002-तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तरांचल शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
4. सचिव, राज्यपाल [illegible], उत्तरांचल
5. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल, हरिद्वार।
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. उप निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की, उत्तरांचल को आगामी असाधारण गजट में प्रकाशनार्थ।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
अपर सचिव

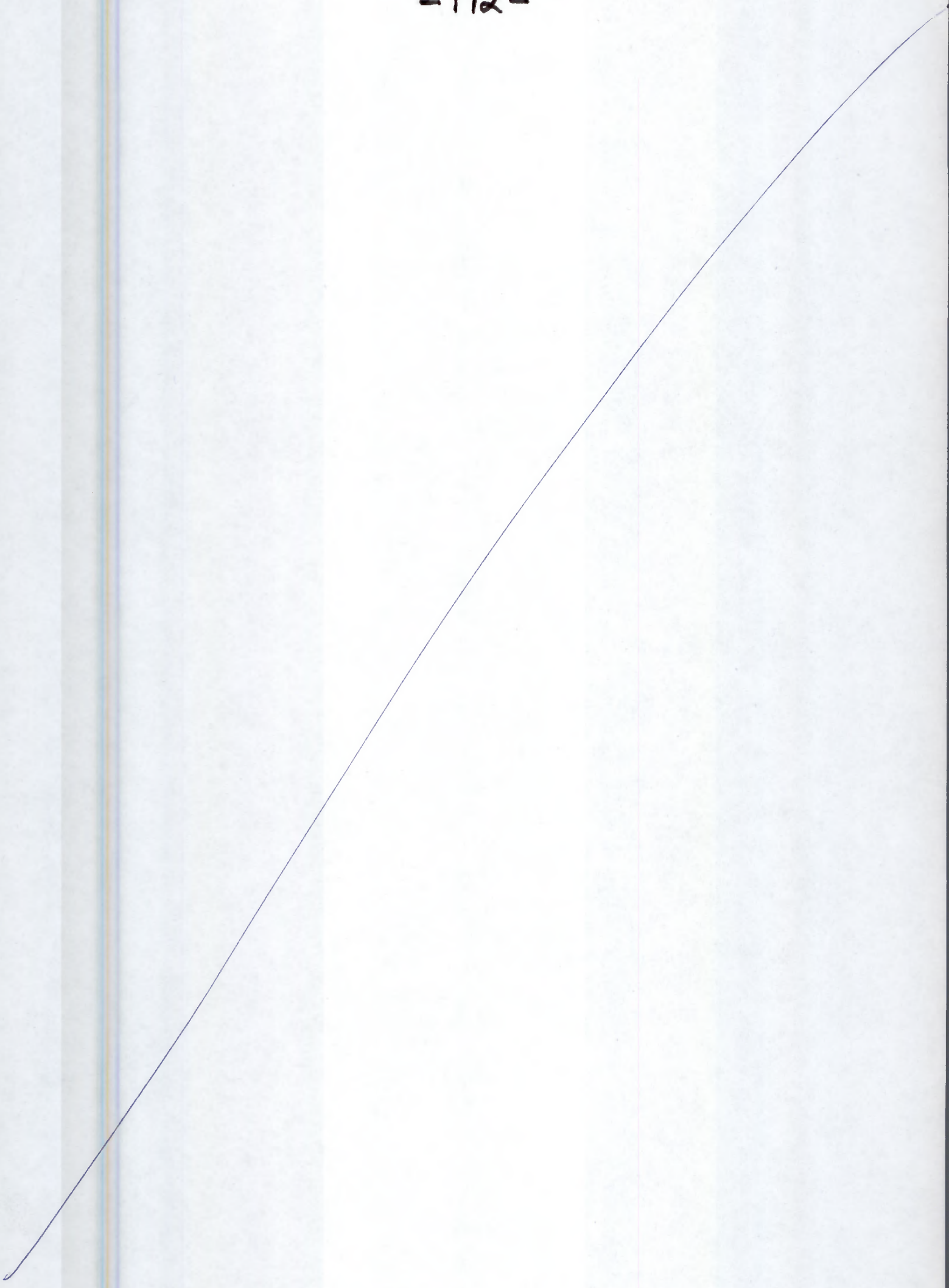

संख्या:1844/कार्मिक-2-2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तरांचल ।

कार्मिक अनुभाग-2 देहरादून:दिनांक:09 अप्रैल, 2003

विषय: सरकारी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों को 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में मूल नियम 56 मे व्यवस्था की गयी है कि जिस सरकारी सेवक ने 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है वह नियुक्ति प्राधिकारी को 03 माह की नोटिस देकर सेवा निवृत्त हो सकता है । 03 माह की नोटिस अवधि पूर्ण होने पर ही सरकारी सेवक सेवा निवृत्त होगा । शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस देकर सरकारी सेवक कार्य से अनुपस्थित हो गया । विभागाध्यक्ष द्वारा शासन की अनुमति हेतु प्रकरण 03 माह की अवधि के बहुत बाद संदर्भित किया गया, जिसके कारण स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की अनुमति देने एवं अन्य अनुषांगिक विषयों पर कार्यवाही करने में अवांछित कठिनाई उत्पन्न हुई ।

2. मूल नियम 56 (ग) में यह व्यवस्था है, कि नियुक्ति प्राधिकारी चाहे तो वह सरकारी सेवक को किसी नोटिस के बिना या अल्प अवधि की नोटिस पर नोटिस के बदले में किसी शास्ति की भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना सेवानिवृत्त होने की अनुज्ञा दे सकता है । इस प्रकार के मामले में स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होने की इच्छा करने वाला सरकारी सेवक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा निवृत्त होने की अनुज्ञा के लिए प्रतीक्षा करेगा । नियुक्ति प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही सरकारी सेवक स्वैच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होगा । सेवा निवृत्त की इच्छा प्रकट करने के साथ ही कार्य से अनुपस्थित हो जाना उचित नहीं है । परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी को यह

ध्यान रखना चाहिए, कि सेवा निवृत्ति की अनुज्ञा दिये जाने में अनुचित विलम्ब न हो और किसी भी दशा में 03 माह से अनधिक हो ।

3. नियुक्ति प्राधिकारी सरकारी सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्त दिये जाने पर यह जांच कर लें कि कोई अनुशासनिक कार्यवाही विचाराधीन नहीं है । अथवा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करना विचाराधीन नहीं है । सरकारी सेवक के विरूद्ध किसी आसन्न अनुशासनिक कार्यवाही की दशा में सरकारी सेवक को उसकी नोटिस स्वीकार न किये जाने की सूचना नोटिस की समाप्ति से पूर्व दे दी जायेगी ।

4. सरकारी सेवक द्वारा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की नोटिस बिना नियुक्ति प्राधिकारी की अनुज्ञा के वापस नहीं ली जा सकेगी ।
नियुक्ति प्राधिकारी यदि नोटिस वापस लेने की अनुज्ञा प्रकरण की स्थितियों के कारण देना उचित न पाता हो, तो नोटिस समाप्त होने से पूर्व ही अनुज्ञा न देने के निर्णय से सरकारी सेवक को अवगत करा दें।

5. उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करते हुए अनुरोध है कि सरकारी सेवक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु 03 माह का नोटिस देने के बाद अपने कार्य से अनुपस्थित नहीं होगा, बल्कि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का नोटिस दिये दिये जाने के बाद नोटिस समाप्त होने पर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नोटिस स्वीकार किये जाने तक प्रतीक्षा करेगा । नियुक्ति प्राधिकारी नोटिस समाप्त होने से पूर्व अनुज्ञा देने अथवा अस्वीकार किये जाने का निर्णय लेकर सरकारी सेवक को अवगत करायेगा ।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
सचिव ।

पृष्ठांकन संख्या:1844(1)/कार्मिक-2-2002, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
2. शासन के समस्त अनुभाग ।
3. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
उपसचिव ।

उत्तरांचल शासन

वित्त अनुभाग–4

संख्या 1033 / वित्त अनु0–4 / 2003

देहरादून, 10 नवम्बर, 2003

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्–

उत्तरांचल पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 2003

1. (1) यह नियमावली उत्तरांचल पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 2003 कही जायेगी। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :– — परिभाषायें

(क) "मुख्य नोडल अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल से है ;

(ख) "विलम्ब" का तात्पर्य समय–अनुसूची से अधिक अवधि से है ;

(ग) "अग्रसारण अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में कार्य करने के लिये सशक्त हो ;

(घ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तरांचल की राज्य सरकार से है ;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तरांचल के राज्यपाल से है ;

(च) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है ;

(छ) "कार्यालयाध्यक्ष" का तात्पर्य समय–समय पर सरकार द्वारा इस रूप में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से है ;

(ज) "नोडल अधिकारी" का तात्पर्य समय–समय पर जारी किये गये सरकार के आदेशों के अनुसार इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है ;

(झ) "पेंशन" का तात्पर्य सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स के अनुच्छेद–41 में यथा परिभाषित पेंशन से है ;

(ञ) "पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी" का तात्पर्य समय–समय पर सरकार के द्वारा इस रूप में सशक्त व्यक्ति से है ;

(ट) "समय अनुसूची" का तात्पर्य अनुसूची के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के सम्बन्ध में स्तम्भ–3 में विनिर्दिष्ट समय से है।

अध्यारोही प्रभाव

3. किन्हीं अन्य नियमों या आदेशों में अन्तर्दिष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यह नियमावली प्रभावी होगी।

समय अनुसूची और सम्बद्ध विषयों के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग

4. (1) किसी विलम्ब का नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी :–

(क) पेंशन प्राप्तकर्ता/पेंशन प्राप्तकर्ताओं के संगठनों की शिकायत पर ;

(ख) पेंशन के मामलों के निस्तारण के अनुवर्तन पर अभिनिश्चित कर सकते हैं।

(2) जब कभी नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी की जानकारी में कोई विलम्ब का मामला आता है तो वह विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष से विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में सभी सुसंगत सूचनायें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और ऐसी जाँचोपरान्त जिसे वे उचित समझे विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पता लगायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये एक प्रस्ताव सम्बद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी को भेजेगा। नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्ण होने तक मामले का अनुसरण करेगा और ऐसी कार्यवाही का अभिलेख रखेगा। नोडल अधिकारी ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणाम के सम्बन्ध में मुख्य नोडल अधिकारी को सूचित करेगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो कि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध में या उससे सम्बन्धित किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना नोडल अधिकारी/मुख्य नोडल अधिकारी को, देने में असफल रहता है, या जो विलम्ब के लिए उत्तरदायी है, वह कदाचार का दोषी होगा और उस पर लागू दण्डात्मक नियमों के अधीन दण्डनीय होगा।

(4) सम्यक् रूप से पूर्ण पेंशन के कागज–पत्रों को सभी सुसंगत दस्तावेजों के साथ उसके सम्बन्ध में अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के भीतर, पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को भेजा जायेगा।

(5) मुख्य नोडल अधिकारी/नोडल अधिकारी और पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी पेंशन के मामलों का समय अनुसूची के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करेगा।

(6) पेंशन स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी ऐसे अधिकारियों/पदधारियों की नियमित मासिक बैठक आयोजित करेगा या आयोजित होने देगा, जो ऐसे मामलों में व्यवहार करते हों और ऐसे मामलों के परीक्षण और निस्तारण के लिए सभी समुचित कदम उठायेगा।

(7) सरकार में सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव सभी पेंशन सम्बन्धी मामलों के सम्बन्ध में विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और समय–अनुसूची के भीतर ऐसे मामलों का परीक्षण और निस्तारण सुनिश्चित करायेगा।

अनुसूची

[नियम 2 (ख) और 2 (ट) देखिये]

समय–अनुसूची

क्र0सं0	कार्य का विवरण	समय जिसके भीतर कार्य किया जाना है	कार्य के लिये उत्तरदायी व्यक्ति
1	2	3	4
1.	सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन	प्रत्येक वर्ष का जून मास	1–विभाग के सम्बन्धित अधिष्ठान का सम्बन्धित लिपिक 2–कार्यालय का अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
2.	सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी यदि कोई हो, का पूरा किया जाना	सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व	1–सम्बन्धित अधिष्ठान लिपिक 2–कार्यालय अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
3.	अदेयता प्रमाण–पत्र का (सेवा अवधि में) जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति के दो मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
4.	क–सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र प्रदान किया जाना	सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष
	ख–पेंशन प्रपत्र का भरा जाना	सेवानिवृत्ति के छः मास पूर्व	सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी सेवक
5.	मृत्यु के मामलों में प्रपत्र का भरा जाना	मृत्यु के एक मास पश्चात्	1–पेंशन लिपिक 2–कार्यालय अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
6.	नियुक्ति प्राधिकारी से जाँच किया जाना कि क्या कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं	सेवानिवृत्ति के आठ मास पूर्व	1–कार्यालय अधीक्षक 2–कार्यालयाध्यक्ष
7.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूचना की पूर्ति	सेवानिवृत्ति के सात मास पूर्व	नियुक्ति प्राधिकारी
8.	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारण : (क) सेवा पेंशन (ख) पारिवारिक पेंशन	 सेवानिवृत्ति के पाँच मास पूर्व, मृत्यु के एक मास पश्चात्	 कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष
9.	पेंशन प्रपत्रों आदि का परीक्षण और संवीक्षा और यदि उसमें कोई आपत्ति या कमी पायी जाये तो, उसे दूर करने के लिये विभाग को लिखा जाना	पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति के दो मास	1–लेखाकार 2–सहायक लेखाधिकारी 3–पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
10.	आपत्तियों का निराकरण	आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात् एक मास	विभागीय कार्यालयाध्यक्ष

1	2	3	4
11.	पेंशन मामले का पुनः परीक्षण/निस्तारण	शुद्ध किये गये प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात् एक मास	1–लेखाकार 2–सहायक लेखाधिकारी 3–पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
12.	रोके गये उपादान के निर्मुक्त किये जाने के लिये प्रपत्र–2 पर अदेयता प्रमाण–पत्र का अग्रसारण	सेवानिवृत्ति के दो मास पश्चात्	कार्यालयाध्यक्ष
13.	(पेंशन/उपादान/पेंशन के सारांशीकरण) के भुगतान आदेश का जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति की संध्या तक या पर	1–लेखाकार 2–सहायक लेखाधिकारी 3–पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
14.	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव न हो)	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक मास पश्चात्	1–पेंशन लिपिक 2–कार्यालय अधीक्षक 3–कार्यालयाध्यक्ष
15.	अनन्तिम पेंशन का भुगतान	प्रत्येक मास के सातवें दिन तक	आहरण और वितरण अधिकारी
16.	पेंशन का भुगतान	भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक मास	कोषाधिकारी/कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
17.	सेवानिवृत्त कार्यकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही	सिविल सर्विस रेग्युलेशन के अनुच्छेद 351–क में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार और सरकारी आदेश के प्राप्त होने के तीन मास के भीतर निर्णय का लिया जाना यदि विभागीय कार्यवाही सेवा–निवृत्ति के पूर्व संस्थित की गयी हो तो इसे सेवानिवृत्ति के दिनांक से छः मास के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए	सरकार का प्रशासनिक विभाग/नियुक्ति प्राधिकारी
18.	पेंशन से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में दायर विधिक वादों का प्रतिवाद	न्यायालय के आदेश के अनुसार या रिट याचिका की प्राप्ति के दिनांक से दो मास के भीतर, जो पहले हो, प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत होना चाहिए।	सम्बन्धित विभाग का प्रतिवादी

आज्ञा से,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव, वित्त।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 20 वित्त/574–24–2–2004–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या 1005 / वि0अनु0–4 / 2003

प्रेषक,

के0 सी0 मिश्र,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग–4

देहरादून, दिनांक 12 सितम्बर, 2003

विषय :– उत्तरांचल एवं उत्तर प्रदेश के सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृति प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 3–1071 (1) / दस–2002–308(9) / 2000 दिनांक 15 जून, 2002 के क्रम में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्तिक लाभों की स्वीकृत प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1. जिन मामलों में पेंशन प्रपत्र अभी तक नहीं भेजे गये हैं, ऐसे सभी मामले जिस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र से सम्बन्धित हों, उस राज्य द्वारा ही निष्पादित किया जाय। अर्थात् उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक सीमाओं में स्थित कार्यालयों में कार्यरत दिनांक 8–11–2000 तक सेवानिवृत्त / मृत कर्मियों के पेंशन प्रपत्र पहली बार भेजे जाने हैं तो वह उत्तरांचल राज्य द्वारा ही निस्तारित किये जायेंगे।

2. उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के जिन मामलों में आपत्तियाँ हैं अथवा कुछ पृच्छायें की गई हैं और प्रकरण निस्तारित नहीं हो सके हैं, ऐसे प्रकरणों में भी निस्तारण की पूर्ण कार्यवाही उत्तरांचल राज्य द्वारा ही की जाय, परन्तु ऐसे प्रकरणों में जहाँ पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित सक्षम प्राधिकारी को अभिलेख भेजा गया हो तथा प्रकरण अभी तक अन्तिम रूप से निस्तारित नहीं हो सका है, उत्तर प्रदेश में कार्यरत सक्षम प्राधिकारी, निदेशक पेंशन उ0प्र0 के माध्यम से निदेशक लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल देहरादून को भेजा जायेगा, ताकि इनका निस्तारण सम्भव हो सके।

3. उत्तरांचल राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में अथवा उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र स्थित कार्यालयों में जिन मामलों में पेंशन स्वीकृति के आदेश निर्गत हो चुके हैं और उनका पुनरीक्षण किन्हीं कारणों से अपेक्षित है, ऐसे प्रकरण में पुनरीक्षण की कार्यवाही पूर्व में पेंशन स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा ही किया जायेगा, किन्तु इस कार्यवाही से पूर्व समस्त तथ्य एवं सूचना निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश एवं निदेशक लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल के माध्यम से आदान–प्रदान किये जायेंगे। सम्बन्धित राज्य के निदेशक के हस्ताक्षर नमूना दोनों राज्यों में उपलब्ध रहेंगे तथा सम्बन्धित राज्य के निदेशक अपने राज्य के कोषागार में प्राधिकार भेजने के पूर्व हस्ताक्षर का मिलान सुनिश्चित करेंगे।

4. जिन प्रकरणों में पुनरीक्षण महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाय उसे महालेखाकार उत्तरांचल के माध्यम से उत्तरांचल के कोषागारों में भेजा जाय।

5. यह भी सुनिश्चित् किया जाय कि निर्गत होने वाले पेंशन प्राधिकार प्रपत्रों में इस सूचना का स्पष्ट उल्लेख है कि भुगतान की जाने वाली धनराशि का कितना अंश उत्तरांचल राज्य द्वारा तथा कितना अंश पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा वहन किया जायेगा।

6. उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 521/वि0अनु0–4/2002 दिनांक 7 अगस्त, 2002 निरस्त समझा जाय।

कृपया उपरोक्त प्रक्रियानुसार विषयगत मामले में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

के0 सी0 मिश्र,

अपर सचिव।

संख्या 1005 (1)/वि0अनु0–4/2003, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. विशेष सचिव, वित्त (वित्त सामान्य अनुभाग–3) उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, पेंशन, उ0प्र0 इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
7. समस्त कोषागार उत्तरांचल।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

के0 सी0 मिश्र,

अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 2 लेखा हकदारी/273–17–10–2003–500 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या: /वि0अनु03/2003

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त अनुभाग-3 देहरादून:दिनांक 20 जनवरी,2004

विषय:-अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानैवृत्तिक लाभों के विषय मे स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनु0-1 की अधिसूचना सं07098/का0-1/2001 दिनांक 28 नवम्बर,2001 के द्वारा प्रदेश की राज्याधीन सेवाओं की अधिवर्षता की आयु 58 से बढाकर 60 वर्ष की गई थीं और इसके बिन्दु-4 में आवश्यक उपबन्धों के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जाने के क्रम में प्रदेश के अनेक विभागों द्वारा सेवानैवृत्तिक लाभों के विषय मे अनेक जिज्ञासाऐं की जा रही है।

अत: इस सम्बन्ध मे मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्याधीन सेवाओ मे अधिवर्षता की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष किए जाने के फलस्वरूप अब 60 वर्ष की उक्त विस्तारित अवधि को समस्त सेवानैवृत्तिक लाभ यथा पेंशन, सेवानैवृत्तिक अनुतोषिक एंव ग्रेच्यूटी आदि हेतु गणना की जायेगी।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या: 1143/वि0अनु03/2003/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवयक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एंव वित्त सेवायें,उत्तरांचल देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तरांचल।
3. शासन के समस्त अनुभाग।
4. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तरांचल,देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विवरण इन्टरनेट पर डलवाया जाय।

आज्ञा से,

(डी0एन0सिंह)
अपर सचिव,वित्त।

संख्या–979/XXVII (3)पे/2004

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयध्यक्ष
उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनः दिनांक 10 अगस्त, 2004

विषयः–सेवानैवृत्तिक लाभ का समय से भुगतान, न्यायिक/विभागीय कार्यवाही की समाप्ति पर ग्रेच्यूटी के विलम्ब से अदायगी के भुगतान पर ब्याज का भुगतान।

महोदय,

आप अवगत है कि राज्य सरकार द्वारा पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को अनुमन्य देयों का भुगतान समय से करने के सम्बन्ध में समय–समय पर विस्तृत आदेश निर्गत किए गये है । प्रशासनिक कारणों से "ग्रेच्यूटी" की अनुमन्य धनराशि के समय से भुगतान न होने पर भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद ब्याज दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–सा–3–684/दस–971/80 दिनांक29.04.1983,शासनादेश संख्या–सा –3–1776/दस–971/80 दिनांक 30–11–1984 शासनादेश संख्या –सा–3–2102/दस–971/80 दिनांक 06–12–1994 एवं अर्दशासकीय पत्र संख्या–सा–3–902/ दस–99–303/99 दिनांक 28–9–1999 द्वारा निर्देश निर्गत किए गये हैं ।

2. शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि प्रायः कर्मचारियों द्वारा ग्रेच्यूटी के भुगतान में विलम्ब होने पर चकवृद्धि ब्याज दिये जाने की मांग की जाती है । उक्त के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रेच्यूटी पर ब्याज के भुगतान की दर वही रखी गई है जो संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की हो, किन्तु चकवृद्धि ब्याज दिए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः ग्रेच्यूटी पर तीन माह से अधिक विलम्ब पर भुगतान की अवधि में नियमानुसार साधारण ब्याज का ही भुगतान अनुमन्य होगा और उसकी दर संगत अवधि में सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि पर अनुमन्य ब्याज की दर के समान होगी।

3. जिन कर्मचारियों के विरूद्व न्यायिक/विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उपादान एवं राशिकृत धनराशि के भुगतान में बिलम्ब हो जाता है, उन प्रकरणों में ब्याज किस प्रकार अनुमन्य होगा, इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोरान्त मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि:–

(1) यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्व अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उसे ग्रेच्यूटी की धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाता है, जब तक उक्त कार्यवाही समाप्त करके अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में यदि ग्रेच्यूटी के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो भुगतान की तिथि वही होगी जिस तिथि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं। जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक के विरूद्व चल रही कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप उसे पूर्णतः दोषमुक्त किया जाता है, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति की तिथि से ग्रेच्यूटी की अनुमन्यता मानी जायेगी और ऐसे तीन

माह से अधिक के विलम्ब की अवधि हेतु ब्याज अनुमन्य हो जायेगा। परन्तु जिन प्रकरणों में विभागीय/न्यायिक कार्यवाही चलते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है तथा मात्र मृत्यु के कारण विभागीय/न्यायिक कार्यवाही समाप्त की जाती है, ऐसे प्रकरणों में ब्याज अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उपरोक्त व्यवस्था केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो अभी तक निर्णीत नहीं हो सके है, परन्तु जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुर्नउद्घाटित नहीं किया जायेगा।

(3) सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही निर्गत किए जाने के प्राविधान है तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासनादेश भी निर्गत किए गये हैं। सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से भुगतान करने के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उत्तरांचल पेन्शन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) उत्तरांचल नियमावली, 2003 अधिसूचना संख्या-1033/वित्त अनु0-4/2003, दिनांक 10 नवम्बर, 2003 को निर्गत की जा चुकी है। उक्त नियमावली में पेन्शन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सारणी भी निर्धारित है तथा विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्व दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश निर्गत किए जॉय तथा यदि पेन्शन निर्धारण में विलम्ब की सम्भावना हो तो उस स्थिति में अनन्तिम पेन्शन का भुगतान किया जाय। यदि सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को नहीं हो सके तो उसकी जानकारी भुगतानादेश निर्गत न हो जाने के कारणों सहित उच्चत्तर अधिकारी को दिया जाना अपेक्षित होगा, जो पेन्शन प्रकरण का सीधे निस्तारण सुनिश्चित करेंगें।

4. यदि प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्यूटी का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह बाद किया जाता है तो भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह के अवधि के बाद से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जायेगा। यदि यह निर्णीत हो जाता है कि ग्रेच्यूटी का भुगतान किया जाना है तो इसका भुगतान तुरन्त कर दिया जाय और ब्याज की मद पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाय। ऐसा करने से ब्याज की मद में दी जाने वाली धनराशि में बचत की जा सकेगी। परन्तु यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जायेगा जहॉ यह स्पष्ट रूप से सिद्व हो कि ग्रेच्यूटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो । ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जायेगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जायेगा। जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गई धनराशि की वसूली दोषी व्यक्तियों से उनके वेतन के अनुपात में की जाये।

5. सेवानिवृत्त कार्मिक द्वारा अपनी पेन्शन के एक भाग के राशिकरण की धनराशि को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर यदि ब्याज की मांग करते हैं तब ऐसे प्रकरणों हेतु स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन देय धनराशि को विलम्ब से भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है, क्योंकि पेन्शन के एक भाग की राशिकृत मूल्य की स्वीकृति हो जाने पर भी उसके भुगतान की तिथि तक पेन्शन एवं देय मंहगाई राहत का भुगतान होता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी की

सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्व विभागीय/न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उस कार्यवाही के लम्बित रहते पेन्शन के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा।

कृपया उपरोक्त प्रस्तरों में स्पष्ट की गयी स्थिति का कढाई से अनुपालन सुनिशिचित किया जाय।

भवदीय

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त

संख्या-979/**Xxvll** (3) पे/2004, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं 23 लक्ष्मीरोड, देहरादून।
2. निदेशक, पेन्शन एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय भवन,माजरा,देहरादून.
4. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तरांचल।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. विधान सभा, सचिवालय ।
8. राज्यपाल सचिवालय ।
9. गार्ड फाईल।
10. निदेशक एवं आई०जी० खनिकर्म परिषद देहरादून

आज्ञा से

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव, वित्त

संख्याः / XXVII(3)पें / 2004

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल।
(2) समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।

वित्त अनुभाग–3 देहरादूनःदिनांकः 26,अगस्त,2004

विषय –राज्य सरकार के सेवा निवृत पेंनशनरों को बैंक अथवा कोषागार मे जीवित प्रमाण पत्र भरने की सुविधा के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तरांचल के समस्त कोषाधिकारियों को जीवन प्रमाण पत्र विषयक पत्रांक 2912 / 22 (22) / प्रा0वि0 / नि0 का0 वि0 से0 / 2003 दि0 19 दिसम्बर, 2002 एवं पत्रांक 1413 / 22 (22) / प्रा0 वि0 / नि0 का0 वि0 से0 / 2003 दि0 8 अक्टूबर, 2003 के क्रम में निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तरांचल के अर्द्धशासकीय पत्र सं0– 2786 / नि0 ले0 ह0 / विविध दि020 अक्टूबर, 2003 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने कर निदेश हुआ है कि वर्तमान मे पेंशनरों के लिए लागू एकल नाम से बैंक में खोले गये खाते के माध्यम से कोषागार द्वारा पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि पेंशनर द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक वर्ष में एक बार माह नवम्बर में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–2 के प्रस्तर– 518 के अर्न्तगत आवश्यक जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। इस सम्बन्ध में शासन को विभिन्न पेंशनर संघों से प्रत्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि प्रत्येक पेंशनर को कोषागार में उपस्थित होने में अत्यन्त वृद्ध,रूग्ण,अशक्त,विकलांग पेंशनरों को समस्या होती है और प्रायः समय से प्रमाण पत्र न देने से आगामी माहों के पेंशन में विलम्ब के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2–इस प्रकरण पर शासन द्वारा विचार विमर्श करके पेंशनरों को सुविधा प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये हैं:–

(क) जीवन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरांचल में स्थित उस बैंक शाखा के प्रबन्धक भी अधिकृत होंगे जिस बैंक शाखा में सम्बन्धित पेंशनर का पेंशन खाता (एकल नाम से बैंक खाता) है। पेंशनर के अनुरोध पर संशोधित प्रारूप में जीवन प्रमाण पत्र सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक (अर्थात जहाँ पेंशन खाते खुले हैं) द्वारा भी दो प्रतियों में दिया जा सकेगा जो कोषागार में स्वीकार किया जायेगा । बैंक शाखा प्रबन्धक एसे प्रमाण–पत्र को कोषागार से आने वाले विशेष वाहक, जो कि पेंशनभोगियों के पेंशन संबधी भुगतान का चेक / भुगतान विवरण लेकर आते है के माध्यम से कोषगार में भेजा जाय ।

.....2/

(2)

(ख) जीवन प्रमाण पत्र की एक प्रति सम्बन्धित पेंशनर को उपलब्ध करायी जा सकती है, जिसे पेंशनभोगी चाहे तो सीधे कोषागार अथवा उससे सम्बद्ध उपकोषागार को उपलब्ध करा सकता है । प्रमाण पत्र की एक प्रति अनुवर्ती सत्यापन और अभिलेख के लिए बैंक शाखा में रखी जायेगी। यदि उपकोषागार में जीवन प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराया जाय तब उपकोषागार उसे अबिलम्ब कोषागार में भेजेगा ।

(ग) जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा इस प्रकार जारी प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित बैंक के नोडल कार्यालय/शाखा (सम्बन्धित बैंक द्वारा एतदर्थ नामित) से सत्यापन प्रमाण पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से विलम्बतम दो माह के अन्दर करायेंगे। इस हेतु प्रमाण पत्रों को मूलरूप में बैंक शाखावार सूचीबद्ध करते हुए सम्बन्धित नोडल कार्यालय/शाखा को सत्यापन उपरान्त वापसी के अनुरोध सहित भेजा जायेगा।

3—बैंक से पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स के आयकर के सम्बन्ध में पेंशन से आय विषयक निर्धारित प्रपत्र(आयकर—16ए) का विवरण निर्धारित समय पर वह कोषागार जहाँ पर सम्बन्धित पेंशनर्स के मूल पेंशन प्रपत्र रखे हैं,के द्वारा सीधे बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा तथा बैंक की सम्बन्धित शाखा जहां पर पेंशनभोगी का खाता है द्वारा उक्त आयकर प्रपत्र सम्बन्धित पेंशनभोगी को हस्तान्तरित करेगा

4—उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा संबन्धित स्तरों से निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्न—यथोपरि

भवदीय,

राधा रतूड़ी
सचिव

संख्या—।०ळ्ळXXVii(3)पे0/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

(1) महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा,देहरादून।
(2) निदेशक, पेंशन लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल।
(3) निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल।
(4) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(6) भारतीय स्टेट बैंक तथा समस्त अनुसूचित बैंकों के प्रबन्धक।
(7) निर्देशक, एन0आई0सी0,उत्तरांचल देहरादून।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या /XXVII(3)पें/2004 का संलग्नक

फार्म संख्या 8 (1)

पेन्शनरों द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रमाण पत्र

(प्रस्तर 17 देखा जाय)

1– जीवन–प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनभोगी/खाताधारक श्री/श्रीमती.....

(पेंशन भोगी/खाताधारक का नाम)जो पेंशन भुगतान संख्या...../बैंक खाता संख्या..... के हस्ताक्षर संख्या.....का धारक है, को स्वयं देखा है और यह कि वह आज की तारीख में जीवित है ।

हस्ताक्षर..... हस्ताक्षर.....

अधिकृत अधिकारी का नाम ..... शाखा प्रबन्धक का नाम.....

....

नमूना हस्ताक्षर संख्या.....

स्थान .....

बैंक शाखा का नाम.....

दिनांक..... पेंशन भोगी/खाताधारक का हस्ताक्षर अथवा निशान अगूंठा

(जो लागू न हो उसे काट दिया जाए)

फार्म संख्या 8(2)

2. रोजगार रहित होने संबंधी प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार किया है (उत्तरांचल प्रदेश सेवा के प्रथम श्रेणीअधिकारी द्वारा सेवानिवृत्ति के प्रथम दो वर्षो में दिया जाना है)

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करके/बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए भारत सरकार की परिधि के बाहर या किसी भी सरकार(केन्द्र, राज्य या केन्द्र शासित) के अधीन किसी प्रकार का रोजगार स्वीकार किया है /स्वीकार नहीं किया है,(केवल उत्तरांचल प्रदेश के प्रथम श्रेणी के अधिककार द्वारा दिया जाना है)

स्थान..... हस्ताक्षर.....

दिनांक..... पेंशन भोगी का नाम.....

फार्म संख्या 8(3)

3. पुर्नविवाह/अविवाहित होने का प्रमाण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अविवाहित नही हूँ/मैंने पिछले एक वर्ष के अन्दर विवाह नहीं किया है।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैने पुर्नविवाह नहीं किया है तथा ऐसा करने पर मैं कोषाधिकारी को सूचित करूंगा/करूंगी ।

स्थान..... हस्ताक्षर.....

दिनांक..... पेंशनभोगी का नाम.....

पेंशन भुगतानादेश संख्या.....

.....

पेंशन/पारिवारिक पेन्शनर की

बैंक का नाम/शाखा/खाता

संख्या.....

जन्मतिथि.....

पेंशन द्वारा सेवा में प्रथम बार कार्य भार (ग्रहण)करने की तिथि.....

'जो लागू न हो उसे काट दिया जाए'

नोट:कृपया कोषागार अभिलेखों में उपलब्ध हस्ताक्षर के अनुरूप ही हस्ताक्षर करने की कृपा करें ।

(19)

पत्र संख्या:17-xxvii(7)अ.आ./2005

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सचिव, शिक्षा
उत्तरांचल शासन।

वित्त(सामान्य नियम-वेतन आयोग)अनु0-7 देहरादून: दिनांक 25 सितम्बर, 2005

विषय:- अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता की व्यवस्था से सम्बन्धित स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या: 220/xxvii(3)अ.आ./2005 दिनांक: 16 जून, 2005 द्वारा अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानिवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता प्रदान की गयी है। सेवानिवृत्तिक लाभों की व्यवस्था के विषय में प्रशासनिक विभाग से प्राप्त सन्दर्भ में विभिन्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गयी है। इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक: 16-6-2005 में दी गयी व्यवस्था तथा विभाग द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे निम्नानुसार बिन्दुवार स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है-

1- जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक: 30 जून 2005 को तथा पूर्व में जिन्होंने 58 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया था, ऐसे शिक्षक उक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप अब 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होंगे तथा उन्हें ग्रैच्युटी की अनुमन्यता होगी।

2- 58 वर्ष की रोक पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले ऐसे शिक्षक जो दिनांक: 30-6-2005 तक सत्रान्त विस्तार पर चल रहे थे, उनको भी उक्त शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्तिक तथा ग्रैच्युटी के लाभ की अनुमन्यता होगी।

3- शासनादेश दिनांक:16 जून, 2005 के प्रस्तर-4 में शिक्षकों की अधिवर्षता की तिथि को सेवानिवृत्त होने एवं सत्रान्त तक पुनर्नियुक्त किये जाने की व्यवस्था उत्तरांचल माध्यमिक शिक्षा अधिनियम एवम् परिषद के विनियम में समोचन

4- शिक्षण सत्र की अनवरतता हेतु अधिनियम/परिनियम में संशोधन होने तक मानक पूर्ववत रहेंगे।

भवदीय,

इन्दु कुमार पान्डे
प्रमुख सचिव

संख्या 1[illegible] (1)/xxvii(7)अ.आ./2006 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओर्डेराय भवन, माल्देरा, देहरादून।
2- सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
3- निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल।
4- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल।
5- मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
7- समस्त वित्त अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
8- रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तरांचल, देहरादून।
9- शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग/कृषि एवं जलागम अनुभाग।
10- वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
11- निदेशक, एन.आई.सी. देहरादून।
12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टी0 एन0 सिंह)
अवर सचिव

(20)

संख्या-37-XXIV(8)/07-13/2004

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल

शिक्षा अनुभाग-8 (तकनीकी) देहरादून: दिनांक: 20 जुलाई, 2007

विषयः- राज्य के शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय बहुधन्धी संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कार्मियों की अधिवर्षता आयु के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 220/XXVII(3)/आ.आ./ 2005 दिनांक 18 जून 2005 के क्रम में आपके पत्र संख्या: 3848/नि.प्रा.शि./स्था.-के.पी.-3/ 2006-07 दिनांक 11 जनवरी, 2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य के शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय बहुधन्धी संस्थाओं के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को शासन द्वारा सृजित पदों पर, अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग-अलग सेवानिवृत्तिक लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर अनुतोषिक(ग्रेच्युटी) सहित सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय बहुधन्धी संस्थाओं में 58 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

3- ग्रेच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्ही शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिन के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।

4- 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा। जिन शिक्षकों से सत्रांत तक कार्य लिया जाना अति आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुनर्नियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन की जायेगी तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर-520 के अनुसार वेतन में राशिकरण के पूर्व पेंशन की धनराशि घटा कर

वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा महगाई भत्ता एवं मेहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5- राज्य के शासकीय सहायता प्राप्त अशासकीय बहुधन्धी संस्थाओं में उपरोक्तानुसार व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप, निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड तदनुसार अधिनियम/ नियमावली आदि में यथावांछित संशोधन किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध करायेगें।

6- उपरोक्तानुसार आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-730/XXVii(7)/2007 दिनांक 19 मार्च 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शत्रुघ्न सिंह)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1 महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओवेराय भवन माजरा देहरादून।
2 मण्डलायुक्त गढवाल पौडी उत्तराखण्ड।
3 जिलाधिकारी हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
4 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी हरिद्वार, उत्तराखण्ड
5 प्रधानाचार्य, के.एल बहुधन्धी संस्थान, रूडकी उत्तराखण्ड।
6 रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, उत्तराखण्ड देहरादून।
7 वित्त अनुभाग-7
8 निदेशक एन.आई.सी सचिवालय परिसर देहरादून।
9 गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

(24)

सं0- 409/XXIV/(1)/2007-26/06

प्रेषक,

डी0के0 कोटिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
मयूर विहार, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक)

देहरादून दिनांक: 14 अगस्त, 2007

विषयः- बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीयकरण के फलस्वरूप ग्रेच्युटी, बीमा आदि के सम्बंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक/बेसिक-2/15847/2007-08 दिनांक 29 जून, 2007 के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अधिसूचना दिनांक 22.4.2006 से राजकीय कर्मचारी घोषित किया जा चुका है। राज्य कर्मचारियों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु नीतिगत निर्णय लिये जाने के उपरान्त वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 को संशोधित करने के बाद अधिवर्षिता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया है। शासन द्वारा पूर्व में यह भी नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है कि मूल नियम-56 में परिवर्तन के बाद विकल्प या बिना विकल्प के 60 वर्ष की आयु तक जिन प्रकरणों में ग्रेच्युटी अनुमन्य है, देय होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों की बेसिक शिक्षा परिषद में रहते हुये भी पेंशन की गणना उसी प्रकार की जाती थी जिस प्रकार राजकीय कर्मचारियों की पेंशन गणना की जाती है। अब चूंकि मूल नियम-56 के प्रावधानों को संशोधित कर अधिवर्षिता की आयु 60 वर्ष कर दी गयी है एवं 60 वर्ष की आयु पर ग्रेच्युटी की अनुमन्यता भी कर दी गयी है, ऐसी स्थिति में अन्य राज्य कर्मचारियों की भाँति बेसिक शिक्षा परिषद के शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को भी यह सुविधा देय होगी, अर्थात् बेसिक शिक्षा परिषदीय सेवा का दिनांक 22.4.2006 से राजकीयकरण होने की तिथि के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिये ग्रेच्युटी की अनुमन्यता हेतु उनकी बेसिक शिक्षा परिषद की दिनांक 21.4.2006 तक की सेवायें तथा दिनांक 22.4.2006 से राजकीय सेवा में की गई सेवा की, दोनों अवधियों को जोड़ करके गणना करके राज्य सरकार के कार्मियों को 33 वर्ष की सेवा पर अनुमन्य साढ़े सोलह (16½) माह के वेतन को आगणित करके अधिकतम रू0 3.50 लाख (रूपये तीन लाख पचास हजार) की दर से ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी। राजकीयकरण

के पूर्व सेवानिवृत्त कार्मिकों को ग्रेच्युटी की देयता नहीं होगी, क्योंकि उनकी सेवा शर्तें भिन्न थी।

2 जिस तिथि से बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों का राजकीयकरण किया गया है उसी तिथि से विधि अनुरूप वे राज्य कर्मचारी हो गये हैं, अतः पूर्व से राजकीय विद्यालयों एवं सरकारी कर्मचारियों हेतु शासनादेश संख्या 16/XXVII(7)/सा0बीमा/2005 दिनांक 24 अक्टूबर, 2005 के द्वारा लागू सामूहिक बीमा योजना उन पर स्वतः ही लागू हो जायेगी। दिनांक 22.4.2006 से पूर्व बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी के रूप में बीमा की धनराशि में यदि कोई बचत निधि का अंश हो तब जीवन बीमा निगम को प्राप्त कराया गया बचत निधि का अभिदान जीवन बीमा निगम से प्राप्त कर संबंधित कर्मचारियों को भुगतान कराया जाय। दिनांक 22.4.2006 से सामूहिम बीमा का अभिदान राजकोष में मुख्य लेखा शीर्षक "8011–राज्य कर्मचारियों हेतु सामूहिक बीमा" एवं वेतन संबंधी अदायगी के अधीन ही जमा किया जाना नियमानुकूल होगा, क्योंकि राजकीय कर्मचारियों हेतु सामूहिक बीमे का रख–रखाव महालेखाकार स्तर पर किया जाता है तथा राजकीय कर्मचारियों के वेतन से मासिक अभिदान की कटौती तथा बीमा आच्छादन की धनराशि के साथ–साथ बचत निधि के भी स्पष्ट प्राविधान हैं ऐसी स्थिति में 22.4.2006 के बाद उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 24.10.2005 की व्यवस्थानुसार राजकीय कर्मचारियों की भाँति निम्नानुसार कटौती की जायेगी :–

क.सं.	वेतनमान का अधिकतम	मासिक अभिदान (रूपये में)	बीमा आच्छादन की धनराशि (रूपये में)
1.	रू0 6999 से तक	30/–	30,000/–
2.	रू0 7000 से 13500 तक	60/–	60,000/–
3.	रू0 13501 या इससे अधिक	120/–	1,20,000/–

3– बीमा के विषय में बेसिक शिक्षा परिषद हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत पूर्व शासनादेश दिनांक 22.4.2006 से ही निरस्त समझा जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0संख्या–316/XXVII(7)/2007 दिनांक 10 अगस्त, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0के0 कोटिया)
सचिव।

सं0–409(1)/XXIV(1)/2007–26/06

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वि0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या:419 / XXVii(7) / 2008
देहरादून:दिनांक:27 अक्टूबर,2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति,1 उत्तराखण्ड(2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01-01-2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रैच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति,उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन,ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के संबंध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या 394 / XXVii(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनांक 1-1-2006 से प्रभावी समझे जाएगें तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण / समायोजन किया जाएगा।

2- यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर(जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या-सा-3-969 / दस-923 / 85 दिनांक 8-8-1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-3-1720 / दस-308-97 दिनांक 23 दिसम्बर,1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे । यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली(गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,दिनांक 1 अक्टूबर,2005 से लागू नई अंशदान पेंशन योजना के सदस्यों,शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो ।

3-(1)इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन कर्मचारियों पर लागू होगीं, जो दिनांक 1-1-2006 को अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुऐ है ।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 1-1-2006 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्तिक ग्रेच्युटी का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है,का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा । यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिऐ लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा ।

4-(1)परिलब्धियाँ-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों(सेवानिवृत्तिक/डेथ ग्रेच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम 9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था ।

(2)"वेतन"-का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड(2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर-5 के अनुसार निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड-वेतन का योग होगा,जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नहीं होगा ।

(3)सेवानिवृत्तिक/डेथ कम ग्रेच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ता को सम्मिलित किया जाएगा ।

5-पेंशन-पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन(1-1-2006 से रू0 80,000/-) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । राज्य सरकार की पेंशन की दरों के संबंध में पूर्व में की गई व्यवस्था उक्तानुसार संशोधित समझी जाएगी ।

यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 3500/-से कम न हो, का आगणन किया जाय तब न्यूनतम पेंशन रू03500/-निर्धारित की जायेगी।

6-पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा-

(1)10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रेच्युटी अनुमन्य होगी ।

(2)पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की राजकीय सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी ।

(3)20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियाँ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी । जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी ।

(4)स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष सेवा अथवा अधिकतम पांच वर्ष जो भी कम हो, की सेवा जोड़ने की व्यवस्था अब समाप्त की जा रही है । वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 के भाग 2–4 के मूल नियम–56 में आवश्यक संशोधन यथासमय कर दिया जायेगा ।

(5)10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत में पेंशन का आगणन किया जाय।

7—<u>सेवानिवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी</u>— सेवानिवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रू0 10.00 लाख(रू0 दस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी । इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत रहेगा ।

8—<u>पारिवारिक पेंशन</u>—

(1)पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य क्रम से की जायेगी । पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी । इस संदर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबंधित व्यवस्था दिनांक 1–1–2006 से तदनुसार संशोधित समझी जायेगी । दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर अनुमन्य होगी । उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी ।

(2)पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" की परिभाषा पूर्ववत निम्नलिखित होगी–

(क)दिनांक 1–1–2006 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है–

(1)पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3)मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए

अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानें भी सम्मिलित है ।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा संबंधित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 1—1—2006 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी परिवार में सम्मिलित माना जाएगा । दिनांक1—1—2006 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय सरकारी सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा। पूर्णतया आश्रित होने पर जीविकोपार्जन से संबंधित मासिक आय के संबंध मे स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा और तब तक पूर्व मासिक आय की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी ।

9—पेंशन के एक भाग का राशिकरण—पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि की संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकरण की व्यवस्था दिनांक 1—1—2006 से लागू न होकर तत्काल प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप निर्गत किये जाने की तिथि से ही लागू होंगी । कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से पूर्व जो राशिकरण कर दिया गया उसकी पुनरीक्षण/वसूली नहीं की जायेगी, परन्तु यदि वर्तमान मे कोई 40 प्रतिशत की सीमा में पुनः राशिकरण कराना चाहता है तो वर्तमान दरों पर ही राशिकरण किया जाय।

10—इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जाय ।

11— 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 1—1—2006 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुनन्य कराया जाय:—

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु

अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृतांधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा । पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेगें।

12–दिनांक 1–1–2006से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रैच्युटी की 31–8–2008 तक की देयता का 40 प्रतिशत 2008–09 तथा 60 प्रतिशत 2009–10 को नकद भुगतान किया जायेगा ।

13– दिनांक 1–1–2006 के बाद सेवा त्यागने/ कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जाय।

संलग्नक– (1) राशीकरण आगणन–सूचालिका

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव,वित्त

संख्या:419(1) / xxvii(7) / 2007 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,उत्तराखण्ड शासन ।
2.समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
3.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,देहरादून।
4.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड,नैनीताल ।
5.स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
6.सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड ।
7.सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
8.उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9.समस्त कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
10.निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल ।
11.उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को 200प्रतियां प्रकाशनार्थ ।
12.निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड राज्य एकक ।
13.गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव ।

ANNEXURE—I

COMMUTATION VALUE FOR A PENSION OF Re.1 PER ANNUM

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.892
29	9.176	50	8.846	71	6.705
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.230
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्याः420/XXVII(7) मं.रा./2008
देहरादून, दिनांकः 27 अक्टूबर, 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में 1–1–2006 से लागू पुंनरीक्षित महंगाई राहत स्वीकृत किया जाना।

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार के समतुल्य वेतनमान दिए जाने विषयक राज्य की वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत शासनादेश सं0 419 / XXVII(7)पें/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा अनुमन्य किए गए वेतनमानों पर राज्य सरकार के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को निम्नानुसार महंगाई राहत अनुमन्य कराया जाय।

महंगाई राहत लागू करने की तिथि	उक्त तिथि से मूल वेतन पर अनुमन्य महंगाई राहत का प्रतिशत
1.01.2006 से	महंगाई राहत देय नहीं है।
1.07.2006 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 02 प्रतिशत।
1.01.2007 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 06 प्रतिशत।
1.07.2007 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 09 प्रतिशत।
1.01.2008 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 12 प्रतिशत।
1.07.2008 से	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 16 प्रतिशत।

2. उपरोक्त तिथियों तथा दरों पर महंगाई राहत का भुगतान पूर्व में शासनादेश सं0 29(A)/XXVII(7)पें/2006 दिनांक 26 अप्रैल, 2006 द्वारा दिनांक 01.01.2006 से शासनादेश सं0 215/XXVII(7)पें/2006 दिनांक 04 अक्टूबर, 2006 द्वारा दिनांक 01.07.2006 से, शासनादेश 30/XXVII(7)पें/2007 दिनांक 24 अप्रैल, 2007 द्वारा दिनांक 01.01.2007 से, शासनादेश सं0 280/XXVII(7)पें/2007 दिनांक 01 अक्टूबर, 2007 द्वारा दिनांक 01.07.2007 से एवं शासनादेश सं0 19/XXVII(7)पें/2008 दिनांक 21 मार्च, 2008 द्वारा दिनांक 01.01.2008 से स्वीकृत किए गए महंगाई राहत का समायोजन करने के उपरान्त किया जायेगा।

3. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन में मूल पेंशन का तात्पर्य निर्धारित रेडी रैकनर में बेसिक पेंशन तथा महंगाई पेंशन (डी0पी0)को जोड़कर जो धनराशि होगी उसे ही उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक–1 के कालम–3 के अनुसार मूल पेंशन माना जायेगा।

4. महंगाई राहत के निर्धारित प्रतिशत में स्वतंत्र अनुमन्यता है इसे मूल नियम 9 (21) में परिभाषित वेतन का भाग नहीं माना जायेगा।

P1

5. महंगाई राहत के आंगणन के समय 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा और यदि आंगणन 50 पैसे या उससे अधिक है तो इसे रूपये में मान लिया जायेगा।

6. दिनांक 01.01.2006 के पूर्व के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु निर्गत शासनादेश सं0421/XXVII(7)पें/2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के साथ रेडी रैकनर की तालिका के कालम–3 में पुनरीक्षित पेंशन पर उपरोक्त महंगाई राहत की दरें अनुमन्य होगी।

7. यदि कोई पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर दो पेंशन प्राप्त करने का हकदार है तब न्यूनतम पेंशन धनराशि रू0 3500 (रूपये तीन हजार पांच सौ मात्र) हेतु दोनों पेंशन जोड़कर रू0 3500/– की धनराशि संज्ञान में ली जाय।

आलोक कुमार जैन
प्रमुख सचिव

संख्याः 420/XXVII(7) मं.रा./2008 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय नियंत्रण विभाग) कमरा नं0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110 001
6. सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
9. रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
12. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टी0एन0 सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

संख्या 421 /XXVII(7) पेंशन / 2008

देहरादून, दिनांक: 27 अक्टूबर 2008

कार्यालय ज्ञाप

विषय: छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की भांति 1–1–2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय छठें केन्द्रीय वेतनमान के क्रम में वेतन समिति (उत्तराखण्ड 2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या 394/XXVII(7) /2008 दिनांक 17–10–2008 के अधीन दिनांक 1–1–2006 से पूर्व के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 31–12–2005 को अनुमन्य मूल पेंशन में 50% महगाई पेंशन जोडकर उस पर 24% मंहगाई राहत की अनुमन्यता के बाद 40% अधिभार देते हुए संलग्नक–3 में दिये गये फिटमेन्ट तालिका के अनुसार दिनांक 1–1–2006 से पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित की जाये।

2: दिनांक 1–4–2004 या उसके बाद जिन प्रकरणों में पेंशन का निर्धारण मंहगाई भत्ता जोडकर किया गया हो ऐसे प्रकरणों में मंहगाई पेंशन की धनराशि जोडी नहीं जायेगी।

3: पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 1–1–2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैण्ड के न्यूनतम तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किय हो, अनुमन्य ग्रेड पे को जोडकर न्यूनतम 50% से कम पेंशन निर्धारित न हो, अर्थात 1–1–2006 के पूर्व के पद के वेतनमान को दिनांक 1–1–2006 के समतुल्य बेण्ड पे के न्यूनतम तथा ग्रेड पे का 50% पद का न्यूनतम पेंशन अर्ह होगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में अर्ह सेवा का अनुपात आंगणित करना आवश्यक होगा।

4: दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित पेंशन की समेकित धनराशि में से पूर्व से राशिकरण की धनराशि घटाने के बाद भुगतान किया जाये तथा मंहगाई राहत मूल पेंशन पर देय होगी।

5: दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित पेंशन किये जाने के फलस्वरूप पेंशन की अधिकतम धनराशि रू0 40000 / – तथा सामान्य स्थिति में पारिवारिक पेंशन रू0 24000 तक की अनुमन्यता होगी।

6: जिन पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई है उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी जिस पर मंहगाई राहत भी देय होगी।

पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	मूल पेंशन के अतिरिक्त अनुमन्य पेंशन
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	पुनरीक्षित पेंशन / पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	" " " 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	" " " 40%
95 वर्ष से 100वर्ष से कम तक	" " " 50%
100 या अधिक	" " " 100%

7: दिनांक 1–1–2006 से पुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु मंहगाई राहत का अलग से शासनादेश निर्गत किया जा रहा है जो कि पूर्व में भुगतान की गयी मंहगाई राहत की धनराशि को समायोजित करने के बाद भुगतान किया जाये।

8: दिनांक 1–1–2006 के पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू0 1275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500/– किया जाये परन्तु ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें एक से अधिक पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु सभी अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में लिया जाये।

9: जो पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पुनर्नियुक्ति पर हों तथा उनकी मंहगाई राहत स्थगित हो तो ऐसे प्रकरण में दिनांक 1–1–2006 को पेंशन निर्धारण करते समय नोसनल मंहगाई राहत के आधार पर पेंशन निर्धारण किया जाये। परन्तु दिनांक 1–1–2006 के बाद ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत पूर्व की भॉति पुनर्नियुक्ति की अवधि में स्थगित रखा जाय।

10: उपरोक्त पुनरीक्षित पेंशनर्स/ पारिवारिक पेंशन का लाभ तत्काल प्राप्त हो जाये, के लिए सम्बन्धित संवितरण अधिकारी समयबद्ध कार्यवाही की जाय।

11: संबंधित संवितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगें कि यदि किन्हीं कारणों से किसी पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नहीं किया गया हो तब प्रथमतः वरियता के क्रम में नियमों के अधीन दिनांक 1–1–96 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित करे, उसके बाद छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में केन्द्र सरकार में लागू संशोधित पेंशन तथा तत्क्रम में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित की जाये। दिनांक 1–1–2006 या उसके बाद सेवा निवृत्त/दिवंगत/सेवा छोडने वाले कर्मचारियों हेतु पेंशन का निर्धारण शासनादेश संख्या 419 /XXVII(7) पेंशन/ 2008 दिनांक 27.10.2008 के अनुसार किया जाये।

संलग्नक: पेंशन पुनरीक्षण की फिटमेन्ट तालिका

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्या 421 /XXVII(7) पेंशन/ 2008, एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1: महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबरॉय भवन, माजरा, देहरादून।
2: समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून
3: वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी(वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय नियंत्रण विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001 ।
4: सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5: सचिव,विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6: महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7: रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
8: निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9: स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
10: निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
11: गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक,
कोषागार एवं वित्त सेवायें,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त–7 देहरादून दिनांक 7 जनवरी 2009

विषयः 9 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनर्स को दिनांक 1–1–2006 से संशोधित पेंशन दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में कोषागार द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की भाँति दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के पूर्ववर्ती राज्य उ0 प्र0 के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर इस पुनरीक्षण से आच्छादित होंगें अथवा नहीं,के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 54 के साथ पठित सिड्यूल 8 में स्पष्ट किया गया है कि जो पेंशनर्स जिस राज्य के भौगौलिक क्षेत्र से पेंशन पा रहें हैं, प्राप्त करते रहेंगें तथा पूर्ववर्ती राज्य के पेंशनर्स पर किये गये व्यय का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा। उत्तराखण्ड की भाँति वर्तमान उत्तर प्रदेश द्वारा भी छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड के समान दिनांक 1–1–2006 से पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स का पुनरीक्षण कर दिया गया है। अतः 9 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन का पुनरीक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश 421/XXVII(7) पेंशन/2008 दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के क्रम में किया जाये।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

संख्या 07/XXVII(7)/2009 एवं तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3. निदेशक, लेखा एवं हकदारी लक्ष्मी रोड देहरादून उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या221/xxvii(7)/2009
देहरादून, दिनांक: 08 अक्टूबर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न सेवानिवृत्त पेंशनर्स द्वारा छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की भांति दिनांक:1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में की गई जिज्ञासा के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ है।

जिज्ञासायें	स्पष्टीकरण
1.दिनांक 1–1–2006 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनर्स के विषय में निर्गत शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6 में पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष किये जाने की व्यवस्था कब से लागू की गई है, क्या यह प्रस्तर–1 में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन/ग्रैच्युटी के समान दिनांक 1–1–2006 से प्रभावी समझे जाएगें?	दिनांक1–1–2006 से पुनरीक्षित की गई पेंशन में जो भी नये नीतिगत निर्णय लिये गये हैं उक्त निर्णय से संबंधित प्रस्तर में उनके लागू किये जाने की तिथि स्पष्ट रूप से इंगित की गई है। पेंशन/पारिवारिक पेंशन का शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 निर्गत होने के पूर्व चूँकि अनेक पेंशनर्स सेवानिवृत्त हो चुके हैं इसीलिए शासनादेश का प्रस्तर–6(2) जो पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा के संबंध में है, की अंतिम पंक्ति से स्वतः स्पष्ट है कि पूर्ण पेशन हेतु अर्हकारी सेवा को 33 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष "तात्कालिक प्रभाव" अर्थात शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि दिनांक 27 अक्टूबर,2008 से किया गया है।
2.पेंशन पुनरीक्षण हेतु शासनादेश संख्या 419/xxvii(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–11 में वृद्ध पेंशनरों हेतु	उक्त प्रस्तर में आयु के प्रथम स्लैब में 80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम का अर्थ यह है कि 79 वर्ष पूर्ण होने पर 80वॉ वर्ष प्रारम्भ होने पर तथा 84 वर्ष के अंतिम

आलोच्य अवधि का आशय क्या है अर्थात प्रथम स्लैब में 80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम का आशय क्या है अर्थात 80 वर्ष प्रारम्भ होने पर देय होगी या 80 वर्ष पूर्ण होने पर अनुमन्य होगी।

दिन तक 20 प्रतिशत की पेंशन/पारिवारिक पेंशन अतिरिक्त रूप से देय होगी।

3.80 वर्ष या इससे अधिक आयु की गणना किस प्रकार की जाएगी?

3.उपरोक्त कार्यवाही किस स्तर पर की जाएगी ?

पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नही है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के संबंध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा । विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखो से इसका परीक्षण करेगें। कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही वे मान्यता प्रदान की जाएगी और तदनुसार कोषागार को उपलब्ध करायेगें। मात्र आयु का उल्लेख होने पर (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) उस वर्ष की 1 जुलाई को एक वर्ष माना जाएगा, उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेशनरों की जन्मतिथि हेतु ड्राईविंग लाईसेंस/

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:305/ xxvii(7) / 2009
देहरादून, दिनांक: 08 अक्टूबर,2009

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर दिनांक 1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण।

विभिन्न सेवानिवृत्त पेंशनर्स द्वारा छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार की भांति दिनांक:1–1–2006 के पूर्व एवं बाद के राज्य सरकार के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संबंध में की गई जिज्ञासा के कम में अद्योहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत का निदेश हुआ है।

1–दिनांक1–1–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण / पुनरीक्षणः–

1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेंशन पुनरीक्षण संबंधी प्राधिकार–पत्र निर्गत करने का उत्तरदायित्व पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी को सौंपा गया है। इस कम में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे पेंशनर जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 30–9–1988 अथवा उसके पूर्व की है एवं जिनके पेंशन प्राधिकार–पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किये गये है। ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के पेशन पुनरीक्षण का कार्य कोषाधिकारी स्तर पर किया जायेगा। इस हेतु उक्त शासनादेश के साथ संलग्न प्रारूप–1 पर वॉछित सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करते हुए संबंधित कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। महालेखाकार स्तर से पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र निर्गत किये जाने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। अपितु संलग्न–प्रारूप–1 पर प्राप्त सूचना के आधार पर संबंधित कोषागारों द्वारा भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 1–9–2008 के प्रस्तर–42 के अनुसार पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण कर दिया जाएगा।

2) शासनादेश संख्या 421 / xxvii(7) दिनांक 27 अक्टूबर,2008 द्वारा दिनांक:1–1–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना है।उक्त शासनादेश के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही

इस शर्त के साथ की जानी है कि पेंशनर की पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड-पे योग के 50 प्रतिशत की धनराशि से कम नही होगी। जहॉ अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है वहॉ यह धनराशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में यह रू0 3500/-प्रतिमाह से कम नहीं होगी । इसी प्रकार पारिवारिक पेंशन की धनराशि संबंधित सरकारी सेवक के दिनांक 1-1-2006 के पूर्व सेवानिवृत्त समस्त पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेशन का उपर्युक्तानुसार पुनरीक्षण भी कोषागार स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा भले ही पेंशन/पारिवारिक पेंशन स्वीकृता अधिकारी कोई हो।

3) पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किया जाएगा । संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का उत्तरदायित्व होगा कि समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के उक्त विवरण दिनांक 31 दिसम्बर,2009तक प्रत्येक दशा में कोषागार को प्रेषित कर दिया जाय।

4) कोषागार स्तर पर सूचना प्राप्त होने पर पेंशन पुनरीक्षण की कार्यवाही कोषागार द्वारा की जाएगी। पुनरीक्षित पेंशन से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप-2 पर पेंशनर को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।
पुनरीक्षित पेंशन की एक प्रति पेंशन स्वीकृत अधिकारी को भी अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाएगी । पेंशन स्वीकृत अधिकार उक्त सूचना के आधार पर अपने अभिलेख को अद्यावधिक कर लेगें।

5) 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के अतिरिक्त पेंशन भुगतान किये जाने की कार्यवाही भी कोषाधिकारी स्तर पर की जायेगी। पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त पेंशनर की जन्म तिथि के संबंध में पेंशनरों की भांति पारिवारिक पेंशनरों को शासनादेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर लेने पर अतिरिक्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। सामान्यतया पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशन अभिलेखों में अंकित नही है अतएव समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों द्वारा पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि के संबंध में अपने विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को अवगत कराया जाएगा । विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय में अनुरक्षित अभिलेखो से इसका परीक्षण करेगें। कार्यालय अभिलेख यथा सामान्य भविष्य निर्वाह निधि या अन्य प्रयोजन हेतु भरे गये नामांकन प्रपत्र अथवा पेंशन प्रपत्र में पेंशनर/पारिवारिक

पेंशनर की आयु से संबंधित कोई विवरण उपलब्ध मिलता है तो उसे ही वे मान्यता प्रदान की जाएगी और तद्नुसार कोषागार को उपलब्ध करायेगें। मात्र आयु का उल्लेख होने पर (जन्मतिथि का उल्लेख न होने की दशा में) उस वर्ष की 1 जुलाई को एक वर्ष माना जाएगा, उपर्युक्त अभिलेखों में आयु का उल्लेख न होने पर पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु हाईस्कूल प्रमाण–पत्र और यदि हाईस्कूल का प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेशनरों की जन्मतिथि हेतु ड्राईविंग लाईसेंस/ पैनकार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र में अंकित जन्म तिथि यदि कोई हो, को मान्यता दी जाएगी यदि किसी पारिवारिक पेंशनर के पास उपरोक्त मे से कोई भी साक्ष्य या प्रमाण नही है तो ऐसी स्थिति में पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के उक्त आशय का अलग से प्रमाण दिया जायेगा और ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि हेतु सी0एम0ओ0 द्वारा दिया गया आयु प्रमाण–पत्र मान्य होगा। पेंशन प्रपत्रों में पूर्व से ही पारिवारिक पेंशनर की जन्मतिथि पेंशनर की आयु से अधिक अंकित होने पर उसे भी मान्यता प्रदान की जाएगी अन्यथा की स्थिति में पारिवारिक पेंशनर की आयु पेंशनर की आयु से अधिक अवगत कराये जाने पर पेंशनर की आयु को ही पारिवारिक पेंशनर की आयु माना जाएगा।

6) शासनादेश संख्या27/xxvii(7)(स्प0–1)/2009 दिनांक13 फरवरी,2009 द्वारा दिनांक 31–8–2008 तक के समयमान वेतनमान पर भी ग्रेड पे की अनुमन्यता की गयी है अतः दिनांक 31–8–2008 तक अनुमन्य समयमान वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान के प्रकरणों में भी वेतनमान(पे बैण्ड का न्यूनतम एवं ग्रेड पे जोड़कर) के अर्हकारी सेवापूर्ण होने /33 वर्ष पर पेंशन का न्यूनतम 50 प्रतिशत या तद्नुसार अनुमन्य पारिवारिक पेंशन का लाभ अनुमन्य कराया गया है। इसके अनुसार दिनांक 1–1–1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामले में पेशन का पुनरीक्षण सेवानिवृत्ति के समय 'धारित पद' के स्थान पर **'धारित' वेतनमान** के अनुसार किया जाएगा।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव(वित्त)।

संख्या-506(1)/XXVII(7)/2009 तददिनॉक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12 इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–305 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 08–10–2009

प्रारूप

सेवा में,

मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी.

विषयः– शासनादेश के अनुसार दिनांक 01–01–2006 से पेंशन / पारिवारिक पेंशन संशोधित करने का कष्ट करें। अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये हैं –

1– सरकारी कर्मचारी / पेंशन भोगी का नाम–

2– सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख–

3– तारीख जिससे पेंशन / पारिवारिक पेंशन आहरित की जा रही हो–

4– पेंशन भुगतानादेश संख्या–

5– पेंशनभोगी / दिवंगत सरकारी कर्मचारी के अन्तिम कार्यालय / विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पद–

6– पेंशन भुगतानादेश जारी करने वाले प्राधिकारी का पदनाम–

7– पेंशन संवितरण प्राधिकारी का पदनाम (बचत खाता संख्या जहां लागू हो)–

8– अन्तिम धारित पद का वेतनमान तथा अन्तिम आहरित वेतन–

9– सेवानिवृत्ति / मृत्यु के समय के पद के वेतनमान का दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित पे–बैण्ड एवं ग्रेड पे–

10– कर्मचारी की अर्हकारी सेवा अवधि–

11– पेंशनर श्री / श्रीमती ..... की जन्मतिथि ..... है। पारिवारिक पेंशनर श्री / श्रीमती / कु० ..... की जन्मतिथि ..... है।

दिनांक :

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष
पदनाम मुहर सहित।

संलग्नक – 2

शासनादेश संख्या–सा–3–1515/दस–2008–303/97, दिनांक 08–12–2008 एवं शासनादेश संख्या–सा–3–1520/दस–2008–101(24)/2008, दिनांक 11–12–2008 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन प्राधिकार पत्र :–

कोषागार का नाम .....

1– पेंशनर का नाम .....

2– कार्यालय का नाम .....

3– पेंशन का प्रकार .....

4– पेंशनर की जन्म तिथि .....

5– (1) सेवा प्रारम्भ करने की तिथि .....
(2) सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि
(3) अर्ह सेवा अवधि ..... वर्ष ..... माह ..... दिन .....

6– (1) 01–01–1996 को अनुमन्य वेतनमान–
(2) 01–01–2006 को सगवक्ष पे बैण्ड एवं ग्रेड पे – .....

7– (1) – पेंशन आगणन

(1) 01–01–2006 को वर्तमान पेंशन– रु0 .....
(2) वर्तमान पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन रु0 .....
(3) वेतन का न्यूनतम पे बैण्ड व ग्रेड पे के आधार पर आगणित पेंशन रु0 .....
(4) वह पेंशन जो उपरोक्त में से लाभप्रद हो रु0 .....
(5) राशिकरण भाग को कम करते हुए शुद्ध देय पेंशन रु0 .....

(2)– पारिवारिक पेंशन

(1) पारिवारिक पेंशनर का नाम– .....
(2) पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि – .....
(3) 01–01–2006 को वर्तमान पारिवारिक पेंशन रु0 .....
(4) वर्तमान पारिवारिक पेंशन के आधार पर समेकित पेंशन रु0 .....
(5) पे बैण्ड के न्यूनतम व ग्रेड पे के आधार पर आंगणन पारिवारिक पेंशन रु0 .....
(6) बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन रु0 .....
(7) साधारण दर पर अनुमन्य पारिवारिक पेंशन रु0 .....
* (क्रमांक– 4 व 5 में से जो लाभप्रद हो)

(3)– अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन

(1) 80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम आयु मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 20%
(2) 85 वर्ष से अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम आयु मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 30%
(3) 90 वर्ष से अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम आयु मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 40%
(4) 95 वर्ष से अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम आयु मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 50%
(5) 100 वर्ष अथवा अधिक आयु – मूल पेंशन/पारि0 पेंशन का 100%

लेखाकार सा0कोषाधिकारी कोषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– पेंशन स्वीकृत अधिकारी .....
2– पेंशन श्री/श्रीमती .....

(35)

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या 310/xxvii(7)म.भ./2009

सेवा में,

1–अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शसन।
2–सचिव, शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून,दिनांक 15 अक्टूबर, 2009

विषयः– राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को 60 वर्ष की अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या:220/xxvii(3)अ0आ0/2005 दिनांक 18 जून, 2005 के क्रम में निदेशक, विधालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड के पत्रांक अर्थ 5(क)8/1588/ग्रैच्युटी/2007–08 दिनांक 15 अप्रैल,2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों के लिए 60 वर्ष की अधिवर्षता की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने के दृष्टिगत राज्य के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के शासन द्वारा सृजित पदों पर तात्कालिक प्रभाव से 60 वर्ष की आयु पर अधिवर्षता पर अधिवर्षता की आयु पूरा होने पर 58 वर्ष एवं 60 वर्ष के अलग–अलग सेवानिवृत्ति लाभ के स्थान पर 60 वर्ष की आयु पर आनुतोषिक सहित सेवानैवृत्तिक लाभ दिये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2.उक्ताहनुसार एक मानक सिद्धान्त होने पर संस्थाओं में 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति पर ग्रैच्युटी न दिये जाने का अन्तर स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार के विकल्प दिये जाने की आवश्यकता नही होगी।

3.ग्रैच्युटी का लाभ अंशदायी भविष्य निधि खाते के विकल्पधारी उन्हीं शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो अपने अंशदायी भविष्य निधि खाते में राज्य सरकार के अंशदान के रूप में जमा समस्त धनराशि, उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि तथा अपने अंशदान की समस्त धनराशि एवं उस पर अर्जित एवं संकलित ब्याज की समस्त धनराशि राजकोष में इस शासनादेश की तिथि से 90 दिनों के अन्दर एक मुश्त जमा कर देंगे।

4.60 वर्ष की आयु पूरान करने पर अधिवर्षता की तिथि पर ही समस्त सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराया जायेगा तथा उसके बाद किसी भी प्रकार का सेवा विस्तार नहीं दिया

जायेगा। जिन शिक्षकों से सत्रांश तक कार्य लिया जाना आवश्यक हो, ऐसे प्रकरणों में पुर्ननियुक्ति की कार्यवाही पूर्व से स्थापित मानकों के अधीन की जाएगी, तथा अधिवर्षता आयु के बाद सिविल सर्विस रेगुलेशन के प्रस्तर–520 के अनुसार वेतन में पेंशन की धनराशि घटा कर वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा मंहगाई भत्ता एवं मंहगाई राहत में से मात्र एक ही लाभ अनुमन्य होगा।

5.उक्त व्यवस्था लागू किये जाने के फलस्वरूप माध्यमिक शिक्षा अधिनियम/नियम आदि में उपरोक्त विषयक यथावांछित संशोधन किया जाना प्रशासनिक विभाग का दायित्व होगा।

6. यह आदेश वि0वि0 के शासनादेश सं0220/xxvii(3)अ.आ./2005 दिनांक 18 जून,2005 के प्रभावी होने की तिथि के अनुसार दिनांक 18,जून 2005 से ही लागू होगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 310/xxvii(7)म.भ./2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग),कमरा नं–261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली–110001।
4. निदेशक,कोशागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. निदेशक,विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0- सा0नि0) अनुभाग-7
संख्याः 420/XXVII(7)/2010
दिनांक 14 फरवरी 2010

स्पष्टीकरण

विषयः- छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिये गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति,उत्तराखण्ड(2008) की संस्तुतियो को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.06 के पूर्व एवं 1.1.2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्यूटी/पारिवारिक पेंशन का स्पष्टीकरण।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्याः फा.सं.38/37/08-पी.एड.पी.डब्ल्यू.(ए) भाग-1 दिनांक 3 अक्टूबर 2008 के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः 419/XXVII(7)/2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008, संख्याः 421/XXVII(7)पेंशन/2008, दिनांक 27अक्टूबर,2008 एवं तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्याः 221/XXVII(7)/2008, दिनांक 08 अक्टूबर 2008 एवं संख्याः 305/XXVII(7)/2008, दिनांक 08 अक्टूबर,2008 के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है किः-

1- कार्यालय ज्ञाप संख्याः 419/XXVII(7)/2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर 6(3) तथा इस संबंध में निर्गत किये गये स्पष्टीकरण के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 221/XXVII(7)पेंशन/2008, दिनांक 08 अक्टूबर 2008, के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-6 के संबंध मे स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम अहारित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में अहारित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1.1.2006 से दिनांक 26.10.2008 के मध्य 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत होगें। जो कार्मिक 1.1.2006 से 26.10.2008 के मध्य सेवानिवृत हुए हों, परन्तु 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण नही करते हैं उन्हें पेंशन के पूर्व नियमों के अधीन उनकी सेवाअवधि के आधार पर अनुपातिक दर से पेंशन अनुमन्य होगी।

2- 80 वर्ष एवं उससे अधिक वर्ष के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को अनुमन्य अतिरिक्त पेंशन के संबंध में भारत सरकार के स्पष्टीकरण संख्याः फा.सं.38/37/08-पी.एड.पी.डब्ल्यू.(ए) भाग-1 दिनांक 3 अक्टूबर 2008, द्वारा अतिरिक्त पेंशन का लाभ शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य किया गया है। तदनुसार राज्य सरकार के दिनांक 1.1.2006 से पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 421/XXVII(7)पेंशन/2008, दिनांक 27अक्टूबर 2008, के प्रस्तर-6 में अतिरिक्त पेंशन का लाभ शासनादेश संख्याः 421/XXVII(7)पेंशन/2008, दिनांक 27अक्टूबर 2008, के निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगा।

3- कार्यालय ज्ञाप संख्या -305/XXVII(7)/2009, दिनांक 8.10.2009 के साथ संलग्न प्रारूप-1 के बिन्दु संख्या-5 में **"धारित पद"** के स्थान पर **"धारित वेतनमान"** एवं संलग्न प्रारूप-2 के शीर्ष पर इंगित शासनादेश संख्या-सा-3-1515/दस-08-308/97, दिनांक 08-12-2008 एवं संख्या-सा-3-1515/दस-08-308/97, दिनांक 11-12-2008 के स्थान पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-419/XXVII(7)/2009, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 एवं संख्या-421/XXVII(7)पेंशन/2009, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 एवं उक्त प्रारूप के क्रमांक (7) (3) (1) में अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन **"80 वर्ष से अधिक किन्तु 85 वर्ष"** से कम के स्थान पर **"80 वर्ष किन्तु 85"** वर्ष से कम पढ़ा जाए।

4- उक्त निर्गत किये जा रहे स्पष्टीकरण के फलस्वरूप यदि किन्हीं मामलों में उक्त व्यवस्था से इतर पेंशन आदि आगणित की गई है तब उसे उक्तानुसार संशोधित कर भुगतान की कार्यवाही की जाए।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव,वित्त ।

संख्या: 420(1)/XXVII(7)/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड,देहरादून ।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड ।
4. सचिव,मा0राज्यपाल, उत्तराखण्ड,देहरादून ।
5. सचिव,विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
6. रजिस्ट्रार जनरल,उच्च न्यायालय,नैनीताल / देहरादून ।
7. स्थानीय आयुक्त,उत्तराखण्ड, नई दिल्ली ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिट,उत्तराखण्ड,23-लक्ष्मीरोड,डालनवाला,देहरादून ।
9. निदेशक,लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड,23-लक्ष्मीरोड,डालनवाला,देहरादून
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग,उत्तराखण्ड देहरादून ।
13. निदेशक,एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून ।
14. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,
(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

O/D 13/4

संख्या : - /XXIV(6)/2010

प्रेषक: 4968

पत्र प्राप्ति का क्रमांक-
पत्र प्राप्ति का दिनांक 13-4-10 **राधिका झा,**
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

उपनिदेशक / श्री चेयर लि0

8/0 निदेशक,
सेवा एवं हकदारी
उत्तरांचल, देहरादून

1– **कुलपति,**
कुमांऊ विश्वविद्यालय, **नैनीताल**/उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, **हल्द्वानी**/दून विश्वविद्यालय, **देहरादून** तथा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) **श्रीनगर गढ़वाल** ।

2–**निदेशक,**
उच्च शिक्षा, हल्द्वानी जिला नैनीताल ।

शिक्षा अनुभाग–6 देहरादून दिनांकः 9 अप्रैल, 2010

विषयः– विश्वविद्यालय सेवा में दिनांक 01–01–2006 से पूर्व एवं बाद में सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या : 138/xxiv(6)/2009 दिनांक 11, नवम्बर–2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विश्वविद्यालयों तथा हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनने से पूर्व अर्थात 14,जनवरी–2009 तक) तथा राजकीय महाविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त महाविद्यालयों के पूर्णकालिक यू0जी0सी0 वेतनधारी शैक्षिक तथा अन्य समकक्ष पदधारक के पेंशनरों को पूर्व से ही राज्य सरकार के समान पेंशन अनुमन्य है। अतः राज्य सरकार के दिनांक 01.01.2006 के बाद एवं पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों हेतु क्रमशः जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या–419/XXVII(7)/2008 दिनांक 27,अक्टूबर 2008, संख्याः 421/XXVII(7)/पेंशन /2008 दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 एवं उक्त कार्यालय ज्ञापों में समय–समय पर निर्गत संशोधनों के अनुसार विश्वविद्यालय के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये भी नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त पेंशन पुनरीक्षित के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को मंहगाई राहत, राज्य सरकार के कर्मचारियों के समान अनुमन्य कार्यालय ज्ञाप सं0 – 420/XXVII(7)/2008 दिनांकः17 अक्टूबर, 2008 एवं समय–समय पर पुनरीक्षित की गयी दरों के अनुसार अनुमन्य होंगें और उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 में इंगित तिथियों के प्रस्तर–2 में उल्लिखित कार्यालय ज्ञापों द्वारा अनुमन्य महंगाई राहत का समायोजन करने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा ।

3– उक्त पेंशन के पुनरीक्षण के फलस्वरूप एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 में क्रमशः 40:30:30 प्रतिशत के अनुसार किया जायेगा और एरियर भुगतान हेतु अन्य व्यवस्थायें इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार ही की जायेंगी ।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 2315/xxvii (7)/ 2010 दिनांक 01, अप्रेल–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीया

(राधिका झा)
अपर सचिव

संख्याः– 55 /XXIV(6)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2. उपसचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके पत्र संख्याः : 1–32/2006–यू–II/यू–I (i) दिनांक 31,दिसम्बर 2008 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
4. अपर सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तराखण्ड लक्ष्मी रोड, देहरादून ।
6. निदेशक, पेंशन एवं हकदारी, पेंशन निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून ।
7. वित्त अनुभाग–3 एवं 7 उत्तराखण्ड शासन ।
8. उच्च शिक्षा अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन ।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून ।
11. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को 200 प्रतियॉ प्रकाशनार्थ ।
12. सम्बन्धित् जनपद के वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(बेदी राम) 05.04.2010
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक शिक्षा)
संख्या–284/XXIV(1)/2010–22/2009
देहरादूनः दिनांक 22 अप्रैल, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्र सरकार की भांति 01.01.2006 के पूर्व के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशनर/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण किया जाना।

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय छठें केन्द्रीय वेतनमान के क्रम में वेतन समिति (उत्तराखण्ड 2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों के क्रम में निर्गत संकल्प संख्या–394/XXVii(7)/2008, दिनांक 17.10.2008 के अधीन दिनांक 01.01.2006 से पूर्व के बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को दिनांक 31.12.2005 को अनुमन्य मूल पेंशन में 50% महंगाई पेंशन जोड़कर उस पर 24% महंगाई राहत की अनुमन्यता के बाद 40% अधिभार देते हुए संलग्नक के कालम–3 में दिये गये फिटमेन्ट तालिका के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षित की जाये।

2. दिनांक 01.04.2004 या उसके बाद जिन प्रकरणों में पेंशन का निर्धारण महंगाई भत्ता जोडकर किया गया हो ऐसे प्रकरणों में मंहगाई पेंशन की धनराशि जोड़ी नही जायेगी।

3. पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 01.01.2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैण्ड के न्यूनतम तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किया हो, अनुमन्य ग्रेड पे को जोड़कर न्यूनतम 50% से कम पेंशन निर्धारित न हो, अर्थात 01.01.2006 के पूर्व के पद के वेतनमान को दिनांक 01.01.2006 के समतुल्य बेण्ड पे के न्यूनतम तथा ग्रेड पे का 50% पद का न्यूनतम पेंशन अर्ह होगी, परन्तु ऐसे प्रकरणों में अर्ह सेवा का अनुपात आंगणित करना आवश्यक होगा।

4. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन की समेकित धनराशि में से पूर्व से राशिकरण की धनराशि घटाने के बाद भुगतान किया जाये तथा मंहगाई राहत मूल पेंशन पर देय होगी।

5. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशन किये जाने के फलस्वरूप पेंशन की अधिकतम धनराशि रू0 40000/– तथा सामान्य स्थिति में पारिवारिक पेंशन रू0 24000 तक की अनुमन्यता होगी।

6. जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई है उन्हें निम्नलिखित तालिका के अनुसार अतिरिक्त पेंशन अनुमन्य होगी जिस पर मंहगाई राहत भी देय होगी:–

पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की आयु	मूल पेंशन के अतिरिक्त अनुमन्य पेंशन
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	,, ,, 30%
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	,, ,, 40%
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	,, ,, 50%
100 या अधिक	,, ,, 100%

7. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु मंहगाई राहत राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनर्स आदि के विषय में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–420/XXVII(7)मं.रा./2008, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के अनुसार दिनांक 01.01.2006 से मंहगाई राहत जो कि पूर्व में भुगतान की गयी मंहगाई राहत की धनराशि को समायोजित करने के बाद भुगतान की जायेगी।

8. दिनांक 01.01.2006 के पूर्व पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू0 1275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500/– किया जाये परन्तु ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें एक से अधिक पेंशन अनुमन्य है, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु सभी अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में लिया जाये।

9. जो पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पुनर्नियुक्ति पर हो तथा उनकी मंहगाई राहत स्थगित हो तो ऐसे प्रकरण में दिनांक 01.01.2006 को पेंशन निर्धारण करते समय नोशनल मंहगाई राहत के आधार पर पेंशन का निर्धारण किया जाये। परन्तु दिनांक 01.01.2006 के बाद ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मंहगाई राहत पूर्व की भाँति पुनर्नियुक्ति की अवधि में स्थगित रखा जाय।

10. उपरोक्त पुनरीक्षित पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशन का लाभ तत्काल प्राप्त हो जाये, के लिए सम्बन्धित संवितरण अधिकारी द्वारा समयबद्ध कार्यवाही की जाय।

11. संबंधित संवितरण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यदि किन्ही कारणों से किसी पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार नहीं किया गया हो, तब प्रथमतः वरियता के क्रम में नियमों के अधीन दिनांक 01.01.1996 से पेंशन/पारिवारिक पेंशन को पुनरीक्षित करें, उसके बाद छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रम में केन्द्र सरकार में लागू संशोधित पेंशन तथा तत्क्रम में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित की जाये। दिनांक 01.01.2006 या उसके बाद सेवा निवृत्त/दिवंगत/सेवा छोड़ने वाले कर्मचारियों हेतु पेंशन का निर्धारण शासनादेश संख्या–284/XXIV(1)/2010–22/2009, दिनांक 23 अप्रैल, 2010 के अनुसार किया जाये।

12. उक्त के अलावा राज्य सरकार के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स हेतु समय–समय पर उक्त व्यवस्थाओं हेतु निर्गत स्पष्टीकरण की उक्त व्यवस्थाओं भी परिषदीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स पर लागू होगी।

13. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन की 31.03.2010 तक की देयता का 40 प्रतिशत 2010–11, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2011–12 में तथा शेष 30 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012–13 में नकद

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1 (बेसिक शिक्षा)
संख्या–563/XXIV(1)/2010–22/2009
देहरादूनः दिनांकः 22 अप्रैल, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

विषयः– **छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, 1 उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियॉ को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 21.04.2006 तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अभिनवीकरण/पुनरीक्षण।**

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन तथा पेंशन राशिकरण के संबंध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या –394/XXVii(7)/2008 दिनांक 17.10.2008 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। यह आदेश दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी समझे जायेंगे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन का पुर्ननिर्धारण/समायोजन किया जाएगा।

2. यह आदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (शासनादेश संख्या–520/XXIV(1)/2006–26/2006, दिनांक 24.04.2006) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे।

3. इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के कर्मचारियों पर लागू होगी जो दिनांक 01.01.2006 को अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए है।

(2) जिन बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित सेवकों के मामले में दिनांक 01.01.2006 को अथवा दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 21.04.2006 तक अर्थात परिषदीय सेवाओं के राजकीयकरण से पूर्व के तिथि तक के सेवानिवृत्त शिक्षकों/कर्मचारियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन/मृत्यु एवं सेवानिवृत्तक ग्रैच्यूटी का निर्धारण/भुगतान किया जा चुका है, का पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन

पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

4 परिलब्धियॉ–

पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2–4 के मूल नियम 9(21) (1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(2) वेतन– वेतन का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008, दिनांक 17.10.2008 के प्रस्तर–5 के अनुसार निर्धारित वेतन बैंड में अनुमन्य वेतन तथा लागू ग्रेड–वेतन का योग होगा, जिसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन सम्मिलित नही होगा।

(3) सेवानिवृत्तक/देय कम ग्रैच्यूटी की गणना हेतु नसेवानिवृत्तक ग्रैच्यूटी की गणना हेतु सेवानिवृत्त/मृत्यु की तिथि के अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जायेगा।

5. पेंशन–पेंशन की गणना पूर्व की भांति औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत के आधार पर की जाएगी, परन्तु न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह तथा अधिकतम धनराशि परिषद् के अधिकतम वेतन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। बेसिक शिक्षा परिषद् की पेंशन की दरों के संबंध में पूर्व में की गई व्यवस्था उक्तानुसार संशोधित समझी जाएगी।

यदि कोई सेवक एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 3500/– से कम न हो, का आगणन किया जाय तब न्यूनतम पेंशन रू0 3500/–निर्धारित की जायेगी।

6. पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा–

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) पूर्ण पेंशन हेतु 33 वर्ष की परिषदीय सेवा की अर्हता को घटाकर अब 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन या 10 माह की औसत परिलब्धियॉ जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

(4) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर, सेवानिवृत्ति हेतु अवशेष सेवा अथवा अधिकतम पांच वर्ष जो भी कम हो, की सेवा जोड़ने की व्यवस्था अब समाप्त की जा

रही है। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 के भाग 2–4 के मूल नियम–56 में आवश्यक संशोधन यथासमय कर दिया जायेगा।

(5) 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण होने पर ही अर्ह सेवा 20 वर्ष के औसत में पेंशन का आगणन किया जाय।

7. पारिवारिक पेंशन–

पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रू0 3500 प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि परिषद के अधिकतम वेतन के 30 प्रतिशत तक सीमित होगी। इस सन्दर्भ में पारिवारिक पेंशन की दरों से संबंधित व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से तदनुसार संशोधित समझी जायेगी। दिवंगत हुये परिषदीय सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए बढी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब 7 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष पर अनुमन्य होगी। उक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से लागू होगी।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" को परिभाषा पूर्ववत निम्नलिखित होगी:–

(क) दिनांक 01.01.2006 के पूर्व की व्यवस्था के अधीन परिवार की परिभाषा निम्न प्रकार निर्धारित है–

(1) पत्नी/पति

(2) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम के पुत्र को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे तो जीविकोपार्जन की तिथि अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

(3) मृत्यु के दिन 25 वर्ष की आयु से कम की अविवाहित पुत्री को इस प्रतिबन्ध के साथ कि यदि वह जीविकोपार्जन करने लगे या उसका विवाह हो जाए अथवा 25 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। उपरोक्त सन्तानों में सौतेली तथा सेवानिवृत्ति के पूर्व विधिवत गोद ली गयी सन्तानों भी सम्मिलित है।

विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सन्तानों पर आयु का बन्धन नहीं है तथा संबंधित आदेश के प्रतिबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 01.01.2006 से विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को भी पारिवारिक पेंशन पाने के पात्र होंगे। दिनांक 01.01.2006 से यह भी व्यवस्था की जाती है कि यदि स्वर्गीय परिषदीय सेवक के परिवार में उसकी पत्नी तथा उपर्युक्त वर्णित श्रेणी की पात्र सन्तान नहीं है, तो उसके माता/पिता जो उस पर पूर्ण रूप से आश्रित थे, को उसके परिवार में सम्मिलित समझा जाएगा। पूर्णतया आश्रित होने पर जीविकोपार्जन से संबंधित मासिक आय के संबंध में स्पष्टीकरण अलग से जारी किया जाएगा और तब तक पूर्व मासिक आय की व्यवस्था यथावत लागू रहेगी।

8. पेंशन के एक भाग का राशिकरण–

पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि की संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकरण की व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से लागू न होकर तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार के पेंशनर्स हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–419/XXVii(7)/2008, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के अनुसार लागू होगी। उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से पूर्व जो राशिकरण कर दिया गया उसका पुनरीक्षण/वसूली नहीं की जायेगी, परन्तु यदि वर्तमान में कोई 40 प्रतिशत की सीमा में पुनः राशिकरण कराना चाहता है तो वर्तमान दरों पर ही राशिकरण किया जाय।

9. इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर मंहगाई राहत की गणना राज्य सरकार विभिन्न पारिवारिक पेंशनर्स हेतु दिनांक 01.01.2006 का कार्यालय ज्ञाप संख्या–420/XXVii(7)/मं.रा./2008, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 द्वारा पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर देय मंहगाई राहत पूर्व में पुराने वेतनमान में भुगतान की गयी मंहगाई राहत एवं धनराशि को समायोजित करके ही भुगतान की जायेगी।

10. 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिषदीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 01.01.2006 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जायः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेगें।

11. उक्त के अलावा राज्य सरकार के पेंशनरों हेतु समय–समय पर उक्त व्यवस्थाओं हेतु निर्गत स्पष्टीकरण की व्यवस्थायें भी परिषदीय/पारिवारिक पेंशनर्स पर लागू होगी।

12. दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन की 31.03.2010 तक की देयता का 40 प्रतिशत 2010–11, 30 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 2011–12 में तथा शेष 30 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2012–13 को नकद भुगतान किया जायेगा और ऐरियर का भुगतान वेतन/पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर निर्गत सामान्य निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

13. दिनांक 01.01.2006 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जाय।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–2192/xxvii(7)/2010, दिनांक 13 अप्रैल, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

(राधिका झा)
अपर सचिव।

संख्या–563/XXIV(1)/2010–22/20 % तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओवराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), महालेखाकार कार्यालय, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्द्रानगर, देहरादून।
3. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद्, देहरादून।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर शिक्षा निदेशक, कुमॉऊ मण्डल/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
7. वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–7 ।
10. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव।

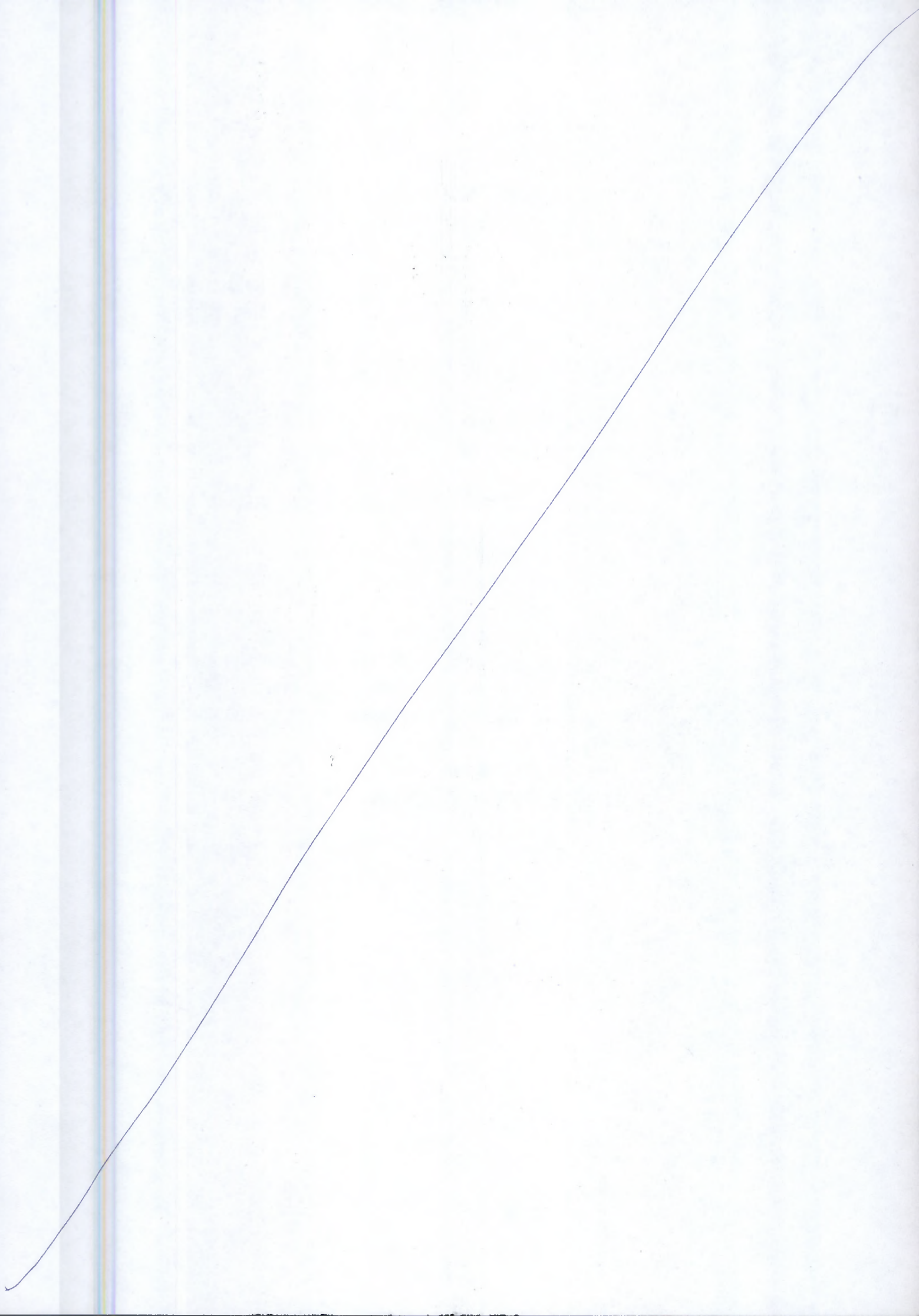

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या:506 / XXVII(7) / 2010
देहरादून, दिनांक: 26 अप्रैल,2010

स्पष्टीकरण

विषय:–छटवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 1–1–2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत सरकारी सेवकों को पेंशन / पारिवारिक पेंशन का स्पष्टीकरण।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या: फा.सं.38 / 37 / 08–पी.एंड.पी.डब्ल्यू (ए) भाग–1 दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 के क्रम में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या: 419 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 एवं तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या:221 / XXVII(7) / 2009, दिनांक 08 अक्टूबर 2009 एवं संख्या: 420 / XXVII(7) / 2010, दिनांक 18 फरवरी, 2010 के संदर्भ में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि :–

कार्यालय ज्ञाप संख्या: 419 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर–6(3) तथा इस संबंध में निर्गत किये गये कार्यालय ज्ञाप संख्या: 221 / XXVII(7) / 2009, दिनांक 08 अक्टूबर 2009 के प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्या–6 तथा इस संबंध में निर्गत स्पष्टीकरण संख्या:420 / XXVII(7) / 2010, दिनांक 18 फरवरी, 2010 के प्रस्तर–1 के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह में आहरित वेतन 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के 50 प्रतिशत, जो भी अधिक लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी तथा उक्त व्यवस्था कार्यालय ज्ञाप संख्या: 419 / XXVII(7) / 2008, दिनांक 27 अक्टूबर 2008 के निर्गत होने की तिथि के स्थान पर दिनांक 1–1–2006 से प्रभावी मानी जायेगी।

2– अतः समस्त पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी को यह निदेशित किया जाता है कि वे पेंशन के पुनरीक्षण हेतु पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 के क्रम में उक्त निर्गत स्पष्टीकरण के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें और यदि उक्त व्यवस्था के विपरीत व्यवस्था उक्त कार्यालय ज्ञाप निर्गत करने के बाद नये पेंशन प्रकरणों में की जा चुकी है तो उक्तानुसार संशोधन की कार्यवाही भी अविलम्ब सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या 506 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनुभाग–7
संख्याः 548 /xxvii(7)/2010
दिनांकः 18 मई, 2010

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– पेंशन पुनरीक्षण हेतु का0ज्ञा0 संख्या419/xxvii(7)/2008 दि0 27 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–11 के विषय में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक का0 ज्ञा0 सं0 221/xxvii(7)/2009 दि0 8 अक्टूबर,2009 के बिन्दु–2 का स्पष्टीकरण।

छठवें वेतन संगिति की संस्तुतियों के क्रम में प्रदेश के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन पुनरीक्षण विषयक निर्गत का0ज्ञा0 सं0: 419/xxvii/(7)/2009 दि0 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–11 के विषय में निर्गत स्पष्टीकरण विषयक का0ज्ञा0 संख्याः 221/xxvii(7)/2009 दिनांकः– 8 अक्टूबर,2009 के प्रस्तर–2 के स्पष्टीकरण को निरस्त करते हुए निम्नवत स्पष्टीकरण निर्गत करते हैं:–

पेंशन पुनरीक्षण हेतु निर्गत का0ज्ञा0 संख्या 419/xxvii(7)/2008 दि0 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–11 वृद्ध पेंशनरों हेतु अतिरिक्त पेंशन हेतु 80 वर्ष या 85 वर्ष की आलोच्य अवधि का आशय क्या होगा।	अतिरिक्त पेंशन हेतु 80 या 85 वर्ष की आलोच्य अवधि का आशय होगा 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर 81 वाँ वर्ष प्रारम्भ होने पर या 85 वाँ वर्ष पूर्ण होने पर 86 वाँ वर्ष प्रारम्भ होने पर/उक्त व अन्य आयु की गणना उक्तवत ही सुनिश्चित की जाय।

2. उक्त स्पष्टीकरण के फलस्वरूप उपरिलिखित कार्यालय ज्ञाप दि0 8 अक्टूबर,2009 का बिन्दु–2 को निरस्त समझा जाय और समस्त पेंशनर्स की पेंशन/पारिवारिक पेंशन उक्त आलोच्य अवधि के प्रकरणों में उक्तवत ही किया जाना सुनिश्चित करके समस्त एरियर का भुगतान भी तदनुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव

संख्याः-548/xxvii(7)/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

(68)

संख्या–सा–3–1320 / दस–2010

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

लखनऊ : दिनाँक : 10 अगस्त, 2010

विषय :– दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन के, वेतन समिति उ0प्र0, 2008 की संस्तुतियों के लागू होने के फलस्वरूप, पुनरीक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनाँक 01–01–2006 के पूर्व स्वीकृत असाधारण पेंशन का पुनरीक्षण दिनाँक 01–01–2006 से निम्नानुसार किया जाये :–

(1)– अन्तिम आहरित वेतन में मूल वेतन का अंश।
(2)– महँगाई पेंशन जहाँ अनुमन्य है।
(3)– मूल पेंशन तथा महँगाई पेंशन के योग पर मूल्य सूचकांक 536 पर आधारित दिनाँक 01–01–2006 को महँगाई राहत 24 प्रतिशत।
(4)– मूल पेंशन का 40 प्रतिशत के फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि।

जिन प्रकरणों में पेंशन की धनराशि में 50 प्रतिशत की महँगाई पेंशन सम्मिलित है उन प्रकरणों में फिटमेण्ट वेटेज की धनराशि की गणना मूल पेंशन पर अर्थात् महँगाई पेंशन की धनराशि घटाकर की जायेगी।

किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि इस प्रकार पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि दिनाँक 01–01–2006 से, सदृश वेतनबैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी, तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित असाधारण पेंशन की राशि रू0 3500 / – प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

2– इस प्रकार आगणित राशि दिनाँक 01–01–2006 से मूल असाधारण पेंशन मानी जायेगी।

भवदीय,

अनूप मिश्र

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

–2 / –

संख्या–सा–3–1320(1)/दस–2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 38 सा0वित्त–18.08.2010–(842)–3000 प्रतियां (क0/आ0)।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 723 / XXVII(7) / 2010
देहरादून, दिनांकः 29 अक्टूबर,2010

स्पष्टीकरण

विषयः–पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्याः421 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008, संख्याः305 / XXVII(7) / 2009 दिनांक 08 अक्टूबर,2009 एवं संख्याः 420 / XXVII(7) / 2010 दिनांक 18 फरवरी,2010 के संबंध में स्पष्टीकरण / संशोधन।

विभिन्न राजकीय पेंशनर्स संघो द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राजकीय पेंशनर्स के संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा तत्क्रम में निर्गत स्पष्टीकरण के संबंध में की गई जिज्ञासा के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत करने का निदेश हुआ हैः–

क0 सं0	बिन्दु	टिप्पणी
1	2	3
1	ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जिनको उनकी पेंशन छठे वेतन आयोग से पूर्व न्यूनतम पेंशन 1275 / – से कम निर्धारित होकर प्राप्त हो रही थी, को छठे वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम पेंशन का निर्धारण कैसे होगा। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 421 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के बिन्दु संख्याः8 में 1–1–2006 के पूर्व पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू01275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500 किया गया है किन्तु इसमें समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशनभोगी / मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1–1–2006 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन से कम नहीं होगी का उल्लेख नहीं किया गया है।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञा0 संख्याः421 XXVII (7) / 2008 दिनांक 27–10–2008 के द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के क्रम में केन्द्रीय सरकार की भांति दिनांक 1–1–2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर की पेंशन का पुनरीक्षण किया गया है तथा जिसके प्रस्तर–8 में 1–1–2006 से पूर्व पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर्स की न्यूनतम धनराशि रू0 1275 को पुनरीक्षित कर रू0 3500 किया गया है तथापि ऐसी पेंशन समुचित यथानुपात तरीके से कम हो जाएगी, जहां पेंशनभोगी ने, पेंशनभोगियों, पर उसके / उसकी अधिवार्षिकी / सेवानिवृति की तारीक की स्थिति के अनुसार पूर्ण पेंशन हेतु वांछनीय अधिकतम सेवा से कम सेवा की हो और यह किसी भी मामलें म रू03500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी। अतः उचित होगा कि इसी आधार पर जिन पेंशनर्स को 1–1–2006 से पूर्व रू0 1275 से कम पेंशन प्राप्त हो रही है उन्हें भी रू0 3500 पेंशन पुनरीक्षित किये जाने पर विचार किया जाए। पूर्ण अर्हकारी सेवा पूर्ण न करने पर ही समानुपातिक आधार पर न्यूनतम पेंशन में कमी होगी।

	–2–	
2		शासनादेश संख्याः 305 / xxvii (7) / 2009 दिनांक 8– 10–2009 के प्रस्तर–2 के अनुसार पेंशन की धनराशि सेवानिवृत्ति के समय उसके पुराने वेतनमान के प्रतिस्थिापित बैण्ड के न्यूनतम तथा संबंधित ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी की व्यवस्था है। इसी प्रकार जहां समेकित कुटुम्ब पेंशन को अंतिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशन भोगी / मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अंतिम पद के 1–1–2006 से लागू संशोधित वेतनमान / वेतन बैण्ड में मूल वेतन तथा ग्रेड पे के न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगी।
3	वित्त विभाग के शासनादेश सं0 305 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 8–10–2009 के प्रस्तर–3 में पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप–1 की तिथि 31 दिसम्बर,2009 से आगे बढ़यी जाए।	वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः305 / xxvii(7) / 2009 दिनांक 8 – 10–2009 के प्रस्तर–3 में पेंशन / पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण हेतु पेंशनर्स से संबंधित विवरण संलग्न प्रारूप–1 पर भर कर उसे प्रमाणित करते हुए संबंधित कार्यालयध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा संबंधित कोषागार को प्रेषित किये जाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 निर्धारित की गई थी किन्तु कतिपय पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स संघो द्वारा यह जिज्ञासा की जा रही है कि अभी भी प्रदेश में अधिकांश ऐसे पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स है जिनके द्वारा उक्त तिथि तक उक्त प्रारूप भर कर कोषागार में जमा नहीं किया गया है अथवा संबंधित विभागाध्यक्ष / कार्यालयध्यक्षों द्वारा उक्त प्रारूप कोषागारों को प्रारूप नहीं जमा किया गया है फलस्वरूप ऐसी स्थिति में उचित होगा कि उक्त प्रारूप जमा करने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर,2009 को दिनांक 31 दिसम्बर, 2011 तक बढ़ा दी जाए।
4	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / xxvii(7) दिनांक 18–2–2010 में जहॉ–जहॉ पर शासनादेश संख्याः221 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 इंगित किया गया है उसके स्थान पर 08 अक्टूबर, 2008 होगा अथवा 08 अक्टूबर,2009।	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 / xxvii(7) दिनांक 18–2–2010 में कतिपय स्थानों पर शासनादेश संख्याः221 / xxvii (7) / 2008 दिनांक 08 अक्टूबर,2008 त्रुटिवश गलत इंगित होने के कारण इसके स्थान पर "08 अक्टूबर,2009 पढ़ा जाए।"

5	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420 /XXVii(7) दिनांक 18-2 -2010 के बिन्दु संख्या-2 में 80 वर्ष एवं उससे अधिक वर्ष के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की अनुमन्यता शासनादेश जारी होने की तिथि के स्थान पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर, जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीख से देय होगी अथवा दिनांक 1-1-2006 से होगी।	इस संबंध में पेंशनर्स संघो द्वारा भारत सरकार का कार्यालय ज्ञाप संख्या:38/37/08-पीएंड पी.डब्ल्यू(ए) दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 के बिन्दु संख्या:4.5 के आधार पर अतिरिक्त पेंशन 80 वर्ष या अधिक आयु होने पर जिस माह में जन्म तिथि पड़ती है उस माह की पहली तारीक से देय किये जाने के संबंध में यह अवगत कराना है कि भारत सरकार के उक्तांकित कार्यालय ज्ञाप में उक्त व्यवस्था शासनादेश जारी होने की तिथि से ही लागू है। फलस्वरूप वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्या 420/XXVii(7) दिनांक 18-2-2010 के बिन्दु संख्या-2 में संशोधन का आधार नहीं है।
6	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्याः 420/XXVii(7) दिनांक 18-2- 2010 के प्रस्तर-1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होगी। यह व्यवस्था उन कार्मिकों पर लागू होगी जो दिनांक 1-1-06 से दिनांक 26- 10-08 के मध्य 20/10-वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण करके सेवानिवृत्त होंगे। जो कार्मिक 33 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं करते परन्तु 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होंगें उनको पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी। 33 वर्ष से कम सेवा के कारण अनुपातिक कमी नहीं की जाएगी।	वित्त विभाग के स्पष्टीकरण संख्याः 420/XXVii(7) दिनांक 18-2-2010 के प्रस्तर-1 में अंतिम आहरित वेतन के 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित वेतन के औसत के 50 प्रतिशत, जो भी लाभप्रद हो, पेंशन अनुमन्य होने की व्यवस्था को स्पष्टीकरण कार्यालय ज्ञाप संख्या:506 XXVii(7) दिनांक 26-4-2010 के प्रस्तर-1 में स्पष्ट व्यवस्था पूर्व में ही की जा चुकी है कि उक्त व्यवस्था दिनांक 27 अक्टूबर,2010 के स्थान पर दिनांक 1-1-2006 से ही लागू होगी अर्थात उक्त तिथि के बाद सेवानिवृत कार्मिको को 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन एवं अंतिम माह में आहरित वेतन का 50 प्रतिशत अथवा अंतिम 10 माह में आहरित औसत वेतन का 50 प्रतिशत का लाभ अनुमन्य किया गया है।
7	दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रकियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन के विषय में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419/XXVii(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के बिन्दु 8(1) की सातवीं पंक्ति में अब सात वर्ष के स्थान पर "10 वर्ष पर" अनुमन्य होगी अथवा "10 वर्ष तक"।	दिवंगत हुए सरकारी सेवक के पद में अन्य प्रकियाओं को यथावत रखते हुए बढ़ी दर पर पारिवारिक पेंशन, अब सात वर्ष के स्थान "10 वर्ष पर" के स्थान पर "10 वर्ष तक" पढ़ा जाए।

2- उक्त कालम-3 में प्रस्तावित व्यवस्था के फलस्वरूप संगत कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

3- उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यावन्यन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 723 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या835 / xxvii(7) / 2011
देहरादून, दिनांक28 फरवरी,2011

कार्यालय ज्ञाप / शुद्धि पत्र

वेतन समिति, उत्तराखण्ड 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2006 के पूर्व सेवानिवृत्त राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्सो की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण विषयक कार्यालय ज्ञाप संख्या:421 / XXVII(7)पें0 / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के अनुक्रम में अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–3 तथा तत्क्रम में समय–समय पर निर्गत स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से निम्नवत संशोधित समझा जाए:–

वर्तमान व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था
"पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 1–1–2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैण्ड के न्यूनतम तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किया हो, अनुमन्य ग्रेड पे को जोड़कर न्यूनतम 50 प्रतिशत से कम पेंशन निर्धारित न हो, अर्थात 1–1–2006 के पूर्व के पद के वेतनमान को दिनांक 1–1–2006 के समतुल्य बैण्ड पे के न्यूनतम तथा ग्रेड पे का 50 प्रतिशित पद का न्यूनतम पेंशन अर्ह होगी परन्तु ऐसे प्रकरणों में अर्ह सेवा का अनुपात आंगणित करना आवश्यक होगा"।	"पेंशन का निर्धारण इस प्रकार किया जाये कि दिनांक 1–1–2006 से लागू वेतनमान में वेतनबैण्ड के न्यूनतम तथा वेतन पुनरीक्षित होने के ठीक पूर्व जिस पद पर कर्मचारी ने कार्य किया हो, के पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान के सादृश (Corresponding) वेतन बैंड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे के योग के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगी। एच0ए0 जी0 तथा उच्च वेतनमानों के लिए यह वेतनमान के न्यूनतम का 50 प्रतिशत होगी।

2– दिनांक 01 जनवरी,2006 के पूर्व लागू वेतनमान तथा दिनांक 01 जनवरी,2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में सादृश्य वेतन बैण्ड, जैसा कि शासनादेश संख्या:395 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 17 अक्टूबर,2008 में दिये गये है, में न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड पे एवं दिनांक 01 जनवरी,2006 को न्यूनतम पेंशन की धनराशि संलग्न तालिका में दिये गये है। प्रतिबन्ध यह होगा कि जहां अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है, वहां यह धनराशि अनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी किन्तु किसी भी दशा में यह ₹ 3500 प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

3– दिनांक 01 जनवरी,2006 से पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुर्नयोजित पेंशनरों के पुर्नयोजन पर जिनके वेतन का निर्धारण उनके द्वारा आहरित अंतिम वेतन में से शुद्ध पेंशन(राशिकृत पेंशन को सम्मिलित करते हुए) घटाकर कर दिया गया है, को इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन का लाभ, पुर्नयोजन की अवधि समाप्त होने की अगले तिथि से देय होगा।

संलग्नक:–यथोक्त।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त ।

संख्या :835 (1)/XXVII(7)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
13. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड,, देहरादून।
14. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

लय ज्ञाप संख्या 835 XXVII(7)/2011 दिनांक 28 फरवरी,2011

सं.	दिनांक 01 जनवरी,2006 के पूर्व लागू वेतनमान (₹ में)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड तथा ग्रेड पे (₹ में)		वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन (₹ में)	ग्रेड पे (₹ में)	न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग (₹ में)	दिनांक 01 जनवरी,2006 को न्यूनतम पेंशन (₹ में)
1	2	3		4	5	6	7
1	2750–70–3800–75–4400	5200–20200	1800	5200	1800	7000	3500
2	3050–75–3950–80–4590	5200–20200	1900	5830	1900	7730	3865
3	3200–85–4900	5200–20200	2000	6460	2000	8460	4230
4	4000–100–6000	5200–20200	2400	7510	2400	9910	4955
5	4500–125–7000	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
6	4500–125–7250	5200–20200	2800	8560	2800	11360	5680
7	5000–150–8000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
8	5500–175–9000	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
9	6500–200–10500	9300–34800	4200	9300	4200	13500	6750
10	7450–225–11500	9300–34800	4600	12540	4600	17140	8570
11	7500–250–12000	9300–34800	4800	13350	4800	18150	9075
12	8000–275–13500	9300–34800	5400	15600	5400	21000	10500
13	8000–275–13500	15600–39100	5400	15600	5400	21000	10500
14	8550–275–14600	15600–39100	5400	15600	6600	22200	11100
15	10000–325–15200	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
16	10650–325–15850	15600–39100	6600	18750	6600	25350	12675
17	12000–375–16500	15600–39100	7600	21900	7600	29500	14750
18	14300–400–18300	37400–67000	8700	37400	8700	46100	23050
19	16400–450–20000	37400–67000	8900	40200	8900	49100	24550
20	18400–500–22400	37400–67000	10000	43000	10000	53000	26500
21	22400–525–24500	37400–67000	–	67000	–	6700	33500

टिप्पणी:–

(1) दिनांक 01–01–2006 के पूर्व के वेतनमान ₹2550–3200, ₹ 2610–3540 तथा ₹ 2650–4000 का उल्लेख इस तालिका में नहीं किया गया है क्योंकि दिनांक 01–01–2006 से इन वेतनमानों के पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में न्यूनतम वेतन तथा ग्रेड पे का योग ₹ 7000/– से कम होने के कारण इन वेतनमानों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन स्वतः ₹ 3500/– प्रति माह निर्धारित होगी।

(2) वित्त(वेतन–आयोग)अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 अक्टूबर,2008 के उपरान्त जहां किसी पुराने वेतनमान के सदृश बैण्ड अथवा ग्रेड वेतन में संशोधन किये गये हो, वहां ऐसे संशोधनों को संज्ञान में लेते हुए संशोधनों के प्रभावी होने की तिथि से न्यूनतम वेतन एवं ग्रेड वेतन की राशियों में संशोधन कर न्यूनतम पेंशन की राशि का आगमण किया जायेगा।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 12 / xxvii(7)09(xxiii) / 2011
देहरादून, दिनांकः 11 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राजकीय कर्मचारियों / पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा एंव तलाकशुदा पुत्रियो के लिए पारिवारिक पेंशन हेतु निर्धारित आयु सीमा को हटाया जाना।

वेतन समिति की संस्तुति से राज्य सरकार के दिनांक 01–01–2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419 / xxvii(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8(2)(क)(3) में की गई व्यवस्था में पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु राजकीय कर्मचारी की मृत्यु के दिन 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को दिनाक 01–01–2006 से पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह माना गया था तथा शासनादेश संख्याः3–984 / दस–98–308 / 97 दिनांक 24 जुलाई, 1998 के प्रस्तर–1 के बिन्दु 1 में अन्य शर्तो के अलावा विधवा एवं तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन, उनके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा पुर्नविवाह करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुमन्य की गई है।

2– अतः उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों / पेंशनभोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) अविवाहित पुत्रियों को भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद अन्य शर्ते पूरी कर लिए जाने की शर्त के अधीन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाया जाए।

(ii) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सहमति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जाएगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बडी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहरायी जाती।

(iii) 25 वर्ष से बड़ी आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी जबकि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए पात्र नही रहे हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निःशक्त संतान नहीं है।

3– उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 जुलाई,1998 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर,2008 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और उनके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेगें।

4– उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

(राधा रतूडी)
सचिव वित्त

संख्या : 12 (1)/XXVII(7)09(xxiii)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि:--निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
13. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
14. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
15. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्याः 85 / xxvii(7)9(24) / 2011
देहरादून, दिनांकः 07 जून,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्याः419 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6(3) का संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारी संघ द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम दिनांक 01–01–2006 अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण में संशोधन के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्याः419 / XXVII (7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6(3) में नीचे उल्लिखित कालम–1 के अनुसार व्यवस्था को नीचे कालम–2 के अनुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

वर्तमान बिन्दु 6(3)	संशोधित बिन्दु 6(3)
20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर **'अंतिम माह में आहरित वेतन'** या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।	20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर **'अंतिम आहरित वेतन'** या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

2– उक्त के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक27 अक्टूबर,2008 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

3– उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यावन्यन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 86 (1)/XXVII(7)9(24)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

236

2011

37

सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

देहरादून:दिनांक 3 दिसम्बर,2011

विषय:-अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09--11--2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 3531/5--6--04-294/6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 द्वारा अविभाजित उत्तर प्रदेश राज्य की सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहें है, के स्वयं तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत दावों के तकनीकी परीक्षण हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली एवं सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को अधिकृत किया गया है तथा इसी आधार पर वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 503/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 मई,2010 उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशनर्स (09--11--2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहें है तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09--11--2000 के बाद उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा इस राज्य के लिए स्थानांतरित किये गये हैं कि पेंशन, अन्य सेवानिवृत्तिक लाभ तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भुगतान अन्य राज्यों के पेंशनर्स की भांति अन्तर्राज्जीय समायोजन हेतु विहित प्रकिया के अनुसार किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये है।

उत्तर प्रदेश राज्य, वित्त(सामान्य) अनुभाग--3 के शासनादेश संख्या:सा0--3--661/दस--2011 दिनांक 04 अगस्त,2011 के साथ संलग्न चिकित्सा अनुभाग--6 के शासनादेश संख्या:1892/5--6--11--294/96 टी0सी0 दिनांक 02 अगस्त,2011 द्वारा चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या:3531/5--6--04--294/6 दिनांक 07 दिसम्बर,2004 की व्यवस्था को समाप्त करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे है, के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण उत्तराखण्ड राज्य के विभागाध्यक्ष द्वारा किये जाने पर सहमति दी गयी है।

2-- उत्तर प्रदेश राज्य दी गयी उक्त सहमति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09--11--2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09 नवम्बर,2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य के स्थानांतरित किये गये हैं, तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थायी रूप से निवास कर रहे है, के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3-- राज्य के कोषागारों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान अन्तराज्जीय समायोजन के माध्यम से किया जाएगा।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या- [illegible] (1)/XXVII(7) 09(II)/ 2011, तद्दिनांक।

अनुलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- [illegible] सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4- प्रमुख सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5- सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
6- सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
7- महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8- स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
9- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल/कुमाऊं।
11- रीजनल प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
12- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
15- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

F.No.38/37/08-P&PW(A)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare
Lok Nayak Bhawan, New Delhi-110003
Dated the 1st September, 2008

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Implementation of Government's decision on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission - Revision of pension of pre-2006 pensioners/family pensioners etc.

1. The undersigned is directed to say that in pursuance of Government's decision on the recommendations of Sixth Central Pay Commission, sanction of the President is hereby accorded to the regulation, with effect from 1.1.2006, of pension/ family pension of all the pre-2006 pensioners/ family pensioners in the manner indicated in the succeeding paragraphs. Separate orders will be issued in respect of employees who retired/died on or after 1.1.2006.

2.1 These orders apply to all pensioners/family pensioners who were drawing pension/family pension on 1.1.2006 under the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, CCS (Extraordinary Pension) Rules and the corresponding rules applicable to Railway pensioners and pensioners of All India Services, including officers of the Indian Civil Service retired from service on or after 1.1.1973.

2.2 Separate orders will be issued by the Ministry of Defence in regard to Armed Forces pensioners/family pensioners.

2.3 These orders do not also apply to retired High Court and Supreme Court Judges and other Constitutional/Statutory Authorities whose pension etc. is governed by separate rules/orders.

3.1 In these orders :

a. Existing pensioner or Existing Family pensioner means a pensioner who was drawing/entitled to pension/family pension on 31.12.2005.

b. Existing pension means the basic pension inclusive of commuted portion, if any, due on 31.12.2005. It covers all classes of pension under the CCS (Pension) Rules, 1972 as also Disability Pension under the CCS (Extraordinary Pension) Rules and the corresponding rules applicable to Railway employees and Members of All India Services.

c. Existing family pension means the basic family pension drawn on 31.12.2005 under the CCS (Pension) Rules and the corresponding rules applicable to Railway employees and Members of All India Services.

4.1 The pension/family pension of existing pre-2006 pensioners/family pensioners will be consolidated with effect from 1.1.2006 by adding together:-

i. The existing pension/family pension.

ii. Dearness Pension, where applicable

iii. Dearness Relief upto AICPI (IW) average index 536 (Base year 1982=100) i.e. @ 24% of Basic Pension/Basic family pension plus dearness pension as admissible vide this Department's O.M. No. 42/2/2006-P&PW(G) dated 5.4.2006

iv. Fitment weightage @ 40% of the existing pension/family pension.

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

Where the existing pension in (i) above includes the effect of merger of 50% of dearness relief w.e.f. 1.4.2004, the existing pension for the purpose of fitment weightage will be re-calculated after excluding the merged dearness relief of 50% from the pension.

The amount so arrived at will be regarded as consolidated pension/family pension with effect from 1.1.2006.

4.2 The fixation of pension will be subject to the provision that the revised pension, in no case, shall be lower than fifty percent of the minimum of the pay in the pay band plus the grade pay corresponding to the pre-revised pay scale from which the pensioner had retired. In the case of HAG+ and above scales, this will be fifty percent of the minimum of the revised pay scale.

4.3 Since the consolidated pension will be inclusive of commuted portion of pension, if any, the commuted portion will be deducted from the said amount while making monthly disbursements.

4.4 The upper ceiling on pension/family pension laid down in the Department of Pension and Pensioner's Welfare Office Memorandum No 45/86/97-P&PW(A)(Part-I) dated 27.10.1997 has been increased from Rs. 15000/- and Rs. 9000/- to 50% and 30% respectively of the highest pay in the Government (The highest pay in the Government is Rs. 90,000 since 1.1.2006).

4.5 The quantum of pension/family pension available to the old pensioners/ family pensioners shall be increased as follows:-

Age of pensioner/family pensioner	**Additional quantum of pension**
From 80 years to less than 85 years	20% of revised basic pension/ family pension
From 85 years to less than 90 years	30% of revised basic pension / family pension
From 90 years to less than 95 years	40% of revised basic pension / family pension
From 95 years to less than 100 years	50% of revised basic pension / family pension
100 years or more	100% of revised basic pension / family pension

The amount of additional pension will be shown distinctly in the pension payment order. For example, in case where a pensioner is more than 80 years of age and his/her consolidated pension in terms para 4.1 and 4.2 above is Rs.10,000 pm, the pension will be shown as (i).Basic pension=Rs.10,000 and (ii) Additional pension = Rs.2,000 pm. The pension on his/her attaining the age of 85 years will be shown as (i).Basic Pension = Rs.10,000 and (ii) additional pension = Rs.3,000 pm.

4.6 Some of the existing pensioners who retired between 31.3.1985 and 31.12.1985 are in receipt of personal pension. The said personal pension will continue to be granted as a separate element and will not be merged into the pension as consolidated above.

4.7 Since the consolidated pension/family pension arrived at as per paragraph 4.1. includes dearness relief upto average index level 536(Base year 1982=100), dearness relief will be admissible thereon only beyond index average 536 (Base year 1982=100) in accordance with the revised scheme of dearness relief for which orders are being issued separately. The four instalments of dearness relief sanctioned earlier from 1.7.2006, 1.1.2007, 1.7.2007 and 1.1.2008 in this Department's Office Memorandum No. 42/2/2006-P&PW(G) dated the 15.9.2006, Office Memorandum No. 42/2/2006-P&PW(G) dated the 23,3.2007, Office Memorandum No. 42/2/2006-P&PW(G) dated the 18.9.2007 and Office Memorandum No. 42/2/2006-P&PW(G) dated the 19.3.2008 respectively shall be adjusted against revised Dearness Relief becoming due on the consolidated pension/family pension.

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

5.1 Where the consolidated pension/family pension in terms of paragraph 4 above works out to an amount less than Rs. 3500/- the same shall be stepped upto Rs. 3500/-. This will be regarded as pension/family pension with effect from 1.1.2006. In the case of pensioners who are in receipt of more than one pension, the floor ceiling of Rs. 3500/- will apply to the total of all pensions taken together.

5.2 Where the disability pension under the CCS(EOP) Rules, is drawn in addition to invalid pension under the CCS (Pension) Rules, 1972, the minimum limit of Rs. 3500/- will apply to total of two pensions as indicated in paragraph 5.1. Where the disability pension is drawn in isolation, the minimum limit of Rs. 3500/- will apply for 100% disability. For lesser degree of disability the minimum limit will be proportionately less.

6. The employed/re-employed pensioners/family pensioners are not getting dearness relief on pension at present under the extant orders. In their case the notional dearness relief which would have been admissible to them but for their employment/re-employment will be taken into account for consolidation of their pension in terms of paragraph 4.1. above as if they were drawing the dearness relief. Their pay will be re-fixed w.e.f. 1.1.2006 with reference to consolidated pension becoming admissible to them. Dearness relief beyond 1.1.2006 will, however, not be admissible to them during the period of employment/re-employment.

7. The cases of Central Government employees who have been permanently absorbed in public sector undertakings/autonomous bodies will be regulated as follows:-

(a) PENSION

Where the Government servants on permanent absorption in public sector undertakings/autonomous bodies continue to draw pension separately from the Government, the pension of such abosrbees will be updated in terms of these orders. In cases where the Government servants have drawn one time lump sum terminal benefits equal to 100% of their pensions and have become entitled to the restoration of one-third commuted portion of pension as per Supreme Court judgement dated 15.12.1995, their cases will not be covered by these orders.

(b) FAMILY PENSION

In cases where, on permanent absorption in public sector undertakings/autonomous bodies, the terms of absorption permit grant of family pension under the CCS (Pension) Rules, 1972 or the corresponding rules applicable to Railway employees/members of All India Services, the family pension being drawn by family pensioners will be updated in accordance with these orders.

8. All Pension Disbursing Authorities including Public Sector Banks handling disbursement of pension to the Central Government pensioners are hereby authorised to pay pension/family pension to existing pensioners/family pensioners at the consolidated rates in terms of para 4.1 above without any further authorisation from the concerned Accounts Officers/Head of Office etc. A table indicating the existing basic pension/family pension without Dearness Pension, the basic pension/family pension with dearness pension and the revised consolidated pension/family pension is enclosed for ready reference. **(Annexure I).** This table may be used where the pensioner is in receipt of a single pension only. Where a pensioner is in receipt of more than one pension, consolidation may be done separately in terms of paragraph 4.1 and as indicated in paragraph 5 floor ceiling of Rs. 3500/- may be applied to total pension from all sources taken together. Wherever the age of pensioner/ family pensioner is available on the pension payment order, the additional pension/ family pension in terms of para 4.5. above may also be paid by the pension disbursing authorities immediately without any further authorisation from the concerned Account Officer/ Head of Office, etc. A suitable entry regarding the revised consolidated pension shall be recorded by the pension Disbursing Authorities in both halves of the Pension Payment Order. An intimation regarding

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

disbursement of revised pension may be sent by the pension disbursing authorities to the Office of CPAO and Accounts Officer which had issued the PPO in the form given at **Annexure-II** so that the latter can update the Pension payment Order Register maintained by him. An acknowledgement shall be obtained by the Pension Disbursing Authorities from Office of CPAO and the respective Accounts Officers in this behalf.

9 The consolidated pension/family pension as worked out in accordance with provisions of Para 4.1. above shall be treated as final 'Basic Pension' with effect from 1.1.2006 and shall qualify for grant of Dearness Relief sanctioned thereafter.

10 40% of the arrears of pension will be paid in the year 2008-09 and the remaining 60% in the year 2009-10.

11. It shall be the responsibility of the Head of the Department of the Ministry, Department, Office, etc. from which the government servant had retired or where he was working prior to his demise to revise the pension/family pension of all pensioners/ family pensioners with effect from 1st January 2006 in accordance with the provisions mentioned in para 4.1 and 4.2 above and to issue revised Pension Payment Order (PPOs). Action to revise pension/ family pension in terms of these provisions shall be initiated suo moto by the concerned Heads of Departments. In the case of the Defence Civilian Employees, however, the procedure prescribed in this regard by the Ministry of Defence shall be followed. It is emphasised that the Pension Sanctioning Authority, in no case, will ask the pensioner/ family pensioner to surrender his/ her original Pension Payment Order (PPO) for issuing revised authority. In case, however, the age of pensioner/family pensioner is not available on the PPO/office records, the same shall be obtained from the pensioner/family pensioner and indicated in the revised PPO. The authenticity of the age declared by the pensioner/family pensioner shall be verified by the pension sanctioning authority. It may also be ensured that a copy of the revised PPO should be invariably endorsed to the pensioner/ family pensioner.

12. It is considered desirable that the benefit of these orders should reach the pensioners as expeditiously as possible. To achieve this objective it is desired that all Pension Disbursing Authorities should ensure that the revised pension and the first instalment of arrears due to the pensioners in terms of para 4.1. and para 4.5 above is paid to the pensioners or credited to their account by 30th September, 2008 or before positively. Instructions regarding release of second instalment of arrears will be issued later. Concerted efforts should be made by all the authorities concerned to ensure that the revised PPO's are issued, wherever necessary, with the utmost expedition in terms of para 4.1, 4.2. and 4.5 above and arrears are paid in terms of para 10 above within two months from the date of issue of this O.M.

13. In their application to the persons belonging to Indian Audit and Accounts Department these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

Published on National portal of India | http://India.gov.in/govt/paycommission.php

14. Ministry of Agriculture etc. are requested to bring the contents of these Orders to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached and subordinate Offices under them on a top priority basis. All pension disbursing offices are also advised to prominently display these orders on their notice boards for the benefit of pensioners.

15. Hindi version will follow.

RRazdan

(Rajni Razdan)
Secretary to the Government of India

To

All Ministries/ Departments of Government of India

Copy to :as per mailing list

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

Annexure - I

Table Showing existing Basic Pension/Family Pension without Dearness Pension/Family Dearness Pension (column 1), Basic Pension/Family Pension with Dearness Pension/Family Dearness Pension (column 2) and Revised Consolidated Pension/Family Pension (column 3)

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1275	1913	3500	1329	1994	3500	1383	2075	3500	1437	2156	3500
1276	1914	3500	1330	1995	3500	1384	2076	3500	1438	2157	3500
1277	1916	3500	1331	1997	3500	1385	2078	3500	1439	2159	3500
1278	1917	3500	1332	1998	3500	1386	2079	3500	1440	2160	3500
1279	1919	3500	1333	2000	3500	1387	2081	3500	1441	2162	3500
1280	1920	3500	1334	2001	3500	1388	2082	3500	1442	2163	3500
1281	1922	3500	1335	2003	3500	1389	2084	3500	1443	2165	3500
1282	1923	3500	1336	2004	3500	1390	2085	3500	1444	2166	3500
1283	1925	3500	1337	2006	3500	1391	2087	3500	1445	2168	3500
1284	1926	3500	1338	2007	3500	1392	2088	3500	1446	2169	3500
1285	1928	3500	1339	2009	3500	1393	2090	3500	1447	2171	3500
1286	1929	3500	1340	2010	3500	1394	2091	3500	1448	2172	3500
1287	1931	3500	1341	2012	3500	1395	2093	3500	1449	2174	3500
1288	1932	3500	1342	2013	3500	1396	2094	3500	1450	2175	3500
1289	1934	3500	1343	2015	3500	1397	2096	3500	1451	2177	3500
1290	1935	3500	1344	2016	3500	1398	2097	3500	1452	2178	3500
1291	1937	3500	1345	2018	3500	1399	2099	3500	1453	2180	3500
1292	1938	3500	1346	2019	3500	1400	2100	3500	1454	2181	3500
1293	1940	3500	1347	2021	3500	1401	2102	3500	1455	2183	3500
1294	1941	3500	1348	2022	3500	1402	2103	3500	1456	2184	3500
1295	1943	3500	1349	2024	3500	1403	2105	3500	1457	2186	3500
1296	1944	3500	1350	2025	3500	1404	2106	3500	1458	2187	3500
1297	1946	3500	1351	2027	3500	1405	2108	3500	1459	2189	3500
1298	1947	3500	1352	2028	3500	1406	2109	3500	1460	2190	3500
1299	1949	3500	1353	2030	3500	1407	2111	3500	1461	2192	3500
1300	1950	3500	1354	2031	3500	1408	2112	3500	1462	2193	3500
1301	1952	3500	1355	2033	3500	1409	2114	3500	1463	2195	3500
1302	1953	3500	1356	2034	3500	1410	2115	3500	1464	2196	3500
1303	1955	3500	1357	2036	3500	1411	2117	3500	1465	2198	3500
1304	1956	3500	1358	2037	3500	1412	2118	3500	1466	2199	3500
1305	1958	3500	1359	2039	3500	1413	2120	3500	1467	2201	3500
1306	1959	3500	1360	2040	3500	1414	2121	3500	1468	2202	3500
1307	1961	3500	1361	2042	3500	1415	2123	3500	1469	2204	3500
1308	1962	3500	1362	2043	3500	1416	2124	3500	1470	2205	3500
1309	1964	3500	1363	2045	3500	1417	2126	3500	1471	2207	3500
1310	1965	3500	1364	2046	3500	1418	2127	3500	1472	2208	3500
1311	1967	3500	1365	2048	3500	1419	2129	3500	1473	2210	3500
1312	1968	3500	1366	2049	3500	1420	2130	3500	1474	2211	3500
1313	1970	3500	1367	2051	3500	1421	2132	3500	1475	2213	3500
1314	1971	3500	1368	2052	3500	1422	2133	3500	1476	2214	3500
1315	1973	3500	1369	2054	3500	1423	2135	3500	1477	2216	3500
1316	1974	3500	1370	2055	3500	1424	2136	3500	1478	2217	3500
1317	1976	3500	1371	2057	3500	1425	2138	3500	1479	2219	3500
1318	1977	3500	1372	2058	3500	1426	2139	3500	1480	2220	3500
1319	1979	3500	1373	2060	3500	1427	2141	3500	1481	2222	3500
1320	1980	3500	1374	2061	3500	1428	2142	3500	1482	2223	3500
1321	1982	3500	1375	2063	3500	1429	2144	3500	1483	2225	3500
1322	1983	3500	1376	2064	3500	1430	2145	3500	1484	2226	3500
1323	1985	3500	1377	2066	3500	1431	2147	3500	1485	2228	3500
1324	1986	3500	1378	2067	3500	1432	2148	3500	1486	2229	3500
1325	1988	3500	1379	2069	3500	1433	2150	3500	1487	2231	3500
1326	1989	3500	1380	2070	3500	1434	2151	3500	1488	2232	3500
1327	1991	3500	1381	2072	3500	1435	2153	3500	1489	2234	3500
1328	1992	3500	1382	2073	3500	1436	2154	3500	1490	2235	3500

(M. P. SINGH)
Director (P P)
Dept. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1491	2237	3500	1551	2327	3507	1611	2417	3643	1671	2507	3778
1492	2238	3500	1552	2328	3508	1612	2418	3644	1672	2508	3779
1493	2240	3500	1553	2330	3512	1613	2420	3647	1673	2510	3783
1494	2241	3500	1554	2331	3513	1614	2421	3649	1674	2511	3784
1495	2243	3500	1555	2333	3515	1615	2423	3651	1675	2513	3787
1496	2244	3500	1556	2334	3518	1616	2424	3653	1676	2514	3789
1497	2246	3500	1557	2336	3520	1617	2426	3656	1677	2516	3791
1498	2247	3500	1558	2337	3522	1618	2427	3658	1678	2517	3794
1499	2249	3500	1559	2339	3525	1619	2429	3660	1679	2519	3796
1500	2250	3500	1560	2340	3526	1620	2430	3662	1680	2520	3797
1501	2252	3500	1561	2342	3530	1621	2432	3665	1681	2522	3801
1502	2253	3500	1562	2343	3531	1622	2433	3666	1682	2523	3802
1503	2255	3500	1563	2345	3534	1623	2435	3670	1683	2525	3805
1504	2256	3500	1564	2346	3536	1624	2436	3671	1684	2526	3807
1505	2258	3500	1565	2348	3538	1625	2438	3674	1685	2528	3809
1506	2259	3500	1566	2349	3540	1626	2439	3676	1686	2529	3811
1507	2261	3500	1567	2351	3543	1627	2441	3678	1687	2531	3814
1508	2262	3500	1568	2352	3545	1628	2442	3681	1688	2532	3816
1509	2264	3500	1569	2354	3547	1629	2444	3683	1689	2534	3819
1510	2265	3500	1570	2355	3549	1630	2445	3684	1690	2535	3820
1511	2267	3500	1571	2357	3552	1631	2447	3688	1691	2537	3823
1512	2268	3500	1572	2358	3553	1632	2448	3689	1692	2538	3825
1513	2270	3500	1573	2360	3557	1633	2450	3692	1693	2540	3828
1514	2271	3500	1574	2361	3558	1634	2451	3694	1694	2541	3829
1515	2273	3500	1575	2363	3561	1635	2453	3696	1695	2543	3832
1516	2274	3500	1576	2364	3563	1636	2454	3698	1696	2544	3834
1517	2276	3500	1577	2366	3565	1637	2456	3701	1697	2546	3837
1518	2277	3500	1578	2367	3568	1638	2457	3703	1698	2547	3839
1519	2279	3500	1579	2369	3570	1639	2459	3706	1699	2549	3841
1520	2280	3500	1580	2370	3571	1640	2460	3707	1700	2550	3842
1521	2282	3500	1581	2372	3575	1641	2462	3710	1701	2552	3846
1522	2283	3500	1582	2373	3576	1642	2463	3712	1702	2553	3847
1523	2285	3500	1583	2375	3579	1643	2465	3715	1703	2555	3851
1524	2286	3500	1584	2376	3581	1644	2466	3716	1704	2556	3852
1525	2288	3500	1585	2378	3583	1645	2468	3719	1705	2558	3854
1526	2289	3500	1586	2379	3585	1646	2469	3721	1706	2559	3857
1527	2291	3500	1587	2381	3588	1647	2471	3724	1707	2561	3859
1528	2292	3500	1588	2382	3590	1648	2472	3726	1708	2562	3861
1529	2294	3500	1589	2384	3593	1649	2474	3728	1709	2564	3864
1530	2295	3500	1590	2385	3594	1650	2475	3729	1710	2565	3865
1531	2297	3500	1591	2387	3597	1651	2477	3733	1711	2567	3869
1532	2298	3500	1592	2388	3599	1652	2478	3734	1712	2568	3870
1533	2300	3500	1593	2390	3602	1653	2480	3738	1713	2570	3873
1534	2301	3500	1594	2391	3603	1654	2481	3739	1714	2571	3875
1535	2303	3500	1595	2393	3606	1655	2483	3741	1715	2573	3877
1536	2304	3500	1596	2394	3608	1656	2484	3744	1716	2574	3879
1537	2306	3500	1597	2396	3611	1657	2486	3746	1717	2576	3882
1538	2307	3500	1598	2397	3613	1658	2487	3748	1718	2577	3884
1539	2309	3500	1599	2399	3615	1659	2489	3751	1719	2579	3886
1540	2310	3500	1600	2400	3616	1660	2490	3752	1720	2580	3888
1541	2312	3500	1601	2402	3620	1661	2492	3756	1721	2582	3891
1542	2313	3500	1602	2403	3621	1662	2493	3757	1722	2583	3892
1543	2315	3500	1603	2405	3625	1663	2495	3760	1723	2585	3896
1544	2316	3500	1604	2406	3626	1664	2496	3762	1724	2586	3897
1545	2318	3500	1605	2408	3628	1665	2498	3764	1725	2588	3900
1546	2319	3500	1606	2409	3631	1666	2499	3766	1726	2589	3902
1547	2321	3500	1607	2411	3633	1667	2501	3769	1727	2591	3904
1548	2322	3500	1608	2412	3635	1668	2502	3771	1728	2592	3907
1549	2324	3502	1609	2414	3638	1669	2504	3773	1729	2594	3909
1550	2325	3503	1610	2415	3639	1670	2505	3775	1730	2595	3910

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1731	2597	**3914**	1791	2687	**4049**	1851	2777	**4185**	1911	2867	**4321**
1732	2598	**3915**	1792	2688	**4051**	1852	2778	**4186**	1912	2868	**4322**
1733	2600	**3918**	1793	2690	**4054**	1853	2780	**4190**	1913	2870	**4325**
1734	2601	**3920**	1794	2691	**4055**	1854	2781	**4191**	1914	2871	**4327**
1735	2603	**3922**	1795	2693	**4058**	1855	2783	**4193**	1915	2873	**4329**
1736	2604	**3924**	1796	2694	**4060**	1856	2784	**4196**	1916	2874	**4331**
1737	2606	**3927**	1797	2696	**4063**	1857	2786	**4198**	1917	2876	**4334**
1738	2607	**3929**	1798	2697	**4065**	1858	2787	**4200**	1918	2877	**4336**
1739	2609	**3932**	1799	2699	**4067**	1859	2789	**4203**	1919	2879	**4338**
1740	2610	**3933**	1800	2700	**4068**	1860	2790	**4204**	1920	2880	**4340**
1741	2612	**3936**	1801	2702	**4072**	1861	2792	**4208**	1921	2882	**4343**
1742	2613	**3938**	1802	2703	**4073**	1862	2793	**4209**	1922	2883	**4344**
1743	2615	**3941**	1803	2705	**4077**	1863	2795	**4212**	1923	2885	**4348**
1744	2616	**3942**	1804	2706	**4078**	1864	2796	**4214**	1924	2886	**4349**
1745	2618	**3945**	1805	2708	**4080**	1865	2798	**4216**	1925	2888	**4352**
1746	2619	**3947**	1806	2709	**4083**	1866	2799	**4218**	1926	2889	**4354**
1747	2621	**3950**	1807	2711	**4085**	1867	2801	**4221**	1927	2891	**4356**
1748	2622	**3952**	1808	2712	**4087**	1868	2802	**4223**	1928	2892	**4359**
1749	2624	**3954**	1809	2714	**4090**	1869	2804	**4225**	1929	2894	**4361**
1750	2625	**3955**	1810	2715	**4091**	1870	2805	**4227**	1930	2895	**4362**
1751	2627	**3959**	1811	2717	**4095**	1871	2807	**4230**	1931	2897	**4366**
1752	2628	**3960**	1812	2718	**4096**	1872	2808	**4231**	1932	2898	**4367**
1753	2630	**3964**	1813	2720	**4099**	1873	2810	**4235**	1933	2900	**4370**
1754	2631	**3965**	1814	2721	**4101**	1874	2811	**4236**	1934	2901	**4372**
1755	2633	**3967**	1815	2723	**4103**	1875	2813	**4239**	1935	2903	**4374**
1756	2634	**3970**	1816	2724	**4105**	1876	2814	**4241**	1936	2904	**4376**
1757	2636	**3972**	1817	2726	**4108**	1877	2816	**4243**	1937	2906	**4379**
1758	2637	**3974**	1818	2727	**4110**	1878	2817	**4246**	1938	2907	**4381**
1759	2639	**3977**	1819	2729	**4112**	1879	2819	**4248**	1939	2909	**4384**
1760	2640	**3978**	1820	2730	**4114**	1880	2820	**4249**	1940	2910	**4385**
1761	2642	**3982**	1821	2732	**4117**	1881	2822	**4253**	1941	2912	**4388**
1762	2643	**3983**	1822	2733	**4118**	1882	2823	**4254**	1942	2913	**4390**
1763	2645	**3986**	1823	2735	**4122**	1883	2825	**4257**	1943	2915	**4393**
1764	2646	**3988**	1824	2736	**4123**	1884	2826	**4259**	1944	2916	**4394**
1765	2648	**3990**	1825	2738	**4126**	1885	2828	**4261**	1945	2918	**4397**
1766	2649	**3992**	1826	2739	**4128**	1886	2829	**4263**	1946	2919	**4399**
1767	2651	**3995**	1827	2741	**4130**	1887	2831	**4266**	1947	2921	**4402**
1768	2652	**3997**	1828	2742	**4133**	1888	2832	**4268**	1948	2922	**4404**
1769	2654	**3999**	1829	2744	**4135**	1889	2834	**4271**	1949	2924	**4406**
1770	2655	**4001**	1830	2745	**4136**	1890	2835	**4272**	1950	2925	**4407**
1771	2657	**4004**	1831	2747	**4140**	1891	2837	**4275**	1951	2927	**4411**
1772	2658	**4005**	1832	2748	**4141**	1892	2838	**4277**	1952	2928	**4412**
1773	2660	**4009**	1833	2750	**4144**	1893	2840	**4280**	1953	2930	**4416**
1774	2661	**4010**	1834	2751	**4146**	1894	2841	**4281**	1954	2931	**4417**
1775	2663	**4013**	1835	2753	**4148**	1895	2843	**4284**	1955	2933	**4419**
1776	2664	**4015**	1836	2754	**4150**	1896	2844	**4286**	1956	2934	**4422**
1777	2666	**4017**	1837	2756	**4153**	1897	2846	**4289**	1957	2936	**4424**
1778	2667	**4020**	1838	2757	**4155**	1898	2847	**4291**	1958	2937	**4426**
1779	2669	**4022**	1839	2759	**4158**	1899	2849	**4293**	1959	2939	**4429**
1780	2670	**4023**	1840	2760	**4159**	1900	2850	**4294**	1960	2940	**4430**
1781	2672	**4027**	1841	2762	**4162**	1901	2852	**4298**	1961	2942	**4434**
1782	2673	**4028**	1842	2763	**4164**	1902	2853	**4299**	1962	2943	**4435**
1783	2675	**4031**	1843	2765	**4167**	1903	2855	**4303**	1963	2945	**4438**
1784	2676	**4033**	1844	2766	**4168**	1904	2856	**4304**	1964	2946	**4440**
1785	2678	**4035**	1845	2768	**4171**	1905	2858	**4306**	1965	2948	**4442**
1786	2679	**4037**	1846	2769	**4173**	1906	2859	**4309**	1966	2949	**4444**
1787	2681	**4040**	1847	2771	**4176**	1907	2861	**4311**	1967	2951	**4447**
1788	2682	**4042**	1848	2772	**4178**	1908	2862	**4313**	1968	2952	**4449**
1789	2684	**4045**	1849	2774	**4180**	1909	2864	**4316**	1969	2954	**4451**
1790	2685	**4046**	1850	2775	**4181**	1910	2865	**4317**	1970	2955	**4453**

(M. P. SINGH)
Director (P P)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1971	2957	4456	2031	3047	4592	2091	3137	4727	2151	3227	4863
1972	2958	4457	2032	3048	4593	2092	3138	4729	2152	3228	4864
1973	2960	4461	2033	3050	4596	2093	3140	4732	2153	3230	4868
1974	2961	4462	2034	3051	4598	2094	3141	4733	2154	3231	4869
1975	2963	4465	2035	3053	4600	2095	3143	4736	2155	3233	4871
1976	2964	4467	2036	3054	4602	2096	3144	4738	2156	3234	4874
1977	2966	4469	2037	3056	4605	2097	3146	4741	2157	3236	4876
1978	2967	4472	2038	3057	4607	2098	3147	4743	2158	3237	4878
1979	2969	4474	2039	3059	4610	2099	3149	4745	2159	3239	4881
1980	2970	4475	2040	3060	4611	2100	3150	4746	2160	3240	4882
1981	2972	4479	2041	3062	4614	2101	3152	4750	2161	3242	4886
1982	2973	4480	2042	3063	4616	2102	3153	4751	2162	3243	4887
1983	2975	4483	2043	3065	4619	2103	3155	4755	2163	3245	4890
1984	2976	4485	2044	3066	4620	2104	3156	4756	2164	3246	4892
1985	2978	4487	2045	3068	4623	2105	3158	4758	2165	3248	4894
1986	2979	4489	2046	3069	4625	2106	3159	4761	2166	3249	4896
1987	2981	4492	2047	3071	4628	2107	3161	4763	2167	3251	4899
1988	2982	4494	2048	3072	4630	2108	3162	4765	2168	3252	4901
1989	2984	4497	2049	3074	4632	2109	3164	4768	2169	3254	4903
1990	2985	4498	2050	3075	4633	2110	3165	4769	2170	3255	4905
1991	2987	4501	2051	3077	4637	2111	3167	4773	2171	3257	4908
1992	2988	4503	2052	3078	4638	2112	3168	4774	2172	3258	4909
1993	2990	4506	2053	3080	4642	2113	3170	4777	2173	3260	4913
1994	2991	4507	2054	3081	4643	2114	3171	4779	2174	3261	4914
1995	2993	4510	2055	3083	4645	2115	3173	4781	2175	3263	4917
1996	2994	4512	2056	3084	4648	2116	3174	4783	2176	3264	4919
1997	2996	4515	2057	3086	4650	2117	3176	4786	2177	3266	4921
1998	2997	4517	2058	3087	4652	2118	3177	4788	2178	3267	4924
1999	2999	4519	2059	3089	4655	2119	3179	4790	2179	3269	4926
2000	3000	4520	2060	3090	4656	2120	3180	4792	2180	3270	4927
2001	3002	4524	2061	3092	4660	2121	3182	4795	2181	3272	4931
2002	3003	4525	2062	3093	4661	2122	3183	4796	2182	3273	4932
2003	3005	4529	2063	3095	4664	2123	3185	4800	2183	3275	4935
2004	3006	4530	2064	3096	4666	2124	3186	4801	2184	3276	4937
2005	3008	4532	2065	3098	4668	2125	3188	4804	2185	3278	4939
2006	3009	4535	2066	3099	4670	2126	3189	4806	2186	3279	4941
2007	3011	4537	2067	3101	4673	2127	3191	4808	2187	3281	4944
2008	3012	4539	2068	3102	4675	2128	3192	4811	2188	3282	4946
2009	3014	4542	2069	3104	4677	2129	3194	4813	2189	3284	4949
2010	3015	4543	2070	3105	4679	2130	3195	4814	2190	3285	4950
2011	3017	4547	2071	3107	4682	2131	3197	4818	2191	3287	4953
2012	3018	4548	2072	3108	4683	2132	3198	4819	2192	3288	4955
2013	3020	4551	2073	3110	4687	2133	3200	4822	2193	3290	4958
2014	3021	4553	2074	3111	4688	2134	3201	4824	2194	3291	4959
2015	3023	4555	2075	3113	4691	2135	3203	4826	2195	3293	4962
2016	3024	4557	2076	3114	4693	2136	3204	4828	2196	3294	4964
2017	3026	4560	2077	3116	4695	2137	3206	4831	2197	3296	4967
2018	3027	4562	2078	3117	4698	2138	3207	4833	2198	3297	4969
2019	3029	4564	2079	3119	4700	2139	3209	4836	2199	3299	4971
2020	3030	4566	2080	3120	4701	2140	3210	4837	2200	3300	4972
2021	3032	4569	2081	3122	4705	2141	3212	4840	2201	3302	4976
2022	3033	4570	2082	3123	4706	2142	3213	4842	2202	3303	4977
2023	3035	4574	2083	3125	4709	2143	3215	4845	2203	3305	4981
2024	3036	4575	2084	3126	4711	2144	3216	4846	2204	3306	4982
2025	3038	4578	2085	3128	4713	2145	3218	4849	2205	3308	4984
2026	3039	4580	2086	3129	4715	2146	3219	4851	2206	3309	4987
2027	3041	4582	2087	3131	4718	2147	3221	4854	2207	3311	4989
2028	3042	4585	2088	3132	4720	2148	3222	4856	2208	3312	4991
2029	3044	4587	2089	3134	4723	2149	3224	4858	2209	3314	4994
2030	3045	4588	2090	3135	4724	2150	3225	4859	2210	3315	4995

(M. P. SINGH)
Director (P P)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2211	3317	**4999**	2271	3407	**5134**	2331	3497	**5270**	2391	3587	**5405**
2212	3318	**5000**	2272	3408	**5135**	2332	3498	**5271**	2392	3588	**5407**
2213	3320	**5003**	2273	3410	**5139**	2333	3500	**5274**	2393	3590	**5410**
2214	3321	**5005**	2274	3411	**5140**	2334	3501	**5276**	2394	3591	**5411**
2215	3323	**5007**	2275	3413	**5143**	2335	3503	**5278**	2395	3593	**5414**
2216	3324	**5009**	2276	3414	**5145**	2336	3504	**5280**	2396	3594	**5416**
2217	3326	**5012**	2277	3416	**5147**	2337	3506	**5283**	2397	3596	**5419**
2218	3327	**5014**	2278	3417	**5150**	2338	3507	**5285**	2398	3597	**5421**
2219	3329	**5016**	2279	3419	**5152**	2339	3509	**5288**	2399	3599	**5423**
2220	3330	**5018**	2280	3420	**5153**	2340	3510	**5289**	2400	3600	**5424**
2221	3332	**5021**	2281	3422	**5157**	2341	3512	**5292**	2401	3602	**5428**
2222	3333	**5022**	2282	3423	**5158**	2342	3513	**5294**	2402	3603	**5429**
2223	3335	**5026**	2283	3425	**5161**	2343	3515	**5297**	2403	3605	**5433**
2224	3336	**5027**	2284	3426	**5163**	2344	3516	**5298**	2404	3606	**5434**
2225	3338	**5030**	2285	3428	**5165**	2345	3518	**5301**	2405	3608	**5436**
2226	3339	**5032**	2286	3429	**5167**	2346	3519	**5303**	2406	3609	**5439**
2227	3341	**5034**	2287	3431	**5170**	2347	3521	**5306**	2407	3611	**5441**
2228	3342	**5037**	2288	3432	**5172**	2348	3522	**5308**	2408	3612	**5443**
2229	3344	**5039**	2289	3434	**5175**	2349	3524	**5310**	2409	3614	**5446**
2230	3345	**5040**	2290	3435	**5176**	2350	3525	**5311**	2410	3615	**5447**
2231	3347	**5044**	2291	3437	**5179**	2351	3527	**5315**	2411	3617	**5451**
2232	3348	**5045**	2292	3438	**5181**	2352	3528	**5316**	2412	3618	**5452**
2233	3350	**5048**	2293	3440	**5184**	2353	3530	**5320**	2413	3620	**5455**
2234	3351	**5050**	2294	3441	**5185**	2354	3531	**5321**	2414	3621	**5457**
2235	3353	**5052**	2295	3443	**5188**	2355	3533	**5323**	2415	3623	**5459**
2236	3354	**5054**	2296	3444	**5190**	2356	3534	**5326**	2416	3624	**5461**
2237	3356	**5057**	2297	3446	**5193**	2357	3536	**5328**	2417	3626	**5464**
2238	3357	**5059**	2298	3447	**5195**	2358	3537	**5330**	2418	3627	**5466**
2239	3359	**5062**	2299	3449	**5197**	2359	3539	**5333**	2419	3629	**5468**
2240	3360	**5063**	2300	3450	**5198**	2360	3540	**5334**	2420	3630	**5470**
2241	3362	**5066**	2301	3452	**5202**	2361	3542	**5338**	2421	3632	**5473**
2242	3363	**5068**	2302	3453	**5203**	2362	3543	**5339**	2422	3633	**5474**
2243	3365	**5071**	2303	3455	**5207**	2363	3545	**5342**	2423	3635	**5478**
2244	3366	**5072**	2304	3456	**5208**	2364	3546	**5344**	2424	3636	**5479**
2245	3368	**5075**	2305	3458	**5210**	2365	3548	**5346**	2425	3638	**5482**
2246	3369	**5077**	2306	3459	**5213**	2366	3549	**5348**	2426	3639	**5484**
2247	3371	**5080**	2307	3461	**5215**	2367	3551	**5351**	2427	3641	**5486**
2248	3372	**5082**	2308	3462	**5217**	2368	3552	**5353**	2428	3642	**5489**
2249	3374	**5084**	2309	3464	**5220**	2369	3554	**5355**	2429	3644	**5491**
2250	3375	**5085**	2310	3465	**5221**	2370	3555	**5357**	2430	3645	**5492**
2251	3377	**5089**	2311	3467	**5225**	2371	3557	**5360**	2431	3647	**5496**
2252	3378	**5090**	2312	3468	**5226**	2372	3558	**5361**	2432	3648	**5497**
2253	3380	**5094**	2313	3470	**5229**	2373	3560	**5365**	2433	3650	**5500**
2254	3381	**5095**	2314	3471	**5231**	2374	3561	**5366**	2434	3651	**5502**
2255	3383	**5097**	2315	3473	**5233**	2375	3563	**5369**	2435	3653	**5504**
2256	3384	**5100**	2316	3474	**5235**	2376	3564	**5371**	2436	3654	**5506**
2257	3386	**5102**	2317	3476	**5238**	2377	3566	**5373**	2437	3656	**5509**
2258	3387	**5104**	2318	3477	**5240**	2378	3567	**5376**	2438	3657	**5511**
2259	3389	**5107**	2319	3479	**5242**	2379	3569	**5378**	2439	3659	**5514**
2260	3390	**5108**	2320	3480	**5244**	2380	3570	**5379**	2440	3660	**5515**
2261	3392	**5112**	2321	3482	**5247**	2381	3572	**5383**	2441	3662	**5518**
2262	3393	**5113**	2322	3483	**5248**	2382	3573	**5384**	2442	3663	**5520**
2263	3395	**5116**	2323	3485	**5252**	2383	3575	**5387**	2443	3665	**5523**
2264	3396	**5118**	2324	3486	**5253**	2384	3576	**5389**	2444	3666	**5524**
2265	3398	**5120**	2325	3488	**5256**	2385	3578	**5391**	2445	3668	**5527**
2266	3399	**5122**	2326	3489	**5258**	2386	3579	**5393**	2446	3669	**5529**
2267	3401	**5125**	2327	3491	**5260**	2387	3581	**5396**	2447	3671	**5532**
2268	3402	**5127**	2328	3492	**5263**	2388	3582	**5398**	2448	3672	**5534**
2269	3404	**5129**	2329	3494	**5265**	2389	3584	**5401**	2449	3674	**5536**
2270	3405	**5131**	2330	3495	**5266**	2390	3585	**5402**	2450	3675	**5537**

(Vol. P. SINGH)
Director (P F)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/payscommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2451	3677	**5541**	2511	3767	**5677**	2571	3857	**5812**	2631	3947	**5948**
2452	3678	**5542**	2512	3768	**5678**	2572	3858	**5813**	2632	3948	**5949**
2453	3680	**5546**	2513	3770	**5681**	2573	3860	**5817**	2633	3950	**5952**
2454	3681	**5547**	2514	3771	**5683**	2574	3861	**5818**	2634	3951	**5954**
2455	3683	**5549**	2515	3773	**5685**	2575	3863	**5821**	2635	3953	**5956**
2456	3684	**5552**	2516	3774	**5687**	2576	3864	**5823**	2636	3954	**5958**
2457	3686	**5554**	2517	3776	**5690**	2577	3866	**5825**	2637	3956	**5961**
2458	3687	**5556**	2518	3777	**5692**	2578	3867	**5828**	2638	3957	**5963**
2459	3689	**5559**	2519	3779	**5694**	2579	3869	**5830**	2639	3959	**5966**
2460	3690	**5560**	2520	3780	**5696**	2580	3870	**5831**	2640	3960	**5967**
2461	3692	**5564**	2521	3782	**5699**	2581	3872	**5835**	2641	3962	**5970**
2462	3693	**5565**	2522	3783	**5700**	2582	3873	**5836**	2642	3963	**5972**
2463	3695	**5568**	2523	3785	**5704**	2583	3875	**5839**	2643	3965	**5975**
2464	3696	**5570**	2524	3786	**5705**	2584	3876	**5841**	2644	3966	**5976**
2465	3698	**5572**	2525	3788	**5708**	2585	3878	**5843**	2645	3968	**5979**
2466	3699	**5574**	2526	3789	**5710**	2586	3879	**5845**	2646	3969	**5981**
2467	3701	**5577**	2527	3791	**5712**	2587	3881	**5848**	2647	3971	**5984**
2468	3702	**5579**	2528	3792	**5715**	2588	3882	**5850**	2648	3972	**5986**
2469	3704	**5581**	2529	3794	**5717**	2589	3884	**5853**	2649	3974	**5988**
2470	3705	**5583**	2530	3795	**5718**	2590	3885	**5854**	2650	3975	**5989**
2471	3707	**5586**	2531	3797	**5722**	2591	3887	**5857**	2651	3977	**5993**
2472	3708	**5587**	2532	3798	**5723**	2592	3888	**5859**	2652	3978	**5994**
2473	3710	**5591**	2533	3800	**5726**	2593	3890	**5862**	2653	3980	**5998**
2474	3711	**5592**	2534	3801	**5728**	2594	3891	**5863**	2654	3981	**5999**
2475	3713	**5595**	2535	3803	**5730**	2595	3893	**5866**	2655	3983	**6001**
2476	3714	**5597**	2536	3804	**5732**	2596	3894	**5868**	2656	3984	**6004**
2477	3716	**5599**	2537	3806	**5735**	2597	3896	**5871**	2657	3986	**6006**
2478	3717	**5602**	2538	3807	**5737**	2598	3897	**5873**	2658	3987	**6008**
2479	3719	**5604**	2539	3809	**5740**	2599	3899	**5875**	2659	3989	**6011**
2480	3720	**5605**	2540	3810	**5741**	2600	3900	**5876**	2660	3990	**6012**
2481	3722	**5609**	2541	3812	**5744**	2601	3902	**5880**	2661	3992	**6016**
2482	3723	**5610**	2542	3813	**5746**	2602	3903	**5881**	2662	3993	**6017**
2483	3725	**5613**	2543	3815	**5749**	2603	3905	**5885**	2663	3995	**6020**
2484	3726	**5615**	2544	3816	**5750**	2604	3906	**5886**	2664	3996	**6022**
2485	3728	**5617**	2545	3818	**5753**	2605	3908	**5888**	2665	3998	**6024**
2486	3729	**5619**	2546	3819	**5755**	2606	3909	**5891**	2666	3999	**6026**
2487	3731	**5622**	2547	3821	**5758**	2607	3911	**5893**	2667	4001	**6029**
2488	3732	**5624**	2548	3822	**5760**	2608	3912	**5895**	2668	4002	**6031**
2489	3734	**5627**	2549	3824	**5762**	2609	3914	**5898**	2669	4004	**6033**
2490	3735	**5628**	2550	3825	**5763**	2610	3915	**5899**	2670	4005	**6035**
2491	3737	**5631**	2551	3827	**5767**	2611	3917	**5903**	2671	4007	**6038**
2492	3738	**5633**	2552	3828	**5768**	2612	3918	**5904**	2672	4008	**6039**
2493	3740	**5636**	2553	3830	**5772**	2613	3920	**5907**	2673	4010	**6043**
2494	3741	**5637**	2554	3831	**5773**	2614	3921	**5909**	2674	4011	**6044**
2495	3743	**5640**	2555	3833	**5775**	2615	3923	**5911**	2675	4013	**6047**
2496	3744	**5642**	2556	3834	**5778**	2616	3924	**5913**	2676	4014	**6049**
2497	3746	**5645**	2557	3836	**5780**	2617	3926	**5916**	2677	4016	**6051**
2498	3747	**5647**	2558	3837	**5782**	2618	3927	**5918**	2678	4017	**6054**
2499	3749	**5649**	2559	3839	**5785**	2619	3929	**5920**	2679	4019	**6056**
2500	3750	**5650**	2560	3840	**5786**	2620	3930	**5922**	2680	4020	**6057**
2501	3752	**5654**	2561	3842	**5790**	2621	3932	**5925**	2681	4022	**6061**
2502	3753	**5655**	2562	3843	**5791**	2622	3933	**5926**	2682	4023	**6062**
2503	3755	**5659**	2563	3845	**5794**	2623	3935	**5930**	2683	4025	**6065**
2504	3756	**5660**	2564	3846	**5796**	2624	3936	**5931**	2684	4026	**6067**
2505	3758	**5662**	2565	3848	**5798**	2625	3938	**5934**	2685	4028	**6069**
2506	3759	**5665**	2566	3849	**5800**	2626	3939	**5936**	2686	4029	**6071**
2507	3761	**5667**	2567	3851	**5803**	2627	3941	**5938**	2687	4031	**6074**
2508	3762	**5669**	2568	3852	**5805**	2628	3942	**5941**	2688	4032	**6076**
2509	3764	**5672**	2569	3854	**5807**	2629	3944	**5943**	2689	4034	**6079**
2510	3765	**5673**	2570	3855	**5809**	2630	3945	**5944**	2690	4035	**6080**

(J.P. SINGH)
Director (P.P.)
Deptt. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2691	4037	**6083**	2751	4127	**6219**	2811	4217	**6355**	2871	4307	**6490**
2692	4038	**6085**	2752	4128	**6220**	2812	4218	**6356**	2872	4308	**6491**
2693	4040	**6088**	2753	4130	**6224**	2813	4220	**6359**	2873	4310	**6495**
2694	4041	**6089**	2754	4131	**6225**	2814	4221	**6361**	2874	4311	**6496**
2695	4043	**6092**	2755	4133	**6227**	2815	4223	**6363**	2875	4313	**6499**
2696	4044	**6094**	2756	4134	**6230**	2816	4224	**6365**	2876	4314	**6501**
2697	4046	**6097**	2757	4136	**6232**	2817	4226	**6368**	2877	4316	**6503**
2698	4047	**6099**	2758	4137	**6234**	2818	4227	**6370**	2878	4317	**6506**
2699	4049	**6101**	2759	4139	**6237**	2819	4229	**6372**	2879	4319	**6508**
2700	4050	**6102**	2760	4140	**6238**	2820	4230	**6374**	2880	4320	**6509**
2701	4052	**6106**	2761	4142	**6242**	2821	4232	**6377**	2881	4322	**6513**
2702	4053	**6107**	2762	4143	**6243**	2822	4233	**6378**	2882	4323	**6514**
2703	4055	**6111**	2763	4145	**6246**	2823	4235	**6382**	2883	4325	**6517**
2704	4056	**6112**	2764	4146	**6248**	2824	4236	**6383**	2884	4326	**6519**
2705	4058	**6114**	2765	4148	**6250**	2825	4238	**6386**	2885	4328	**6521**
2706	4059	**6117**	2766	4149	**6252**	2826	4239	**6388**	2886	4329	**6523**
2707	4061	**6119**	2767	4151	**6255**	2827	4241	**6390**	2887	4331	**6526**
2708	4062	**6121**	2768	4152	**6257**	2828	4242	**6393**	2888	4332	**6528**
2709	4064	**6124**	2769	4154	**6259**	2829	4244	**6395**	2889	4334	**6531**
2710	4065	**6125**	2770	4155	**6261**	2830	4245	**6396**	2890	4335	**6532**
2711	4067	**6129**	2771	4157	**6264**	2831	4247	**6400**	2891	4337	**6535**
2712	4068	**6130**	2772	4158	**6265**	2832	4248	**6401**	2892	4338	**6537**
2713	4070	**6133**	2773	4160	**6269**	2833	4250	**6404**	2893	4340	**6540**
2714	4071	**6135**	2774	4161	**6270**	2834	4251	**6406**	2894	4341	**6541**
2715	4073	**6137**	2775	4163	**6273**	2835	4253	**6408**	2895	4343	**6544**
2716	4074	**6139**	2776	4164	**6275**	2836	4254	**6410**	2896	4344	**6546**
2717	4076	**6142**	2777	4166	**6277**	2837	4256	**6413**	2897	4346	**6549**
2718	4077	**6144**	2778	4167	**6280**	2838	4257	**6415**	2898	4347	**6551**
2719	4079	**6146**	2779	4169	**6282**	2839	4259	**6418**	2899	4349	**6553**
2720	4080	**6148**	2780	4170	**6283**	2840	4260	**6419**	2900	4350	**6554**
2721	4082	**6151**	2781	4172	**6287**	2841	4262	**6422**	2901	4352	**6558**
2722	4083	**6152**	2782	4173	**6288**	2842	4263	**6424**	2902	4353	**6559**
2723	4085	**6156**	2783	4175	**6291**	2843	4265	**6427**	2903	4355	**6563**
2724	4086	**6157**	2784	4176	**6293**	2844	4266	**6428**	2904	4356	**6564**
2725	4088	**6160**	2785	4178	**6295**	2845	4268	**6431**	2905	4358	**6566**
2726	4089	**6162**	2786	4179	**6297**	2846	4269	**6433**	2906	4359	**6569**
2727	4091	**6164**	2787	4181	**6300**	2847	4271	**6436**	2907	4361	**6571**
2728	4092	**6167**	2788	4182	**6302**	2848	4272	**6438**	2908	4362	**6573**
2729	4094	**6169**	2789	4184	**6305**	2849	4274	**6440**	2909	4364	**6576**
2730	4095	**6170**	2790	4185	**6306**	2850	4275	**6441**	2910	4365	**6577**
2731	4097	**6174**	2791	4187	**6309**	2851	4277	**6445**	2911	4367	**6581**
2732	4098	**6175**	2792	4188	**6311**	2852	4278	**6446**	2912	4368	**6582**
2733	4100	**6178**	2793	4190	**6314**	2853	4280	**6450**	2913	4370	**6585**
2734	4101	**6180**	2794	4191	**6315**	2854	4281	**6451**	2914	4371	**6587**
2735	4103	**6182**	2795	4193	**6318**	2855	4283	**6453**	2915	4373	**6589**
2736	4104	**6184**	2796	4194	**6320**	2856	4284	**6456**	2916	4374	**6591**
2737	4106	**6187**	2797	4196	**6323**	2857	4286	**6458**	2917	4376	**6594**
2738	4107	**6189**	2798	4197	**6325**	2858	4287	**6460**	2918	4377	**6596**
2739	4109	**6192**	2799	4199	**6327**	2859	4289	**6463**	2919	4379	**6598**
2740	4110	**6193**	2800	4200	**6328**	2860	4290	**6464**	2920	4380	**6600**
2741	4112	**6196**	2801	4202	**6332**	2861	4292	**6468**	2921	4382	**6603**
2742	4113	**6198**	2802	4203	**6333**	2862	4293	**6469**	2922	4383	**6604**
2743	4115	**6201**	2803	4205	**6337**	2863	4295	**6472**	2923	4385	**6608**
2744	4116	**6202**	2804	4206	**6338**	2864	4296	**6474**	2924	4386	**6609**
2745	4118	**6205**	2805	4208	**6340**	2865	4298	**6476**	2925	4388	**6612**
2746	4119	**6207**	2806	4209	**6343**	2866	4299	**6478**	2926	4389	**6614**
2747	4121	**6210**	2807	4211	**6345**	2867	4301	**6481**	2927	4391	**6616**
2748	4122	**6212**	2808	4212	**6347**	2868	4302	**6483**	2928	4392	**6619**
2749	4124	**6214**	2809	4214	**6350**	2869	4304	**6485**	2929	4394	**6621**
2750	4125	**6215**	2810	4215	**6351**	2870	4305	**6487**	2930	4395	**6622**

(M. P. SINGH)
Director (P.P)
Dept. of Pension & P.W.
Govt. of India

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
2931	4397	**6626**	2991	4487	**6761**	3051	4577	**6897**	3111	4667	**7033**
2932	4398	**6627**	2992	4488	**6763**	3052	4578	**6898**	3112	4668	**7034**
2933	4400	**6630**	2993	4490	**6766**	3053	4580	**6902**	3113	4670	**7037**
2934	4401	**6632**	2994	4491	**6767**	3054	4581	**6903**	3114	4671	**7039**
2935	4403	**6634**	2995	4493	**6770**	3055	4583	**6905**	3115	4673	**7041**
2936	4404	**6636**	2996	4494	**6772**	3056	4584	**6908**	3116	4674	**7043**
2937	4406	**6639**	2997	4496	**6775**	3057	4586	**6910**	3117	4676	**7046**
2938	4407	**6641**	2998	4497	**6777**	3058	4587	**6912**	3118	4677	**7048**
2939	4409	**6644**	2999	4499	**6779**	3059	4589	**6915**	3119	4679	**7050**
2940	4410	**6645**	3000	4500	**6780**	3060	4590	**6916**	3120	4680	**7052**
2941	4412	**6648**	3001	4502	**6784**	3061	4592	**6920**	3121	4682	**7055**
2942	4413	**6650**	3002	4503	**6785**	3062	4593	**6921**	3122	4683	**7056**
2943	4415	**6653**	3003	4505	**6789**	3063	4595	**6924**	3123	4685	**7060**
2944	4416	**6654**	3004	4506	**6790**	3064	4596	**6926**	3124	4686	**7061**
2945	4418	**6657**	3005	4508	**6792**	3065	4598	**6928**	3125	4688	**7064**
2946	4419	**6659**	3006	4509	**6795**	3066	4599	**6930**	3126	4689	**7066**
2947	4421	**6662**	3007	4511	**6797**	3067	4601	**6933**	3127	4691	**7068**
2948	4422	**6664**	3008	4512	**6799**	3068	4602	**6935**	3128	4692	**7071**
2949	4424	**6666**	3009	4514	**6802**	3069	4604	**6937**	3129	4694	**7073**
2950	4425	**6667**	3010	4515	**6803**	3070	4605	**6939**	3130	4695	**7074**
2951	4427	**6671**	3011	4517	**6807**	3071	4607	**6942**	3131	4697	**7078**
2952	4428	**6672**	3012	4518	**6808**	3072	4608	**6943**	3132	4698	**7079**
2953	4430	**6676**	3013	4520	**6811**	3073	4610	**6947**	3133	4700	**7082**
2954	4431	**6677**	3014	4521	**6813**	3074	4611	**6948**	3134	4701	**7084**
2955	4433	**6679**	3015	4523	**6815**	3075	4613	**6951**	3135	4703	**7086**
2956	4434	**6682**	3016	4524	**6817**	3076	4614	**6953**	3136	4704	**7088**
2957	4436	**6684**	3017	4526	**6820**	3077	4616	**6955**	3137	4706	**7091**
2958	4437	**6686**	3018	4527	**6822**	3078	4617	**6958**	3138	4707	**7093**
2959	4439	**6689**	3019	4529	**6824**	3079	4619	**6960**	3139	4709	**7096**
2960	4440	**6690**	3020	4530	**6826**	3080	4620	**6961**	3140	4710	**7097**
2961	4442	**6694**	3021	4532	**6829**	3081	4622	**6965**	3141	4712	**7100**
2962	4443	**6695**	3022	4533	**6830**	3082	4623	**6966**	3142	4713	**7102**
2963	4445	**6698**	3023	4535	**6834**	3083	4625	**6969**	3143	4715	**7105**
2964	4446	**6700**	3024	4536	**6835**	3084	4626	**6971**	3144	4716	**7106**
2965	4448	**6702**	3025	4538	**6838**	3085	4628	**6973**	3145	4718	**7109**
2966	4449	**6704**	3026	4539	**6840**	3086	4629	**6975**	3146	4719	**7111**
2967	4451	**6707**	3027	4541	**6842**	3087	4631	**6978**	3147	4721	**7114**
2968	4452	**6709**	3028	4542	**6845**	3088	4632	**6980**	3148	4722	**7116**
2969	4454	**6711**	3029	4544	**6847**	3089	4634	**6983**	3149	4724	**7118**
2970	4455	**6713**	3030	4545	**6848**	3090	4635	**6984**	3150	4725	**7119**
2971	4457	**6716**	3031	4547	**6852**	3091	4637	**6987**	3151	4727	**7123**
2972	4458	**6717**	3032	4548	**6853**	3092	4638	**6989**	3152	4728	**7124**
2973	4460	**6721**	3033	4550	**6856**	3093	4640	**6992**	3153	4730	**7128**
2974	4461	**6722**	3034	4551	**6858**	3094	4641	**6993**	3154	4731	**7129**
2975	4463	**6725**	3035	4553	**6860**	3095	4643	**6996**	3155	4733	**7131**
2976	4464	**6727**	3036	4554	**6862**	3096	4644	**6998**	3156	4734	**7134**
2977	4466	**6729**	3037	4556	**6865**	3097	4646	**7001**	3157	4736	**7136**
2978	4467	**6732**	3038	4557	**6867**	3098	4647	**7003**	3158	4737	**7138**
2979	4469	**6734**	3039	4559	**6870**	3099	4649	**7005**	3159	4739	**7141**
2980	4470	**6735**	3040	4560	**6871**	3100	4650	**7006**	3160	4740	**7142**
2981	4472	**6739**	3041	4562	**6874**	3101	4652	**7010**	3161	4742	**7146**
2982	4473	**6740**	3042	4563	**6876**	3102	4653	**7011**	3162	4743	**7147**
2983	4475	**6743**	3043	4565	**6879**	3103	4655	**7015**	3163	4745	**7150**
2984	4476	**6745**	3044	4566	**6880**	3104	4656	**7016**	3164	4746	**7152**
2985	4478	**6747**	3045	4568	**6883**	3105	4658	**7018**	3165	4748	**7154**
2986	4479	**6749**	3046	4569	**6885**	3106	4659	**7021**	3166	4749	**7156**
2987	4481	**6752**	3047	4571	**6888**	3107	4661	**7023**	3167	4751	**7159**
2988	4482	**6754**	3048	4572	**6890**	3108	4662	**7025**	3168	4752	**7161**
2989	4484	**6757**	3049	4574	**6892**	3109	4664	**7028**	3169	4754	**7163**
2990	4485	**6758**	3050	4575	**6893**	3110	4665	**7029**	3170	4755	**7165**

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Deptt. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3171	4757	**7168**	3231	4847	**7304**	3291	4937	**7439**	3351	5027	**7575**
3172	4758	**7169**	3232	4848	**7305**	3292	4938	**7441**	3352	5028	**7576**
3173	4760	**7173**	3233	4850	**7308**	3293	4940	**7444**	3353	5030	**7580**
3174	4761	**7174**	3234	4851	**7310**	3294	4941	**7445**	3354	5031	**7581**
3175	4763	**7177**	3235	4853	**7312**	3295	4943	**7448**	3355	5033	**7583**
3176	4764	**7179**	3236	4854	**7314**	3296	4944	**7450**	3356	5034	**7586**
3177	4766	**7181**	3237	4856	**7317**	3297	4946	**7453**	3357	5036	**7588**
3178	4767	**7184**	3238	4857	**7319**	3298	4947	**7455**	3358	5037	**7590**
3179	4769	**7186**	3239	4859	**7322**	3299	4949	**7457**	3359	5039	**7593**
3180	4770	**7187**	3240	4860	**7323**	3300	4950	**7458**	3360	5040	**7594**
3181	4772	**7191**	3241	4862	**7326**	3301	4952	**7462**	3361	5042	**7598**
3182	4773	**7192**	3242	4863	**7328**	3302	4953	**7463**	3362	5043	**7599**
3183	4775	**7195**	3243	4865	**7331**	3303	4955	**7467**	3363	5045	**7602**
3184	4776	**7197**	3244	4866	**7332**	3304	4956	**7468**	3364	5046	**7604**
3185	4778	**7199**	3245	4868	**7335**	3305	4958	**7470**	3365	5048	**7606**
3186	4779	**7201**	3246	4869	**7337**	3306	4959	**7473**	3366	5049	**7608**
3187	4781	**7204**	3247	4871	**7340**	3307	4961	**7475**	3367	5051	**7611**
3188	4782	**7206**	3248	4872	**7342**	3308	4962	**7477**	3368	5052	**7613**
3189	4784	**7209**	3249	4874	**7344**	3309	4964	**7480**	3369	5054	**7615**
3190	4785	**7210**	3250	4875	**7345**	3310	4965	**7481**	3370	5055	**7617**
3191	4787	**7213**	3251	4877	**7349**	3311	4967	**7485**	3371	5057	**7620**
3192	4788	**7215**	3252	4878	**7350**	3312	4968	**7486**	3372	5058	**7621**
3193	4790	**7218**	3253	4880	**7354**	3313	4970	**7489**	3373	5060	**7625**
3194	4791	**7219**	3254	4881	**7355**	3314	4971	**7491**	3374	5061	**7626**
3195	4793	**7222**	3255	4883	**7357**	3315	4973	**7493**	3375	5063	**7629**
3196	4794	**7224**	3256	4884	**7360**	3316	4974	**7495**	3376	5064	**7631**
3197	4796	**7227**	3257	4886	**7362**	3317	4976	**7498**	3377	5066	**7633**
3198	4797	**7229**	3258	4887	**7364**	3318	4977	**7500**	3378	5067	**7636**
3199	4799	**7231**	3259	4889	**7367**	3319	4979	**7502**	3379	5069	**7638**
3200	4800	**7232**	3260	4890	**7368**	3320	4980	**7504**	3380	5070	**7639**
3201	4802	**7236**	3261	4892	**7372**	3321	4982	**7507**	3381	5072	**7643**
3202	4803	**7237**	3262	4893	**7373**	3322	4983	**7508**	3382	5073	**7644**
3203	4805	**7241**	3263	4895	**7376**	3323	4985	**7512**	3383	5075	**7647**
3204	4806	**7242**	3264	4896	**7378**	3324	4986	**7513**	3384	5076	**7649**
3205	4808	**7244**	3265	4898	**7380**	3325	4988	**7516**	3385	5078	**7651**
3206	4809	**7247**	3266	4899	**7382**	3326	4989	**7518**	3386	5079	**7653**
3207	4811	**7249**	3267	4901	**7385**	3327	4991	**7520**	3387	5081	**7656**
3208	4812	**7251**	3268	4902	**7387**	3328	4992	**7523**	3388	5082	**7658**
3209	4814	**7254**	3269	4904	**7389**	3329	4994	**7525**	3389	5084	**7661**
3210	4815	**7255**	3270	4905	**7391**	3330	4995	**7526**	3390	5085	**7662**
3211	4817	**7259**	3271	4907	**7394**	3331	4997	**7530**	3391	5087	**7665**
3212	4818	**7260**	3272	4908	**7395**	3332	4998	**7531**	3392	5088	**7667**
3213	4820	**7263**	3273	4910	**7399**	3333	5000	**7534**	3393	5090	**7670**
3214	4821	**7265**	3274	4911	**7400**	3334	5001	**7536**	3394	5091	**7671**
3215	4823	**7267**	3275	4913	**7403**	3335	5003	**7538**	3395	5093	**7674**
3216	4824	**7269**	3276	4914	**7405**	3336	5004	**7540**	3396	5094	**7676**
3217	4826	**7272**	3277	4916	**7407**	3337	5006	**7543**	3397	5096	**7679**
3218	4827	**7274**	3278	4917	**7410**	3338	5007	**7545**	3398	5097	**7681**
3219	4829	**7276**	3279	4919	**7412**	3339	5009	**7548**	3399	5099	**7683**
3220	4830	**7278**	3280	4920	**7413**	3340	5010	**7549**	3400	5100	**7684**
3221	4832	**7281**	3281	4922	**7417**	3341	5012	**7552**	3401	5102	**7688**
3222	4833	**7282**	3282	4923	**7418**	3342	5013	**7554**	3402	5103	**7689**
3223	4835	**7286**	3283	4925	**7421**	3343	5015	**7557**	3403	5105	**7693**
3224	4836	**7287**	3284	4926	**7423**	3344	5016	**7558**	3404	5106	**7694**
3225	4838	**7290**	3285	4928	**7425**	3345	5018	**7561**	3405	5108	**7696**
3226	4839	**7292**	3286	4929	**7427**	3346	5019	**7563**	3406	5109	**7699**
3227	4841	**7294**	3287	4931	**7430**	3347	5021	**7566**	3407	5111	**7701**
3228	4842	**7297**	3288	4932	**7432**	3348	5022	**7568**	3408	5112	**7703**
3229	4844	**7299**	3289	4934	**7435**	3349	5024	**7570**	3409	5114	**7706**
3230	4845	**7300**	3290	4935	**7436**	3350	5025	**7571**	3410	5115	**7707**

(M. P. SINGH)
Director (P-I)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3411	5117	**7711**	3471	5207	**7846**	3531	5297	**7982**	3591	5387	**8117**
3412	5118	**7712**	3472	5208	**7847**	3532	5298	**7983**	3592	5388	**8119**
3413	5120	**7715**	3473	5210	**7851**	3533	5300	**7986**	3593	5390	**8122**
3414	5121	**7717**	3474	5211	**7852**	3534	5301	**7988**	3594	5391	**8123**
3415	5123	**7719**	3475	5213	**7855**	3535	5303	**7990**	3595	5393	**8126**
3416	5124	**7721**	3476	5214	**7857**	3536	5304	**7992**	3596	5394	**8128**
3417	5126	**7724**	3477	5216	**7859**	3537	5306	**7995**	3597	5396	**8131**
3418	5127	**7726**	3478	5217	**7862**	3538	5307	**7997**	3598	5397	**8133**
3419	5129	**7728**	3479	5219	**7864**	3539	5309	**8000**	3599	5399	**8135**
3420	5130	**7730**	3480	5220	**7865**	3540	5310	**8001**	3600	5400	**8136**
3421	5132	**7733**	3481	5222	**7869**	3541	5312	**8004**	3601	5402	**8140**
3422	5133	**7734**	3482	5223	**7870**	3542	5313	**8006**	3602	5403	**8141**
3423	5135	**7738**	3483	5225	**7873**	3543	5315	**8009**	3603	5405	**8145**
3424	5136	**7739**	3484	5226	**7875**	3544	5316	**8010**	3604	5406	**8146**
3425	5138	**7742**	3485	5228	**7877**	3545	5318	**8013**	3605	5408	**8148**
3426	5139	**7744**	3486	5229	**7879**	3546	5319	**8015**	3606	5409	**8151**
3427	5141	**7746**	3487	5231	**7882**	3547	5321	**8018**	3607	5411	**8153**
3428	5142	**7749**	3488	5232	**7884**	3548	5322	**8020**	3608	5412	**8155**
3429	5144	**7751**	3489	5234	**7887**	3549	5324	**8022**	3609	5414	**8158**
3430	5145	**7752**	3490	5235	**7888**	3550	5325	**8023**	3610	5415	**8159**
3431	5147	**7756**	3491	5237	**7891**	3551	5327	**8027**	3611	5417	**8163**
3432	5148	**7757**	3492	5238	**7893**	3552	5328	**8028**	3612	5418	**8164**
3433	5150	**7760**	3493	5240	**7896**	3553	5330	**8032**	3613	5420	**8167**
3434	5151	**7762**	3494	5241	**7897**	3554	5331	**8033**	3614	5421	**8169**
3435	5153	**7764**	3495	5243	**7900**	3555	5333	**8035**	3615	5423	**8171**
3436	5154	**7766**	3496	5244	**7902**	3556	5334	**8038**	3616	5424	**8173**
3437	5156	**7769**	3497	5246	**7905**	3557	5336	**8040**	3617	5426	**8176**
3438	5157	**7771**	3498	5247	**7907**	3558	5337	**8042**	3618	5427	**8178**
3439	5159	**7774**	3499	5249	**7909**	3559	5339	**8045**	3619	5429	**8180**
3440	5160	**7775**	3500	5250	**7910**	3560	5340	**8046**	3620	5430	**8182**
3441	5162	**7778**	3501	5252	**7914**	3561	5342	**8050**	3621	5432	**8185**
3442	5163	**7780**	3502	5253	**7915**	3562	5343	**8051**	3622	5433	**8186**
3443	5165	**7783**	3503	5255	**7919**	3563	5345	**8054**	3623	5435	**8190**
3444	5166	**7784**	3504	5256	**7920**	3564	5346	**8056**	3624	5436	**8191**
3445	5168	**7787**	3505	5258	**7922**	3565	5348	**8058**	3625	5438	**8194**
3446	5169	**7789**	3506	5259	**7925**	3566	5349	**8060**	3626	5439	**8196**
3447	5171	**7792**	3507	5261	**7927**	3567	5351	**8063**	3627	5441	**8198**
3448	5172	**7794**	3508	5262	**7929**	3568	5352	**8065**	3628	5442	**8201**
3449	5174	**7796**	3509	5264	**7932**	3569	5354	**8067**	3629	5444	**8203**
3450	5175	**7797**	3510	5265	**7933**	3570	5355	**8069**	3630	5445	**8204**
3451	5177	**7801**	3511	5267	**7937**	3571	5357	**8072**	3631	5447	**8208**
3452	5178	**7802**	3512	5268	**7938**	3572	5358	**8073**	3632	5448	**8209**
3453	5180	**7806**	3513	5270	**7941**	3573	5360	**8077**	3633	5450	**8212**
3454	5181	**7807**	3514	5271	**7943**	3574	5361	**8078**	3634	5451	**8214**
3455	5183	**7809**	3515	5273	**7945**	3575	5363	**8081**	3635	5453	**8216**
3456	5184	**7812**	3516	5274	**7947**	3576	5364	**8083**	3636	5454	**8218**
3457	5186	**7814**	3517	5276	**7950**	3577	5366	**8085**	3637	5456	**8221**
3458	5187	**7816**	3518	5277	**7952**	3578	5367	**8088**	3638	5457	**8223**
3459	5189	**7819**	3519	5279	**7954**	3579	5369	**8090**	3639	5459	**8226**
3460	5190	**7820**	3520	5280	**7956**	3580	5370	**8091**	3640	5460	**8227**
3461	5192	**7824**	3521	5282	**7959**	3581	5372	**8095**	3641	5462	**8230**
3462	5193	**7825**	3522	5283	**7960**	3582	5373	**8096**	3642	5463	**8232**
3463	5195	**7828**	3523	5285	**7964**	3583	5375	**8099**	3643	5465	**8235**
3464	5196	**7830**	3524	5286	**7965**	3584	5376	**8101**	3644	5466	**8236**
3465	5198	**7832**	3525	5288	**7968**	3585	5378	**8103**	3645	5468	**8239**
3466	5199	**7834**	3526	5289	**7970**	3586	5379	**8105**	3646	5469	**8241**
3467	5201	**7837**	3527	5291	**7972**	3587	5381	**8108**	3647	5471	**8244**
3468	5202	**7839**	3528	5292	**7975**	3588	5382	**8110**	3648	5472	**8246**
3469	5204	**7841**	3529	5294	**7977**	3589	5384	**8113**	3649	5474	**8248**
3470	5205	**7843**	3530	5295	**7978**	3590	5385	**8114**	3650	5475	**8249**

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Dept. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3651	5477	**8253**	3711	5567	**8389**	3771	5657	**8524**	3831	5747	**8660**
3652	5478	**8254**	3712	5568	**8390**	3772	5658	**8525**	3832	5748	**8661**
3653	5480	**8258**	3713	5570	**8393**	3773	5660	**8529**	3833	5750	**8664**
3654	5481	**8259**	3714	5571	**8395**	3774	5661	**8530**	3834	5751	**8666**
3655	5483	**8261**	3715	5573	**8397**	3775	5663	**8533**	3835	5753	**8668**
3656	5484	**8264**	3716	5574	**8399**	3776	5664	**8535**	3836	5754	**8670**
3657	5486	**8266**	3717	5576	**8402**	3777	5666	**8537**	3837	5756	**8673**
3658	5487	**8268**	3718	5577	**8404**	3778	5667	**8540**	3838	5757	**8675**
3659	5489	**8271**	3719	5579	**8406**	3779	5669	**8542**	3839	5759	**8678**
3660	5490	**8272**	3720	5580	**8408**	3780	5670	**8543**	3840	5760	**8679**
3661	5492	**8276**	3721	5582	**8411**	3781	5672	**8547**	3841	5762	**8682**
3662	5493	**8277**	3722	5583	**8412**	3782	5673	**8548**	3842	5763	**8684**
3663	5495	**8280**	3723	5585	**8416**	3783	5675	**8551**	3843	5765	**8687**
3664	5496	**8282**	3724	5586	**8417**	3784	5676	**8553**	3844	5766	**8688**
3665	5498	**8284**	3725	5588	**8420**	3785	5678	**8555**	3845	5768	**8691**
3666	5499	**8286**	3726	5589	**8422**	3786	5679	**8557**	3846	5769	**8693**
3667	5501	**8289**	3727	5591	**8424**	3787	5681	**8560**	3847	5771	**8696**
3668	5502	**8291**	3728	5592	**8427**	3788	5682	**8562**	3848	5772	**8698**
3669	5504	**8293**	3729	5594	**8429**	3789	5684	**8565**	3849	5774	**8700**
3670	5505	**8295**	3730	5595	**8430**	3790	5685	**8566**	3850	5775	**8701**
3671	5507	**8298**	3731	5597	**8434**	3791	5687	**8569**	3851	5777	**8705**
3672	5508	**8299**	3732	5598	**8435**	3792	5688	**8571**	3852	5778	**8706**
3673	5510	**8303**	3733	5600	**8438**	3793	5690	**8574**	3853	5780	**8710**
3674	5511	**8304**	3734	5601	**8440**	3794	5691	**8575**	3854	5781	**8711**
3675	5513	**8307**	3735	5603	**8442**	3795	5693	**8578**	3855	5783	**8713**
3676	5514	**8309**	3736	5604	**8444**	3796	5694	**8580**	3856	5784	**8716**
3677	5516	**8311**	3737	5606	**8447**	3797	5696	**8583**	3857	5786	**8718**
3678	5517	**8314**	3738	5607	**8449**	3798	5697	**8585**	3858	5787	**8720**
3679	5519	**8316**	3739	5609	**8452**	3799	5699	**8587**	3859	5789	**8723**
3680	5520	**8317**	3740	5610	**8453**	3800	5700	**8588**	3860	5790	**8724**
3681	5522	**8321**	3741	5612	**8456**	3801	5702	**8592**	3861	5792	**8728**
3682	5523	**8322**	3742	5613	**8458**	3802	5703	**8593**	3862	5793	**8729**
3683	5525	**8325**	3743	5615	**8461**	3803	5705	**8597**	3863	5795	**8732**
3684	5526	**8327**	3744	5616	**8462**	3804	5706	**8598**	3864	5796	**8734**
3685	5528	**8329**	3745	5618	**8465**	3805	5708	**8600**	3865	5798	**8736**
3686	5529	**8331**	3746	5619	**8467**	3806	5709	**8603**	3866	5799	**8738**
3687	5531	**8334**	3747	5621	**8470**	3807	5711	**8605**	3867	5801	**8741**
3688	5532	**8336**	3748	5622	**8472**	3808	5712	**8607**	3868	5802	**8743**
3689	5534	**8339**	3749	5624	**8474**	3809	5714	**8610**	3869	5804	**8745**
3690	5535	**8340**	3750	5625	**8475**	3810	5715	**8611**	3870	5805	**8747**
3691	5537	**8343**	3751	5627	**8479**	3811	5717	**8615**	3871	5807	**8750**
3692	5538	**8345**	3752	5628	**8480**	3812	5718	**8616**	3872	5808	**8751**
3693	5540	**8348**	3753	5630	**8484**	3813	5720	**8619**	3873	5810	**8755**
3694	5541	**8349**	3754	5631	**8485**	3814	5721	**8621**	3874	5811	**8756**
3695	5543	**8352**	3755	5633	**8487**	3815	5723	**8623**	3875	5813	**8759**
3696	5544	**8354**	3756	5634.	**8490**	3816	5724	**8625**	3876	5814	**8761**
3697	5546	**8357**	3757	5636	**8492**	3817	5726	**8628**	3877	5816	**8763**
3698	5547	**8359**	3758	5637	**8494**	3818	5727	**8630**	3878	5817	**8766**
3699	5549	**8361**	3759	5639	**8497**	3819	5729	**8632**	3879	5819	**8768**
3700	5550	**8362**	3760	5640	**8498**	3820	5730	**8634**	3880	5820	**8769**
3701	5552	**8366**	3761	5642	**8502**	3821	5732	**8637**	3881	5822	**8773**
3702	5553	**8367**	3762	5643	**8503**	3822	5733	**8638**	3882	5823	**8774**
3703	5555	**8371**	3763	5645	**8506**	3823	5735	**8642**	3883	5825	**8777**
3704	5556	**8372**	3764	5646	**8508**	3824	5736	**8643**	3884	5826	**8779**
3705	5558	**8374**	3765	5648	**8510**	3825	5738	**8646**	3885	5828	**8781**
3706	5559	**8377**	3766	5649	**8512**	3826	5739	**8648**	3886	5829	**8783**
3707	5561	**8379**	3767	5651	**8515**	3827	5741	**8650**	3887	5831	**8786**
3708	5562	**8381**	3768	5652	**8517**	3828	5742	**8653**	3888	5832	**8788**
3709	5564	**8384**	3769	5654	**8519**	3829	5744	**8655**	3889	5834	**8791**
3710	5565	**8385**	3770	5655	**8521**	3830	5745	**8656**	3890	5835	**8792**

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Deptt. of Pension & P.W.
Govt. of India

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
3891	5837	8795	3951	5927	8931	4011	6017	9067	4071	6107	9202
3892	5838	8797	3952	5928	8932	4012	6018	9068	4072	6108	9203
3893	5840	8800	3953	5930	8936	4013	6020	9071	4073	6110	9207
3894	5841	8801	3954	5931	8937	4014	6021	9073	4074	6111	9208
3895	5843	8804	3955	5933	8939	4015	6023	9075	4075	6113	9211
3896	5844	8806	3956	5934	8942	4016	6024	9077	4076	6114	9213
3897	5846	8809	3957	5936	8944	4017	6026	9080	4077	6116	9215
3898	5847	8811	3958	5937	8946	4018	6027	9082	4078	6117	9218
3899	5849	8813	3959	5939	8949	4019	6029	9084	4079	6119	9220
3900	5850	8814	3960	5940	8950	4020	6030	9086	4080	6120	9221
3901	5852	8818	3961	5942	8954	4021	6032	9089	4081	6122	9225
3902	5853	8819	3962	5943	8955	4022	6033	9090	4082	6123	9226
3903	5855	8823	3963	5945	8958	4023	6035	9094	4083	6125	9229
3904	5856	8824	3964	5946	8960	4024	6036	9095	4084	6126	9231
3905	5858	8826	3965	5948	8962	4025	6038	9098	4085	6128	9233
3906	5859	8829	3966	5949	8964	4026	6039	9100	4086	6129	9235
3907	5861	8831	3967	5951	8967	4027	6041	9102	4087	6131	9238
3908	5862	8833	3968	5952	8969	4028	6042	9105	4088	6132	9240
3909	5864	8836	3969	5954	8971	4029	6044	9107	4089	6134	9243
3910	5865	8837	3970	5955	8973	4030	6045	9108	4090	6135	9244
3911	5867	8841	3971	5957	8976	4031	6047	9112	4091	6137	9247
3912	5868	8842	3972	5958	8977	4032	6048	9113	4092	6138	9249
3913	5870	8845	3973	5960	8981	4033	6050	9116	4093	6140	9252
3914	5871	8847	3974	5961	8982	4034	6051	9118	4094	6141	9253
3915	5873	8849	3975	5963	8985	4035	6053	9120	4095	6143	9256
3916	5874	8851	3976	5964	8987	4036	6054	9122	4096	6144	9258
3917	5876	8854	3977	5966	8989	4037	6056	9125	4097	6146	9261
3918	5877	8856	3978	5967	8992	4038	6057	9127	4098	6147	9263
3919	5879	8858	3979	5969	8994	4039	6059	9130	4099	6149	9265
3920	5880	8860	3980	5970	8995	4040	6060	9131	4100	6150	9266
3921	5882	8863	3981	5972	8999	4041	6062	9134	4101	6152	9270
3922	5883	8864	3982	5973	9000	4042	6063	9136	4102	6153	9271
3923	5885	8868	3983	5975	9003	4043	6065	9139	4103	6155	9275
3924	5886	8869	3984	5976	9005	4044	6066	9140	4104	6156	9276
3925	5888	8872	3985	5978	9007	4045	6068	9143	4105	6158	9278
3926	5889	8874	3986	5979	9009	4046	6069	9145	4106	6159	9281
3927	5891	8876	3987	5981	9012	4047	6071	9148	4107	6161	9283
3928	5892	8879	3988	5982	9014	4048	6072	9150	4108	6162	9285
3929	5894	8881	3989	5984	9017	4049	6074	9152	4109	6164	9288
3930	5895	8882	3990	5985	9018	4050	6075	9153	4110	6165	9289
3931	5897	8886	3991	5987	9021	4051	6077	9157	4111	6167	9293
3932	5898	8887	3992	5988	9023	4052	6078	9158	4112	6168	9294
3933	5900	8890	3993	5990	9026	4053	6080	9162	4113	6170	9297
3934	5901	8892	3994	5991	9027	4054	6081	9163	4114	6171	9299
3935	5903	8894	3995	5993	9030	4055	6083	9165	4115	6173	9301
3936	5904	8896	3996	5994	9032	4056	6084	9168	4116	6174	9303
3937	5906	8899	3997	5996	9035	4057	6086	9170	4117	6176	9306
3938	5907	8901	3998	5997	9037	4058	6087	9172	4118	6177	9308
3939	5909	8904	3999	5999	9039	4059	6089	9175	4119	6179	9310
3940	5910	8905	4000	6000	9040	4060	6090	9176	4120	6180	9312
3941	5912	8908	4001	6002	9044	4061	6092	9180	4121	6182	9315
3942	5913	8910	4002	6003	9045	4062	6093	9181	4122	6183	9316
3943	5915	8913	4003	6005	9049	4063	6095	9184	4123	6185	9320
3944	5916	8914	4004	6006	9050	4064	6096	9186	4124	6186	9321
3945	5918	8917	4005	6008	9052	4065	6098	9188	4125	6188	9324
3946	5919	8919	4006	6009	9055	4066	6099	9190	4126	6189	9326
3947	5921	8922	4007	6011	9057	4067	6101	9193	4127	6191	9328
3948	5922	8924	4008	6012	9059	4068	6102	9195	4128	6192	9331
3949	5924	8926	4009	6014	9062	4069	6104	9197	4129	6194	9333
3950	5925	8927	4010	6015	9063	4070	6105	9199	4130	6195	9334

(M. P. SINGH)
Director (P P)
Dept. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4131	6197	9338	4191	6287	9473	4251	6377	9609	4311	6467	9745
4132	6198	9339	4192	6288	9475	4252	6378	9610	4312	6468	9746
4133	6200	9342	4193	6290	9478	4253	6380	9614	4313	6470	9749
4134	6201	9344	4194	6291	9479	4254	6381	9615	4314	6471	9751
4135	6203	9346	4195	6293	9482	4255	6383	9617	4315	6473	9753
4136	6204	9348	4196	6294	9484	4256	6384	9620	4316	6474	9755
4137	6206	9351	4197	6296	9487	4257	6386	9622	4317	6476	9758
4138	6207	9353	4198	6297	9489	4258	6387	9624	4318	6477	9760
4139	6209	9356	4199	6299	9491	4259	6389	9627	4319	6479	9762
4140	6210	9357	4200	6300	9492	4260	6390	9628	4320	6480	9764
4141	6212	9360	4201	6302	9496	4261	6392	9632	4321	6482	9767
4142	6213	9362	4202	6303	9497	4262	6393	9633	4322	6483	9768
4143	6215	9365	4203	6305	9501	4263	6395	9636	4323	6485	9772
4144	6216	9366	4204	6306	9502	4264	6396	9638	4324	6486	9773
4145	6218	9369	4205	6308	9504	4265	6398	9640	4325	6488	9776
4146	6219	9371	4206	6309	9507	4266	6399	9642	4326	6489	9778
4147	6221	9374	4207	6311	9509	4267	6401	9645	4327	6491	9780
4148	6222	9376	4208	6312	9511	4268	6402	9647	4328	6492	9783
4149	6224	9378	4209	6314	9514	4269	6404	9649	4329	6494	9785
4150	6225	9379	4210	6315	9515	4270	6405	9651	4330	6495	9786
4151	6227	9383	4211	6317	9519	4271	6407	9654	4331	6497	9790
4152	6228	9384	4212	6318	9520	4272	6408	9655	4332	6498	9791
4153	6230	9388	4213	6320	9523	4273	6410	9659	4333	6500	9794
4154	6231	9389	4214	6321	9525	4274	6411	9660	4334	6501	9796
4155	6233	9391	4215	6323	9527	4275	6413	9663	4335	6503	9798
4156	6234	9394	4216	6324	9529	4276	6414	9665	4336	6504	9800
4157	6236	9396	4217	6326	9532	4277	6416	9667	4337	6506	9803
4158	6237	9398	4218	6327	9534	4278	6417	9670	4338	6507	9805
4159	6239	9401	4219	6329	9536	4279	6419	9672	4339	6509	9808
4160	6240	9402	4220	6330	9538	4280	6420	9673	4340	6510	9809
4161	6242	9406	4221	6332	9541	4281	6422	9677	4341	6512	9812
4162	6243	9407	4222	6333	9542	4282	6423	9678	4342	6513	9814
4163	6245	9410	4223	6335	9546	4283	6425	9681	4343	6515	9817
4164	6246	9412	4224	6336	9547	4284	6426	9683	4344	6516	9818
4165	6248	9414	4225	6338	9550	4285	6428	9685	4345	6518	9821
4166	6249	9416	4226	6339	9552	4286	6429	9687	4346	6519	9823
4167	6251	9419	4227	6341	9554	4287	6431	9690	4347	6521	9826
4168	6252	9421	4228	6342	9557	4288	6432	9692	4348	6522	9828
4169	6254	9423	4229	6344	9559	4289	6434	9695	4349	6524	9830
4170	6255	9425	4230	6345	9560	4290	6435	9696	4350	6525	9831
4171	6257	9428	4231	6347	9564	4291	6437	9699	4351	6527	9835
4172	6258	9429	4232	6348	9565	4292	6438	9701	4352	6528	9836
4173	6260	9433	4233	6350	9568	4293	6440	9704	4353	6530	9840
4174	6261	9434	4234	6351	9570	4294	6441	9705	4354	6531	9841
4175	6263	9437	4235	6353	9572	4295	6443	9708	4355	6533	9843
4176	6264	9439	4236	6354	9574	4296	6444	9710	4356	6534	9846
4177	6266	9441	4237	6356	9577	4297	6446	9713	4357	6536	9848
4178	6267	9444	4238	6357	9579	4298	6447	9715	4358	6537	9850
4179	6269	9446	4239	6359	9582	4299	6449	9717	4359	6539	9853
4180	6270	9447	4240	6360	9583	4300	6450	9718	4360	6540	9854
4181	6272	9451	4241	6362	9586	4301	6452	9722	4361	6542	9858
4182	6273	9452	4242	6363	9588	4302	6453	9723	4362	6543	9859
4183	6275	9455	4243	6365	9591	4303	6455	9727	4363	6545	9862
4184	6276	9457	4244	6366	9592	4304	6456	9728	4364	6546	9864
4185	6278	9459	4245	6368	9595	4305	6458	9730	4365	6548	9866
4186	6279	9461	4246	6369	9597	4306	6459	9733	4366	6549	9868
4187	6281	9464	4247	6371	9600	4307	6461	9735	4367	6551	9871
4188	6282	9466	4248	6372	9602	4308	6462	9737	4368	6552	9873
4189	6284	9469	4249	6374	9604	4309	6464	9740	4369	6554	9875
4190	6285	9470	4250	6375	9605	4310	6465	9741	4370	6555	9877

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Deptt. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4371	6557	**9880**	4431	6647	**10016**	4491	6737	**10151**	4551	6827	**10287**
4372	6558	**9881**	4432	6648	**10017**	4492	6738	**10153**	4552	6828	**10288**
4373	6560	**9885**	4433	6650	**10020**	4493	6740	**10156**	4553	6830	**10292**
4374	6561	**9886**	4434	6651	**10022**	4494	6741	**10157**	4554	6831	**10293**
4375	6563	**9889**	4435	6653	**10024**	4495	6743	**10160**	4555	6833	**10295**
4376	6564	**9891**	4436	6654	**10026**	4496	6744	**10162**	4556	6834	**10298**
4377	6566	**9893**	4437	6656	**10029**	4497	6746	**10165**	4557	6836	**10300**
4378	6567	**9896**	4438	6657	**10031**	4498	6747	**10167**	4558	6837	**10302**
4379	6569	**9898**	4439	6659	**10034**	4499	6749	**10169**	4559	6839	**10305**
4380	6570	**9899**	4440	6660	**10035**	4500	6750	**10170**	4560	6840	**10306**
4381	6572	**9903**	4441	6662	**10038**	4501	6752	**10174**	4561	6842	**10310**
4382	6573	**9904**	4442	6663	**10040**	4502	6753	**10175**	4562	6843	**10311**
4383	6575	**9907**	4443	6665	**10043**	4503	6755	**10179**	4563	6845	**10314**
4384	6576	**9909**	4444	6666	**10044**	4504	6756	**10180**	4564	6846	**10316**
4385	6578	**9911**	4445	6668	**10047**	4505	6758	**10182**	4565	6848	**10318**
4386	6579	**9913**	4446	6669	**10049**	4506	6759	**10185**	4566	6849	**10320**
4387	6581	**9916**	4447	6671	**10052**	4507	6761	**10187**	4567	6851	**10323**
4388	6582	**9918**	4448	6672	**10054**	4508	6762	**10189**	4568	6852	**10325**
4389	6584	**9921**	4449	6674	**10056**	4509	6764	**10192**	4569	6854	**10327**
4390	6585	**9922**	4450	6675	**10057**	4510	6765	**10193**	4570	6855	**10329**
4391	6587	**9925**	4451	6677	**10061**	4511	6767	**10197**	4571	6857	**10332**
4392	6588	**9927**	4452	6678	**10062**	4512	6768	**10198**	4572	6858	**10333**
4393	6590	**9930**	4453	6680	**10066**	4513	6770	**10201**	4573	6860	**10337**
4394	6591	**9931**	4454	6681	**10067**	4514	6771	**10203**	4574	6861	**10338**
4395	6593	**9934**	4455	6683	**10069**	4515	6773	**10205**	4575	6863	**10341**
4396	6594	**9936**	4456	6684	**10072**	4516	6774	**10207**	4576	6864	**10343**
4397	6596	**9939**	4457	6686	**10074**	4517	6776	**10210**	4577	6866	**10345**
4398	6597	**9941**	4458	6687	**10076**	4518	6777	**10212**	4578	6867	**10348**
4399	6599	**9943**	4459	6689	**10079**	4519	6779	**10214**	4579	6869	**10350**
4400	6600	**9944**	4460	6690	**10080**	4520	6780	**10216**	4580	6870	**10351**
4401	6602	**9948**	4461	6692	**10084**	4521	6782	**10219**	4581	6872	**10355**
4402	6603	**9949**	4462	6693	**10085**	4522	6783	**10220**	4582	6873	**10356**
4403	6605	**9953**	4463	6695	**10088**	4523	6785	**10224**	4583	6875	**10359**
4404	6606	**9954**	4464	6696	**10090**	4524	6786	**10225**	4584	6876	**10361**
4405	6608	**9956**	4465	6698	**10092**	4525	6788	**10228**	4585	6878	**10363**
4406	6609	**9959**	4466	6699	**10094**	4526	6789	**10230**	4586	6879	**10365**
4407	6611	**9961**	4467	6701	**10097**	4527	6791	**10232**	4587	6881	**10368**
4408	6612	**9963**	4468	6702	**10099**	4528	6792	**10235**	4588	6882	**10370**
4409	6614	**9966**	4469	6704	**10101**	4529	6794	**10237**	4589	6884	**10373**
4410	6615	**9967**	4470	6705	**10103**	4530	6795	**10238**	4590	6885	**10374**
4411	6617	**9971**	4471	6707	**10106**	4531	6797	**10242**	4591	6887	**10377**
4412	6618	**9972**	4472	6708	**10107**	4532	6798	**10243**	4592	6888	**10379**
4413	6620	**9975**	4473	6710	**10111**	4533	6800	**10246**	4593	6890	**10382**
4414	6621	**9977**	4474	6711	**10112**	4534	6801	**10248**	4594	6891	**10383**
4415	6623	**9979**	4475	6713	**10115**	4535	6803	**10250**	4595	6893	**10386**
4416	6624	**9981**	4476	6714	**10117**	4536	6804	**10252**	4596	6894	**10388**
4417	6626	**9984**	4477	6716	**10119**	4537	6806	**10255**	4597	6896	**10391**
4418	6627	**9986**	4478	6717	**10122**	4538	6807	**10257**	4598	6897	**10393**
4419	6629	**9988**	4479	6719	**10124**	4539	6809	**10260**	4599	6899	**10395**
4420	6630	**9990**	4480	6720	**10125**	4540	6810	**10261**	4600	6900	**10396**
4421	6632	**9993**	4481	6722	**10129**	4541	6812	**10264**	4601	6902	**10400**
4422	6633	**9994**	4482	6723	**10130**	4542	6813	**10266**	4602	6903	**10401**
4423	6635	**9998**	4483	6725	**10133**	4543	6815	**10269**	4603	6905	**10405**
4424	6636	**9999**	4484	6726	**10135**	4544	6816	**10270**	4604	6906	**10406**
4425	6638	**10002**	4485	6728	**10137**	4545	6818	**10273**	4605	6908	**10408**
4426	6639	**10004**	4486	6729	**10139**	4546	6819	**10275**	4606	6909	**10411**
4427	6641	**10006**	4487	6731	**10142**	4547	6821	**10278**	4607	6911	**10413**
4428	6642	**10009**	4488	6732	**10144**	4548	6822	**10280**	4608	6912	**10415**
4429	6644	**10011**	4489	6734	**10147**	4549	6824	**10282**	4609	6914	**10418**
4430	6645	**10012**	4490	6735	**10148**	4550	6825	**10283**	4610	6915	**10419**

(M. P. SINGH)
Under Secretary (P-I)
Department of Pension & P.W.

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4611	6917	**10423**	4671	7007	**10558**	4731	7097	**10694**	4791	7187	**10829**
4612	6918	**10424**	4672	7008	**10559**	4732	7098	**10695**	4792	7188	**10831**
4613	6920	**10427**	4673	7010	**10563**	4733	7100	**10698**	4793	7190	**10834**
4614	6921	**10429**	4674	7011	**10564**	4734	7101	**10700**	4794	7191	**10835**
4615	6923	**10431**	4675	7013	**10567**	4735	7103	**10702**	4795	7193	**10838**
4616	6924	**10433**	4676	7014	**10569**	4736	7104	**10704**	4796	7194	**10840**
4617	6926	**10436**	4677	7016	**10571**	4737	7106	**10707**	4797	7196	**10843**
4618	6927	**10438**	4678	7017	**10574**	4738	7107	**10709**	4798	7197	**10845**
4619	6929	**10440**	4679	7019	**10576**	4739	7109	**10712**	4799	7199	**10847**
4620	6930	**10442**	4680	7020	**10577**	4740	7110	**10713**	4800	7200	**10848**
4621	6932	**10445**	4681	7022	**10581**	4741	7112	**10716**	4801	7202	**10852**
4622	6933	**10446**	4682	7023	**10582**	4742	7113	**10718**	4802	7203	**10853**
4623	6935	**10450**	4683	7025	**10585**	4743	7115	**10721**	4803	7205	**10857**
4624	6936	**10451**	4684	7026	**10587**	4744	7116	**10722**	4804	7206	**10858**
4625	6938	**10454**	4685	7028	**10589**	4745	7118	**10725**	4805	7208	**10860**
4626	6939	**10456**	4686	7029	**10591**	4746	7119	**10727**	4806	7209	**10863**
4627	6941	**10458**	4687	7031	**10594**	4747	7121	**10730**	4807	7211	**10865**
4628	6942	**10461**	4688	7032	**10596**	4748	7122	**10732**	4808	7212	**10867**
4629	6944	**10463**	4689	7034	**10599**	4749	7124	**10734**	4809	7214	**10870**
4630	6945	**10464**	4690	7035	**10600**	4750	7125	**10735**	4810	7215	**10871**
4631	6947	**10468**	4691	7037	**10603**	4751	7127	**10739**	4811	7217	**10875**
4632	6948	**10469**	4692	7038	**10605**	4752	7128	**10740**	4812	7218	**10876**
4633	6950	**10472**	4693	7040	**10608**	4753	7130	**10744**	4813	7220	**10879**
4634	6951	**10474**	4694	7041	**10609**	4754	7131	**10745**	4814	7221	**10881**
4635	6953	**10476**	4695	7043	**10612**	4755	7133	**10747**	4815	7223	**10883**
4636	6954	**10478**	4696	7044	**10614**	4756	7134	**10750**	4816	7224	**10885**
4637	6956	**10481**	4697	7046	**10617**	4757	7136	**10752**	4817	7226	**10888**
4638	6957	**10483**	4698	7047	**10619**	4758	7137	**10754**	4818	7227	**10890**
4639	6959	**10486**	4699	7049	**10621**	4759	7139	**10757**	4819	7229	**10892**
4640	6960	**10487**	4700	7050	**10622**	4760	7140	**10758**	4820	7230	**10894**
4641	6962	**10490**	4701	7052	**10626**	4761	7142	**10762**	4821	7232	**10897**
4642	6963	**10492**	4702	7053	**10627**	4762	7143	**10763**	4822	7233	**10898**
4643	6965	**10495**	4703	7055	**10631**	4763	7145	**10766**	4823	7235	**10902**
4644	6966	**10496**	4704	7056	**10632**	4764	7146	**10768**	4824	7236	**10903**
4645	6968	**10499**	4705	7058	**10634**	4765	7148	**10770**	4825	7238	**10906**
4646	6969	**10501**	4706	7059	**10637**	4766	7149	**10772**	4826	7239	**10908**
4647	6971	**10504**	4707	7061	**10639**	4767	7151	**10775**	4827	7241	**10910**
4648	6972	**10506**	4708	7062	**10641**	4768	7152	**10777**	4828	7242	**10913**
4649	6974	**10508**	4709	7064	**10644**	4769	7154	**10779**	4829	7244	**10915**
4650	6975	**10509**	4710	7065	**10645**	4770	7155	**10781**	4830	7245	**10916**
4651	6977	**10513**	4711	7067	**10649**	4771	7157	**10784**	4831	7247	**10920**
4652	6978	**10514**	4712	7068	**10650**	4772	7158	**10785**	4832	7248	**10921**
4653	6980	**10518**	4713	7070	**10653**	4773	7160	**10789**	4833	7250	**10924**
4654	6981	**10519**	4714	7071	**10655**	4774	7161	**10790**	4834	7251	**10926**
4655	6983	**10521**	4715	7073	**10657**	4775	7163	**10793**	4835	7253	**10928**
4656	6984	**10524**	4716	7074	**10659**	4776	7164	**10795**	4836	7254	**10930**
4657	6986	**10526**	4717	7076	**10662**	4777	7166	**10797**	4837	7256	**10933**
4658	6987	**10528**	4718	7077	**10664**	4778	7167	**10800**	4838	7257	**10935**
4659	6989	**10531**	4719	7079	**10666**	4779	7169	**10802**	4839	7259	**10938**
4660	6990	**10532**	4720	7080	**10668**	4780	7170	**10803**	4840	7260	**10939**
4661	6992	**10536**	4721	7082	**10671**	4781	7172	**10807**	4841	7262	**10942**
4662	6993	**10537**	4722	7083	**10672**	4782	7173	**10808**	4842	7263	**10944**
4663	6995	**10540**	4723	7085	**10676**	4783	7175	**10811**	4843	7265	**10947**
4664	6996	**10542**	4724	7086	**10677**	4784	7176	**10813**	4844	7266	**10948**
4665	6998	**10544**	4725	7088	**10680**	4785	7178	**10815**	4845	7268	**10951**
4666	6999	**10546**	4726	7089	**10682**	4786	7179	**10817**	4846	7269	**10953**
4667	7001	**10549**	4727	7091	**10684**	4787	7181	**10820**	4847	7271	**10956**
4668	7002	**10551**	4728	7092	**10687**	4788	7182	**10822**	4848	7272	**10958**
4669	7004	**10553**	4729	7094	**10689**	4789	7184	**10825**	4849	7274	**10960**
4670	7005	**10555**	4730	7095	**10690**	4790	7185	**10826**	4850	7275	**10961**

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4851	7277	10965	4911	7367	11101	4971	7457	11236	5031	7547	11372
4852	7278	10966	4912	7368	11102	4972	7458	11237	5032	7548	11373
4853	7280	10970	4913	7370	11105	4973	7460	11241	5033	7550	11376
4854	7281	10971	4914	7371	11107	4974	7461	11242	5034	7551	11378
4855	7283	10973	4915	7373	11109	4975	7463	11245	5035	7553	11380
4856	7284	10976	4916	7374	11111	4976	7464	11247	5036	7554	11382
4857	7286	10978	4917	7376	11114	4977	7466	11249	5037	7556	11385
4858	7287	10980	4918	7377	11116	4978	7467	11252	5038	7557	11387
4859	7289	10983	4919	7379	11118	4979	7469	11254	5039	7559	11390
4860	7290	10984	4920	7380	11120	4980	7470	11255	5040	7560	11391
4861	7292	10988	4921	7382	11123	4981	7472	11259	5041	7562	11394
4862	7293	10989	4922	7383	11124	4982	7473	11260	5042	7563	11396
4863	7295	10992	4923	7385	11128	4983	7475	11263	5043	7565	11399
4864	7296	10994	4924	7386	11129	4984	7476	11265	5044	7566	11400
4865	7298	10996	4925	7388	11132	4985	7478	11267	5045	7568	11403
4866	7299	10998	4926	7389	11134	4986	7479	11269	5046	7569	11405
4867	7301	11001	4927	7391	11136	4987	7481	11272	5047	7571	11408
4868	7302	11003	4928	7392	11139	4988	7482	11274	5048	7572	11410
4869	7304	11005	4929	7394	11141	4989	7484	11277	5049	7574	11412
4870	7305	11007	4930	7395	11142	4990	7485	11278	5050	7575	11413
4871	7307	11010	4931	7397	11146	4991	7487	11281	5051	7577	11417
4872	7308	11011	4932	7398	11147	4992	7488	11283	5052	7578	11418
4873	7310	11015	4933	7400	11150	4993	7490	11286	5053	7580	11422
4874	7311	11016	4934	7401	11152	4994	7491	11287	5054	7581	11423
4875	7313	11019	4935	7403	11154	4995	7493	11290	5055	7583	11425
4876	7314	11021	4936	7404	11156	4996	7494	11292	5056	7584	11428
4877	7316	11023	4937	7406	11159	4997	7496	11295	5057	7586	11430
4878	7317	11026	4938	7407	11161	4998	7497	11297	5058	7587	11432
4879	7319	11028	4939	7409	11164	4999	7499	11299	5059	7589	11435
4880	7320	11029	4940	7410	11165	5000	7500	11300	5060	7590	11436
4881	7322	11033	4941	7412	11168	5001	7502	11304	5061	7592	11440
4882	7323	11034	4942	7413	11170	5002	7503	11305	5062	7593	11441
4883	7325	11037	4943	7415	11173	5003	7505	11309	5063	7595	11444
4884	7326	11039	4944	7416	11174	5004	7506	11310	5064	7596	11446
4885	7328	11041	4945	7418	11177	5005	7508	11312	5065	7598	11448
4886	7329	11043	4946	7419	11179	5006	7509	11315	5066	7599	11450
4887	7331	11046	4947	7421	11182	5007	7511	11317	5067	7601	11453
4888	7332	11048	4948	7422	11184	5008	7512	11319	5068	7602	11455
4889	7334	11051	4949	7424	11186	5009	7514	11322	5069	7604	11457
4890	7335	11052	4950	7425	11187	5010	7515	11323	5070	7605	11459
4891	7337	11055	4951	7427	11191	5011	7517	11327	5071	7607	11462
4892	7338	11057	4952	7428	11192	5012	7518	11328	5072	7608	11463
4893	7340	11060	4953	7430	11196	5013	7520	11331	5073	7610	11467
4894	7341	11061	4954	7431	11197	5014	7521	11333	5074	7611	11468
4895	7343	11064	4955	7433	11199	5015	7523	11335	5075	7613	11471
4896	7344	11066	4956	7434	11202	5016	7524	11337	5076	7614	11473
4897	7346	11069	4957	7436	11204	5017	7526	11340	5077	7616	11475
4898	7347	11071	4958	7437	11206	5018	7527	11342	5078	7617	11478
4899	7349	11073	4959	7439	11209	5019	7529	11344	5079	7619	11480
4900	7350	11074	4960	7440	11210	5020	7530	11346	5080	7620	11481
4901	7352	11078	4961	7442	11214	5021	7532	11349	5081	7622	11485
4902	7353	11079	4962	7443	11215	5022	7533	11350	5082	7623	11486
4903	7355	11083	4963	7445	11218	5023	7535	11354	5083	7625	11489
4904	7356	11084	4964	7446	11220	5024	7536	11355	5084	7626	11491
4905	7358	11086	4965	7448	11222	5025	7538	11358	5085	7628	11493
4906	7359	11089	4966	7449	11224	5026	7539	11360	5086	7629	11495
4907	7361	11091	4967	7451	11227	5027	7541	11362	5087	7631	11498
4908	7362	11093	4968	7452	11229	5028	7542	11365	5088	7632	11500
4909	7364	11096	4969	7454	11231	5029	7544	11367	5089	7634	11503
4910	7365	11097	4970	7455	11233	5030	7545	11368	5090	7635	11504

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Dept. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5091	7637	**11507**	5151	7727	**11643**	5211	7817	**11779**	5271	7907	**11914**
5092	7638	**11509**	5152	7728	**11644**	5212	7818	**11780**	5272	7908	**11915**
5093	7640	**11512**	5153	7730	**11648**	5213	7820	**11783**	5273	7910	**11919**
5094	7641	**11513**	5154	7731	**11649**	5214	7821	**11785**	5274	7911	**11920**
5095	7643	**11516**	5155	7733	**11651**	5215	7823	**11787**	5275	7913	**11923**
5096	7644	**11518**	5156	7734	**11654**	5216	7824	**11789**	5276	7914	**11925**
5097	7646	**11521**	5157	7736	**11656**	5217	7826	**11792**	5277	7916	**11927**
5098	7647	**11523**	5158	7737	**11658**	5218	7827	**11794**	5278	7917	**11930**
5099	7649	**11525**	5159	7739	**11661**	5219	7829	**11796**	5279	7919	**11932**
5100	7650	**11526**	5160	7740	**11662**	5220	7830	**11798**	5280	7920	**11933**
5101	7652	**11530**	5161	7742	**11666**	5221	7832	**11801**	5281	7922	**11937**
5102	7653	**11531**	5162	7743	**11667**	5222	7833	**11802**	5282	7923	**11938**
5103	7655	**11535**	5163	7745	**11670**	5223	7835	**11806**	5283	7925	**11941**
5104	7656	**11536**	5164	7746	**11672**	5224	7836	**11807**	5284	7926	**11943**
5105	7658	**11538**	5165	7748	**11674**	5225	7838	**11810**	5285	7928	**11945**
5106	7659	**11541**	5166	7749	**11676**	5226	7839	**11812**	5286	7929	**11947**
5107	7661	**11543**	5167	7751	**11679**	5227	7841	**11814**	5287	7931	**11950**
5108	7662	**11545**	5168	7752	**11681**	5228	7842	**11817**	5288	7932	**11952**
5109	7664	**11548**	5169	7754	**11683**	5229	7844	**11819**	5289	7934	**11955**
5110	7665	**11549**	5170	7755	**11685**	5230	7845	**11820**	5290	7935	**11956**
5111	7667	**11553**	5171	7757	**11688**	5231	7847	**11824**	5291	7937	**11959**
5112	7668	**11554**	5172	7758	**11689**	5232	7848	**11825**	5292	7938	**11961**
5113	7670	**11557**	5173	7760	**11693**	5233	7850	**11828**	5293	7940	**11964**
5114	7671	**11559**	5174	7761	**11694**	5234	7851	**11830**	5294	7941	**11965**
5115	7673	**11561**	5175	7763	**11697**	5235	7853	**11832**	5295	7943	**11968**
5116	7674	**11563**	5176	7764	**11699**	5236	7854	**11834**	5296	7944	**11970**
5117	7676	**11566**	5177	7766	**11701**	5237	7856	**11837**	5297	7946	**11973**
5118	7677	**11568**	5178	7767	**11704**	5238	7857	**11839**	5298	7947	**11975**
5119	7679	**11570**	5179	7769	**11706**	5239	7859	**11842**	5299	7949	**11977**
5120	7680	**11572**	5180	7770	**11707**	5240	7860	**11843**	5300	7950	**11978**
5121	7682	**11575**	5181	7772	**11711**	5241	7862	**11846**	5301	7952	**11982**
5122	7683	**11576**	5182	7773	**11712**	5242	7863	**11848**	5302	7953	**11983**
5123	7685	**11580**	5183	7775	**11715**	5243	7865	**11851**	5303	7955	**11987**
5124	7686	**11581**	5184	7776	**11717**	5244	7866	**11852**	5304	7956	**11988**
5125	7688	**11584**	5185	7778	**11719**	5245	7868	**11855**	5305	7958	**11990**
5126	7689	**11586**	5186	7779	**11721**	5246	7869	**11857**	5306	7959	**11993**
5127	7691	**11588**	5187	7781	**11724**	5247	7871	**11860**	5307	7961	**11995**
5128	7692	**11591**	5188	7782	**11726**	5248	7872	**11862**	5308	7962	**11997**
5129	7694	**11593**	5189	7784	**11729**	5249	7874	**11864**	5309	7964	**12000**
5130	7695	**11594**	5190	7785	**11730**	5250	7875	**11865**	5310	7965	**12001**
5131	7697	**11598**	5191	7787	**11733**	5251	7877	**11869**	5311	7967	**12005**
5132	7698	**11599**	5192	7788	**11735**	5252	7878	**11870**	5312	7968	**12006**
5133	7700	**11602**	5193	7790	**11738**	5253	7880	**11874**	5313	7970	**12009**
5134	7701	**11604**	5194	7791	**11739**	5254	7881	**11875**	5314	7971	**12011**
5135	7703	**11606**	5195	7793	**11742**	5255	7883	**11877**	5315	7973	**12013**
5136	7704	**11608**	5196	7794.	**11744**	5256	7884	**11880**	5316	7974	**12015**
5137	7706	**11611**	5197	7796	**11747**	5257	7886	**11882**	5317	7976	**12018**
5138	7707	**11613**	5198	7797	**11749**	5258	7887	**11884**	5318	7977	**12020**
5139	7709	**11616**	5199	7799	**11751**	5259	7889	**11887**	5319	7979	**12022**
5140	7710	**11617**	5200	7800	**11752**	5260	7890	**11888**	5320	7980	**12024**
5141	7712	**11620**	5201	7802	**11756**	5261	7892	**11892**	5321	7982	**12027**
5142	7713	**11622**	5202	7803	**11757**	5262	7893	**11893**	5322	7983	**12028**
5143	7715	**11625**	5203	7805	**11761**	5263	7895	**11896**	5323	7985	**12032**
5144	7716	**11626**	5204	7806	**11762**	5264	7896	**11898**	5324	7986	**12033**
5145	7718	**11629**	5205	7808	**11764**	5265	7898	**11900**	5325	7988	**12036**
5146	7719	**11631**	5206	7809	**11767**	5266	7899	**11902**	5326	7989	**12038**
5147	7721	**11634**	5207	7811	**11769**	5267	7901	**11905**	5327	7991	**12040**
5148	7722	**11636**	5208	7812	**11771**	5268	7902	**11907**	5328	7992	**12043**
5149	7724	**11638**	5209	7814	**11774**	5269	7904	**11909**	5329	7994	**12045**
5150	7725	**11639**	5210	7815	**11775**	5270	7905	**11911**	5330	7995	**12046**

Dept. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5331	7997	**12050**	5391	8087	**12185**	5451	8177	**12321**	5511	8267	**12457**
5332	7998	**12051**	5392	8088	**12187**	5452	8178	**12322**	5512	8268	**12458**
5333	8000	**12054**	5393	8090	**12190**	5453	8180	**12326**	5513	8270	**12461**
5334	8001	**12056**	5394	8091	**12191**	5454	8181	**12327**	5514	8271	**12463**
5335	8003	**12058**	5395	8093	**12194**	5455	8183	**12329**	5515	8273	**12465**
5336	8004	**12060**	5396	8094	**12196**	5456	8184	**12332**	5516	8274	**12467**
5337	8006	**12063**	5397	8096	**12199**	5457	8186	**12334**	5517	8276	**12470**
5338	8007	**12065**	5398	8097	**12201**	5458	8187	**12336**	5518	8277	**12472**
5339	8009	**12068**	5399	8099	**12203**	5459	8189	**12339**	5519	8279	**12474**
5340	8010	**12069**	5400	8100	**12204**	5460	8190	**12340**	5520	8280	**12476**
5341	8012	**12072**	5401	8102	**12208**	5461	8192	**12344**	5521	8282	**12479**
5342	8013	**12074**	5402	8103	**12209**	5462	8193	**12345**	5522	8283	**12480**
5343	8015	**12077**	5403	8105	**12213**	5463	8195	**12348**	5523	8285	**12484**
5344	8016	**12078**	5404	8106	**12214**	5464	8196	**12350**	5524	8286	**12485**
5345	8018	**12081**	5405	8108	**12216**	5465	8198	**12352**	5525	8288	**12488**
5346	8019	**12083**	5406	8109	**12219**	5466	8199	**12354**	5526	8289	**12490**
5347	8021	**12086**	5407	8111	**12221**	5467	8201	**12357**	5527	8291	**12492**
5348	8022	**12088**	5408	8112	**12223**	5468	8202	**12359**	5528	8292	**12495**
5349	8024	**12090**	5409	8114	**12226**	5469	8204	**12361**	5529	8294	**12497**
5350	8025	**12091**	5410	8115	**12227**	5470	8205	**12363**	5530	8295	**12498**
5351	8027	**12095**	5411	8117	**12231**	5471	8207	**12366**	5531	8297	**12502**
5352	8028	**12096**	5412	8118	**12232**	5472	8208	**12367**	5532	8298	**12503**
5353	8030	**12100**	5413	8120	**12235**	5473	8210	**12371**	5533	8300	**12506**
5354	8031	**12101**	5414	8121	**12237**	5474	8211	**12372**	5534	8301	**12508**
5355	8033	**12103**	5415	8123	**12239**	5475	8213	**12375**	5535	8303	**12510**
5356	8034	**12106**	5416	8124	**12241**	5476	8214	**12377**	5536	8304	**12512**
5357	8036	**12108**	5417	8126	**12244**	5477	8216	**12379**	5537	8306	**12515**
5358	8037	**12110**	5418	8127	**12246**	5478	8217	**12382**	5538	8307	**12517**
5359	8039	**12113**	5419	8129	**12248**	5479	8219	**12384**	5539	8309	**12520**
5360	8040	**12114**	5420	8130	**12250**	5480	8220	**12385**	5540	8310	**12521**
5361	8042	**12118**	5421	8132	**12253**	5481	8222	**12389**	5541	8312	**12524**
5362	8043	**12119**	5422	8133	**12254**	5482	8223	**12390**	5542	8313	**12526**
5363	8045	**12122**	5423	8135	**12258**	5483	8225	**12393**	5543	8315	**12529**
5364	8046	**12124**	5424	8136	**12259**	5484	8226	**12395**	5544	8316	**12530**
5365	8048	**12126**	5425	8138	**12262**	5485	8228	**12397**	5545	8318	**12533**
5366	8049	**12128**	5426	8139	**12264**	5486	8229	**12399**	5546	8319	**12535**
5367	8051	**12131**	5427	8141	**12266**	5487	8231	**12402**	5547	8321	**12538**
5368	8052	**12133**	5428	8142	**12269**	5488	8232	**12404**	5548	8322	**12540**
5369	8054	**12135**	5429	8144	**12271**	5489	8234	**12407**	5549	8324	**12542**
5370	8055	**12137**	5430	8145	**12272**	5490	8235	**12408**	5550	8325	**12543**
5371	8057	**12140**	5431	8147	**12276**	5491	8237	**12411**	5551	8327	**12547**
5372	8058	**12141**	5432	8148	**12277**	5492	8238	**12413**	5552	8328	**12548**
5373	8060	**12145**	5433	8150	**12280**	5493	8240	**12416**	5553	8330	**12552**
5374	8061	**12146**	5434	8151	**12282**	5494	8241	**12417**	5554	8331	**12553**
5375	8063	**12149**	5435	8153	**12284**	5495	8243	**12420**	5555	8333	**12555**
5376	8064	**12151**	5436	8154	**12286**	5496	8244	**12422**	5556	8334	**12558**
5377	8066	**12153**	5437	8156	**12289**	5497	8246	**12425**	5557	8336	**12560**
5378	8067	**12156**	5438	8157	**12291**	5498	8247	**12427**	5558	8337	**12562**
5379	8069	**12158**	5439	8159	**12294**	5499	8249	**12429**	5559	8339	**12565**
5380	8070	**12159**	5440	8160	**12295**	5500	8250	**12430**	5560	8340	**12566**
5381	8072	**12163**	5441	8162	**12298**	5501	8252	**12434**	5561	8342	**12570**
5382	8073	**12164**	5442	8163	**12300**	5502	8253	**12435**	5562	8343	**12571**
5383	8075	**12167**	5443	8165	**12303**	5503	8255	**12439**	5563	8345	**12574**
5384	8076	**12169**	5444	8166	**12304**	5504	8256	**12440**	5564	8346	**12576**
5385	8078	**12171**	5445	8168	**12307**	5505	8258	**12442**	5565	8348	**12578**
5386	8079	**12173**	5446	8169	**12309**	5506	8259	**12445**	5566	8349	**12580**
5387	8081	**12176**	5447	8171	**12312**	5507	8261	**12447**	5567	8351	**12583**
5388	8082	**12178**	5448	8172	**12314**	5508	8262	**12449**	5568	8352	**12585**
5389	8084	**12181**	5449	8174	**12316**	5509	8264	**12452**	5569	8354	**12587**
5390	8085	**12182**	5450	8175	**12317**	5510	8265	**12453**	5570	8355	**12589**

(A. P. SINGH)
Director (P-II)
Dept. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5571	8357	**12592**	5631	8447	**12728**	5691	8537	**12863**	5751	8627	**12999**
5572	8358	**12593**	5632	8448	**12729**	5692	8538	**12865**	5752	8628	**13000**
5573	8360	**12597**	5633	8450	**12732**	5693	8540	**12868**	5753	8630	**13004**
5574	8361	**12598**	5634	8451	**12734**	5694	8541	**12869**	5754	8631	**13005**
5575	8363	**12601**	5635	8453	**12736**	5695	8543	**12872**	5755	8633	**13007**
5576	8364	**12603**	5636	8454	**12738**	5696	8544	**12874**	5756	8634	**13010**
5577	8366	**12605**	5637	8456	**12741**	5697	8546	**12877**	5757	8636	**13012**
5578	8367	**12608**	5638	8457	**12743**	5698	8547	**12879**	5758	8637	**13014**
5579	8369	**12610**	5639	8459	**12746**	5699	8549	**12881**	5759	8639	**13017**
5580	8370	**12611**	5640	8460	**12747**	5700	8550	**12882**	5760	8640	**13018**
5581	8372	**12615**	5641	8462	**12750**	5701	8552	**12886**	5761	8642	**13022**
5582	8373	**12616**	5642	8463	**12752**	5702	8553	**12887**	5762	8643	**13023**
5583	8375	**12619**	5643	8465	**12755**	5703	8555	**12891**	5763	8645	**13026**
5584	8376	**12621**	5644	8466	**12756**	5704	8556	**12892**	5764	8646	**13028**
5585	8378	**12623**	5645	8468	**12759**	5705	8558	**12894**	5765	8648	**13030**
5586	8379	**12625**	5646	8469	**12761**	5706	8559	**12897**	5766	8649	**13032**
5587	8381	**12628**	5647	8471	**12764**	5707	8561	**12899**	5767	8651	**13035**
5588	8382	**12630**	5648	8472	**12766**	5708	8562	**12901**	5768	8652	**13037**
5589	8384	**12633**	5649	8474	**12768**	5709	8564	**12904**	5769	8654	**13039**
5590	8385	**12634**	5650	8475	**12769**	5710	8565	**12905**	5770	8655	**13041**
5591	8387	**12637**	5651	8477	**12773**	5711	8567	**12909**	5771	8657	**13044**
5592	8388	**12639**	5652	8478	**12774**	5712	8568	**12910**	5772	8658	**13045**
5593	8390	**12642**	5653	8480	**12778**	5713	8570	**12913**	5773	8660	**13049**
5594	8391	**12643**	5654	8481	**12779**	5714	8571	**12915**	5774	8661	**13050**
5595	8393	**12646**	5655	8483	**12781**	5715	8573	**12917**	5775	8663	**13053**
5596	8394	**12648**	5656	8484	**12784**	5716	8574	**12919**	5776	8664	**13055**
5597	8396	**12651**	5657	8486	**12786**	5717	8576	**12922**	5777	8666	**13057**
5598	8397	**12653**	5658	8487	**12788**	5718	8577	**12924**	5778	8667	**13060**
5599	8399	**12655**	5659	8489	**12791**	5719	8579	**12926**	5779	8669	**13062**
5600	8400	**12656**	5660	8490	**12792**	5720	8580	**12928**	5780	8670	**13063**
5601	8402	**12660**	5661	8492	**12796**	5721	8582	**12931**	5781	8672	**13067**
5602	8403	**12661**	5662	8493	**12797**	5722	8583	**12932**	5782	8673	**13068**
5603	8405	**12665**	5663	8495	**12800**	5723	8585	**12936**	5783	8675	**13071**
5604	8406	**12666**	5664	8496	**12802**	5724	8586	**12937**	5784	8676	**13073**
5605	8408	**12668**	5665	8498	**12804**	5725	8588	**12940**	5785	8678	**13075**
5606	8409	**12671**	5666	8499	**12806**	5726	8589	**12942**	5786	8679	**13077**
5607	8411	**12673**	5667	8501	**12809**	5727	8591	**12944**	5787	8681	**13080**
5608	8412	**12675**	5668	8502	**12811**	5728	8592	**12947**	5788	8682	**13082**
5609	8414	**12678**	5669	8504	**12813**	5729	8594	**12949**	5789	8684	**13085**
5610	8415	**12679**	5670	8505	**12815**	5730	8595	**12950**	5790	8685	**13086**
5611	8417	**12683**	5671	8507	**12818**	5731	8597	**12954**	5791	8687	**13089**
5612	8418	**12684**	5672	8508	**12819**	5732	8598	**12955**	5792	8688	**13091**
5613	8420	**12687**	5673	8510	**12823**	5733	8600	**12958**	5793	8690	**13094**
5614	8421	**12689**	5674	8511	**12824**	5734	8601	**12960**	5794	8691	**13095**
5615	8423	**12691**	5675	8513	**12827**	5735	8603	**12962**	5795	8693	**13098**
5616	8424	**12693**	5676	8514	**12829**	5736	8604	**12964**	5796	8694	**13100**
5617	8426	**12696**	5677	8516	**12831**	5737	8606	**12967**	5797	8696	**13103**
5618	8427	**12698**	5678	8517	**12834**	5738	8607	**12969**	5798	8697	**13105**
5619	8429	**12700**	5679	8519	**12836**	5739	8609	**12972**	5799	8699	**13107**
5620	8430	**12702**	5680	8520	**12837**	5740	8610	**12973**	5800	8700	**13108**
5621	8432	**12705**	5681	8522	**12841**	5741	8612	**12976**	5801	8702	**13112**
5622	8433	**12706**	5682	8523	**12842**	5742	8613	**12978**	5802	8703	**13113**
5623	8435	**12710**	5683	8525	**12845**	5743	8615	**12981**	5803	8705	**13117**
5624	8436	**12711**	5684	8526	**12847**	5744	8616	**12982**	5804	8706	**13118**
5625	8438	**12714**	5685	8528	**12849**	5745	8618	**12985**	5805	8708	**13120**
5626	8439	**12716**	5686	8529	**12851**	5746	8619	**12987**	5806	8709	**13123**
5627	8441	**12718**	5687	8531	**12854**	5747	8621	**12990**	5807	8711	**13125**
5628	8442	**12721**	5688	8532	**12856**	5748	8622	**12992**	5808	8712	**13127**
5629	8444	**12723**	5689	8534	**12859**	5749	8624	**12994**	5809	8714	**13130**
5630	8445	**12724**	5690	8535	**12860**	5750	8625	**12995**	5810	8715	**13131**

Dept. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
5811	8717	**13135**	5871	8807	**13270**	5931	8897	**13406**	5991	8987	**13541**
5812	8718	**13136**	5872	8808	**13271**	5932	8898	**13407**	5992	8988	**13543**
5813	8720	**13139**	5873	8810	**13275**	5933	8900	**13410**	5993	8990	**13546**
5814	8721	**13141**	5874	8811	**13276**	5934	8901	**13412**	5994	8991	**13547**
5815	8723	**13143**	5875	8813	**13279**	5935	8903	**13414**	5995	8993	**13550**
5816	8724	**13145**	5876	8814	**13281**	5936	8904	**13416**	5996	8994	**13552**
5817	8726	**13148**	5877	8816	**13283**	5937	8906	**13419**	5997	8996	**13555**
5818	8727	**13150**	5878	8817	**13286**	5938	8907	**13421**	5998	8997	**13557**
5819	8729	**13152**	5879	8819	**13288**	5939	8909	**13424**	5999	8999	**13559**
5820	8730	**13154**	5880	8820	**13289**	5940	8910	**13425**	6000	9000	**13560**
5821	8732	**13157**	5881	8822	**13293**	5941	8912	**13428**	6001	9002	**13564**
5822	8733	**13158**	5882	8823	**13294**	5942	8913	**13430**	6002	9003	**13565**
5823	8735	**13162**	5883	8825	**13297**	5943	8915	**13433**	6003	9005	**13569**
5824	8736	**13163**	5884	8826	**13299**	5944	8916	**13434**	6004	9006	**13570**
5825	8738	**13166**	5885	8828	**13301**	5945	8918	**13437**	6005	9008	**13572**
5826	8739	**13168**	5886	8829	**13303**	5946	8919	**13439**	6006	9009	**13575**
5827	8741	**13170**	5887	8831	**13306**	5947	8921	**13442**	6007	9011	**13577**
5828	8742	**13173**	5888	8832	**13308**	5948	8922	**13444**	6008	9012	**13579**
5829	8744	**13175**	5889	8834	**13311**	5949	8924	**13446**	6009	9014	**13582**
5830	8745	**13176**	5890	8835	**13312**	5950	8925	**13447**	6010	9015	**13583**
5831	8747	**13180**	5891	8837	**13315**	5951	8927	**13451**	6011	9017	**13587**
5832	8748	**13181**	5892	8838	**13317**	5952	8928	**13452**	6012	9018	**13588**
5833	8750	**13184**	5893	8840	**13320**	5953	8930	**13456**	6013	9020	**13591**
5834	8751	**13186**	5894	8841	**13321**	5954	8931	**13457**	6014	9021	**13593**
5835	8753	**13188**	5895	8843	**13324**	5955	8933	**13459**	6015	9023	**13595**
5836	8754	**13190**	5896	8844	**13326**	5956	8934	**13462**	6016	9024	**13597**
5837	8756	**13193**	5897	8846	**13329**	5957	8936	**13464**	6017	9026	**13600**
5838	8757	**13195**	5898	8847	**13331**	5958	8937	**13466**	6018	9027	**13602**
5839	8759	**13198**	5899	8849	**13333**	5959	8939	**13469**	6019	9029	**13604**
5840	8760	**13199**	5900	8850	**13334**	5960	8940	**13470**	6020	9030	**13606**
5841	8762	**13202**	5901	8852	**13338**	5961	8942	**13474**	6021	9032	**13609**
5842	8763	**13204**	5902	8853	**13339**	5962	8943	**13475**	6022	9033	**13610**
5843	8765	**13207**	5903	8855	**13343**	5963	8945	**13478**	6023	9035	**13614**
5844	8766	**13208**	5904	8856	**13344**	5964	8946	**13480**	6024	9036	**13615**
5845	8768	**13211**	5905	8858	**13346**	5965	8948	**13482**	6025	9038	**13618**
5846	8769	**13213**	5906	8859	**13349**	5966	8949	**13484**	6026	9039	**13620**
5847	8771	**13216**	5907	8861	**13351**	5967	8951	**13487**	6027	9041	**13622**
5848	8772	**13218**	5908	8862	**13353**	5968	8952	**13489**	6028	9042	**13625**
5849	8774	**13220**	5909	8864	**13356**	5969	8954	**13491**	6029	9044	**13627**
5850	8775	**13221**	5910	8865	**13357**	5970	8955	**13493**	6030	9045	**13628**
5851	8777	**13225**	5911	8867	**13361**	5971	8957	**13496**	6031	9047	**13632**
5852	8778	**13226**	5912	8868	**13362**	5972	8958	**13497**	6032	9048	**13633**
5853	8780	**13230**	5913	8870	**13365**	5973	8960	**13501**	6033	9050	**13636**
5854	8781	**13231**	5914	8871	**13367**	5974	8961	**13502**	6034	9051	**13638**
5855	8783	**13233**	5915	8873	**13369**	5975	8963	**13505**	6035	9053	**13640**
5856	8784	**13236**	5916	8874	**13371**	5976	8964	**13507**	6036	9054	**13642**
5857	8786	**13238**	5917	8876	**13374**	5977	8966	**13509**	6037	9056	**13645**
5858	8787	**13240**	5918	8877	**13376**	5978	8967	**13512**	6038	9057	**13647**
5859	8789	**13243**	5919	8879	**13378**	5979	8969	**13514**	6039	9059	**13650**
5860	8790	**13244**	5920	8880	**13380**	5980	8970	**13515**	6040	9060	**13651**
5861	8792	**13248**	5921	8882	**13383**	5981	8972	**13519**	6041	9062	**13654**
5862	8793	**13249**	5922	8883	**13384**	5982	8973	**13520**	6042	9063	**13656**
5863	8795	**13252**	5923	8885	**13388**	5983	8975	**13523**	6043	9065	**13659**
5864	8796	**13254**	5924	8886	**13389**	5984	8976	**13525**	6044	9066	**13660**
5865	8798	**13256**	5925	8888	**13392**	5985	8978	**13527**	6045	9068	**13663**
5866	8799	**13258**	5926	8889	**13394**	5986	8979	**13529**	6046	9069	**13665**
5867	8801	**13261**	5927	8891	**13396**	5987	8981	**13532**	6047	9071	**13668**
5868	8802	**13263**	5928	8892	**13399**	5988	8982	**13534**	6048	9072	**13670**
5869	8804	**13265**	5929	8894	**13401**	5989	8984	**13537**	6049	9074	**13672**
5870	8805	**13267**	5930	8895	**13402**	5990	8985	**13538**	6050	9075	**13673**

(A. P. Singhal)
Director (P & P)
Deptt. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6051	9077	13677	6111	9167	13813	6171	9257	13948	6231	9347	14084
6052	9078	13678	6112	9168	13814	6172	9258	13949	6232	9348	14085
6053	9080	13682	6113	9170	13817	6173	9260	13953	6233	9350	14088
6054	9081	13683	6114	9171	13819	6174	9261	13954	6234	9351	14090
6055	9083	13685	6115	9173	13821	6175	9263	13957	6235	9353	14092
6056	9084	13688	6116	9174	13823	6176	9264	13959	6236	9354	14094
6057	9086	13690	6117	9176	13826	6177	9266	13961	6237	9356	14097
6058	9087	13692	6118	9177	13828	6178	9267	13964	6238	9357	14099
6059	9089	13695	6119	9179	13830	6179	9269	13966	6239	9359	14102
6060	9090	13696	6120	9180	13832	6180	9270	13967	6240	9360	14103
6061	9092	13700	6121	9182	13835	6181	9272	13971	6241	9362	14106
6062	9093	13701	6122	9183	13836	6182	9273	13972	6242	9363	14108
6063	9095	13704	6123	9185	13840	6183	9275	13975	6243	9365	14111
6064	9096	13706	6124	9186	13841	6184	9276	13977	6244	9366	14112
6065	9098	13708	6125	9188	13844	6185	9278	13979	6245	9368	14115
6066	9099	13710	6126	9189	13846	6186	9279	13981	6246	9369	14117
6067	9101	13713	6127	9191	13848	6187	9281	13984	6247	9371	14120
6068	9102	13715	6128	9192	13851	6188	9282	13986	6248	9372	14122
6069	9104	13717	6129	9194	13853	6189	9284	13989	6249	9374	14124
6070	9105	13719	6130	9195	13854	6190	9285	13990	6250	9375	14125
6071	9107	13722	6131	9197	13858	6191	9287	13993	6251	9377	14129
6072	9108	13723	6132	9198	13859	6192	9288	13995	6252	9378	14130
6073	9110	13727	6133	9200	13862	6193	9290	13998	6253	9380	14134
6074	9111	13728	6134	9201	13864	6194	9291	13999	6254	9381	14135
6075	9113	13731	6135	9203	13866	6195	9293	14002	6255	9383	14137
6076	9114	13733	6136	9204	13868	6196	9294	14004	6256	9384	14140
6077	9116	13735	6137	9206	13871	6197	9296	14007	6257	9386	14142
6078	9117	13738	6138	9207	13873	6198	9297	14009	6258	9387	14144
6079	9119	13740	6139	9209	13876	6199	9299	14011	6259	9389	14147
6080	9120	13741	6140	9210	13877	6200	9300	14012	6260	9390	14148
6081	9122	13745	6141	9212	13880	6201	9302	14016	6261	9392	14152
6082	9123	13746	6142	9213	13882	6202	9303	14017	6262	9393	14153
6083	9125	13749	6143	9215	13885	6203	9305	14021	6263	9395	14156
6084	9126	13751	6144	9216	13886	6204	9306	14022	6264	9396	14158
6085	9128	13753	6145	9218	13889	6205	9308	14024	6265	9398	14160
6086	9129	13755	6146	9219	13891	6206	9309	14027	6266	9399	14162
6087	9131	13758	6147	9221	13894	6207	9311	14029	6267	9401	14165
6088	9132	13760	6148	9222	13896	6208	9312	14031	6268	9402	14167
6089	9134	13763	6149	9224	13898	6209	9314	14034	6269	9404	14169
6090	9135	13764	6150	9225	13899	6210	9315	14035	6270	9405	14171
6091	9137	13767	6151	9227	13903	6211	9317	14039	6271	9407	14174
6092	9138	13769	6152	9228	13904	6212	9318	14040	6272	9408	14175
6093	9140	13772	6153	9230	13908	6213	9320	14043	6273	9410	14179
6094	9141	13773	6154	9231	13909	6214	9321	14045	6274	9411	14180
6095	9143	13776	6155	9233	13911	6215	9323	14047	6275	9413	14183
6096	9144	13778	6156	9234	13914	6216	9324	14049	6276	9414	14185
6097	9146	13781	6157	9236	13916	6217	9326	14052	6277	9416	14187
6098	9147	13783	6158	9237	13918	6218	9327	14054	6278	9417	14190
6099	9149	13785	6159	9239	13921	6219	9329	14056	6279	9419	14192
6100	9150	13786	6160	9240	13922	6220	9330	14058	6280	9420	14193
6101	9152	13790	6161	9242	13926	6221	9332	14061	6281	9422	14197
6102	9153	13791	6162	9243	13927	6222	9333	14062	6282	9423	14198
6103	9155	13795	6163	9245	13930	6223	9335	14066	6283	9425	14201
6104	9156	13796	6164	9246	13932	6224	9336	14067	6284	9426	14203
6105	9158	13798	6165	9248	13934	6225	9338	14070	6285	9428	14205
6106	9159	13801	6166	9249	13936	6226	9339	14072	6286	9429	14207
6107	9161	13803	6167	9251	13939	6227	9341	14074	6287	9431	14210
6108	9162	13805	6168	9252	13941	6228	9342	14077	6288	9432	14212
6109	9164	13808	6169	9254	13943	6229	9344	14079	6289	9434	14215
6110	9165	13809	6170	9255	13945	6230	9345	14080	6290	9435	14216

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6291	9437	14219	6351	9527	14355	6411	9617	14491	6471	9707	14626
6292	9438	14221	6352	9528	14356	6412	9618	14492	6472	9708	14627
6293	9440	14224	6353	9530	14360	6413	9620	14495	6473	9710	14631
6294	9441	14225	6354	9531	14361	6414	9621	14497	6474	9711	14632
6295	9443	14228	6355	9533	14363	6415	9623	14499	6475	9713	14635
6296	9444	14230	6356	9534	14366	6416	9624	14501	6476	9714	14637
6297	9446	14233	6357	9536	14368	6417	9626	14504	6477	9716	14639
6298	9447	14235	6358	9537	14370	6418	9627	14506	6478	9717	14642
6299	9449	14237	6359	9539	14373	6419	9629	14508	6479	9719	14644
6300	9450	14238	6360	9540	14374	6420	9630	14510	6480	9720	14645
6301	9452	14242	6361	9542	14378	6421	9632	14513	6481	9722	14649
6302	9453	14243	6362	9543	14379	6422	9633	14514	6482	9723	14650
6303	9455	14247	6363	9545	14382	6423	9635	14518	6483	9725	14653
6304	9456	14248	6364	9546	14384	6424	9636	14519	6484	9726	14655
6305	9458	14250	6365	9548	14386	6425	9638	14522	6485	9728	14657
6306	9459	14253	6366	9549	14388	6426	9639	14524	6486	9729	14659
6307	9461	14255	6367	9551	14391	6427	9641	14526	6487	9731	14662
6308	9462	14257	6368	9552	14393	6428	9642	14529	6488	9732	14664
6309	9464	14260	6369	9554	14395	6429	9644	14531	6489	9734	14667
6310	9465	14261	6370	9555	14397	6430	9645	14532	6490	9735	14668
6311	9467	14265	6371	9557	14400	6431	9647	14536	6491	9737	14671
6312	9468	14266	6372	9558	14401	6432	9648	14537	6492	9738	14673
6313	9470	14269	6373	9560	14405	6433	9650	14540	6493	9740	14676
6314	9471	14271	6374	9561	14406	6434	9651	14542	6494	9741	14677
6315	9473	14273	6375	9563	14409	6435	9653	14544	6495	9743	14680
6316	9474	14275	6376	9564	14411	6436	9654	14546	6496	9744	14682
6317	9476	14278	6377	9566	14413	6437	9656	14549	6497	9746	14685
6318	9477	14280	6378	9567	14416	6438	9657	14551	6498	9747	14687
6319	9479	14282	6379	9569	14418	6439	9659	14554	6499	9749	14689
6320	9480	14284	6380	9570	14419	6440	9660	14555	6500	9750	14690
6321	9482	14287	6381	9572	14423	6441	9662	14558	6501	9752	14694
6322	9483	14288	6382	9573	14424	6442	9663	14560	6502	9753	14695
6323	9485	14292	6383	9575	14427	6443	9665	14563	6503	9755	14699
6324	9486	14293	6384	9576	14429	6444	9666	14564	6504	9756	14700
6325	9488	14296	6385	9578	14431	6445	9668	14567	6505	9758	14702
6326	9489	14298	6386	9579	14433	6446	9669	14569	6506	9759	14705
6327	9491	14300	6387	9581	14436	6447	9671	14572	6507	9761	14707
6328	9492	14303	6388	9582	14438	6448	9672	14574	6508	9762	14709
6329	9494	14305	6389	9584	14441	6449	9674	14576	6509	9764	14712
6330	9495	14306	6390	9585	14442	6450	9675	14577	6510	9765	14713
6331	9497	14310	6391	9587	14445	6451	9677	14581	6511	9767	14717
6332	9498	14311	6392	9588	14447	6452	9678	14582	6512	9768	14718
6333	9500	14314	6393	9590	14450	6453	9680	14586	6513	9770	14721
6334	9501	14316	6394	9591	14451	6454	9681	14587	6514	9771	14723
6335	9503	14318	6395	9593	14454	6455	9683	14589	6515	9773	14725
6336	9504	14320	6396	9594	14456	6456	9684	14592	6516	9774	14727
6337	9506	14323	6397	9596	14459	6457	9686	14594	6517	9776	14730
6338	9507	14325	6398	9597	14461	6458	9687	14596	6518	9777	14732
6339	9509	14328	6399	9599	14463	6459	9689	14599	6519	9779	14734
6340	9510	14329	6400	9600	14464	6460	9690	14600	6520	9780	14736
6341	9512	14332	6401	9602	14468	6461	9692	14604	6521	9782	14739
6342	9513	14334	6402	9603	14469	6462	9693	14605	6522	9783	14740
6343	9515	14337	6403	9605	14473	6463	9695	14608	6523	9785	14744
6344	9516	14338	6404	9606	14474	6464	9696	14610	6524	9786	14745
6345	9518	14341	6405	9608	14476	6465	9698	14612	6525	9788	14748
6346	9519	14343	6406	9609	14479	6466	9699	14614	6526	9789	14750
6347	9521	14346	6407	9611	14481	6467	9701	14617	6527	9791	14752
6348	9522	14348	6408	9612	14483	6468	9702	14619	6528	9792	14755
6349	9524	14350	6409	9614	14486	6469	9704	14621	6529	9794	14757
6350	9525	14351	6410	9615	14487	6470	9705	14623	6530	9795	14758

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6531	9797	14762	6591	9887	14897	6651	9977	15033	6711	10067	15169
6532	9798	14763	6592	9888	14899	6652	9978	15034	6712	10068	15170
6533	9800	14766	6593	9890	14902	6653	9980	15038	6713	10070	15173
6534	9801	14768	6594	9891	14903	6654	9981	15039	6714	10071	15175
6535	9803	14770	6595	9893	14906	6655	9983	15041	6715	10073	15177
6536	9804	14772	6596	9894	14908	6656	9984	15044	6716	10074	15179
6537	9806	14775	6597	9896	14911	6657	9986	15046	6717	10076	15182
6538	9807	14777	6598	9897	14913	6658	9987	15048	6718	10077	15184
6539	9809	14780	6599	9899	14915	6659	9989	15051	6719	10079	15186
6540	9810	14781	6600	9900	14916	6660	9990	15052	6720	10080	15188
6541	9812	14784	6601	9902	14920	6661	9992	15056	6721	10082	15191
6542	9813	14786	6602	9903	14921	6662	9993	15057	6722	10083	15192
6543	9815	14789	6603	9905	14925	6663	9995	15060	6723	10085	15196
6544	9816	14790	6604	9906	14926	6664	9996	15062	6724	10086	15197
6545	9818	14793	6605	9908	14928	6665	9998	15064	6725	10088	15200
6546	9819	14795	6606	9909	14931	6666	9999	15066	6726	10089	15202
6547	9821	14798	6607	9911	14933	6667	10001	15069	6727	10091	15204
6548	9822	14800	6608	9912	14935	6668	10002	15071	6728	10092	15207
6549	9824	14802	6609	9914	14938	6669	10004	15073	6729	10094	15209
6550	9825	14803	6610	9915	14939	6670	10005	15075	6730	10095	15210
6551	9827	14807	6611	9917	14943	6671	10007	15078	6731	10097	15214
6552	9828	14808	6612	9918	14944	6672	10008	15079	6732	10098	15215
6553	9830	14812	6613	9920	14947	6673	10010	15083	6733	10100	15218
6554	9831	14813	6614	9921	14949	6674	10011	15084	6734	10101	15220
6555	9833	14815	6615	9923	14951	6675	10013	15087	6735	10103	15222
6556	9834	14818	6616	9924	14953	6676	10014	15089	6736	10104	15224
6557	9836	14820	6617	9926	14956	6677	10016	15091	6737	10106	15227
6558	9837	14822	6618	9927	14958	6678	10017	15094	6738	10107	15229
6559	9839	14825	6619	9929	14960	6679	10019	15096	6739	10109	15232
6560	9840	14826	6620	9930	14962	6680	10020	15097	6740	10110	15233
6561	9842	14830	6621	9932	14965	6681	10022	15101	6741	10112	15236
6562	9843	14831	6622	9933	14966	6682	10023	15102	6742	10113	15238
6563	9845	14834	6623	9935	14970	6683	10025	15105	6743	10115	15241
6564	9846	14836	6624	9936	14971	6684	10026	15107	6744	10116	15242
6565	9848	14838	6625	9938	14974	6685	10028	15109	6745	10118	15245
6566	9849	14840	6626	9939	14976	6686	10029	15111	6746	10119	15247
6567	9851	14843	6627	9941	14978	6687	10031	15114	6747	10121	15250
6568	9852	14845	6628	9942	14981	6688	10032	15116	6748	10122	15252
6569	9854	14847	6629	9944	14983	6689	10034	15119	6749	10124	15254
6570	9855	14849	6630	9945	14984	6690	10035	15120	6750	10125	15255
6571	9857	14852	6631	9947	14988	6691	10037	15123	6751	10127	15259
6572	9858	14853	6632	9948	14989	6692	10038	15125	6752	10128	15260
6573	9860	14857	6633	9950	14992	6693	10040	15128	6753	10130	15264
6574	9861	14858	6634	9951	14994	6694	10041	15129	6754	10131	15265
6575	9863	14861	6635	9953	14996	6695	10043	15132	6755	10133	15267
6576	9864	14863	6636	9954	14998	6696	10044	15134	6756	10134	15270
6577	9866	14865	6637	9956	15001	6697	10046	15137	6757	10136	15272
6578	9867	14868	6638	9957	15003	6698	10047	15139	6758	10137	15274
6579	9869	14870	6639	9959	15006	6699	10049	15141	6759	10139	15277
6580	9870	14871	6640	9960	15007	6700	10050	15142	6760	10140	15278
6581	9872	14875	6641	9962	15010	6701	10052	15146	6761	10142	15282
6582	9873	14876	6642	9963	15012	6702	10053	15147	6762	10143	15283
6583	9875	14879	6643	9965	15015	6703	10055	15151	6763	10145	15286
6584	9876	14881	6644	9966	15016	6704	10056	15152	6764	10146	15288
6585	9878	14883	6645	9968	15019	6705	10058	15154	6765	10148	15290
6586	9879	14885	6646	9969	15021	6706	10059	15157	6766	10149	15292
6587	9881	14888	6647	9971	15024	6707	10061	15159	6767	10151	15295
6588	9882	14890	6648	9972	15026	6708	10062	15161	6768	10152	15297
6589	9884	14893	6649	9974	15028	6709	10064	15164	6769	10154	15299
6590	9885	14894	6650	9975	15029	6710	10065	15165	6770	10155	15301

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
6771	10157	15304	6831	10247	15440	6891	10337	15575	6951	10427	15711
6772	10158	15305	6832	10248	15441	6892	10338	15577	6952	10428	15712
6773	10160	15309	6833	10250	15444	6893	10340	15580	6953	10430	15716
6774	10161	15310	6834	10251	15446	6894	10341	15581	6954	10431	15717
6775	10163	15313	6835	10253	15448	6895	10343	15584	6955	10433	15719
6776	10164	15315	6836	10254	15450	6896	10344	15586	6956	10434	15722
6777	10166	15317	6837	10256	15453	6897	10346	15589	6957	10436	15724
6778	10167	15320	6838	10257	15455	6898	10347	15591	6958	10437	15726
6779	10169	15322	6839	10259	15458	6899	10349	15593	6959	10439	15729
6780	10170	15323	6840	10260	15459	6900	10350	15594	6960	10440	15730
6781	10172	15327	6841	10262	15462	6901	10352	15598	6961	10442	15734
6782	10173	15328	6842	10263	15464	6902	10353	15599	6962	10443	15735
6783	10175	15331	6843	10265	15467	6903	10355	15603	6963	10445	15738
6784	10176	15333	6844	10266	15468	6904	10356	15604	6964	10446	15740
6785	10178	15335	6845	10268	15471	6905	10358	15606	6965	10448	15742
6786	10179	15337	6846	10269	15473	6906	10359	15609	6966	10449	15744
6787	10181	15340	6847	10271	15476	6907	10361	15611	6967	10451	15747
6788	10182	15342	6848	10272	15478	6908	10362	15613	6968	10452	15749
6789	10184	15345	6849	10274	15480	6909	10364	15616	6969	10454	15751
6790	10185	15346	6850	10275	15481	6910	10365	15617	6970	10455	15753
6791	10187	15349	6851	10277	15485	6911	10367	15621	6971	10457	15756
6792	10188	15351	6852	10278	15486	6912	10368	15622	6972	10458	15757
6793	10190	15354	6853	10280	15490	6913	10370	15625	6973	10460	15761
6794	10191	15355	6854	10281	15491	6914	10371	15627	6974	10461	15762
6795	10193	15358	6855	10283	15493	6915	10373	15629	6975	10463	15765
6796	10194	15360	6856	10284	15496	6916	10374	15631	6976	10464	15767
6797	10196	15363	6857	10286	15498	6917	10376	15634	6977	10466	15769
6798	10197	15365	6858	10287	15500	6918	10377	15636	6978	10467	15772
6799	10199	15367	6859	10289	15503	6919	10379	15638	6979	10469	15774
6800	10200	15368	6860	10290	15504	6920	10380	15640	6980	10470	15775
6801	10202	15372	6861	10292	15508	6921	10382	15643	6981	10472	15779
6802	10203	15373	6862	10293	15509	6922	10383	15644	6982	10473	15780
6803	10205	15377	6863	10295	15512	6923	10385	15648	6983	10475	15783
6804	10206	15378	6864	10296	15514	6924	10386	15649	6984	10476	15785
6805	10208	15380	6865	10298	15516	6925	10388	15652	6985	10478	15787
6806	10209	15383	6866	10299	15518	6926	10389	15654	6986	10479	15789
6807	10211	15385	6867	10301	15521	6927	10391	15656	6987	10481	15792
6808	10212	15387	6868	10302	15523	6928	10392	15659	6988	10482	15794
6809	10214	15390	6869	10304	15525	6929	10394	15661	6989	10484	15797
6810	10215	15391	6870	10305	15527	6930	10395	15662	6990	10485	15798
6811	10217	15395	6871	10307	15530	6931	10397	15666	6991	10487	15801
6812	10218	15396	6872	10308	15531	6932	10398	15667	6992	10488	15803
6813	10220	15399	6873	10310	15535	6933	10400	15670	6993	10490	15806
6814	10221	15401	6874	10311	15536	6934	10401	15672	6994	10491	15807
6815	10223	15403	6875	10313	15539	6935	10403	15674	6995	10493	15810
6816	10224	15405	6876	10314	15541	6936	10404	15676	6996	10494	15812
6817	10226	15408	6877	10316	15543	6937	10406	15679	6997	10496	15815
6818	10227	15410	6878	10317	15546	6938	10407	15681	6998	10497	15817
6819	10229	15412	6879	10319	15548	6939	10409	15684	6999	10499	15819
6820	10230	15414	6880	10320	15549	6940	10410	15685	7000	10500	15820
6821	10232	15417	6881	10322	15553	6941	10412	15688	7001	10502	15824
6822	10233	15418	6882	10323	15554	6942	10413	15690	7002	10503	15825
6823	10235	15422	6883	10325	15557	6943	10415	15693	7003	10505	15829
6824	10236	15423	6884	10326	15559	6944	10416	15694	7004	10506	15830
6825	10238	15426	6885	10328	15561	6945	10418	15697	7005	10508	15832
6826	10239	15428	6886	10329	15563	6946	10419	15699	7006	10509	15835
6827	10241	15430	6887	10331	15566	6947	10421	15702	7007	10511	15837
6828	10242	15433	6888	10332	15568	6948	10422	15704	7008	10512	15839
6829	10244	15435	6889	10334	15571	6949	10424	15706	7009	10514	15842
6830	10245	15436	6890	10335	15572	6950	10425	15707	7010	10515	15843

(Dr. P. Sinha)
Director (Pay)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7011	10517	**15847**	7071	10607	**15982**	7131	10697	**16118**	7191	10787	**16253**
7012	10518	**15848**	7072	10608	**15983**	7132	10698	**16119**	7192	10788	**16255**
7013	10520	**15851**	7073	10610	**15987**	7133	10700	**16122**	7193	10790	**16258**
7014	10521	**15853**	7074	10611	**15988**	7134	10701	**16124**	7194	10791	**16259**
7015	10523	**15855**	7075	10613	**15991**	7135	10703	**16126**	7195	10793	**16262**
7016	10524	**15857**	7076	10614	**15993**	7136	10704	**16128**	7196	10794	**16264**
7017	10526	**15860**	7077	10616	**15995**	7137	10706	**16131**	7197	10796	**16267**
7018	10527	**15862**	7078	10617	**15998**	7138	10707	**16133**	7198	10797	**16269**
7019	10529	**15864**	7079	10619	**16000**	7139	10709	**16136**	7199	10799	**16271**
7020	10530	**15866**	7080	10620	**16001**	7140	10710	**16137**	7200	10800	**16272**
7021	10532	**15869**	7081	10622	**16005**	7141	10712	**16140**	7201	10802	**16276**
7022	10533	**15870**	7082	10623	**16006**	7142	10713	**16142**	7202	10803	**16277**
7023	10535	**15874**	7083	10625	**16009**	7143	10715	**16145**	7203	10805	**16281**
7024	10536	**15875**	7084	10626	**16011**	7144	10716	**16146**	7204	10806	**16282**
7025	10538	**15878**	7085	10628	**16013**	7145	10718	**16149**	7205	10808	**16284**
7026	10539	**15880**	7086	10629	**16015**	7146	10719	**16151**	7206	10809	**16287**
7027	10541	**15882**	7087	10631	**16018**	7147	10721	**16154**	7207	10811	**16289**
7028	10542	**15885**	7088	10632	**16020**	7148	10722	**16156**	7208	10812	**16291**
7029	10544	**15887**	7089	10634	**16023**	7149	10724	**16158**	7209	10814	**16294**
7030	10545	**15888**	7090	10635	**16024**	7150	10725	**16159**	7210	10815	**16295**
7031	10547	**15892**	7091	10637	**16027**	7151	10727	**16163**	7211	10817	**16299**
7032	10548	**15893**	7092	10638	**16029**	7152	10728	**16164**	7212	10818	**16300**
7033	10550	**15896**	7093	10640	**16032**	7153	10730	**16168**	7213	10820	**16303**
7034	10551	**15898**	7094	10641	**16033**	7154	10731	**16169**	7214	10821	**16305**
7035	10553	**15900**	7095	10643	**16036**	7155	10733	**16171**	7215	10823	**16307**
7036	10554	**15902**	7096	10644	**16038**	7156	10734	**16174**	7216	10824	**16309**
7037	10556	**15905**	7097	10646	**16041**	7157	10736	**16176**	7217	10826	**16312**
7038	10557	**15907**	7098	10647	**16043**	7158	10737	**16178**	7218	10827	**16314**
7039	10559	**15910**	7099	10649	**16045**	7159	10739	**16181**	7219	10829	**16316**
7040	10560	**15911**	7100	10650	**16046**	7160	10740	**16182**	7220	10830	**16318**
7041	10562	**15914**	7101	10652	**16050**	7161	10742	**16186**	7221	10832	**16321**
7042	10563	**15916**	7102	10653	**16051**	7162	10743	**16187**	7222	10833	**16322**
7043	10565	**15919**	7103	10655	**16055**	7163	10745	**16190**	7223	10835	**16326**
7044	10566	**15920**	7104	10656	**16056**	7164	10746	**16192**	7224	10836	**16327**
7045	10568	**15923**	7105	10658	**16058**	7165	10748	**16194**	7225	10838	**16330**
7046	10569	**15925**	7106	10659	**16061**	7166	10749	**16196**	7226	10839	**16332**
7047	10571	**15928**	7107	10661	**16063**	7167	10751	**16199**	7227	10841	**16334**
7048	10572	**15930**	7108	10662	**16065**	7168	10752	**16201**	7228	10842	**16337**
7049	10574	**15932**	7109	10664	**16068**	7169	10754	**16203**	7229	10844	**16339**
7050	10575	**15933**	7110	10665	**16069**	7170	10755	**16205**	7230	10845	**16340**
7051	10577	**15937**	7111	10667	**16073**	7171	10757	**16208**	7231	10847	**16344**
7052	10578	**15938**	7112	10668	**16074**	7172	10758	**16209**	7232	10848	**16345**
7053	10580	**15942**	7113	10670	**16077**	7173	10760	**16213**	7233	10850	**16348**
7054	10581	**15943**	7114	10671	**16079**	7174	10761	**16214**	7234	10851	**16350**
7055	10583	**15945**	7115	10673	**16081**	7175	10763	**16217**	7235	10853	**16352**
7056	10584	**15948**	7116	10674.	**16083**	7176	10764	**16219**	7236	10854	**16354**
7057	10586	**15950**	7117	10676	**16086**	7177	10766	**16221**	7237	10856	**16357**
7058	10587	**15952**	7118	10677	**16088**	7178	10767	**16224**	7238	10857	**16359**
7059	10589	**15955**	7119	10679	**16090**	7179	10769	**16226**	7239	10859	**16362**
7060	10590	**15956**	7120	10680	**16092**	7180	10770	**16227**	7240	10860	**16363**
7061	10592	**15960**	7121	10682	**16095**	7181	10772	**16231**	7241	10862	**16366**
7062	10593	**15961**	7122	10683	**16096**	7182	10773	**16232**	7242	10863	**16368**
7063	10595	**15964**	7123	10685	**16100**	7183	10775	**16235**	7243	10865	**16371**
7064	10596	**15966**	7124	10686	**16101**	7184	10776	**16237**	7244	10866	**16372**
7065	10598	**15968**	7125	10688	**16104**	7185	10778	**16239**	7245	10868	**16375**
7066	10599	**15970**	7126	10689	**16106**	7186	10779	**16241**	7246	10869	**16377**
7067	10601	**15973**	7127	10691	**16108**	7187	10781	**16244**	7247	10871	**16380**
7068	10602	**15975**	7128	10692	**16111**	7188	10782	**16246**	7248	10872	**16382**
7069	10604	**15977**	7129	10694	**16113**	7189	10784	**16249**	7249	10874	**16384**
7070	10605	**15979**	7130	10695	**16114**	7190	10785	**16250**	7250	10875	**16385**

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Deptt. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7251	10877	**16389**	7311	10967	**16525**	7371	11057	**16660**	7431	11147	**16796**
7252	10878	**16390**	7312	10968	**16526**	7372	11058	**16661**	7432	11148	**16797**
7253	10880	**16394**	7313	10970	**16529**	7373	11060	**16665**	7433	11150	**16800**
7254	10881	**16395**	7314	10971	**16531**	7374	11061	**16666**	7434	11151	**16802**
7255	10883	**16397**	7315	10973	**16533**	7375	11063	**16669**	7435	11153	**16804**
7256	10884	**16400**	7316	10974	**16535**	7376	11064	**16671**	7436	11154	**16806**
7257	10886	**16402**	7317	10976	**16538**	7377	11066	**16673**	7437	11156	**16809**
7258	10887	**16404**	7318	10977	**16540**	7378	11067	**16676**	7438	11157	**16811**
7259	10889	**16407**	7319	10979	**16542**	7379	11069	**16678**	7439	11159	**16814**
7260	10890	**16408**	7320	10980	**16544**	7380	11070	**16679**	7440	11160	**16815**
7261	10892	**16412**	7321	10982	**16547**	7381	11072	**16683**	7441	11162	**16818**
7262	10893	**16413**	7322	10983	**16548**	7382	11073	**16684**	7442	11163	**16820**
7263	10895	**16416**	7323	10985	**16552**	7383	11075	**16687**	7443	11165	**16823**
7264	10896	**16418**	7324	10986	**16553**	7384	11076	**16689**	7444	11166	**16824**
7265	10898	**16420**	7325	10988	**16556**	7385	11078	**16691**	7445	11168	**16827**
7266	10899	**16422**	7326	10989	**16558**	7386	11079	**16693**	7446	11169	**16829**
7267	10901	**16425**	7327	10991	**16560**	7387	11081	**16696**	7447	11171	**16832**
7268	10902	**16427**	7328	10992	**16563**	7388	11082	**16698**	7448	11172	**16834**
7269	10904	**16429**	7329	10994	**16565**	7389	11084	**16701**	7449	11174	**16836**
7270	10905	**16431**	7330	10995	**16566**	7390	11085	**16702**	7450	11175	**16837**
7271	10907	**16434**	7331	10997	**16570**	7391	11087	**16705**	7451	11177	**16841**
7272	10908	**16435**	7332	10998	**16571**	7392	11088	**16707**	7452	11178	**16842**
7273	10910	**16439**	7333	11000	**16574**	7393	11090	**16710**	7453	11180	**16846**
7274	10911	**16440**	7334	11001	**16576**	7394	11091	**16711**	7454	11181	**16847**
7275	10913	**16443**	7335	11003	**16578**	7395	11093	**16714**	7455	11183	**16849**
7276	10914	**16445**	7336	11004	**16580**	7396	11094	**16716**	7456	11184	**16852**
7277	10916	**16447**	7337	11006	**16583**	7397	11096	**16719**	7457	11186	**16854**
7278	10917	**16450**	7338	11007	**16585**	7398	11097	**16721**	7458	11187	**16856**
7279	10919	**16452**	7339	11009	**16588**	7399	11099	**16723**	7459	11189	**16859**
7280	10920	**16453**	7340	11010	**16589**	7400	11100	**16724**	7460	11190	**16860**
7281	10922	**16457**	7341	11012	**16592**	7401	11102	**16728**	7461	11192	**16864**
7282	10923	**16458**	7342	11013	**16594**	7402	11103	**16729**	7462	11193	**16865**
7283	10925	**16461**	7343	11015	**16597**	7403	11105	**16733**	7463	11195	**16868**
7284	10926	**16463**	7344	11016	**16598**	7404	11106	**16734**	7464	11196	**16870**
7285	10928	**16465**	7345	11018	**16601**	7405	11108	**16736**	7465	11198	**16872**
7286	10929	**16467**	7346	11019	**16603**	7406	11109	**16739**	7466	11199	**16874**
7287	10931	**16470**	7347	11021	**16606**	7407	11111	**16741**	7467	11201	**16877**
7288	10932	**16472**	7348	11022	**16608**	7408	11112	**16743**	7468	11202	**16879**
7289	10934	**16475**	7349	11024	**16610**	7409	11114	**16746**	7469	11204	**16881**
7290	10935	**16476**	7350	11025	**16611**	7410	11115	**16747**	7470	11205	**16883**
7291	10937	**16479**	7351	11027	**16615**	7411	11117	**16751**	7471	11207	**16886**
7292	10938	**16481**	7352	11028	**16616**	7412	11118	**16752**	7472	11208	**16887**
7293	10940	**16484**	7353	11030	**16620**	7413	11120	**16755**	7473	11210	**16891**
7294	10941	**16485**	7354	11031	**16621**	7414	11121	**16757**	7474	11211	**16892**
7295	10943	**16488**	7355	11033	**16623**	7415	11123	**16759**	7475	11213	**16895**
7296	10944	**16490**	7356	11034	**16626**	7416	11124	**16761**	7476	11214	**16897**
7297	10946	**16493**	7357	11036	**16628**	7417	11126	**16764**	7477	11216	**16899**
7298	10947	**16495**	7358	11037	**16630**	7418	11127	**16766**	7478	11217	**16902**
7299	10949	**16497**	7359	11039	**16633**	7419	11129	**16768**	7479	11219	**16904**
7300	10950	**16498**	7360	11040	**16634**	7420	11130	**16770**	7480	11220	**16905**
7301	10952	**16502**	7361	11042	**16638**	7421	11132	**16773**	7481	11222	**16909**
7302	10953	**16503**	7362	11043	**16639**	7422	11133	**16774**	7482	11223	**16910**
7303	10955	**16507**	7363	11045	**16642**	7423	11135	**16778**	7483	11225	**16913**
7304	10956	**16508**	7364	11046	**16644**	7424	11136	**16779**	7484	11226	**16915**
7305	10958	**16510**	7365	11048	**16646**	7425	11138	**16782**	7485	11228	**16917**
7306	10959	**16513**	7366	11049	**16648**	7426	11139	**16784**	7486	11229	**16919**
7307	10961	**16515**	7367	11051	**16651**	7427	11141	**16786**	7487	11231	**16922**
7308	10962	**16517**	7368	11052	**16653**	7428	11142	**16789**	7488	11232	**16924**
7309	10964	**16520**	7369	11054	**16655**	7429	11144	**16791**	7489	11234	**16927**
7310	10965	**16521**	7370	11055	**16657**	7430	11145	**16792**	7490	11235	**16928**

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7491	11237	**16931**	7551	11327	**17067**	7611	11417	**17203**	7671	11507	**17338**
7492	11238	**16933**	7552	11328	**17068**	7612	11418	**17204**	7672	11508	**17339**
7493	11240	**16936**	7553	11330	**17072**	7613	11420	**17207**	7673	11510	**17343**
7494	11241	**16937**	7554	11331	**17073**	7614	11421	**17209**	7674	11511	**17344**
7495	11243	**16940**	7555	11333	**17075**	7615	11423	**17211**	7675	11513	**17347**
7496	11244	**16942**	7556	11334	**17078**	7616	11424	**17213**	7676	11514	**17349**
7497	11246	**16945**	7557	11336	**17080**	7617	11426	**17216**	7677	11516	**17351**
7498	11247	**16947**	7558	11337	**17082**	7618	11427	**17218**	7678	11517	**17354**
7499	11249	**16949**	7559	11339	**17085**	7619	11429	**17220**	7679	11519	**17356**
7500	11250	**16950**	7560	11340	**17086**	7620	11430	**17222**	7680	11520	**17357**
7501	11252	**16954**	7561	11342	**17090**	7621	11432	**17225**	7681	11522	**17361**
7502	11253	**16955**	7562	11343	**17091**	7622	11433	**17226**	7682	11523	**17362**
7503	11255	**16959**	7563	11345	**17094**	7623	11435	**17230**	7683	11525	**17365**
7504	11256	**16960**	7564	11346	**17096**	7624	11436	**17231**	7684	11526	**17367**
7505	11258	**16962**	7565	11348	**17098**	7625	11438	**17234**	7685	11528	**17369**
7506	11259	**16965**	7566	11349	**17100**	7626	11439	**17236**	7686	11529	**17371**
7507	11261	**16967**	7567	11351	**17103**	7627	11441	**17238**	7687	11531	**17374**
7508	11262	**16969**	7568	11352	**17105**	7628	11442	**17241**	7688	11532	**17376**
7509	11264	**16972**	7569	11354	**17107**	7629	11444	**17243**	7689	11534	**17379**
7510	11265	**16973**	7570	11355	**17109**	7630	11445	**17244**	7690	11535	**17380**
7511	11267	**16977**	7571	11357	**17112**	7631	11447	**17248**	7691	11537	**17383**
7512	11268	**16978**	7572	11358	**17113**	7632	11448	**17249**	7692	11538	**17385**
7513	11270	**16981**	7573	11360	**17117**	7633	11450	**17252**	7693	11540	**17388**
7514	11271	**16983**	7574	11361	**17118**	7634	11451	**17254**	7694	11541	**17389**
7515	11273	**16985**	7575	11363	**17121**	7635	11453	**17256**	7695	11543	**17392**
7516	11274	**16987**	7576	11364	**17123**	7636	11454	**17258**	7696	11544	**17394**
7517	11276	**16990**	7577	11366	**17125**	7637	11456	**17261**	7697	11546	**17397**
7518	11277	**16992**	7578	11367	**17128**	7638	11457	**17263**	7698	11547	**17399**
7519	11279	**16994**	7579	11369	**17130**	7639	11459	**17266**	7699	11549	**17401**
7520	11280	**16996**	7580	11370	**17131**	7640	11460	**17267**	7700	11550	**17402**
7521	11282	**16999**	7581	11372	**17135**	7641	11462	**17270**	7701	11552	**17406**
7522	11283	**17000**	7582	11373	**17136**	7642	11463	**17272**	7702	11553	**17407**
7523	11285	**17004**	7583	11375	**17139**	7643	11465	**17275**	7703	11555	**17411**
7524	11286	**17005**	7584	11376	**17141**	7644	11466	**17276**	7704	11556	**17412**
7525	11288	**17008**	7585	11378	**17143**	7645	11468	**17279**	7705	11558	**17414**
7526	11289	**17010**	7586	11379	**17145**	7646	11469	**17281**	7706	11559	**17417**
7527	11291	**17012**	7587	11381	**17148**	7647	11471	**17284**	7707	11561	**17419**
7528	11292	**17015**	7588	11382	**17150**	7648	11472	**17286**	7708	11562	**17421**
7529	11294	**17017**	7589	11384	**17153**	7649	11474	**17288**	7709	11564	**17424**
7530	11295	**17018**	7590	11385	**17154**	7650	11475	**17289**	7710	11565	**17425**
7531	11297	**17022**	7591	11387	**17157**	7651	11477	**17293**	7711	11567	**17429**
7532	11298	**17023**	7592	11388	**17159**	7652	11478	**17294**	7712	11568	**17430**
7533	11300	**17026**	7593	11390	**17162**	7653	11480	**17298**	7713	11570	**17433**
7534	11301	**17028**	7594	11391	**17163**	7654	11481	**17299**	7714	11571	**17435**
7535	11303	**17030**	7595	11393	**17166**	7655	11483	**17301**	7715	11573	**17437**
7536	11304	**17032**	7596	11394.	**17168**	7656	11484	**17304**	7716	11574	**17439**
7537	11306	**17035**	7597	11396	**17171**	7657	11486	**17306**	7717	11576	**17442**
7538	11307	**17037**	7598	11397	**17173**	7658	11487	**17308**	7718	11577	**17444**
7539	11309	**17040**	7599	11399	**17175**	7659	11489	**17311**	7719	11579	**17446**
7540	11310	**17041**	7600	11400	**17176**	7660	11490	**17312**	7720	11580	**17448**
7541	11312	**17044**	7601	11402	**17180**	7661	11492	**17316**	7721	11582	**17451**
7542	11313	**17046**	7602	11403	**17181**	7662	11493	**17317**	7722	11583	**17452**
7543	11315	**17049**	7603	11405	**17185**	7663	11495	**17320**	7723	11585	**17456**
7544	11316	**17050**	7604	11406	**17186**	7664	11496	**17322**	7724	11586	**17457**
7545	11318	**17053**	7605	11408	**17188**	7665	11498	**17324**	7725	11588	**17460**
7546	11319	**17055**	7606	11409	**17191**	7666	11499	**17326**	7726	11589	**17462**
7547	11321	**17058**	7607	11411	**17193**	7667	11501	**17329**	7727	11591	**17464**
7548	11322	**17060**	7608	11412	**17195**	7668	11502	**17331**	7728	11592	**17467**
7549	11324	**17062**	7609	11414	**17198**	7669	11504	**17333**	7729	11594	**17469**
7550	11325	**17063**	7610	11415	**17199**	7670	11505	**17335**	7730	11595	**17470**

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Dept. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7731	11597	17474	7791	11687	17609	7851	11777	17745	7911	11867	17881
7732	11598	17475	7792	11688	17611	7852	11778	17746	7912	11868	17882
7733	11600	17478	7793	11690	17614	7853	11780	17750	7913	11870	17885
7734	11601	17480	7794	11691	17615	7854	11781	17751	7914	11871	17887
7735	11603	17482	7795	11693	17618	7855	11783	17753	7915	11873	17889
7736	11604	17484	7796	11694	17620	7856	11784	17756	7916	11874	17891
7737	11606	17487	7797	11696	17623	7857	11786	17758	7917	11876	17894
7738	11607	17489	7798	11697	17625	7858	11787	17760	7918	11877	17896
7739	11609	17492	7799	11699	17627	7859	11789	17763	7919	11879	17898
7740	11610	17493	7800	11700	17628	7860	11790	17764	7920	11880	17900
7741	11612	17496	7801	11702	17632	7861	11792	17768	7921	11882	17903
7742	11613	17498	7802	11703	17633	7862	11793	17769	7922	11883	17904
7743	11615	17501	7803	11705	17637	7863	11795	17772	7923	11885	17908
7744	11616	17502	7804	11706	17638	7864	11796	17774	7924	11886	17909
7745	11618	17505	7805	11708	17640	7865	11798	17776	7925	11888	17912
7746	11619	17507	7806	11709	17643	7866	11799	17778	7926	11889	17914
7747	11621	17510	7807	11711	17645	7867	11801	17781	7927	11891	17916
7748	11622	17512	7808	11712	17647	7868	11802	17783	7928	11892	17919
7749	11624	17514	7809	11714	17650	7869	11804	17785	7929	11894	17921
7750	11625	17515	7810	11715	17651	7870	11805	17787	7930	11895	17922
7751	11627	17519	7811	11717	17655	7871	11807	17790	7931	11897	17926
7752	11628	17520	7812	11718	17656	7872	11808	17791	7932	11898	17927
7753	11630	17524	7813	11720	17659	7873	11810	17795	7933	11900	17930
7754	11631	17525	7814	11721	17661	7874	11811	17796	7934	11901	17932
7755	11633	17527	7815	11723	17663	7875	11813	17799	7935	11903	17934
7756	11634	17530	7816	11724	17665	7876	11814	17801	7936	11904	17936
7757	11636	17532	7817	11726	17668	7877	11816	17803	7937	11906	17939
7758	11637	17534	7818	11727	17670	7878	11817	17806	7938	11907	17941
7759	11639	17537	7819	11729	17672	7879	11819	17808	7939	11909	17944
7760	11640	17538	7820	11730	17674	7880	11820	17809	7940	11910	17945
7761	11642	17542	7821	11732	17677	7881	11822	17813	7941	11912	17948
7762	11643	17543	7822	11733	17678	7882	11823	17814	7942	11913	17950
7763	11645	17546	7823	11735	17682	7883	11825	17817	7943	11915	17953
7764	11646	17548	7824	11736	17683	7884	11826	17819	7944	11916	17954
7765	11648	17550	7825	11738	17686	7885	11828	17821	7945	11918	17957
7766	11649	17552	7826	11739	17688	7886	11829	17823	7946	11919	17959
7767	11651	17555	7827	11741	17690	7887	11831	17826	7947	11921	17962
7768	11652	17557	7828	11742	17693	7888	11832	17828	7948	11922	17964
7769	11654	17559	7829	11744	17695	7889	11834	17831	7949	11924	17966
7770	11655	17561	7830	11745	17696	7890	11835	17832	7950	11925	17967
7771	11657	17564	7831	11747	17700	7891	11837	17835	7951	11927	17971
7772	11658	17565	7832	11748	17701	7892	11838	17837	7952	11928	17972
7773	11660	17569	7833	11750	17704	7893	11840	17840	7953	11930	17976
7774	11661	17570	7834	11751	17706	7894	11841	17841	7954	11931	17977
7775	11663	17573	7835	11753	17708	7895	11843	17844	7955	11933	17979
7776	11664	17575	7836	11754	17710	7896	11844	17846	7956	11934	17982
7777	11666	17577	7837	11756	17713	7897	11846	17849	7957	11936	17984
7778	11667	17580	7838	11757	17715	7898	11847	17851	7958	11937	17986
7779	11669	17582	7839	11759	17718	7899	11849	17853	7959	11939	17989
7780	11670	17583	7840	11760	17719	7900	11850	17854	7960	11940	17990
7781	11672	17587	7841	11762	17722	7901	11852	17858	7961	11942	17994
7782	11673	17588	7842	11763	17724	7902	11853	17859	7962	11943	17995
7783	11675	17591	7843	11765	17727	7903	11855	17863	7963	11945	17998
7784	11676	17593	7844	11766	17728	7904	11856	17864	7964	11946	18000
7785	11678	17595	7845	11768	17731	7905	11858	17866	7965	11948	18002
7786	11679	17597	7846	11769	17733	7906	11859	17869	7966	11949	18004
7787	11681	17600	7847	11771	17736	7907	11861	17871	7967	11951	18007
7788	11682	17602	7848	11772	17738	7908	11862	17873	7968	11952	18009
7789	11684	17605	7849	11774	17740	7909	11864	17876	7969	11954	18011
7790	11685	17606	7850	11775	17741	7910	11865	17877	7970	11955	18013

(M. P. Sitaram)
Director (P.F.)
Dept. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
7971	11957	**18016**	8031	12047	**18152**	8091	12137	**18287**	8151	12227	**18423**
7972	11958	**18017**	8032	12048	**18153**	8092	12138	**18289**	8152	12228	**18424**
7973	11960	**18021**	8033	12050	**18156**	8093	12140	**18292**	8153	12230	**18428**
7974	11961	**18022**	8034	12051	**18158**	8094	12141	**18293**	8154	12231	**18429**
7975	11963	**18025**	8035	12053	**18160**	8095	12143	**18296**	8155	12233	**18431**
7976	11964	**18027**	8036	12054	**18162**	8096	12144	**18298**	8156	12234	**18434**
7977	11966	**18029**	8037	12056	**18165**	8097	12146	**18301**	8157	12236	**18436**
7978	11967	**18032**	8038	12057	**18167**	8098	12147	**18303**	8158	12237	**18438**
7979	11969	**18034**	8039	12059	**18170**	8099	12149	**18305**	8159	12239	**18441**
7980	11970	**18035**	8040	12060	**18171**	8100	12150	**18306**	8160	12240	**18442**
7981	11972	**18039**	8041	12062	**18174**	8101	12152	**18310**	8161	12242	**18446**
7982	11973	**18040**	8042	12063	**18176**	8102	12153	**18311**	8162	12243	**18447**
7983	11975	**18043**	8043	12065	**18179**	8103	12155	**18315**	8163	12245	**18450**
7984	11976	**18045**	8044	12066	**18180**	8104	12156	**18316**	8164	12246	**18452**
7985	11978	**18047**	8045	12068	**18183**	8105	12158	**18318**	8165	12248	**18454**
7986	11979	**18049**	8046	12069	**18185**	8106	12159	**18321**	8166	12249	**18456**
7987	11981	**18052**	8047	12071	**18188**	8107	12161	**18323**	8167	12251	**18459**
7988	11982	**18054**	8048	12072	**18190**	8108	12162	**18325**	8168	12252	**18461**
7989	11984	**18057**	8049	12074	**18192**	8109	12164	**18328**	8169	12254	**18463**
7990	11985	**18058**	8050	12075	**18193**	8110	12165	**18329**	8170	12255	**18465**
7991	11987	**18061**	8051	12077	**18197**	8111	12167	**18333**	8171	12257	**18468**
7992	11988	**18063**	8052	12078	**18198**	8112	12168	**18334**	8172	12258	**18469**
7993	11990	**18066**	8053	12080	**18202**	8113	12170	**18337**	8173	12260	**18473**
7994	11991	**18067**	8054	12081	**18203**	8114	12171	**18339**	8174	12261	**18474**
7995	11993	**18070**	8055	12083	**18205**	8115	12173	**18341**	8175	12263	**18477**
7996	11994	**18072**	8056	12084	**18208**	8116	12174	**18343**	8176	12264	**18479**
7997	11996	**18075**	8057	12086	**18210**	8117	12176	**18346**	8177	12266	**18481**
7998	11997	**18077**	8058	12087	**18212**	8118	12177	**18348**	8178	12267	**18484**
7999	11999	**18079**	8059	12089	**18215**	8119	12179	**18350**	8179	12269	**18486**
8000	12000	**18080**	8060	12090	**18216**	8120	12180	**18352**	8180	12270	**18487**
8001	12002	**18084**	8061	12092	**18220**	8121	12182	**18355**	8181	12272	**18491**
8002	12003	**18085**	8062	12093	**18221**	8122	12183	**18356**	8182	12273	**18492**
8003	12005	**18089**	8063	12095	**18224**	8123	12185	**18360**	8183	12275	**18495**
8004	12006	**18090**	8064	12096	**18226**	8124	12186	**18361**	8184	12276	**18497**
8005	12008	**18092**	8065	12098	**18228**	8125	12188	**18364**	8185	12278	**18499**
8006	12009	**18095**	8066	12099	**18230**	8126	12189	**18366**	8186	12279	**18501**
8007	12011	**18097**	8067	12101	**18233**	8127	12191	**18368**	8187	12281	**18504**
8008	12012	**18099**	8068	12102	**18235**	8128	12192	**18371**	8188	12282	**18506**
8009	12014	**18102**	8069	12104	**18237**	8129	12194	**18373**	8189	12284	**18509**
8010	12015	**18103**	8070	12105	**18239**	8130	12195	**18374**	8190	12285	**18510**
8011	12017	**18107**	8071	12107	**18242**	8131	12197	**18378**	8191	12287	**18513**
8012	12018	**18108**	8072	12108	**18243**	8132	12198	**18379**	8192	12288	**18515**
8013	12020	**18111**	8073	12110	**18247**	8133	12200	**18382**	8193	12290	**18518**
8014	12021	**18113**	8074	12111	**18248**	8134	12201	**18384**	8194	12291	**18519**
8015	12023	**18115**	8075	12113	**18251**	8135	12203	**18386**	8195	12293	**18522**
8016	12024	**18117**	8076	12114	**18253**	8136	12204	**18388**	8196	12294	**18524**
8017	12026	**18120**	8077	12116	**18255**	8137	12206	**18391**	8197	12296	**18527**
8018	12027	**18122**	8078	12117	**18258**	8138	12207	**18393**	8198	12297	**18529**
8019	12029	**18124**	8079	12119	**18260**	8139	12209	**18396**	8199	12299	**18531**
8020	12030	**18126**	8080	12120	**18261**	8140	12210	**18397**	8200	12300	**18532**
8021	12032	**18129**	8081	12122	**18265**	8141	12212	**18400**	8201	12302	**18536**
8022	12033	**18130**	8082	12123	**18266**	8142	12213	**18402**	8202	12303	**18537**
8023	12035	**18134**	8083	12125	**18269**	8143	12215	**18405**	8203	12305	**18541**
8024	12036	**18135**	8084	12126	**18271**	8144	12216	**18406**	8204	12306	**18542**
8025	12038	**18138**	8085	12128	**18273**	8145	12218	**18409**	8205	12308	**18544**
8026	12039	**18140**	8086	12129	**18275**	8146	12219	**18411**	8206	12309	**18547**
8027	12041	**18142**	8087	12131	**18278**	8147	12221	**18414**	8207	12311	**18549**
8028	12042	**18145**	8088	12132	**18280**	8148	12222	**18416**	8208	12312	**18551**
8029	12044	**18147**	8089	12134	**18283**	8149	12224	**18418**	8209	12314	**18554**
8030	12045	**18148**	8090	12135	**18284**	8150	12225	**18419**	8210	12315	**18555**

(M. P. SINGH)
Director (P.F.)
Dept. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8211	12317	18559	8271	12407	18694	8331	12497	18830	8391	12587	18965
8212	12318	18560	8272	12408	18695	8332	12498	18831	8392	12588	18967
8213	12320	18563	8273	12410	18699	8333	12500	18834	8393	12590	18970
8214	12321	18565	8274	12411	18700	8334	12501	18836	8394	12591	18971
8215	12323	18567	8275	12413	18703	8335	12503	18838	8395	12593	18974
8216	12324	18569	8276	12414	18705	8336	12504	18840	8396	12594	18976
8217	12326	18572	8277	12416	18707	8337	12506	18843	8397	12596	18979
8218	12327	18574	8278	12417	18710	8338	12507	18845	8398	12597	18981
8219	12329	18576	8279	12419	18712	8339	12509	18848	8399	12599	18983
8220	12330	18578	8280	12420	18713	8340	12510	18849	8400	12600	18984
8221	12332	18581	8281	12422	18717	8341	12512	18852	8401	12602	18988
8222	12333	18582	8282	12423	18718	8342	12513	18854	8402	12603	18989
8223	12335	18586	8283	12425	18721	8343	12515	18857	8403	12605	18993
8224	12336	18587	8284	12426	18723	8344	12516	18858	8404	12606	18994
8225	12338	18590	8285	12428	18725	8345	12518	18861	8405	12608	18996
8226	12339	18592	8286	12429	18727	8346	12519	18863	8406	12609	18999
8227	12341	18594	8287	12431	18730	8347	12521	18866	8407	12611	19001
8228	12342	18597	8288	12432	18732	8348	12522	18868	8408	12612	19003
8229	12344	18599	8289	12434	18735	8349	12524	18870	8409	12614	19006
8230	12345	18600	8290	12435	18736	8350	12525	18871	8410	12615	19007
8231	12347	18604	8291	12437	18739	8351	12527	18875	8411	12617	19011
8232	12348	18605	8292	12438	18741	8352	12528	18876	8412	12618	19012
8233	12350	18608	8293	12440	18744	8353	12530	18880	8413	12620	19015
8234	12351	18610	8294	12441	18745	8354	12531	18881	8414	12621	19017
8235	12353	18612	8295	12443	18748	8355	12533	18883	8415	12623	19019
8236	12354	18614	8296	12444	18750	8356	12534	18886	8416	12624	19021
8237	12356	18617	8297	12446	18753	8357	12536	18888	8417	12626	19024
8238	12357	18619	8298	12447	18755	8358	12537	18890	8418	12627	19026
8239	12359	18622	8299	12449	18757	8359	12539	18893	8419	12629	19028
8240	12360	18623	8300	12450	18758	8360	12540	18894	8420	12630	19030
8241	12362	18626	8301	12452	18762	8361	12542	18898	8421	12632	19033
8242	12363	18628	8302	12453	18763	8362	12543	18899	8422	12633	19034
8243	12365	18631	8303	12455	18767	8363	12545	18902	8423	12635	19038
8244	12366	18632	8304	12456	18768	8364	12546	18904	8424	12636	19039
8245	12368	18635	8305	12458	18770	8365	12548	18906	8425	12638	19042
8246	12369	18637	8306	12459	18773	8366	12549	18908	8426	12639	19044
8247	12371	18640	8307	12461	18775	8367	12551	18911	8427	12641	19046
8248	12372	18642	8308	12462	18777	8368	12552	18913	8428	12642	19049
8249	12374	18644	8309	12464	18780	8369	12554	18915	8429	12644	19051
8250	12375	18645	8310	12465	18781	8370	12555	18917	8430	12645	19052
8251	12377	18649	8311	12467	18785	8371	12557	18920	8431	12647	19056
8252	12378	18650	8312	12468	18786	8372	12558	18921	8432	12648	19057
8253	12380	18654	8313	12470	18789	8373	12560	18925	8433	12650	19060
8254	12381	18655	8314	12471	18791	8374	12561	18926	8434	12651	19062
8255	12383	18657	8315	12473	18793	8375	12563	18929	8435	12653	19064
8256	12384	18660	8316	12474	18795	8376	12564	18931	8436	12654	19066
8257	12386	18662	8317	12476	18798	8377	12566	18933	8437	12656	19069
8258	12387	18664	8318	12477	18800	8378	12567	18936	8438	12657	19071
8259	12389	18667	8319	12479	18802	8379	12569	18938	8439	12659	19074
8260	12390	18668	8320	12480	18804	8380	12570	18939	8440	12660	19075
8261	12392	18672	8321	12482	18807	8381	12572	18943	8441	12662	19078
8262	12393	18673	8322	12483	18808	8382	12573	18944	8442	12663	19080
8263	12395	18676	8323	12485	18812	8383	12575	18947	8443	12665	19083
8264	12396	18678	8324	12486	18813	8384	12576	18949	8444	12666	19084
8265	12398	18680	8325	12488	18816	8385	12578	18951	8445	12668	19087
8266	12399	18682	8326	12489	18818	8386	12579	18953	8446	12669	19089
8267	12401	18685	8327	12491	18820	8387	12581	18956	8447	12671	19092
8268	12402	18687	8328	12492	18823	8388	12582	18958	8448	12672	19094
8269	12404	18689	8329	12494	18825	8389	12584	18961	8449	12674	19096
8270	12405	18691	8330	12495	18826	8390	12585	18962	8450	12675	19097

(M. P. SINGH)
Director (P-II)
Deptt. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8451	12677	**19101**	8511	12767	**19237**	8571	12857	**19372**	8631	12947	**19508**
8452	12678	**19102**	8512	12768	**19238**	8572	12858	**19373**	8632	12948	**19509**
8453	12680	**19106**	8513	12770	**19241**	8573	12860	**19377**	8633	12950	**19512**
8454	12681	**19107**	8514	12771	**19243**	8574	12861	**19378**	8634	12951	**19514**
8455	12683	**19109**	8515	12773	**19245**	8575	12863	**19381**	8635	12953	**19516**
8456	12684	**19112**	8516	12774	**19247**	8576	12864	**19383**	8636	12954	**19518**
8457	12686	**19114**	8517	12776	**19250**	8577	12866	**19385**	8637	12956	**19521**
8458	12687	**19116**	8518	12777	**19252**	8578	12867	**19388**	8638	12957	**19523**
8459	12689	**19119**	8519	12779	**19254**	8579	12869	**19390**	8639	12959	**19526**
8460	12690	**19120**	8520	12780	**19256**	8580	12870	**19391**	8640	12960	**19527**
8461	12692	**19124**	8521	12782	**19259**	8581	12872	**19395**	8641	12962	**19530**
8462	12693	**19125**	8522	12783	**19260**	8582	12873	**19396**	8642	12963	**19532**
8463	12695	**19128**	8523	12785	**19264**	8583	12875	**19399**	8643	12965	**19535**
8464	12696	**19130**	8524	12786	**19265**	8584	12876	**19401**	8644	12966	**19536**
8465	12698	**19132**	8525	12788	**19268**	8585	12878	**19403**	8645	12968	**19539**
8466	12699	**19134**	8526	12789	**19270**	8586	12879	**19405**	8646	12969	**19541**
8467	12701	**19137**	8527	12791	**19272**	8587	12881	**19408**	8647	12971	**19544**
8468	12702	**19139**	8528	12792	**19275**	8588	12882	**19410**	8648	12972	**19546**
8469	12704	**19141**	8529	12794	**19277**	8589	12884	**19413**	8649	12974	**19548**
8470	12705	**19143**	8530	12795	**19278**	8590	12885	**19414**	8650	12975	**19549**
8471	12707	**19146**	8531	12797	**19282**	8591	12887	**19417**	8651	12977	**19553**
8472	12708	**19147**	8532	12798	**19283**	8592	12888	**19419**	8652	12978	**19554**
8473	12710	**19151**	8533	12800	**19286**	8593	12890	**19422**	8653	12980	**19558**
8474	12711	**19152**	8534	12801	**19288**	8594	12891	**19423**	8654	12981	**19559**
8475	12713	**19155**	8535	12803	**19290**	8595	12893	**19426**	8655	12983	**19561**
8476	12714	**19157**	8536	12804	**19292**	8596	12894	**19428**	8656	12984	**19564**
8477	12716	**19159**	8537	12806	**19295**	8597	12896	**19431**	8657	12986	**19566**
8478	12717	**19162**	8538	12807	**19297**	8598	12897	**19433**	8658	12987	**19568**
8479	12719	**19164**	8539	12809	**19300**	8599	12899	**19435**	8659	12989	**19571**
8480	12720	**19165**	8540	12810	**19301**	8600	12900	**19436**	8660	12990	**19572**
8481	12722	**19169**	8541	12812	**19304**	8601	12902	**19440**	8661	12992	**19576**
8482	12723	**19170**	8542	12813	**19306**	8602	12903	**19441**	8662	12993	**19577**
8483	12725	**19173**	8543	12815	**19309**	8603	12905	**19445**	8663	12995	**19580**
8484	12726	**19175**	8544	12816	**19310**	8604	12906	**19446**	8664	12996	**19582**
8485	12728	**19177**	8545	12818	**19313**	8605	12908	**19448**	8665	12998	**19584**
8486	12729	**19179**	8546	12819	**19315**	8606	12909	**19451**	8666	12999	**19586**
8487	12731	**19182**	8547	12821	**19318**	8607	12911	**19453**	8667	13001	**19589**
8488	12732	**19184**	8548	12822	**19320**	8608	12912	**19455**	8668	13002	**19591**
8489	12734	**19187**	8549	12824	**19322**	8609	12914	**19458**	8669	13004	**19593**
8490	12735	**19188**	8550	12825	**19323**	8610	12915	**19459**	8670	13005	**19595**
8491	12737	**19191**	8551	12827	**19327**	8611	12917	**19463**	8671	13007	**19598**
8492	12738	**19193**	8552	12828	**19328**	8612	12918	**19464**	8672	13008	**19599**
8493	12740	**19196**	8553	12830	**19332**	8613	12920	**19467**	8673	13010	**19603**
8494	12741	**19197**	8554	12831	**19333**	8614	12921	**19469**	8674	13011	**19604**
8495	12743	**19200**	8555	12833	**19335**	8615	12923	**19471**	8675	13013	**19607**
8496	12744	**19202**	8556	12834	**19338**	8616	12924	**19473**	8676	13014	**19609**
8497	12746	**19205**	8557	12836	**19340**	8617	12926	**19476**	8677	13016	**19611**
8498	12747	**19207**	8558	12837	**19342**	8618	12927	**19478**	8678	13017	**19614**
8499	12749	**19209**	8559	12839	**19345**	8619	12929	**19480**	8679	13019	**19616**
8500	12750	**19210**	8560	12840	**19346**	8620	12930	**19482**	8680	13020	**19617**
8501	12752	**19214**	8561	12842	**19350**	8621	12932	**19485**	8681	13022	**19621**
8502	12753	**19215**	8562	12843	**19351**	8622	12933	**19486**	8682	13023	**19622**
8503	12755	**19219**	8563	12845	**19354**	8623	12935	**19490**	8683	13025	**19625**
8504	12756	**19220**	8564	12846	**19356**	8624	12936	**19491**	8684	13026	**19627**
8505	12758	**19222**	8565	12848	**19358**	8625	12938	**19494**	8685	13028	**19629**
8506	12759	**19225**	8566	12849	**19360**	8626	12939	**19496**	8686	13029	**19631**
8507	12761	**19227**	8567	12851	**19363**	8627	12941	**19498**	8687	13031	**19634**
8508	12762	**19229**	8568	12852	**19365**	8628	12942	**19501**	8688	13032	**19636**
8509	12764	**19232**	8569	12854	**19367**	8629	12944	**19503**	8689	13034	**19639**
8510	12765	**19233**	8570	12855	**19369**	8630	12945	**19504**	8690	13035	**19640**

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8691	13037	**19643**	8751	13127	**19779**	8811	13217	**19915**	8871	13307	**20050**
8692	13038	**19645**	8752	13128	**19780**	8812	13218	**19916**	8872	13308	**20051**
8693	13040	**19648**	8753	13130	**19784**	8813	13220	**19919**	8873	13310	**20055**
8694	13041	**19649**	8754	13131	**19785**	8814	13221	**19921**	8874	13311	**20056**
8695	13043	**19652**	8755	13133	**19787**	8815	13223	**19923**	8875	13313	**20059**
8696	13044	**19654**	8756	13134	**19790**	8816	13224	**19925**	8876	13314	**20061**
8697	13046	**19657**	8757	13136	**19792**	8817	13226	**19928**	8877	13316	**20063**
8698	13047	**19659**	8758	13137	**19794**	8818	13227	**19930**	8878	13317	**20066**
8699	13049	**19661**	8759	13139	**19797**	8819	13229	**19932**	8879	13319	**20068**
8700	13050	**19662**	8760	13140	**19798**	8820	13230	**19934**	8880	13320	**20069**
8701	13052	**19666**	8761	13142	**19802**	8821	13232	**19937**	8881	13322	**20073**
8702	13053	**19667**	8762	13143	**19803**	8822	13233	**19938**	8882	13323	**20074**
8703	13055	**19671**	8763	13145	**19806**	8823	13235	**19942**	8883	13325	**20077**
8704	13056	**19672**	8764	13146	**19808**	8824	13236	**19943**	8884	13326	**20079**
8705	13058	**19674**	8765	13148	**19810**	8825	13238	**19946**	8885	13328	**20081**
8706	13059	**19677**	8766	13149	**19812**	8826	13239	**19948**	8886	13329	**20083**
8707	13061	**19679**	8767	13151	**19815**	8827	13241	**19950**	8887	13331	**20086**
8708	13062	**19681**	8768	13152	**19817**	8828	13242	**19953**	8888	13332	**20088**
8709	13064	**19684**	8769	13154	**19819**	8829	13244	**19955**	8889	13334	**20091**
8710	13065	**19685**	8770	13155	**19821**	8830	13245	**19956**	8890	13335	**20092**
8711	13067	**19689**	8771	13157	**19824**	8831	13247	**19960**	8891	13337	**20095**
8712	13068	**19690**	8772	13158	**19825**	8832	13248	**19961**	8892	13338	**20097**
8713	13070	**19693**	8773	13160	**19829**	8833	13250	**19964**	8893	13340	**20100**
8714	13071	**19695**	8774	13161	**19830**	8834	13251	**19966**	8894	13341	**20101**
8715	13073	**19697**	8775	13163	**19833**	8835	13253	**19968**	8895	13343	**20104**
8716	13074	**19699**	8776	13164	**19835**	8836	13254	**19970**	8896	13344	**20106**
8717	13076	**19702**	8777	13166	**19837**	8837	13256	**19973**	8897	13346	**20109**
8718	13077	**19704**	8778	13167	**19840**	8838	13257	**19975**	8898	13347	**20111**
8719	13079	**19706**	8779	13169	**19842**	8839	13259	**19978**	8899	13349	**20113**
8720	13080	**19708**	8780	13170	**19843**	8840	13260	**19979**	8900	13350	**20114**
8721	13082	**19711**	8781	13172	**19847**	8841	13262	**19982**	8901	13352	**20118**
8722	13083	**19712**	8782	13173	**19848**	8842	13263	**19984**	8902	13353	**20119**
8723	13085	**19716**	8783	13175	**19851**	8843	13265	**19987**	8903	13355	**20123**
8724	13086	**19717**	8784	13176	**19853**	8844	13266	**19988**	8904	13356	**20124**
8725	13088	**19720**	8785	13178	**19855**	8845	13268	**19991**	8905	13358	**20126**
8726	13089	**19722**	8786	13179	**19857**	8846	13269	**19993**	8906	13359	**20129**
8727	13091	**19724**	8787	13181	**19860**	8847	13271	**19996**	8907	13361	**20131**
8728	13092	**19727**	8788	13182	**19862**	8848	13272	**19998**	8908	13362	**20133**
8729	13094	**19729**	8789	13184	**19865**	8849	13274	**20000**	8909	13364	**20136**
8730	13095	**19730**	8790	13185	**19866**	8850	13275	**20001**	8910	13365	**20137**
8731	13097	**19734**	8791	13187	**19869**	8851	13277	**20005**	8911	13367	**20141**
8732	13098	**19735**	8792	13188	**19871**	8852	13278	**20006**	8912	13368	**20142**
8733	13100	**19738**	8793	13190	**19874**	8853	13280	**20010**	8913	13370	**20145**
8734	13101	**19740**	8794	13191	**19875**	8854	13281	**20011**	8914	13371	**20147**
8735	13103	**19742**	8795	13193	**19878**	8855	13283	**20013**	8915	13373	**20149**
8736	13104	**19744**	8796	13194	**19880**	8856	13284	**20016**	8916	13374	**20151**
8737	13106	**19747**	8797	13196	**19883**	8857	13286	**20018**	8917	13376	**20154**
8738	13107	**19749**	8798	13197	**19885**	8858	13287	**20020**	8918	13377	**20156**
8739	13109	**19752**	8799	13199	**19887**	8859	13289	**20023**	8919	13379	**20158**
8740	13110	**19753**	8800	13200	**19888**	8860	13290	**20024**	8920	13380	**20160**
8741	13112	**19756**	8801	13202	**19892**	8861	13292	**20028**	8921	13382	**20163**
8742	13113	**19758**	8802	13203	**19893**	8862	13293	**20029**	8922	13383	**20164**
8743	13115	**19761**	8803	13205	**19897**	8863	13295	**20032**	8923	13385	**20168**
8744	13116	**19762**	8804	13206	**19898**	8864	13296	**20034**	8924	13386	**20169**
8745	13118	**19765**	8805	13208	**19900**	8865	13298	**20036**	8925	13388	**20172**
8746	13119	**19767**	8806	13209	**19903**	8866	13299	**20038**	8926	13389	**20174**
8747	13121	**19770**	8807	13211	**19905**	8867	13301	**20041**	8927	13391	**20176**
8748	13122	**19772**	8808	13212	**19907**	8868	13302	**20043**	8928	13392	**20179**
8749	13124	**19774**	8809	13214	**19910**	8869	13304	**20045**	8929	13394	**20181**
8750	13125	**19775**	8810	13215	**19911**	8870	13305	**20047**	8930	13395	**20182**

(M. P. Singh)
Director (P & P)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
8931	13397	**20186**	8991	13487	**20321**	9051	13577	**20457**	9111	13667	**20593**
8932	13398	**20187**	8992	13488	**20323**	9052	13578	**20458**	9112	13668	**20594**
8933	13400	**20190**	8993	13490	**20326**	9053	13580	**20462**	9113	13670	**20597**
8934	13401	**20192**	8994	13491	**20327**	9054	13581	**20463**	9114	13671	**20599**
8935	13403	**20194**	8995	13493	**20330**	9055	13583	**20465**	9115	13673	**20601**
8936	13404	**20196**	8996	13494	**20332**	9056	13584	**20468**	9116	13674	**20603**
8937	13406	**20199**	8997	13496	**20335**	9057	13586	**20470**	9117	13676	**20606**
8938	13407	**20201**	8998	13497	**20337**	9058	13587	**20472**	9118	13677	**20608**
8939	13409	**20204**	8999	13499	**20339**	9059	13589	**20475**	9119	13679	**20610**
8940	13410	**20205**	9000	13500	**20340**	9060	13590	**20476**	9120	13680	**20612**
8941	13412	**20208**	9001	13502	**20344**	9061	13592	**20480**	9121	13682	**20615**
8942	13413	**20210**	9002	13503	**20345**	9062	13593	**20481**	9122	13683	**20616**
8943	13415	**20213**	9003	13505	**20349**	9063	13595	**20484**	9123	13685	**20620**
8944	13416	**20214**	9004	13506	**20350**	9064	13596	**20486**	9124	13686	**20621**
8945	13418	**20217**	9005	13508	**20352**	9065	13598	**20488**	9125	13688	**20624**
8946	13419	**20219**	9006	13509	**20355**	9066	13599	**20490**	9126	13689	**20626**
8947	13421	**20222**	9007	13511	**20357**	9067	13601	**20493**	9127	13691	**20628**
8948	13422	**20224**	9008	13512	**20359**	9068	13602	**20495**	9128	13692	**20631**
8949	13424	**20226**	9009	13514	**20362**	9069	13604	**20497**	9129	13694	**20633**
8950	13425	**20227**	9010	13515	**20363**	9070	13605	**20499**	9130	13695	**20634**
8951	13427	**20231**	9011	13517	**20367**	9071	13607	**20502**	9131	13697	**20638**
8952	13428	**20232**	9012	13518	**20368**	9072	13608	**20503**	9132	13698	**20639**
8953	13430	**20236**	9013	13520	**20371**	9073	13610	**20507**	9133	13700	**20642**
8954	13431	**20237**	9014	13521	**20373**	9074	13611	**20508**	9134	13701	**20644**
8955	13433	**20239**	9015	13523	**20375**	9075	13613	**20511**	9135	13703	**20646**
8956	13434	**20242**	9016	13524	**20377**	9076	13614	**20513**	9136	13704	**20648**
8957	13436	**20244**	9017	13526	**20380**	9077	13616	**20515**	9137	13706	**20651**
8958	13437	**20246**	9018	13527	**20382**	9078	13617	**20518**	9138	13707	**20653**
8959	13439	**20249**	9019	13529	**20384**	9079	13619	**20520**	9139	13709	**20656**
8960	13440	**20250**	9020	13530	**20386**	9080	13620	**20521**	9140	13710	**20657**
8961	13442	**20254**	9021	13532	**20389**	9081	13622	**20525**	9141	13712	**20660**
8962	13443	**20255**	9022	13533	**20390**	9082	13623	**20526**	9142	13713	**20662**
8963	13445	**20258**	9023	13535	**20394**	9083	13625	**20529**	9143	13715	**20665**
8964	13446	**20260**	9024	13536	**20395**	9084	13626	**20531**	9144	13716	**20666**
8965	13448	**20262**	9025	13538	**20398**	9085	13628	**20533**	9145	13718	**20669**
8966	13449	**20264**	9026	13539	**20400**	9086	13629	**20535**	9146	13719	**20671**
8967	13451	**20267**	9027	13541	**20402**	9087	13631	**20538**	9147	13721	**20674**
8968	13452	**20269**	9028	13542	**20405**	9088	13632	**20540**	9148	13722	**20676**
8969	13454	**20271**	9029	13544	**20407**	9089	13634	**20543**	9149	13724	**20678**
8970	13455	**20273**	9030	13545	**20408**	9090	13635	**20544**	9150	13725	**20679**
8971	13457	**20276**	9031	13547	**20412**	9091	13637	**20547**	9151	13727	**20683**
8972	13458	**20277**	9032	13548	**20413**	9092	13638	**20549**	9152	13728	**20684**
8973	13460	**20281**	9033	13550	**20416**	9093	13640	**20552**	9153	13730	**20688**
8974	13461	**20282**	9034	13551	**20418**	9094	13641	**20553**	9154	13731	**20689**
8975	13463	**20285**	9035	13553	**20420**	9095	13643	**20556**	9155	13733	**20691**
8976	13464	**20287**	9036	13554	**20422**	9096	13644	**20558**	9156	13734	**20694**
8977	13466	**20289**	9037	13556	**20425**	9097	13646	**20561**	9157	13736	**20696**
8978	13467	**20292**	9038	13557	**20427**	9098	13647	**20563**	9158	13737	**20698**
8979	13469	**20294**	9039	13559	**20430**	9099	13649	**20565**	9159	13739	**20701**
8980	13470	**20295**	9040	13560	**20431**	9100	13650	**20566**	9160	13740	**20702**
8981	13472	**20299**	9041	13562	**20434**	9101	13652	**20570**	9161	13742	**20706**
8982	13473	**20300**	9042	13563	**20436**	9102	13653	**20571**	9162	13743	**20707**
8983	13475	**20303**	9043	13565	**20439**	9103	13655	**20575**	9163	13745	**20710**
8984	13476	**20305**	9044	13566	**20440**	9104	13656	**20576**	9164	13746	**20712**
8985	13478	**20307**	9045	13568	**20443**	9105	13658	**20578**	9165	13748	**20714**
8986	13479	**20309**	9046	13569	**20445**	9106	13659	**20581**	9166	13749	**20716**
8987	13481	**20312**	9047	13571	**20448**	9107	13661	**20583**	9167	13751	**20719**
8988	13482	**20314**	9048	13572	**20450**	9108	13662	**20585**	9168	13752	**20721**
8989	13484	**20317**	9049	13574	**20452**	9109	13664	**20588**	9169	13754	**20723**
8990	13485	**20318**	9050	13575	**20453**	9110	13665	**20589**	9170	13755	**20725**

(M. P. SINGH)
Director (Pay)
Dept. of Pension & P.W.
Govt. of India

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9171	13757	**20728**	9231	13847	**20864**	9291	13937	**20999**	9351	14027	**21135**
9172	13758	**20729**	9232	13848	**20865**	9292	13938	**21001**	9352	14028	**21136**
9173	13760	**20733**	9233	13850	**20868**	9293	13940	**21004**	9353	14030	**21140**
9174	13761	**20734**	9234	13851	**20870**	9294	13941	**21005**	9354	14031	**21141**
9175	13763	**20737**	9235	13853	**20872**	9295	13943	**21008**	9355	14033	**21143**
9176	13764	**20739**	9236	13854	**20874**	9296	13944	**21010**	9356	14034	**21146**
9177	13766	**20741**	9237	13856	**20877**	9297	13946	**21013**	9357	14036	**21148**
9178	13767	**20744**	9238	13857	**20879**	9298	13947	**21015**	9358	14037	**21150**
9179	13769	**20746**	9239	13859	**20882**	9299	13949	**21017**	9359	14039	**21153**
9180	13770	**20747**	9240	13860	**20883**	9300	13950	**21018**	9360	14040	**21154**
9181	13772	**20751**	9241	13862	**20886**	9301	13952	**21022**	9361	14042	**21158**
9182	13773	**20752**	9242	13863	**20888**	9302	13953	**21023**	9362	14043	**21159**
9183	13775	**20755**	9243	13865	**20891**	9303	13955	**21027**	9363	14045	**21162**
9184	13776	**20757**	9244	13866	**20892**	9304	13956	**21028**	9364	14046	**21164**
9185	13778	**20759**	9245	13868	**20895**	9305	13958	**21030**	9365	14048	**21166**
9186	13779	**20761**	9246	13869	**20897**	9306	13959	**21033**	9366	14049	**21168**
9187	13781	**20764**	9247	13871	**20900**	9307	13961	**21035**	9367	14051	**21171**
9188	13782	**20766**	9248	13872	**20902**	9308	13962	**21037**	9368	14052	**21173**
9189	13784	**20769**	9249	13874	**20904**	9309	13964	**21040**	9369	14054	**21175**
9190	13785	**20770**	9250	13875	**20905**	9310	13965	**21041**	9370	14055	**21177**
9191	13787	**20773**	9251	13877	**20909**	9311	13967	**21045**	9371	14057	**21180**
9192	13788	**20775**	9252	13878	**20910**	9312	13968	**21046**	9372	14058	**21181**
9193	13790	**20778**	9253	13880	**20914**	9313	13970	**21049**	9373	14060	**21185**
9194	13791	**20779**	9254	13881	**20915**	9314	13971	**21051**	9374	14061	**21186**
9195	13793	**20782**	9255	13883	**20917**	9315	13973	**21053**	9375	14063	**21189**
9196	13794	**20784**	9256	13884	**20920**	9316	13974	**21055**	9376	14064	**21191**
9197	13796	**20787**	9257	13886	**20922**	9317	13976	**21058**	9377	14066	**21193**
9198	13797	**20789**	9258	13887	**20924**	9318	13977	**21060**	9378	14067	**21196**
9199	13799	**20791**	9259	13889	**20927**	9319	13979	**21062**	9379	14069	**21198**
9200	13800	**20792**	9260	13890	**20928**	9320	13980	**21064**	9380	14070	**21199**
9201	13802	**20796**	9261	13892	**20932**	9321	13982	**21067**	9381	14072	**21203**
9202	13803	**20797**	9262	13893	**20933**	9322	13983	**21068**	9382	14073	**21204**
9203	13805	**20801**	9263	13895	**20936**	9323	13985	**21072**	9383	14075	**21207**
9204	13806	**20802**	9264	13896	**20938**	9324	13986	**21073**	9384	14076	**21209**
9205	13808	**20804**	9265	13898	**20940**	9325	13988	**21076**	9385	14078	**21211**
9206	13809	**20807**	9266	13899	**20942**	9326	13989	**21078**	9386	14079	**21213**
9207	13811	**20809**	9267	13901	**20945**	9327	13991	**21080**	9387	14081	**21216**
9208	13812	**20811**	9268	13902	**20947**	9328	13992	**21083**	9388	14082	**21218**
9209	13814	**20814**	9269	13904	**20949**	9329	13994	**21085**	9389	14084	**21221**
9210	13815	**20815**	9270	13905	**20951**	9330	13995	**21086**	9390	14085	**21222**
9211	13817	**20819**	9271	13907	**20954**	9331	13997	**21090**	9391	14087	**21225**
9212	13818	**20820**	9272	13908	**20955**	9332	13998	**21091**	9392	14088	**21227**
9213	13820	**20823**	9273	13910	**20959**	9333	14000	**21094**	9393	14090	**21230**
9214	13821	**20825**	9274	13911	**20960**	9334	14001	**21096**	9394	14091	**21231**
9215	13823	**20827**	9275	13913	**20963**	9335	14003	**21098**	9395	14093	**21234**
9216	13824	**20829**	9276	13914	**20965**	9336	14004	**21100**	9396	14094	**21236**
9217	13826	**20832**	9277	13916	**20967**	9337	14006	**21103**	9397	14096	**21239**
9218	13827	**20834**	9278	13917	**20970**	9338	14007	**21105**	9398	14097	**21241**
9219	13829	**20836**	9279	13919	**20972**	9339	14009	**21108**	9399	14099	**21243**
9220	13830	**20838**	9280	13920	**20973**	9340	14010	**21109**	9400	14100	**21244**
9221	13832	**20841**	9281	13922	**20977**	9341	14012	**21112**	9401	14102	**21248**
9222	13833	**20842**	9282	13923	**20978**	9342	14013	**21114**	9402	14103	**21249**
9223	13835	**20846**	9283	13925	**20981**	9343	14015	**21117**	9403	14105	**21253**
9224	13836	**20847**	9284	13926	**20983**	9344	14016	**21118**	9404	14106	**21254**
9225	13838	**20850**	9285	13928	**20985**	9345	14018	**21121**	9405	14108	**21256**
9226	13839	**20852**	9286	13929	**20987**	9346	14019	**21123**	9406	14109	**21259**
9227	13841	**20854**	9287	13931	**20990**	9347	14021	**21126**	9407	14111	**21261**
9228	13842	**20857**	9288	13932	**20992**	9348	14022	**21128**	9408	14112	**21263**
9229	13844	**20859**	9289	13934	**20995**	9349	14024	**21130**	9409	14114	**21266**
9230	13845	**20860**	9290	13935	**20996**	9350	14025	**21131**	9410	14115	**21267**

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Dept. of Pension & P.W.
Govt. of India

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9411	14117	21271	9471	14207	21406	9531	14297	21542	9591	14387	21677
9412	14118	21272	9472	14208	21407	9532	14298	21543	9592	14388	21679
9413	14120	21275	9473	14210	21411	9533	14300	21546	9593	14390	21682
9414	14121	21277	9474	14211	21412	9534	14301	21548	9594	14391	21683
9415	14123	21279	9475	14213	21415	9535	14303	21550	9595	14393	21686
9416	14124	21281	9476	14214	21417	9536	14304	21552	9596	14394	21688
9417	14126	21284	9477	14216	21419	9537	14306	21555	9597	14396	21691
9418	14127	21286	9478	14217	21422	9538	14307	21557	9598	14397	21693
9419	14129	21288	9479	14219	21424	9539	14309	21560	9599	14399	21695
9420	14130	21290	9480	14220	21425	9540	14310	21561	9600	14400	21696
9421	14132	21293	9481	14222	21429	9541	14312	21564	9601	14402	21700
9422	14133	21294	9482	14223	21430	9542	14313	21566	9602	14403	21701
9423	14135	21298	9483	14225	21433	9543	14315	21569	9603	14405	21705
9424	14136	21299	9484	14226	21435	9544	14316	21570	9604	14406	21706
9425	14138	21302	9485	14228	21437	9545	14318	21573	9605	14408	21708
9426	14139	21304	9486	14229	21439	9546	14319	21575	9606	14409	21711
9427	14141	21306	9487	14231	21442	9547	14321	21578	9607	14411	21713
9428	14142	21309	9488	14232	21444	9548	14322	21580	9608	14412	21715
9429	14144	21311	9489	14234	21447	9549	14324	21582	9609	14414	21718
9430	14145	21312	9490	14235	21448	9550	14325	21583	9610	14415	21719
9431	14147	21316	9491	14237	21451	9551	14327	21587	9611	14417	21723
9432	14148	21317	9492	14238	21453	9552	14328	21588	9612	14418	21724
9433	14150	21320	9493	14240	21456	9553	14330	21592	9613	14420	21727
9434	14151	21322	9494	14241	21457	9554	14331	21593	9614	14421	21729
9435	14153	21324	9495	14243	21460	9555	14333	21595	9615	14423	21731
9436	14154	21326	9496	14244	21462	9556	14334	21598	9616	14424	21733
9437	14156	21329	9497	14246	21465	9557	14336	21600	9617	14426	21736
9438	14157	21331	9498	14247	21467	9558	14337	21602	9618	14427	21738
9439	14159	21334	9499	14249	21469	9559	14339	21605	9619	14429	21740
9440	14160	21335	9500	14250	21470	9560	14340	21606	9620	14430	21742
9441	14162	21338	9501	14252	21474	9561	14342	21610	9621	14432	21745
9442	14163	21340	9502	14253	21475	9562	14343	21611	9622	14433	21746
9443	14165	21343	9503	14255	21479	9563	14345	21614	9623	14435	21750
9444	14166	21344	9504	14256	21480	9564	14346	21616	9624	14436	21751
9445	14168	21347	9505	14258	21482	9565	14348	21618	9625	14438	21754
9446	14169	21349	9506	14259	21485	9566	14349	21620	9626	14439	21756
9447	14171	21352	9507	14261	21487	9567	14351	21623	9627	14441	21758
9448	14172	21354	9508	14262	21489	9568	14352	21625	9628	14442	21761
9449	14174	21356	9509	14264	21492	9569	14354	21627	9629	14444	21763
9450	14175	21357	9510	14265	21493	9570	14355	21629	9630	14445	21764
9451	14177	21361	9511	14267	21497	9571	14357	21632	9631	14447	21768
9452	14178	21362	9512	14268	21498	9572	14358	21633	9632	14448	21769
9453	14180	21366	9513	14270	21501	9573	14360	21637	9633	14450	21772
9454	14181	21367	9514	14271	21503	9574	14361	21638	9634	14451	21774
9455	14183	21369	9515	14273	21505	9575	14363	21641	9635	14453	21776
9456	14184	21372	9516	14274	21507	9576	14364	21643	9636	14454	21778
9457	14186	21374	9517	14276	21510	9577	14366	21645	9637	14456	21781
9458	14187	21376	9518	14277	21512	9578	14367	21648	9638	14457	21783
9459	14189	21379	9519	14279	21514	9579	14369	21650	9639	14459	21786
9460	14190	21380	9520	14280	21516	9580	14370	21651	9640	14460	21787
9461	14192	21384	9521	14282	21519	9581	14372	21655	9641	14462	21790
9462	14193	21385	9522	14283	21520	9582	14373	21656	9642	14463	21792
9463	14195	21388	9523	14285	21524	9583	14375	21659	9643	14465	21795
9464	14196	21390	9524	14286	21525	9584	14376	21661	9644	14466	21796
9465	14198	21392	9525	14288	21528	9585	14378	21663	9645	14468	21799
9466	14199	21394	9526	14289	21530	9586	14379	21665	9646	14469	21801
9467	14201	21397	9527	14291	21532	9587	14381	21668	9647	14471	21804
9468	14202	21399	9528	14292	21535	9588	14382	21670	9648	14472	21806
9469	14204	21401	9529	14294	21537	9589	14384	21673	9649	14474	21808
9470	14205	21403	9530	14295	21538	9590	14385	21674	9650	14475	21809

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Dept. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9651	14477	**21813**	9711	14567	**21949**	9771	14657	**22084**	9831	14747	**22220**
9652	14478	**21814**	9712	14568	**21950**	9772	14658	**22085**	9832	14748	**22221**
9653	14480	**21818**	9713	14570	**21953**	9773	14660	**22089**	9833	14750	**22224**
9654	14481	**21819**	9714	14571	**21955**	9774	14661	**22090**	9834	14751	**22226**
9655	14483	**21821**	9715	14573	**21957**	9775	14663	**22093**	9835	14753	**22228**
9656	14484	**21824**	9716	14574	**21959**	9776	14664	**22095**	9836	14754	**22230**
9657	14486	**21826**	9717	14576	**21962**	9777	14666	**22097**	9837	14756	**22233**
9658	14487	**21828**	9718	14577	**21964**	9778	14667	**22100**	9838	14757	**22235**
9659	14489	**21831**	9719	14579	**21966**	9779	14669	**22102**	9839	14759	**22238**
9660	14490	**21832**	9720	14580	**21968**	9780	14670	**22103**	9840	14760	**22239**
9661	14492	**21836**	9721	14582	**21971**	9781	14672	**22107**	9841	14762	**22242**
9662	14493	**21837**	9722	14583	**21972**	9782	14673	**22108**	9842	14763	**22244**
9663	14495	**21840**	9723	14585	**21976**	9783	14675	**22111**	9843	14765	**22247**
9664	14496	**21842**	9724	14586	**21977**	9784	14676	**22113**	9844	14766	**22248**
9665	14498	**21844**	9725	14588	**21980**	9785	14678	**22115**	9845	14768	**22251**
9666	14499	**21846**	9726	14589	**21982**	9786	14679	**22117**	9846	14769	**22253**
9667	14501	**21849**	9727	14591	**21984**	9787	14681	**22120**	9847	14771	**22256**
9668	14502	**21851**	9728	14592	**21987**	9788	14682	**22122**	9848	14772	**22258**
9669	14504	**21853**	9729	14594	**21989**	9789	14684	**22125**	9849	14774	**22260**
9670	14505	**21855**	9730	14595	**21990**	9790	14685	**22126**	9850	14775	**22261**
9671	14507	**21858**	9731	14597	**21994**	9791	14687	**22129**	9851	14777	**22265**
9672	14508	**21859**	9732	14598	**21995**	9792	14688	**22131**	9852	14778	**22266**
9673	14510	**21863**	9733	14600	**21998**	9793	14690	**22134**	9853	14780	**22270**
9674	14511	**21864**	9734	14601	**22000**	9794	14691	**22135**	9854	14781	**22271**
9675	14513	**21867**	9735	14603	**22002**	9795	14693	**22138**	9855	14783	**22273**
9676	14514	**21869**	9736	14604	**22004**	9796	14694	**22140**	9856	14784	**22276**
9677	14516	**21871**	9737	14606	**22007**	9797	14696	**22143**	9857	14786	**22278**
9678	14517	**21874**	9738	14607	**22009**	9798	14697	**22145**	9858	14787	**22280**
9679	14519	**21876**	9739	14609	**22012**	9799	14699	**22147**	9859	14789	**22283**
9680	14520	**21877**	9740	14610	**22013**	9800	14700	**22148**	9860	14790	**22284**
9681	14522	**21881**	9741	14612	**22016**	9801	14702	**22152**	9861	14792	**22288**
9682	14523	**21882**	9742	14613	**22018**	9802	14703	**22153**	9862	14793	**22289**
9683	14525	**21885**	9743	14615	**22021**	9803	14705	**22157**	9863	14795	**22292**
9684	14526	**21887**	9744	14616	**22022**	9804	14706	**22158**	9864	14796	**22294**
9685	14528	**21889**	9745	14618	**22025**	9805	14708	**22160**	9865	14798	**22296**
9686	14529	**21891**	9746	14619	**22027**	9806	14709	**22163**	9866	14799	**22298**
9687	14531	**21894**	9747	14621	**22030**	9807	14711	**22165**	9867	14801	**22301**
9688	14532	**21896**	9748	14622	**22032**	9808	14712	**22167**	9868	14802	**22303**
9689	14534	**21899**	9749	14624	**22034**	9809	14714	**22170**	9869	14804	**22305**
9690	14535	**21900**	9750	14625	**22035**	9810	14715	**22171**	9870	14805	**22307**
9691	14537	**21903**	9751	14627	**22039**	9811	14717	**22175**	9871	14807	**22310**
9692	14538	**21905**	9752	14628	**22040**	9812	14718	**22176**	9872	14808	**22311**
9693	14540	**21908**	9753	14630	**22044**	9813	14720	**22179**	9873	14810	**22315**
9694	14541	**21909**	9754	14631	**22045**	9814	14721	**22181**	9874	14811	**22316**
9695	14543	**21912**	9755	14633	**22047**	9815	14723	**22183**	9875	14813	**22319**
9696	14544	**21914**	9756	14634	**22050**	9816	14724	**22185**	9876	14814	**22321**
9697	14546	**21917**	9757	14636	**22052**	9817	14726	**22188**	9877	14816	**22323**
9698	14547	**21919**	9758	14637	**22054**	9818	14727	**22190**	9878	14817	**22326**
9699	14549	**21921**	9759	14639	**22057**	9819	14729	**22192**	9879	14819	**22328**
9700	14550	**21922**	9760	14640	**22058**	9820	14730	**22194**	9880	14820	**22329**
9701	14552	**21926**	9761	14642	**22062**	9821	14732	**22197**	9881	14822	**22333**
9702	14553	**21927**	9762	14643	**22063**	9822	14733	**22198**	9882	14823	**22334**
9703	14555	**21931**	9763	14645	**22066**	9823	14735	**22202**	9883	14825	**22337**
9704	14556	**21932**	9764	14646	**22068**	9824	14736	**22203**	9884	14826	**22339**
9705	14558	**21934**	9765	14648	**22070**	9825	14738	**22206**	9885	14828	**22341**
9706	14559	**21937**	9766	14649	**22072**	9826	14739	**22208**	9886	14829	**22343**
9707	14561	**21939**	9767	14651	**22075**	9827	14741	**22210**	9887	14831	**22346**
9708	14562	**21941**	9768	14652	**22077**	9828	14742	**22213**	9888	14832	**22348**
9709	14564	**21944**	9769	14654	**22079**	9829	14744	**22215**	9889	14834	**22351**
9710	14565	**21945**	9770	14655	**22081**	9830	14745	**22216**	9890	14835	**22352**

(A. P. SINGH)
Director (P.1)
Dept. of Pension & P. W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
9891	14837	22355	9951	14927	22491	10011	15017	22627	10071	15107	22762
9892	14838	22357	9952	14928	22492	10012	15018	22628	10072	15108	22763
9893	14840	22360	9953	14930	22496	10013	15020	22631	10073	15110	22767
9894	14841	22361	9954	14931	22497	10014	15021	22633	10074	15111	22768
9895	14843	22364	9955	14933	22499	10015	15023	22635	10075	15113	22771
9896	14844	22366	9956	14934	22502	10016	15024	22637	10076	15114	22773
9897	14846	22369	9957	14936	22504	10017	15026	22640	10077	15116	22775
9898	14847	22371	9958	14937	22506	10018	15027	22642	10078	15117	22778
9899	14849	22373	9959	14939	22509	10019	15029	22644	10079	15119	22780
9900	14850	22374	9960	14940	22510	10020	15030	22646	10080	15120	22781
9901	14852	22378	9961	14942	22514	10021	15032	22649	10081	15122	22785
9902	14853	22379	9962	14943	22515	10022	15033	22650	10082	15123	22786
9903	14855	22383	9963	14945	22518	10023	15035	22654	10083	15125	22789
9904	14856	22384	9964	14946	22520	10024	15036	22655	10084	15126	22791
9905	14858	22386	9965	14948	22522	10025	15038	22658	10085	15128	22793
9906	14859	22389	9966	14949	22524	10026	15039	22660	10086	15129	22795
9907	14861	22391	9967	14951	22527	10027	15041	22662	10087	15131	22798
9908	14862	22393	9968	14952	22529	10028	15042	22665	10088	15132	22800
9909	14864	22396	9969	14954	22531	10029	15044	22667	10089	15134	22803
9910	14865	22397	9970	14955	22533	10030	15045	22668	10090	15135	22804
9911	14867	22401	9971	14957	22536	10031	15047	22672	10091	15137	22807
9912	14868	22402	9972	14958	22537	10032	15048	22673	10092	15138	22809
9913	14870	22405	9973	14960	22541	10033	15050	22676	10093	15140	22812
9914	14871	22407	9974	14961	22542	10034	15051	22678	10094	15141	22813
9915	14873	22409	9975	14963	22545	10035	15053	22680	10095	15143	22816
9916	14874	22411	9976	14964	22547	10036	15054	22682	10096	15144	22818
9917	14876	22414	9977	14966	22549	10037	15056	22685	10097	15146	22821
9918	14877	22416	9978	14967	22552	10038	15057	22687	10098	15147	22823
9919	14879	22418	9979	14969	22554	10039	15059	22690	10099	15149	22825
9920	14880	22420	9980	14970	22555	10040	15060	22691	10100	15150	22826
9921	14882	22423	9981	14972	22559	10041	15062	22694	10101	15152	22830
9922	14883	22424	9982	14973	22560	10042	15063	22696	10102	15153	22831
9923	14885	22428	9983	14975	22563	10043	15065	22699	10103	15155	22835
9924	14886	22429	9984	14976	22565	10044	15066	22700	10104	15156	22836
9925	14888	22432	9985	14978	22567	10045	15068	22703	10105	15158	22838
9926	14889	22434	9986	14979	22569	10046	15069	22705	10106	15159	22841
9927	14891	22436	9987	14981	22572	10047	15071	22708	10107	15161	22843
9928	14892	22439	9988	14982	22574	10048	15072	22710	10108	15162	22845
9929	14894	22441	9989	14984	22577	10049	15074	22712	10109	15164	22848
9930	14895	22442	9990	14985	22578	10050	15075	22713	10110	15165	22849
9931	14897	22446	9991	14987	22581	10051	15077	22717	10111	15167	22853
9932	14898	22447	9992	14988	22583	10052	15078	22718	10112	15168	22854
9933	14900	22450	9993	14990	22586	10053	15080	22722	10113	15170	22857
9934	14901	22452	9994	14991	22587	10054	15081	22723	10114	15171	22859
9935	14903	22454	9995	14993	22590	10055	15083	22725	10115	15173	22861
9936	14904	22456	9996	14994	22592	10056	15084	22728	10116	15174	22863
9937	14906	22459	9997	14996	22595	10057	15086	22730	10117	15176	22866
9938	14907	22461	9998	14997	22597	10058	15087	22732	10118	15177	22868
9939	14909	22464	9999	14999	22599	10059	15089	22735	10119	15179	22870
9940	14910	22465	10000	15000	22600	10060	15090	22736	10120	15180	22872
9941	14912	22468	10001	15002	22604	10061	15092	22740	10121	15182	22875
9942	14913	22470	10002	15003	22605	10062	15093	22741	10122	15183	22876
9943	14915	22473	10003	15005	22609	10063	15095	22744	10123	15185	22880
9944	14916	22474	10004	15006	22610	10064	15096	22746	10124	15186	22881
9945	14918	22477	10005	15008	22612	10065	15098	22748	10125	15188	22884
9946	14919	22479	10006	15009	22615	10066	15099	22750	10126	15189	22886
9947	14921	22482	10007	15011	22617	10067	15101	22753	10127	15191	22888
9948	14922	22484	10008	15012	22619	10068	15102	22755	10128	15192	22891
9949	14924	22486	10009	15014	22622	10069	15104	22757	10129	15194	22893
9950	14925	22487	10010	15015	22623	10070	15105	22759	10130	15195	22894

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10131	15197	**22898**	10191	15287	**23033**	10251	15377	**23169**	10311	15467	**23305**
10132	15198	**22899**	10192	15288	**23035**	10252	15378	**23170**	10312	15468	**23306**
10133	15200	**22902**	10193	15290	**23038**	10253	15380	**23174**	10313	15470	**23309**
10134	15201	**22904**	10194	15291	**23039**	10254	15381	**23175**	10314	15471	**23311**
10135	15203	**22906**	10195	15293	**23042**	10255	15383	**23177**	10315	15473	**23313**
10136	15204	**22908**	10196	15294	**23044**	10256	15384	**23180**	10316	15474	**23315**
10137	15206	**22911**	10197	15296	**23047**	10257	15386	**23182**	10317	15476	**23318**
10138	15207	**22913**	10198	15297	**23049**	10258	15387	**23184**	10318	15477	**23320**
10139	15209	**22916**	10199	15299	**23051**	10259	15389	**23187**	10319	15479	**23322**
10140	15210	**22917**	10200	15300	**23052**	10260	15390	**23188**	10320	15480	**23324**
10141	15212	**22920**	10201	15302	**23056**	10261	15392	**23192**	10321	15482	**23327**
10142	15213	**22922**	10202	15303	**23057**	10262	15393	**23193**	10322	15483	**23328**
10143	15215	**22925**	10203	15305	**23061**	10263	15395	**23196**	10323	15485	**23332**
10144	15216	**22926**	10204	15306	**23062**	10264	15396	**23198**	10324	15486	**23333**
10145	15218	**22929**	10205	15308	**23064**	10265	15398	**23200**	10325	15488	**23336**
10146	15219	**22931**	10206	15309	**23067**	10266	15399	**23202**	10326	15489	**23338**
10147	15221	**22934**	10207	15311	**23069**	10267	15401	**23205**	10327	15491	**23340**
10148	15222	**22936**	10208	15312	**23071**	10268	15402	**23207**	10328	15492	**23343**
10149	15224	**22938**	10209	15314	**23074**	10269	15404	**23209**	10329	15494	**23345**
10150	15225	**22939**	10210	15315	**23075**	10270	15405	**23211**	10330	15495	**23346**
10151	15227	**22943**	10211	15317	**23079**	10271	15407	**23214**	10331	15497	**23350**
10152	15228	**22944**	10212	15318	**23080**	10272	15408	**23215**	10332	15498	**23351**
10153	15230	**22948**	10213	15320	**23083**	10273	15410	**23219**	10333	15500	**23354**
10154	15231	**22949**	10214	15321	**23085**	10274	15411	**23220**	10334	15501	**23356**
10155	15233	**22951**	10215	15323	**23087**	10275	15413	**23223**	10335	15503	**23358**
10156	15234	**22954**	10216	15324	**23089**	10276	15414	**23225**	10336	15504	**23360**
10157	15236	**22956**	10217	15326	**23092**	10277	15416	**23227**	10337	15506	**23363**
10158	15237	**22958**	10218	15327	**23094**	10278	15417	**23230**	10338	15507	**23365**
10159	15239	**22961**	10219	15329	**23096**	10279	15419	**23232**	10339	15509	**23368**
10160	15240	**22962**	10220	15330	**23098**	10280	15420	**23233**	10340	15510	**23369**
10161	15242	**22966**	10221	15332	**23101**	10281	15422	**23237**	10341	15512	**23372**
10162	15243	**22967**	10222	15333	**23102**	10282	15423	**23238**	10342	15513	**23374**
10163	15245	**22970**	10223	15335	**23106**	10283	15425	**23241**	10343	15515	**23377**
10164	15246	**22972**	10224	15336	**23107**	10284	15426	**23243**	10344	15516	**23378**
10165	15248	**22974**	10225	15338	**23110**	10285	15428	**23245**	10345	15518	**23381**
10166	15249	**22976**	10226	15339	**23112**	10286	15429	**23247**	10346	15519	**23383**
10167	15251	**22979**	10227	15341	**23114**	10287	15431	**23250**	10347	15521	**23386**
10168	15252	**22981**	10228	15342	**23117**	10288	15432	**23252**	10348	15522	**23388**
10169	15254	**22983**	10229	15344	**23119**	10289	15434	**23255**	10349	15524	**23390**
10170	15255	**22985**	10230	15345	**23120**	10290	15435	**23256**	10350	15525	**23391**
10171	15257	**22988**	10231	15347	**23124**	10291	15437	**23259**	10351	15527	**23395**
10172	15258	**22989**	10232	15348	**23125**	10292	15438	**23261**	10352	15528	**23396**
10173	15260	**22993**	10233	15350	**23128**	10293	15440	**23264**	10353	15530	**23400**
10174	15261	**22994**	10234	15351	**23130**	10294	15441	**23265**	10354	15531	**23401**
10175	15263	**22997**	10235	15353	**23132**	10295	15443	**23268**	10355	15533	**23403**
10176	15264	**22999**	10236	15354	**23134**	10296	15444	**23270**	10356	15534	**23406**
10177	15266	**23001**	10237	15356	**23137**	10297	15446	**23273**	10357	15536	**23408**
10178	15267	**23004**	10238	15357	**23139**	10298	15447	**23275**	10358	15537	**23410**
10179	15269	**23006**	10239	15359	**23142**	10299	15449	**23277**	10359	15539	**23413**
10180	15270	**23007**	10240	15360	**23143**	10300	15450	**23278**	10360	15540	**23414**
10181	15272	**23011**	10241	15362	**23146**	10301	15452	**23282**	10361	15542	**23418**
10182	15273	**23012**	10242	15363	**23148**	10302	15453	**23283**	10362	15543	**23419**
10183	15275	**23015**	10243	15365	**23151**	10303	15455	**23287**	10363	15545	**23422**
10184	15276	**23017**	10244	15366	**23152**	10304	15456	**23288**	10364	15546	**23424**
10185	15278	**23019**	10245	15368	**23155**	10305	15458	**23290**	10365	15548	**23426**
10186	15279	**23021**	10246	15369	**23157**	10306	15459	**23293**	10366	15549	**23428**
10187	15281	**23024**	10247	15371	**23160**	10307	15461	**23295**	10367	15551	**23431**
10188	15282	**23026**	10248	15372	**23162**	10308	15462	**23297**	10368	15552	**23433**
10189	15284	**23029**	10249	15374	**23164**	10309	15464	**23300**	10369	15554	**23435**
10190	15285	**23030**	10250	15375	**23165**	10310	15465	**23301**	10370	15555	**23437**

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10371	15557	23440	10431	15647	23576	10491	15737	23711	10551	15827	23847
10372	15558	23441	10432	15648	23577	10492	15738	23713	10552	15828	23848
10373	15560	23445	10433	15650	23580	10493	15740	23716	10553	15830	23852
10374	15561	23446	10434	15651	23582	10494	15741	23717	10554	15831	23853
10375	15563	23449	10435	15653	23584	10495	15743	23720	10555	15833	23855
10376	15564	23451	10436	15654	23586	10496	15744	23722	10556	15834	23858
10377	15566	23453	10437	15656	23589	10497	15746	23725	10557	15836	23860
10378	15567	23456	10438	15657	23591	10498	15747	23727	10558	15837	23862
10379	15569	23458	10439	15659	23594	10499	15749	23729	10559	15839	23865
10380	15570	23459	10440	15660	23595	10500	15750	23730	10560	15840	23866
10381	15572	23463	10441	15662	23598	10501	15752	23734	10561	15842	23870
10382	15573	23464	10442	15663	23600	10502	15753	23735	10562	15843	23871
10383	15575	23467	10443	15665	23603	10503	15755	23739	10563	15845	23874
10384	15576	23469	10444	15666	23604	10504	15756	23740	10564	15846	23876
10385	15578	23471	10445	15668	23607	10505	15758	23742	10565	15848	23878
10386	15579	23473	10446	15669	23609	10506	15759	23745	10566	15849	23880
10387	15581	23476	10447	15671	23612	10507	15761	23747	10567	15851	23883
10388	15582	23478	10448	15672	23614	10508	15762	23749	10568	15852	23885
10389	15584	23481	10449	15674	23616	10509	15764	23752	10569	15854	23887
10390	15585	23482	10450	15675	23617	10510	15765	23753	10570	15855	23889
10391	15587	23485	10451	15677	23621	10511	15767	23757	10571	15857	23892
10392	15588	23487	10452	15678	23622	10512	15768	23758	10572	15858	23893
10393	15590	23490	10453	15680	23626	10513	15770	23761	10573	15860	23897
10394	15591	23491	10454	15681	23627	10514	15771	23763	10574	15861	23898
10395	15593	23494	10455	15683	23629	10515	15773	23765	10575	15863	23901
10396	15594	23496	10456	15684	23632	10516	15774	23767	10576	15864	23903
10397	15596	23499	10457	15686	23634	10517	15776	23770	10577	15866	23905
10398	15597	23501	10458	15687	23636	10518	15777	23772	10578	15867	23908
10399	15599	23503	10459	15689	23639	10519	15779	23774	10579	15869	23910
10400	15600	23504	10460	15690	23640	10520	15780	23776	10580	15870	23911
10401	15602	23508	10461	15692	23644	10521	15782	23779	10581	15872	23915
10402	15603	23509	10462	15693	23645	10522	15783	23780	10582	15873	23916
10403	15605	23513	10463	15695	23648	10523	15785	23784	10583	15875	23919
10404	15606	23514	10464	15696	23650	10524	15786	23785	10584	15876	23921
10405	15608	23516	10465	15698	23652	10525	15788	23788	10585	15878	23923
10406	15609	23519	10466	15699	23654	10526	15789	23790	10586	15879	23925
10407	15611	23521	10467	15701	23657	10527	15791	23792	10587	15881	23928
10408	15612	23523	10468	15702	23659	10528	15792	23795	10588	15882	23930
10409	15614	23526	10469	15704	23661	10529	15794	23797	10589	15884	23933
10410	15615	23527	10470	15705	23663	10530	15795	23798	10590	15885	23934
10411	15617	23531	10471	15707	23666	10531	15797	23802	10591	15887	23937
10412	15618	23532	10472	15708	23667	10532	15798	23803	10592	15888	23939
10413	15620	23535	10473	15710	23671	10533	15800	23806	10593	15890	23942
10414	15621	23537	10474	15711	23672	10534	15801	23808	10594	15891	23943
10415	15623	23539	10475	15713	23675	10535	15803	23810	10595	15893	23946
10416	15624	23541	10476	15714	23677	10536	15804	23812	10596	15894	23948
10417	15626	23544	10477	15716	23679	10537	15806	23815	10597	15896	23951
10418	15627	23546	10478	15717	23682	10538	15807	23817	10598	15897	23953
10419	15629	23548	10479	15719	23684	10539	15809	23820	10599	15899	23955
10420	15630	23550	10480	15720	23685	10540	15810	23821	10600	15900	23956
10421	15632	23553	10481	15722	23689	10541	15812	23824	10601	15902	23960
10422	15633	23554	10482	15723	23690	10542	15813	23826	10602	15903	23961
10423	15635	23558	10483	15725	23693	10543	15815	23829	10603	15905	23965
10424	15636	23559	10484	15726	23695	10544	15816	23830	10604	15906	23966
10425	15638	23562	10485	15728	23697	10545	15818	23833	10605	15908	23968
10426	15639	23564	10486	15729	23699	10546	15819	23835	10606	15909	23971
10427	15641	23566	10487	15731	23702	10547	15821	23838	10607	15911	23973
10428	15642	23569	10488	15732	23704	10548	15822	23840	10608	15912	23975
10429	15644	23571	10489	15734	23707	10549	15824	23842	10609	15914	23978
10430	15645	23572	10490	15735	23708	10550	15825	23843	10610	15915	23979

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10611	15917	**23983**	10671	16007	**24118**	10731	16097	**24254**	10791	16187	**24389**
10612	15918	**23984**	10672	16008	**24119**	10732	16098	**24255**	10792	16188	**24391**
10613	15920	**23987**	10673	16010	**24123**	10733	16100	**24258**	10793	16190	**24394**
10614	15921	**23989**	10674	16011	**24124**	10734	16101	**24260**	10794	16191	**24395**
10615	15923	**23991**	10675	16013	**24127**	10735	16103	**24262**	10795	16193	**24398**
10616	15924	**23993**	10676	16014	**24129**	10736	16104	**24264**	10796	16194	**24400**
10617	15926	**23996**	10677	16016	**24131**	10737	16106	**24267**	10797	16196	**24403**
10618	15927	**23998**	10678	16017	**24134**	10738	16107	**24269**	10798	16197	**24405**
10619	15929	**24000**	10679	16019	**24136**	10739	16109	**24272**	10799	16199	**24407**
10620	15930	**24002**	10680	16020	**24137**	10740	16110	**24273**	10800	16200	**24408**
10621	15932	**24005**	10681	16022	**24141**	10741	16112	**24276**	10801	16202	**24412**
10622	15933	**24006**	10682	16023	**24142**	10742	16113	**24278**	10802	16203	**24413**
10623	15935	**24010**	10683	16025	**24145**	10743	16115	**24281**	10803	16205	**24417**
10624	15936	**24011**	10684	16026	**24147**	10744	16116	**24282**	10804	16206	**24418**
10625	15938	**24014**	10685	16028	**24149**	10745	16118	**24285**	10805	16208	**24420**
10626	15939	**24016**	10686	16029	**24151**	10746	16119	**24287**	10806	16209	**24423**
10627	15941	**24018**	10687	16031	**24154**	10747	16121	**24290**	10807	16211	**24425**
10628	15942	**24021**	10688	16032	**24156**	10748	16122	**24292**	10808	16212	**24427**
10629	15944	**24023**	10689	16034	**24159**	10749	16124	**24294**	10809	16214	**24430**
10630	15945	**24024**	10690	16035	**24160**	10750	16125	**24295**	10810	16215	**24431**
10631	15947	**24028**	10691	16037	**24163**	10751	16127	**24299**	10811	16217	**24435**
10632	15948	**24029**	10692	16038	**24165**	10752	16128	**24300**	10812	16218	**24436**
10633	15950	**24032**	10693	16040	**24168**	10753	16130	**24304**	10813	16220	**24439**
10634	15951	**24034**	10694	16041	**24169**	10754	16131	**24305**	10814	16221	**24441**
10635	15953	**24036**	10695	16043	**24172**	10755	16133	**24307**	10815	16223	**24443**
10636	15954	**24038**	10696	16044	**24174**	10756	16134	**24310**	10816	16224	**24445**
10637	15956	**24041**	10697	16046	**24177**	10757	16136	**24312**	10817	16226	**24448**
10638	15957	**24043**	10698	16047	**24179**	10758	16137	**24314**	10818	16227	**24450**
10639	15959	**24046**	10699	16049	**24181**	10759	16139	**24317**	10819	16229	**24452**
10640	15960	**24047**	10700	16050	**24182**	10760	16140	**24318**	10820	16230	**24454**
10641	15962	**24050**	10701	16052	**24186**	10761	16142	**24322**	10821	16232	**24457**
10642	15963	**24052**	10702	16053	**24187**	10762	16143	**24323**	10822	16233	**24458**
10643	15965	**24055**	10703	16055	**24191**	10763	16145	**24326**	10823	16235	**24462**
10644	15966	**24056**	10704	16056	**24192**	10764	16146	**24328**	10824	16236	**24463**
10645	15968	**24059**	10705	16058	**24194**	10765	16148	**24330**	10825	16238	**24466**
10646	15969	**24061**	10706	16059	**24197**	10766	16149	**24332**	10826	16239	**24468**
10647	15971	**24064**	10707	16061	**24199**	10767	16151	**24335**	10827	16241	**24470**
10648	15972	**24066**	10708	16062	**24201**	10768	16152	**24337**	10828	16242	**24473**
10649	15974	**24068**	10709	16064	**24204**	10769	16154	**24339**	10829	16244	**24475**
10650	15975	**24069**	10710	16065	**24205**	10770	16155	**24341**	10830	16245	**24476**
10651	15977	**24073**	10711	16067	**24209**	10771	16157	**24344**	10831	16247	**24480**
10652	15978	**24074**	10712	16068	**24210**	10772	16158	**24345**	10832	16248	**24481**
10653	15980	**24078**	10713	16070	**24213**	10773	16160	**24349**	10833	16250	**24484**
10654	15981	**24079**	10714	16071	**24215**	10774	16161	**24350**	10834	16251	**24486**
10655	15983	**24081**	10715	16073	**24217**	10775	16163	**24353**	10835	16253	**24488**
10656	15984	**24084**	10716	16074	**24219**	10776	16164	**24355**	10836	16254	**24490**
10657	15986	**24086**	10717	16076	**24222**	10777	16166	**24357**	10837	16256	**24493**
10658	15987	**24088**	10718	16077	**24224**	10778	16167	**24360**	10838	16257	**24495**
10659	15989	**24091**	10719	16079	**24226**	10779	16169	**24362**	10839	16259	**24498**
10660	15990	**24092**	10720	16080	**24228**	10780	16170	**24363**	10840	16260	**24499**
10661	15992	**24096**	10721	16082	**24231**	10781	16172	**24367**	10841	16262	**24502**
10662	15993	**24097**	10722	16083	**24232**	10782	16173	**24368**	10842	16263	**24504**
10663	15995	**24100**	10723	16085	**24236**	10783	16175	**24371**	10843	16265	**24507**
10664	15996	**24102**	10724	16086	**24237**	10784	16176	**24373**	10844	16266	**24508**
10665	15998	**24104**	10725	16088	**24240**	10785	16178	**24375**	10845	16268	**24511**
10666	15999	**24106**	10726	16089	**24242**	10786	16179	**24377**	10846	16269	**24513**
10667	16001	**24109**	10727	16091	**24244**	10787	16181	**24380**	10847	16271	**24516**
10668	16002	**24111**	10728	16092	**24247**	10788	16182	**24382**	10848	16272	**24518**
10669	16004	**24113**	10729	16094	**24249**	10789	16184	**24385**	10849	16274	**24520**
10670	16005	**24115**	10730	16095	**24250**	10790	16185	**24386**	10850	16275	**24521**

Director (
Dept. of Pension
Govt. of

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
10851	16277	**24525**	10911	16367	**24661**	10971	16457	**24796**	11031	16547	**24932**
10852	16278	**24526**	10912	16368	**24662**	10972	16458	**24797**	11032	16548	**24933**
10853	16280	**24530**	10913	16370	**24665**	10973	16460	**24801**	11033	16550	**24936**
10854	16281	**24531**	10914	16371	**24667**	10974	16461	**24802**	11034	16551	**24938**
10855	16283	**24533**	10915	16373	**24669**	10975	16463	**24805**	11035	16553	**24940**
10856	16284	**24536**	10916	16374	**24671**	10976	16464	**24807**	11036	16554	**24942**
10857	16286	**24538**	10917	16376	**24674**	10977	16466	**24809**	11037	16556	**24945**
10858	16287	**24540**	10918	16377	**24676**	10978	16467	**24812**	11038	16557	**24947**
10859	16289	**24543**	10919	16379	**24678**	10979	16469	**24814**	11039	16559	**24950**
10860	16290	**24544**	10920	16380	**24680**	10980	16470	**24815**	11040	16560	**24951**
10861	16292	**24548**	10921	16382	**24683**	10981	16472	**24819**	11041	16562	**24954**
10862	16293	**24549**	10922	16383	**24684**	10982	16473	**24820**	11042	16563	**24956**
10863	16295	**24552**	10923	16385	**24688**	10983	16475	**24823**	11043	16565	**24959**
10864	16296	**24554**	10924	16386	**24689**	10984	16476	**24825**	11044	16566	**24960**
10865	16298	**24556**	10925	16388	**24692**	10985	16478	**24827**	11045	16568	**24963**
10866	16299	**24558**	10926	16389	**24694**	10986	16479	**24829**	11046	16569	**24965**
10867	16301	**24561**	10927	16391	**24696**	10987	16481	**24832**	11047	16571	**24968**
10868	16302	**24563**	10928	16392	**24699**	10988	16482	**24834**	11048	16572	**24970**
10869	16304	**24565**	10929	16394	**24701**	10989	16484	**24837**	11049	16574	**24972**
10870	16305	**24567**	10930	16395	**24702**	10990	16485	**24838**	11050	16575	**24973**
10871	16307	**24570**	10931	16397	**24706**	10991	16487	**24841**	11051	16577	**24977**
10872	16308	**24571**	10932	16398	**24707**	10992	16488	**24843**	11052	16578	**24978**
10873	16310	**24575**	10933	16400	**24710**	10993	16490	**24846**	11053	16580	**24982**
10874	16311	**24576**	10934	16401	**24712**	10994	16491	**24847**	11054	16581	**24983**
10875	16313	**24579**	10935	16403	**24714**	10995	16493	**24850**	11055	16583	**24985**
10876	16314	**24581**	10936	16404	**24716**	10996	16494	**24852**	11056	16584	**24988**
10877	16316	**24583**	10937	16406	**24719**	10997	16496	**24855**	11057	16586	**24990**
10878	16317	**24586**	10938	16407	**24721**	10998	16497	**24857**	11058	16587	**24992**
10879	16319	**24588**	10939	16409	**24724**	10999	16499	**24859**	11059	16589	**24995**
10880	16320	**24589**	10940	16410	**24725**	11000	16500	**24860**	11060	16590	**24996**
10881	16322	**24593**	10941	16412	**24728**	11001	16502	**24864**	11061	16592	**25000**
10882	16323	**24594**	10942	16413	**24730**	11002	16503	**24865**	11062	16593	**25001**
10883	16325	**24597**	10943	16415	**24733**	11003	16505	**24869**	11063	16595	**25004**
10884	16326	**24599**	10944	16416	**24734**	11004	16506	**24870**	11064	16596	**25006**
10885	16328	**24601**	10945	16418	**24737**	11005	16508	**24872**	11065	16598	**25008**
10886	16329	**24603**	10946	16419	**24739**	11006	16509	**24875**	11066	16599	**25010**
10887	16331	**24606**	10947	16421	**24742**	11007	16511	**24877**	11067	16601	**25013**
10888	16332	**24608**	10948	16422	**24744**	11008	16512	**24879**	11068	16602	**25015**
10889	16334	**24611**	10949	16424	**24746**	11009	16514	**24882**	11069	16604	**25017**
10890	16335	**24612**	10950	16425	**24747**	11010	16515	**24883**	11070	16605	**25019**
10891	16337	**24615**	10951	16427	**24751**	11011	16517	**24887**	11071	16607	**25022**
10892	16338	**24617**	10952	16428	**24752**	11012	16518	**24888**	11072	16608	**25023**
10893	16340	**24620**	10953	16430	**24756**	11013	16520	**24891**	11073	16610	**25027**
10894	16341	**24621**	10954	16431	**24757**	11014	16521	**24893**	11074	16611	**25028**
10895	16343	**24624**	10955	16433	**24759**	11015	16523	**24895**	11075	16613	**25031**
10896	16344	**24626**	10956	16434	**24762**	11016	16524	**24897**	11076	16614	**25033**
10897	16346	**24629**	10957	16436	**24764**	11017	16526	**24900**	11077	16616	**25035**
10898	16347	**24631**	10958	16437	**24766**	11018	16527	**24902**	11078	16617	**25038**
10899	16349	**24633**	10959	16439	**24769**	11019	16529	**24904**	11079	16619	**25040**
10900	16350	**24634**	10960	16440	**24770**	11020	16530	**24906**	11080	16620	**25041**
10901	16352	**24638**	10961	16442	**24774**	11021	16532	**24909**	11081	16622	**25045**
10902	16353	**24639**	10962	16443	**24775**	11022	16533	**24910**	11082	16623	**25046**
10903	16355	**24643**	10963	16445	**24778**	11023	16535	**24914**	11083	16625	**25049**
10904	16356	**24644**	10964	16446	**24780**	11024	16536	**24915**	11084	16626	**25051**
10905	16358	**24646**	10965	16448	**24782**	11025	16538	**24918**	11085	16628	**25053**
10906	16359	**24649**	10966	16449	**24784**	11026	16539	**24920**	11086	16629	**25055**
10907	16361	**24651**	10967	16451	**24787**	11027	16541	**24922**	11087	16631	**25058**
10908	16362	**24653**	10968	16452	**24789**	11028	16542	**24925**	11088	16632	**25060**
10909	16364	**24656**	10969	16454	**24791**	11029	16544	**24927**	11089	16634	**25063**
10910	16365	**24657**	10970	16455	**24793**	11030	16545	**24928**	11090	16635	**25064**

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11091	16637	25067	11151	16727	25203	11211	16817	25339	11271	16907	25474
11092	16638	25069	11152	16728	25204	11212	16818	25340	11272	16908	25475
11093	16640	25072	11153	16730	25208	11213	16820	25343	11273	16910	25479
11094	16641	25073	11154	16731	25209	11214	16821	25345	11274	16911	25480
11095	16643	25076	11155	16733	25211	11215	16823	25347	11275	16913	25483
11096	16644	25078	11156	16734	25214	11216	16824	25349	11276	16914	25485
11097	16646	25081	11157	16736	25216	11217	16826	25352	11277	16916	25487
11098	16647	25083	11158	16737	25218	11218	16827	25354	11278	16917	25490
11099	16649	25085	11159	16739	25221	11219	16829	25356	11279	16919	25492
11100	16650	25086	11160	16740	25222	11220	16830	25358	11280	16920	25493
11101	16652	25090	11161	16742	25226	11221	16832	25361	11281	16922	25497
11102	16653	25091	11162	16743	25227	11222	16833	25362	11282	16923	25498
11103	16655	25095	11163	16745	25230	11223	16835	25366	11283	16925	25501
11104	16656	25096	11164	16746	25232	11224	16836	25367	11284	16926	25503
11105	16658	25098	11165	16748	25234	11225	16838	25370	11285	16928	25505
11106	16659	25101	11166	16749	25236	11226	16839	25372	11286	16929	25507
11107	16661	25103	11167	16751	25239	11227	16841	25374	11287	16931	25510
11108	16662	25105	11168	16752	25241	11228	16842	25377	11288	16932	25512
11109	16664	25108	11169	16754	25243	11229	16844	25379	11289	16934	25515
11110	16665	25109	11170	16755	25245	11230	16845	25380	11290	16935	25516
11111	16667	25113	11171	16757	25248	11231	16847	25384	11291	16937	25519
11112	16668	25114	11172	16758	25249	11232	16848	25385	11292	16938	25521
11113	16670	25117	11173	16760	25253	11233	16850	25388	11293	16940	25524
11114	16671	25119	11174	16761	25254	11234	16851	25390	11294	16941	25525
11115	16673	25121	11175	16763	25257	11235	16853	25392	11295	16943	25528
11116	16674	25123	11176	16764	25259	11236	16854	25394	11296	16944	25530
11117	16676	25126	11177	16766	25261	11237	16856	25397	11297	16946	25533
11118	16677	25128	11178	16767	25264	11238	16857	25399	11298	16947	25535
11119	16679	25130	11179	16769	25266	11239	16859	25402	11299	16949	25537
11120	16680	25132	11180	16770	25267	11240	16860	25403	11300	16950	25538
11121	16682	25135	11181	16772	25271	11241	16862	25406	11301	16952	25542
11122	16683	25136	11182	16773	25272	11242	16863	25408	11302	16953	25543
11123	16685	25140	11183	16775	25275	11243	16865	25411	11303	16955	25547
11124	16686	25141	11184	16776	25277	11244	16866	25412	11304	16956	25548
11125	16688	25144	11185	16778	25279	11245	16868	25415	11305	16958	25550
11126	16689	25146	11186	16779	25281	11246	16869	25417	11306	16959	25553
11127	16691	25148	11187	16781	25284	11247	16871	25420	11307	16961	25555
11128	16692	25151	11188	16782	25286	11248	16872	25422	11308	16962	25557
11129	16694	25153	11189	16784	25289	11249	16874	25424	11309	16964	25560
11130	16695	25154	11190	16785	25290	11250	16875	25425	11310	16965	25561
11131	16697	25158	11191	16787	25293	11251	16877	25429	11311	16967	25565
11132	16698	25159	11192	16788	25295	11252	16878	25430	11312	16968	25566
11133	16700	25162	11193	16790	25298	11253	16880	25434	11313	16970	25569
11134	16701	25164	11194	16791	25299	11254	16881	25435	11314	16971	25571
11135	16703	25166	11195	16793	25302	11255	16883	25437	11315	16973	25573
11136	16704	25168	11196	16794	25304	11256	16884	25440	11316	16974	25575
11137	16706	25171	11197	16796	25307	11257	16886	25442	11317	16976	25578
11138	16707	25173	11198	16797	25309	11258	16887	25444	11318	16977	25580
11139	16709	25176	11199	16799	25311	11259	16889	25447	11319	16979	25582
11140	16710	25177	11200	16800	25312	11260	16890	25448	11320	16980	25584
11141	16712	25180	11201	16802	25316	11261	16892	25452	11321	16982	25587
11142	16713	25182	11202	16803	25317	11262	16893	25453	11322	16983	25588
11143	16715	25185	11203	16805	25321	11263	16895	25456	11323	16985	25592
11144	16716	25186	11204	16806	25322	11264	16896	25458	11324	16986	25593
11145	16718	25189	11205	16808	25324	11265	16898	25460	11325	16988	25596
11146	16719	25191	11206	16809	25327	11266	16899	25462	11326	16989	25598
11147	16721	25194	11207	16811	25329	11267	16901	25465	11327	16991	25600
11148	16722	25196	11208	16812	25331	11268	16902	25467	11328	16992	25603
11149	16724	25198	11209	16814	25334	11269	16904	25469	11329	16994	25605
11150	16725	25199	11210	16815	25335	11270	16905	25471	11330	16995	25606

Dy. Director (I.C.)
Deptt. of Pension & P...
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11331	16997	**25610**	11391	17087	**25745**	11451	17177	**25881**	11511	17267	**26017**
11332	16998	**25611**	11392	17088	**25747**	11452	17178	**25882**	11512	17268	**26018**
11333	17000	**25614**	11393	17090	**25750**	11453	17180	**25886**	11513	17270	**26021**
11334	17001	**25616**	11394	17091	**25751**	11454	17181	**25887**	11514	17271	**26023**
11335	17003	**25618**	11395	17093	**25754**	11455	17183	**25889**	11515	17273	**26025**
11336	17004	**25620**	11396	17094	**25756**	11456	17184	**25892**	11516	17274	**26027**
11337	17006	**25623**	11397	17096	**25759**	11457	17186	**25894**	11517	17276	**26030**
11338	17007	**25625**	11398	17097	**25761**	11458	17187	**25896**	11518	17277	**26032**
11339	17009	**25628**	11399	17099	**25763**	11459	17189	**25899**	11519	17279	**26034**
11340	17010	**25629**	11400	17100	**25764**	11460	17190	**25900**	11520	17280	**26036**
11341	17012	**25632**	11401	17102	**25768**	11461	17192	**25904**	11521	17282	**26039**
11342	17013	**25634**	11402	17103	**25769**	11462	17193	**25905**	11522	17283	**26040**
11343	17015	**25637**	11403	17105	**25773**	11463	17195	**25908**	11523	17285	**26044**
11344	17016	**25638**	11404	17106	**25774**	11464	17196	**25910**	11524	17286	**26045**
11345	17018	**25641**	11405	17108	**25776**	11465	17198	**25912**	11525	17288	**26048**
11346	17019	**25643**	11406	17109	**25779**	11466	17199	**25914**	11526	17289	**26050**
11347	17021	**25646**	11407	17111	**25781**	11467	17201	**25917**	11527	17291	**26052**
11348	17022	**25648**	11408	17112	**25783**	11468	17202	**25919**	11528	17292	**26055**
11349	17024	**25650**	11409	17114	**25786**	11469	17204	**25921**	11529	17294	**26057**
11350	17025	**25651**	11410	17115	**25787**	11470	17205	**25923**	11530	17295	**26058**
11351	17027	**25655**	11411	17117	**25791**	11471	17207	**25926**	11531	17297	**26062**
11352	17028	**25656**	11412	17118	**25792**	11472	17208	**25927**	11532	17298	**26063**
11353	17030	**25660**	11413	17120	**25795**	11473	17210	**25931**	11533	17300	**26066**
11354	17031	**25661**	11414	17121	**25797**	11474	17211	**25932**	11534	17301	**26068**
11355	17033	**25663**	11415	17123	**25799**	11475	17213	**25935**	11535	17303	**26070**
11356	17034	**25666**	11416	17124	**25801**	11476	17214	**25937**	11536	17304	**26072**
11357	17036	**25668**	11417	17126	**25804**	11477	17216	**25939**	11537	17306	**26075**
11358	17037	**25670**	11418	17127	**25806**	11478	17217	**25942**	11538	17307	**26077**
11359	17039	**25673**	11419	17129	**25808**	11479	17219	**25944**	11539	17309	**26080**
11360	17040	**25674**	11420	17130	**25810**	11480	17220	**25945**	11540	17310	**26081**
11361	17042	**25678**	11421	17132	**25813**	11481	17222	**25949**	11541	17312	**26084**
11362	17043	**25679**	11422	17133	**25814**	11482	17223	**25950**	11542	17313	**26086**
11363	17045	**25682**	11423	17135	**25818**	11483	17225	**25953**	11543	17315	**26089**
11364	17046	**25684**	11424	17136	**25819**	11484	17226	**25955**	11544	17316	**26090**
11365	17048	**25686**	11425	17138	**25822**	11485	17228	**25957**	11545	17318	**26093**
11366	17049	**25688**	11426	17139	**25824**	11486	17229	**25959**	11546	17319	**26095**
11367	17051	**25691**	11427	17141	**25826**	11487	17231	**25962**	11547	17321	**26098**
11368	17052	**25693**	11428	17142	**25829**	11488	17232	**25964**	11548	17322	**26100**
11369	17054	**25695**	11429	17144	**25831**	11489	17234	**25967**	11549	17324	**26102**
11370	17055	**25697**	11430	17145	**25832**	11490	17235	**25968**	11550	17325	**26103**
11371	17057	**25700**	11431	17147	**25836**	11491	17237	**25971**	11551	17327	**26107**
11372	17058	**25701**	11432	17148	**25837**	11492	17238	**25973**	11552	17328	**26108**
11373	17060	**25705**	11433	17150	**25840**	11493	17240	**25976**	11553	17330	**26112**
11374	17061	**25706**	11434	17151	**25842**	11494	17241	**25977**	11554	17331	**26113**
11375	17063	**25709**	11435	17153	**25844**	11495	17243	**25980**	11555	17333	**26115**
11376	17064	**25711**	11436	17154.	**25846**	11496	17244	**25982**	11556	17334	**26118**
11377	17066	**25713**	11437	17156	**25849**	11497	17246	**25985**	11557	17336	**26120**
11378	17067	**25716**	11438	17157	**25851**	11498	17247	**25987**	11558	17337	**26122**
11379	17069	**25718**	11439	17159	**25854**	11499	17249	**25989**	11559	17339	**26125**
11380	17070	**25719**	11440	17160	**25855**	11500	17250	**25990**	11560	17340	**26126**
11381	17072	**25723**	11441	17162	**25858**	11501	17252	**25994**	11561	17342	**26130**
11382	17073	**25724**	11442	17163	**25860**	11502	17253	**25995**	11562	17343	**26131**
11383	17075	**25727**	11443	17165	**25863**	11503	17255	**25999**	11563	17345	**26134**
11384	17076	**25729**	11444	17166	**25864**	11504	17256	**26000**	11564	17346	**26136**
11385	17078	**25731**	11445	17168	**25867**	11505	17258	**26002**	11565	17348	**26138**
11386	17079	**25733**	11446	17169	**25869**	11506	17259	**26005**	11566	17349	**26140**
11387	17081	**25736**	11447	17171	**25872**	11507	17261	**26007**	11567	17351	**26143**
11388	17082	**25738**	11448	17172	**25874**	11508	17262	**26009**	11568	17352	**26145**
11389	17084	**25741**	11449	17174	**25876**	11509	17264	**26012**	11569	17354	**26147**
11390	17085	**25742**	11450	17175	**25877**	11510	17265	**26013**	11570	17355	**26149**

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/payecommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11571	17357	**26152**	11631	17447	**26288**	11691	17537	**26423**	11751	17627	**26559**
11572	17358	**26153**	11632	17448	**26289**	11692	17538	**26425**	11752	17628	**26560**
11573	17360	**26157**	11633	17450	**26292**	11693	17540	**26428**	11753	17630	**26564**
11574	17361	**26158**	11634	17451	**26294**	11694	17541	**26429**	11754	17631	**26565**
11575	17363	**26161**	11635	17453	**26296**	11695	17543	**26432**	11755	17633	**26567**
11576	17364	**26163**	11636	17454	**26298**	11696	17544	**26434**	11756	17634	**26570**
11577	17366	**26165**	11637	17456	**26301**	11697	17546	**26437**	11757	17636	**26572**
11578	17367	**26168**	11638	17457	**26303**	11698	17547	**26439**	11758	17637	**26574**
11579	17369	**26170**	11639	17459	**26306**	11699	17549	**26441**	11759	17639	**26577**
11580	17370	**26171**	11640	17460	**26307**	11700	17550	**26442**	11760	17640	**26578**
11581	17372	**26175**	11641	17462	**26310**	11701	17552	**26446**	11761	17642	**26582**
11582	17373	**26176**	11642	17463	**26312**	11702	17553	**26447**	11762	17643	**26583**
11583	17375	**26179**	11643	17465	**26315**	11703	17555	**26451**	11763	17645	**26586**
11584	17376	**26181**	11644	17466	**26316**	11704	17556	**26452**	11764	17646	**26588**
11585	17378	**26183**	11645	17468	**26319**	11705	17558	**26454**	11765	17648	**26590**
11586	17379	**26185**	11646	17469	**26321**	11706	17559	**26457**	11766	17649	**26592**
11587	17381	**26188**	11647	17471	**26324**	11707	17561	**26459**	11767	17651	**26595**
11588	17382	**26190**	11648	17472	**26326**	11708	17562	**26461**	11768	17652	**26597**
11589	17384	**26193**	11649	17474	**26328**	11709	17564	**26464**	11769	17654	**26599**
11590	17385	**26194**	11650	17475	**26329**	11710	17565	**26465**	11770	17655	**26601**
11591	17387	**26197**	11651	17477	**26333**	11711	17567	**26469**	11771	17657	**26604**
11592	17388	**26199**	11652	17478	**26334**	11712	17568	**26470**	11772	17658	**26605**
11593	17390	**26202**	11653	17480	**26338**	11713	17570	**26473**	11773	17660	**26609**
11594	17391	**26203**	11654	17481	**26339**	11714	17571	**26475**	11774	17661	**26610**
11595	17393	**26206**	11655	17483	**26341**	11715	17573	**26477**	11775	17663	**26613**
11596	17394	**26208**	11656	17484	**26344**	11716	17574	**26479**	11776	17664	**26615**
11597	17396	**26211**	11657	17486	**26346**	11717	17576	**26482**	11777	17666	**26617**
11598	17397	**26213**	11658	17487	**26348**	11718	17577	**26484**	11778	17667	**26620**
11599	17399	**26215**	11659	17489	**26351**	11719	17579	**26486**	11779	17669	**26622**
11600	17400	**26216**	11660	17490	**26352**	11720	17580	**26488**	11780	17670	**26623**
11601	17402	**26220**	11661	17492	**26356**	11721	17582	**26491**	11781	17672	**26627**
11602	17403	**26221**	11662	17493	**26357**	11722	17583	**26492**	11782	17673	**26628**
11603	17405	**26225**	11663	17495	**26360**	11723	17585	**26496**	11783	17675	**26631**
11604	17406	**26226**	11664	17496	**26362**	11724	17586	**26497**	11784	17676	**26633**
11605	17408	**26228**	11665	17498	**26364**	11725	17588	**26500**	11785	17678	**26635**
11606	17409	**26231**	11666	17499	**26366**	11726	17589	**26502**	11786	17679	**26637**
11607	17411	**26233**	11667	17501	**26369**	11727	17591	**26504**	11787	17681	**26640**
11608	17412	**26235**	11668	17502	**26371**	11728	17592	**26507**	11788	17682	**26642**
11609	17414	**26238**	11669	17504	**26373**	11729	17594	**26509**	11789	17684	**26645**
11610	17415	**26239**	11670	17505	**26375**	11730	17595	**26510**	11790	17685	**26646**
11611	17417	**26243**	11671	17507	**26378**	11731	17597	**26514**	11791	17687	**26649**
11612	17418	**26244**	11672	17508	**26379**	11732	17598	**26515**	11792	17688	**26651**
11613	17420	**26247**	11673	17510	**26383**	11733	17600	**26518**	11793	17690	**26654**
11614	17421	**26249**	11674	17511	**26384**	11734	17601	**26520**	11794	17691	**26655**
11615	17423	**26251**	11675	17513	**26387**	11735	17603	**26522**	11795	17693	**26658**
11616	17424	**26253**	11676	17514	**26389**	11736	17604	**26524**	11796	17694	**26660**
11617	17426	**26256**	11677	17516	**26391**	11737	17606	**26527**	11797	17696	**26663**
11618	17427	**26258**	11678	17517	**26394**	11738	17607	**26529**	11798	17697	**26665**
11619	17429	**26260**	11679	17519	**26396**	11739	17609	**26532**	11799	17699	**26667**
11620	17430	**26262**	11680	17520	**26397**	11740	17610	**26533**	11800	17700	**26668**
11621	17432	**26265**	11681	17522	**26401**	11741	17612	**26536**	11801	17702	**26672**
11622	17433	**26266**	11682	17523	**26402**	11742	17613	**26538**	11802	17703	**26673**
11623	17435	**26270**	11683	17525	**26405**	11743	17615	**26541**	11803	17705	**26677**
11624	17436	**26271**	11684	17526	**26407**	11744	17616	**26542**	11804	17706	**26678**
11625	17438	**26274**	11685	17528	**26409**	11745	17618	**26545**	11805	17708	**26680**
11626	17439	**26276**	11686	17529	**26411**	11746	17619	**26547**	11806	17709	**26683**
11627	17441	**26278**	11687	17531	**26414**	11747	17621	**26550**	11807	17711	**26685**
11628	17442	**26281**	11688	17532	**26416**	11748	17622	**26552**	11808	17712	**26687**
11629	17444	**26283**	11689	17534	**26419**	11749	17624	**26554**	11809	17714	**26690**
11630	17445	**26284**	11690	17535	**26420**	11750	17625	**26555**	11810	17715	**26691**

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
11811	17717	26695	11871	17807	26830	11931	17897	26966	11991	17987	27101
11812	17718	26696	11872	17808	26831	11932	17898	26967	11992	17988	27103
11813	17720	26699	11873	17810	26835	11933	17900	26970	11993	17990	27106
11814	17721	26701	11874	17811	26836	11934	17901	26972	11994	17991	27107
11815	17723	26703	11875	17813	26839	11935	17903	26974	11995	17993	27110
11816	17724	26705	11876	17814	26841	11936	17904	26976	11996	17994	27112
11817	17726	26708	11877	17816	26843	11937	17906	26979	11997	17996	27115
11818	17727	26710	11878	17817	26846	11938	17907	26981	11998	17997	27117
11819	17729	26712	11879	17819	26848	11939	17909	26984	11999	17999	27119
11820	17730	26714	11880	17820	26849	11940	17910	26985	12000	18000	27120
11821	17732	26717	11881	17822	26853	11941	17912	26988	12001	18002	27124
11822	17733	26718	11882	17823	26854	11942	17913	26990	12002	18003	27125
11823	17735	26722	11883	17825	26857	11943	17915	26993	12003	18005	27129
11824	17736	26723	11884	17826	26859	11944	17916	26994	12004	18006	27130
11825	17738	26726	11885	17828	26861	11945	17918	26997	12005	18008	27132
11826	17739	26728	11886	17829	26863	11946	17919	26999	12006	18009	27135
11827	17741	26730	11887	17831	26866	11947	17921	27002	12007	18011	27137
11828	17742	26733	11888	17832	26868	11948	17922	27004	12008	18012	27139
11829	17744	26735	11889	17834	26871	11949	17924	27006	12009	18014	27142
11830	17745	26736	11890	17835	26872	11950	17925	27007	12010	18015	27143
11831	17747	26740	11891	17837	26875	11951	17927	27011	12011	18017	27147
11832	17748	26741	11892	17838	26877	11952	17928	27012	12012	18018	27148
11833	17750	26744	11893	17840	26880	11953	17930	27016	12013	18020	27151
11834	17751	26746	11894	17841	26881	11954	17931	27017	12014	18021	27153
11835	17753	26748	11895	17843	26884	11955	17933	27019	12015	18023	27155
11836	17754	26750	11896	17844	26886	11956	17934	27022	12016	18024	27157
11837	17756	26753	11897	17846	26889	11957	17936	27024	12017	18026	27160
11838	17757	26755	11898	17847	26891	11958	17937	27026	12018	18027	27162
11839	17759	26758	11899	17849	26893	11959	17939	27029	12019	18029	27164
11840	17760	26759	11900	17850	26894	11960	17940	27030	12020	18030	27166
11841	17762	26762	11901	17852	26898	11961	17942	27034	12021	18032	27169
11842	17763	26764	11902	17853	26899	11962	17943	27035	12022	18033	27170
11843	17765	26767	11903	17855	26903	11963	17945	27038	12023	18035	27174
11844	17766	26768	11904	17856	26904	11964	17946	27040	12024	18036	27175
11845	17768	26771	11905	17858	26906	11965	17948	27042	12025	18038	27178
11846	17769	26773	11906	17859	26909	11966	17949	27044	12026	18039	27180
11847	17771	26776	11907	17861	26911	11967	17951	27047	12027	18041	27182
11848	17772	26778	11908	17862	26913	11968	17952	27049	12028	18042	27185
11849	17774	26780	11909	17864	26916	11969	17954	27051	12029	18044	27187
11850	17775	26781	11910	17865	26917	11970	17955	27053	12030	18045	27188
11851	17777	26785	11911	17867	26921	11971	17957	27056	12031	18047	27192
11852	17778	26786	11912	17868	26922	11972	17958	27057	12032	18048	27193
11853	17780	26790	11913	17870	26925	11973	17960	27061	12033	18050	27196
11854	17781	26791	11914	17871	26927	11974	17961	27062	12034	18051	27198
11855	17783	26793	11915	17873	26929	11975	17963	27065	12035	18053	27200
11856	17784	26796	11916	17874	26931	11976	17964	27067	12036	18054	27202
11857	17786	26798	11917	17876	26934	11977	17966	27069	12037	18056	27205
11858	17787	26800	11918	17877	26936	11978	17967	27072	12038	18057	27207
11859	17789	26803	11919	17879	26938	11979	17969	27074	12039	18059	27210
11860	17790	26804	11920	17880	26940	11980	17970	27075	12040	18060	27211
11861	17792	26808	11921	17882	26943	11981	17972	27079	12041	18062	27214
11862	17793	26809	11922	17883	26944	11982	17973	27080	12042	18063	27216
11863	17795	26812	11923	17885	26948	11983	17975	27083	12043	18065	27219
11864	17796	26814	11924	17886	26949	11984	17976	27085	12044	18066	27220
11865	17798	26816	11925	17888	26952	11985	17978	27087	12045	18068	27223
11866	17799	26818	11926	17889	26954	11986	17979	27089	12046	18069	27225
11867	17801	26821	11927	17891	26956	11987	17981	27092	12047	18071	27228
11868	17802	26823	11928	17892	26959	11988	17982	27094	12048	18072	27230
11869	17804	26825	11929	17894	26961	11989	17984	27097	12049	18074	27232
11870	17805	26827	11930	17895	26962	11990	17985	27098	12050	18075	27233

(M. P. SINGH)
Director (P.P.)
Deptt. of Pension & P. W.
Govt. of India

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govtpaycommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12051	18077	27237	12111	18167	27373	12171	18257	27508	12231	18347	27644
12052	18078	27238	12112	18168	27374	12172	18258	27509	12232	18348	27645
12053	18080	27242	12113	18170	27377	12173	18260	27513	12233	18350	27648
12054	18081	27243	12114	18171	27379	12174	18261	27514	12234	18351	27650
12055	18083	27245	12115	18173	27381	12175	18263	27517	12235	18353	27652
12056	18084	27248	12116	18174	27383	12176	18264	27519	12236	18354	27654
12057	18086	27250	12117	18176	27386	12177	18266	27521	12237	18356	27657
12058	18087	27252	12118	18177	27388	12178	18267	27524	12238	18357	27659
12059	18089	27255	12119	18179	27390	12179	18269	27526	12239	18359	27662
12060	18090	27256	12120	18180	27392	12180	18270	27527	12240	18360	27663
12061	18092	27260	12121	18182	27395	12181	18272	27531	12241	18362	27666
12062	18093	27261	12122	18183	27396	12182	18273	27532	12242	18363	27668
12063	18095	27264	12123	18185	27400	12183	18275	27535	12243	18365	27671
12064	18096	27266	12124	18186	27401	12184	18276	27537	12244	18366	27672
12065	18098	27268	12125	18188	27404	12185	18278	27539	12245	18368	27675
12066	18099	27270	12126	18189	27406	12186	18279	27541	12246	18369	27677
12067	18101	27273	12127	18191	27408	12187	18281	27544	12247	18371	27680
12068	18102	27275	12128	18192	27411	12188	18282	27546	12248	18372	27682
12069	18104	27277	12129	18194	27413	12189	18284	27549	12249	18374	27684
12070	18105	27279	12130	18195	27414	12190	18285	27550	12250	18375	27685
12071	18107	27282	12131	18197	27418	12191	18287	27553	12251	18377	27689
12072	18108	27283	12132	18198	27419	12192	18288	27555	12252	18378	27690
12073	18110	27287	12133	18200	27422	12193	18290	27558	12253	18380	27694
12074	18111	27288	12134	18201	27424	12194	18291	27559	12254	18381	27695
12075	18113	27291	12135	18203	27426	12195	18293	27562	12255	18383	27697
12076	18114	27293	12136	18204	27428	12196	18294	27564	12256	18384	27700
12077	18116	27295	12137	18206	27431	12197	18296	27567	12257	18386	27702
12078	18117	27298	12138	18207	27433	12198	18297	27569	12258	18387	27704
12079	18119	27300	12139	18209	27436	12199	18299	27571	12259	18389	27707
12080	18120	27301	12140	18210	27437	12200	18300	27572	12260	18390	27708
12081	18122	27305	12141	18212	27440	12201	18302	27576	12261	18392	27712
12082	18123	27306	12142	18213	27442	12202	18303	27577	12262	18393	27713
12083	18125	27309	12143	18215	27445	12203	18305	27581	12263	18395	27716
12084	18126	27311	12144	18216	27446	12204	18306	27582	12264	18396	27718
12085	18128	27313	12145	18218	27449	12205	18308	27584	12265	18398	27720
12086	18129	27315	12146	18219	27451	12206	18309	27587	12266	18399	27722
12087	18131	27318	12147	18221	27454	12207	18311	27589	12267	18401	27725
12088	18132	27320	12148	18222	27456	12208	18312	27591	12268	18402	27727
12089	18134	27323	12149	18224	27458	12209	18314	27594	12269	18404	27729
12090	18135	27324	12150	18225	27459	12210	18315	27595	12270	18405	27731
12091	18137	27327	12151	18227	27463	12211	18317	27599	12271	18407	27734
12092	18138	27329	12152	18228	27464	12212	18318	27600	12272	18408	27735
12093	18140	27332	12153	18230	27468	12213	18320	27603	12273	18410	27739
12094	18141	27333	12154	18231	27469	12214	18321	27605	12274	18411	27740
12095	18143	27336	12155	18233	27471	12215	18323	27607	12275	18413	27743
12096	18144	27338	12156	18234	27474	12216	18324	27609	12276	18414	27745
12097	18146	27341	12157	18236	27476	12217	18326	27612	12277	18416	27747
12098	18147	27343	12158	18237	27478	12218	18327	27614	12278	18417	27750
12099	18149	27345	12159	18239	27481	12219	18329	27616	12279	18419	27752
12100	18150	27346	12160	18240	27482	12220	18330	27618	12280	18420	27753
12101	18152	27350	12161	18242	27486	12221	18332	27621	12281	18422	27757
12102	18153	27351	12162	18243	27487	12222	18333	27622	12282	18423	27758
12103	18155	27355	12163	18245	27490	12223	18335	27626	12283	18425	27761
12104	18156	27356	12164	18246	27492	12224	18336	27627	12284	18426	27763
12105	18158	27358	12165	18248	27494	12225	18338	27630	12285	18428	27765
12106	18159	27361	12166	18249	27496	12226	18339	27632	12286	18429	27767
12107	18161	27363	12167	18251	27499	12227	18341	27634	12287	18431	27770
12108	18162	27365	12168	18252	27501	12228	18342	27637	12288	18432	27772
12109	18164	27368	12169	18254	27503	12229	18344	27639	12289	18434	27775
12110	18165	27369	12170	18255	27505	12230	18345	27640	12290	18435	27776

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12291	18437	27779	12351	18527	27915	12411	18617	28051	12471	18707	28186
12292	18438	27781	12352	18528	27916	12412	18618	28052	12472	18708	28187
12293	18440	27784	12353	18530	27920	12413	18620	28055	12473	18710	28191
12294	18441	27785	12354	18531	27921	12414	18621	28057	12474	18711	28192
12295	18443	27788	12355	18533	27923	12415	18623	28059	12475	18713	28195
12296	18444	27790	12356	18534	27926	12416	18624	28061	12476	18714	28197
12297	18446	27793	12357	18536	27928	12417	18626	28064	12477	18716	28199
12298	18447	27795	12358	18537	27930	12418	18627	28066	12478	18717	28202
12299	18449	27797	12359	18539	27933	12419	18629	28068	12479	18719	28204
12300	18450	27798	12360	18540	27934	12420	18630	28070	12480	18720	28205
12301	18452	27802	12361	18542	27938	12421	18632	28073	12481	18722	28209
12302	18453	27803	12362	18543	27939	12422	18633	28074	12482	18723	28210
12303	18455	27807	12363	18545	27942	12423	18635	28078	12483	18725	28213
12304	18456	27808	12364	18546	27944	12424	18636	28079	12484	18726	28215
12305	18458	27810	12365	18548	27946	12425	18638	28082	12485	18728	28217
12306	18459	27813	12366	18549	27948	12426	18639	28084	12486	18729	28219
12307	18461	27815	12367	18551	27951	12427	18641	28086	12487	18731	28222
12308	18462	27817	12368	18552	27953	12428	18642	28089	12488	18732	28224
12309	18464	27820	12369	18554	27955	12429	18644	28091	12489	18734	28227
12310	18465	27821	12370	18555	27957	12430	18645	28092	12490	18735	28228
12311	18467	27825	12371	18557	27960	12431	18647	28096	12491	18737	28231
12312	18468	27826	12372	18558	27961	12432	18648	28097	12492	18738	28233
12313	18470	27829	12373	18560	27965	12433	18650	28100	12493	18740	28236
12314	18471	27831	12374	18561	27966	12434	18651	28102	12494	18741	28237
12315	18473	27833	12375	18563	27969	12435	18653	28104	12495	18743	28240
12316	18474	27835	12376	18564	27971	12436	18654	28106	12496	18744	28242
12317	18476	27838	12377	18566	27973	12437	18656	28109	12497	18746	28245
12318	18477	27840	12378	18567	27976	12438	18657	28111	12498	18747	28247
12319	18479	27842	12379	18569	27978	12439	18659	28114	12499	18749	28249
12320	18480	27844	12380	18570	27979	12440	18660	28115	12500	18750	28250
12321	18482	27847	12381	18572	27983	12441	18662	28118	12501	18752	28254
12322	18483	27848	12382	18573	27984	12442	18663	28120	12502	18753	28255
12323	18485	27852	12383	18575	27987	12443	18665	28123	12503	18755	28259
12324	18486	27853	12384	18576	27989	12444	18666	28124	12504	18756	28260
12325	18488	27856	12385	18578	27991	12445	18668	28127	12505	18758	28262
12326	18489	27858	12386	18579	27993	12446	18669	28129	12506	18759	28265
12327	18491	27860	12387	18581	27996	12447	18671	28132	12507	18761	28267
12328	18492	27863	12388	18582	27998	12448	18672	28134	12508	18762	28269
12329	18494	27865	12389	18584	28001	12449	18674	28136	12509	18764	28272
12330	18495	27866	12390	18585	28002	12450	18675	28137	12510	18765	28273
12331	18497	27870	12391	18587	28005	12451	18677	28141	12511	18767	28277
12332	18498	27871	12392	18588	28007	12452	18678	28142	12512	18768	28278
12333	18500	27874	12393	18590	28010	12453	18680	28146	12513	18770	28281
12334	18501	27876	12394	18591	28011	12454	18681	28147	12514	18771	28283
12335	18503	27878	12395	18593	28014	12455	18683	28149	12515	18773	28285
12336	18504	27880	12396	18594	28016	12456	18684	28152	12516	18774	28287
12337	18506	27883	12397	18596	28019	12457	18686	28154	12517	18776	28290
12338	18507	27885	12398	18597	28021	12458	18687	28156	12518	18777	28292
12339	18509	27888	12399	18599	28023	12459	18689	28159	12519	18779	28294
12340	18510	27889	12400	18600	28024	12460	18690	28160	12520	18780	28296
12341	18512	27892	12401	18602	28028	12461	18692	28164	12521	18782	28299
12342	18513	27894	12402	18603	28029	12462	18693	28165	12522	18783	28300
12343	18515	27897	12403	18605	28033	12463	18695	28168	12523	18785	28304
12344	18516	27898	12404	18606	28034	12464	18696	28170	12524	18786	28305
12345	18518	27901	12405	18608	28036	12465	18698	28172	12525	18788	28308
12346	18519	27903	12406	18609	28039	12466	18699	28174	12526	18789	28310
12347	18521	27906	12407	18611	28041	12467	18701	28177	12527	18791	28312
12348	18522	27908	12408	18612	28043	12468	18702	28179	12528	18792	28315
12349	18524	27910	12409	18614	28046	12469	18704	28181	12529	18794	28317
12350	18525	27911	12410	18615	28047	12470	18705	28183	12530	18795	28318

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/payscommission.php

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12531	18797	28322	12591	18887	28457	12651	18977	28593	12711	19067	28729
12532	18798	28323	12592	18888	28459	12652	18978	28594	12712	19068	28730
12533	18800	28326	12593	18890	28462	12653	18980	28598	12713	19070	28733
12534	18801	28328	12594	18891	28463	12654	18981	28599	12714	19071	28735
12535	18803	28330	12595	18893	28466	12655	18983	28601	12715	19073	28737
12536	18804	28332	12596	18894	28468	12656	18984	28604	12716	19074	28739
12537	18806	28335	12597	18896	28471	12657	18986	28606	12717	19076	28742
12538	18807	28337	12598	18897	28473	12658	18987	28608	12718	19077	28744
12539	18809	28340	12599	18899	28475	12659	18989	28611	12719	19079	28746
12540	18810	28341	12600	18900	28476	12660	18990	28612	12720	19080	28748
12541	18812	28344	12601	18902	28480	12661	18992	28616	12721	19082	28751
12542	18813	28346	12602	18903	28481	12662	18993	28617	12722	19083	28752
12543	18815	28349	12603	18905	28485	12663	18995	28620	12723	19085	28756
12544	18816	28350	12604	18906	28486	12664	18996	28622	12724	19086	28757
12545	18818	28353	12605	18908	28488	12665	18998	28624	12725	19088	28760
12546	18819	28355	12606	18909	28491	12666	18999	28626	12726	19089	28762
12547	18821	28358	12607	18911	28493	12667	19001	28629	12727	19091	28764
12548	18822	28360	12608	18912	28495	12668	19002	28631	12728	19092	28767
12549	18824	28362	12609	18914	28498	12669	19004	28633	12729	19094	28769
12550	18825	28363	12610	18915	28499	12670	19005	28635	12730	19095	28770
12551	18827	28367	12611	18917	28503	12671	19007	28638	12731	19097	28774
12552	18828	28368	12612	18918	28504	12672	19008	28639	12732	19098	28775
12553	18830	28372	12613	18920	28507	12673	19010	28643	12733	19100	28778
12554	18831	28373	12614	18921	28509	12674	19011	28644	12734	19101	28780
12555	18833	28375	12615	18923	28511	12675	19013	28647	12735	19103	28782
12556	18834	28378	12616	18924	28513	12676	19014	28649	12736	19104	28784
12557	18836	28380	12617	18926	28516	12677	19016	28651	12737	19106	28787
12558	18837	28382	12618	18927	28518	12678	19017	28654	12738	19107	28789
12559	18839	28385	12619	18929	28520	12679	19019	28656	12739	19109	28792
12560	18840	28386	12620	18930	28522	12680	19020	28657	12740	19110	28793
12561	18842	28390	12621	18932	28525	12681	19022	28661	12741	19112	28796
12562	18843	28391	12622	18933	28526	12682	19023	28662	12742	19113	28798
12563	18845	28394	12623	18935	28530	12683	19025	28665	12743	19115	28801
12564	18846	28396	12624	18936	28531	12684	19026	28667	12744	19116	28802
12565	18848	28398	12625	18938	28534	12685	19028	28669	12745	19118	28805
12566	18849	28400	12626	18939	28536	12686	19029	28671	12746	19119	28807
12567	18851	28403	12627	18941	28538	12687	19031	28674	12747	19121	28810
12568	18852	28405	12628	18942	28541	12688	19032	28676	12748	19122	28812
12569	18854	28407	12629	18944	28543	12689	19034	28679	12749	19124	28814
12570	18855	28409	12630	18945	28544	12690	19035	28680	12750	19125	28815
12571	18857	28412	12631	18947	28548	12691	19037	28683	12751	19127	28819
12572	18858	28413	12632	18948	28549	12692	19038	28685	12752	19128	28820
12573	18860	28417	12633	18950	28552	12693	19040	28688	12753	19130	28824
12574	18861	28418	12634	18951	28554	12694	19041	28689	12754	19131	28825
12575	18863	28421	12635	18953	28556	12695	19043	28692	12755	19133	28827
12576	18864	28423	12636	18954	28558	12696	19044	28694	12756	19134	28830
12577	18866	28425	12637	18956	28561	12697	19046	28697	12757	19136	28832
12578	18867	28428	12638	18957	28563	12698	19047	28699	12758	19137	28834
12579	18869	28430	12639	18959	28566	12699	19049	28701	12759	19139	28837
12580	18870	28431	12640	18960	28567	12700	19050	28702	12760	19140	28838
12581	18872	28435	12641	18962	28570	12701	19052	28706	12761	19142	28842
12582	18873	28436	12642	18963	28572	12702	19053	28707	12762	19143	28843
12583	18875	28439	12643	18965	28575	12703	19055	28711	12763	19145	28846
12584	18876	28441	12644	18966	28576	12704	19056	28712	12764	19146	28848
12585	18878	28443	12645	18968	28579	12705	19058	28714	12765	19148	28850
12586	18879	28445	12646	18969	28581	12706	19059	28717	12766	19149	28852
12587	18881	28448	12647	18971	28584	12707	19061	28719	12767	19151	28855
12588	18882	28450	12648	18972	28586	12708	19062	28721	12768	19152	28857
12589	18884	28453	12649	18974	28588	12709	19064	28724	12769	19154	28859
12590	18885	28454	12650	18975	28589	12710	19065	28725	12770	19155	28861

(M. P. Singh)
Director (Pay)
Deptt. of Pension & P.W.
Govt. of India

BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension	BP (pre2006) without DP	BP (pre 2006) with DP	Revised Consolidated Pension
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
12771	19157	**28864**	12831	19247	**29000**	12891	19337	**29135**	12951	19427	**29271**
12772	19158	**28865**	12832	19248	**29001**	12892	19338	**29137**	12952	19428	**29272**
12773	19160	**28869**	12833	19250	**29004**	12893	19340	**29140**	12953	19430	**29276**
12774	19161	**28870**	12834	19251	**29006**	12894	19341	**29141**	12954	19431	**29277**
12775	19163	**28873**	12835	19253	**29008**	12895	19343	**29144**	12955	19433	**29279**
12776	19164	**28875**	12836	19254	**29010**	12896	19344	**29146**	12956	19434	**29282**
12777	19166	**28877**	12837	19256	**29013**	12897	19346	**29149**	12957	19436	**29284**
12778	19167	**28880**	12838	19257	**29015**	12898	19347	**29151**	12958	19437	**29286**
12779	19169	**28882**	12839	19259	**29018**	12899	19349	**29153**	12959	19439	**29289**
12780	19170	**28883**	12840	19260	**29019**	12900	19350	**29154**	12960	19440	**29290**
12781	19172	**28887**	12841	19262	**29022**	12901	19352	**29158**	12961	19442	**29294**
12782	19173	**28888**	12842	19263	**29024**	12902	19353	**29159**	12962	19443	**29295**
12783	19175	**28891**	12843	19265	**29027**	12903	19355	**29163**	12963	19445	**29298**
12784	19176	**28893**	12844	19266	**29028**	12904	19356	**29164**	12964	19446	**29300**
12785	19178	**28895**	12845	19268	**29031**	12905	19358	**29166**	12965	19448	**29302**
12786	19179	**28897**	12846	19269	**29033**	12906	19359	**29169**	12966	19449	**29304**
12787	19181	**28900**	12847	19271	**29036**	12907	19361	**29171**	12967	19451	**29307**
12788	19182	**28902**	12848	19272	**29038**	12908	19362	**29173**	12968	19452	**29309**
12789	19184	**28905**	12849	19274	**29040**	12909	19364	**29176**	12969	19454	**29311**
12790	19185	**28906**	12850	19275	**29041**	12910	19365	**29177**	12970	19455	**29313**
12791	19187	**28909**	12851	19277	**29045**	12911	19367	**29181**	12971	19457	**29316**
12792	19188	**28911**	12852	19278	**29046**	12912	19368	**29182**	12972	19458	**29317**
12793	19190	**28914**	12853	19280	**29050**	12913	19370	**29185**	12973	19460	**29321**
12794	19191	**28915**	12854	19281	**29051**	12914	19371	**29187**	12974	19461	**29322**
12795	19193	**28918**	12855	19283	**29053**	12915	19373	**29189**	12975	19463	**29325**
12796	19194	**28920**	12856	19284	**29056**	12916	19374	**29191**	12976	19464	**29327**
12797	19196	**28923**	12857	19286	**29058**	12917	19376	**29194**	12977	19466	**29329**
12798	19197	**28925**	12858	19287	**29060**	12918	19377	**29196**	12978	19467	**29332**
12799	19199	**28927**	12859	19289	**29063**	12919	19379	**29198**	12979	19469	**29334**
12800	19200	**28928**	12860	19290	**29064**	12920	19380	**29200**	12980	19470	**29335**
12801	19202	**28932**	12861	19292	**29068**	12921	19382	**29203**	12981	19472	**29339**
12802	19203	**28933**	12862	19293	**29069**	12922	19383	**29204**	12982	19473	**29340**
12803	19205	**28937**	12863	19295	**29072**	12923	19385	**29208**	12983	19475	**29343**
12804	19206	**28938**	12864	19296	**29074**	12924	19386	**29209**	12984	19476	**29345**
12805	19208	**28940**	12865	19298	**29076**	12925	19388	**29212**	12985	19478	**29347**
12806	19209	**28943**	12866	19299	**29078**	12926	19389	**29214**	12986	19479	**29349**
12807	19211	**28945**	12867	19301	**29081**	12927	19391	**29216**	12987	19481	**29352**
12808	19212	**28947**	12868	19302	**29083**	12928	19392	**29219**	12988	19482	**29354**
12809	19214	**28950**	12869	19304	**29085**	12929	19394	**29221**	12989	19484	**29357**
12810	19215	**28951**	12870	19305	**29087**	12930	19395	**29222**	12990	19485	**29358**
12811	19217	**28955**	12871	19307	**29090**	12931	19397	**29226**	12991	19487	**29361**
12812	19218	**28956**	12872	19308	**29091**	12932	19398	**29227**	12992	19488	**29363**
12813	19220	**28959**	12873	19310	**29095**	12933	19400	**29230**	12993	19490	**29366**
12814	19221	**28961**	12874	19311	**29096**	12934	19401	**29232**	12994	19491	**29367**
12815	19223	**28963**	12875	19313	**29099**	12935	19403	**29234**	12995	19493	**29370**
12816	19224	**28965**	12876	19314	**29101**	12936	19404	**29236**	12996	19494	**29372**
12817	19226	**28968**	12877	19316	**29103**	12937	19406	**29239**	12997	19496	**29375**
12818	19227	**28970**	12878	19317	**29106**	12938	19407	**29241**	12998	19497	**29377**
12819	19229	**28972**	12879	19319	**29108**	12939	19409	**29244**	12999	19499	**29379**
12820	19230	**28974**	12880	19320	**29109**	12940	19410	**29245**	13000	19500	**29380**
12821	19232	**28977**	12881	19322	**29113**	12941	19412	**29248**	*13000	19500	**40000**
12822	19233	**28978**	12882	19323	**29114**	12942	19413	**29250**	*15000	22500	**45000**
12823	19235	**28982**	12883	19325	**29117**	12943	19415	**29253**			
12824	19236	**28983**	12884	19326	**29119**	12944	19416	**29254**			
12825	19238	**28986**	12885	19328	**29121**	12945	19418	**29257**			
12826	19239	**28988**	12886	19329	**29123**	12946	19419	**29259**			
12827	19241	**28990**	12887	19331	**29126**	12947	19421	**29262**			
12828	19242	**28993**	12888	19332	**29128**	12948	19422	**29264**			
12829	19244	**28995**	12889	19334	**29131**	12949	19424	**29266**			
12830	19245	**28996**	12890	19335	**29132**	12950	19425	**29267**			

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

ANNEXURE II

Form of intimation by the Pension Disbursing Authority to the Central Pension Accounting Office/Pay and Accounts Office regarding consolidation of pension in terms of Department of Pension and Pensioners Welfare Office Memorandum No. No.38/37/08-P&PW(A)-Part-II dated .....

1. Name of the Pensioner/Family Pensioner
2. PPO No.
3. Date of Birth/age

4. Date of retirement/Death (in case of family pension)
5. Savings Bank A/C No.
6. Name of the Bank/Paying Branch
7. Bank Code No.
8. Computation of consolidated pension/family pension
   Pension /*Family Pension/ *Family Pension (At enhanced rate)

Pension	Family Pension/Enhanced Family Pension
(A) Existing basic pension (inclusive of commuted portion) (excluding the effect of merger of 50% of dearness relief)	(A) Existing basic Family Pension /Enhanced family pension (excluding the effect of merger of 50% of dearness relief)
(B) Dearness Pension	(B) Dearness Pension
(C) Dearness Relief upto CPI 550(Base year 1982=100) i.e. 24% of Family Pension as drawn.	(C) Dearness Relief upto CPI 550(Base year 1982=100) i.e. 24% of Family Pension as drawn.
(D) 40% of the Basic Pension as at (A) above.	(D) 40% of the Basic Family Pension as at (A) above.
(F) Consolidated Pension (A+B+C+D)	(F) Consolidated Family Pension (A+B+C+D)

Note:
1. The final revision of pension in respect of pensioners will be done by the Pay & Accounts Office concerned.

2. The final revision of Family Pension will also be done by the Pay & Accounts Office concerned.

*(* If not applicable draw a line across.)*

9. Whether consolidated pension/family pension is final or allowed as immediate relief.
10. Remarks, if any.

SIGNATURE OF PENSION DISBURSING AUTHORITY

To
1. Central Pension Accounting Office
Ministry of Finance,
Department of Expenditure,
Trikoot-II, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110 066.

2. Concerned Pay & Accounts Office

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php

Note : 1. Basic Pension includes commuted value of Pension

2. BP (pre 2006) without DP (column 1) means Basic Pension/Family Pension without Dearness Pension/Family Dearness Pension before 1.4.2004
3. BP (pre 2006) with DP (column 2) means Basic Pension/Family Pension with Dearness Pension/ Family Dearness Pension after 1.4.2004

* **Revised Consolidated Pension in respect of fixed scales of Pay of Secretary and Cabinet Secretary**

Director
Deptt. of Pension
Govt. of India

Published on National portal of India | http://india.gov.in/govt/paycommission.php